राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ३] द्वितीय विधान सभा के तृतीय सत्र का ३१वां दिवस [संख्या १७

बुधवार, १२ मार्च, १९५८

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह ११.६ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द ।

बंदियों द्वारा निर्मित-गांधीजी के चरित्र का एल्बम

४८५. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सत्य है कि तारीख २१-११-५७ को गांधीजी के चरित्र का एल्बम सेन्ट्रल जेल, जयपुर के बन्दियों द्वारा बनवाया गया था? यदि हां, तो उसकी बनवाई में कितना रुपया खर्च हुआ?

गृहमन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : गांधी जी के चरित्र का एल्बम जो बाजार में बना-बनाया मिलता है उसकी खूबसूरती के लिए कपड़ा दिया गया था जेल से और प्रेस में लेही से चिपकाया था, उसका खर्चा १२ आना हुआ।

नगरपालिकाओं के द्वारा किये गये नगरोत्थान कार्य

४८६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) राजस्थान के निर्माण से अब तक नगरपालिका टोंक, निवाई, मालपुरा, टोडा-रायसिंह व उनियारा में नगरोत्थान के क्या २ कार्य किये गये तथा इनको नगरोत्थान के कार्य के लिये सरकार से कितनी २ सहायता किस २ वर्ष में दी गई?

(२) क्या उक्त नगरपालिकाओं के आय-व्यय की जांच करायी जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार जांच टिप्पणियां बताने को तैयार है?

(३) क्या राजस्थान की समस्त नगर-पालिकाओं के निरीक्षण करने के कोई नियम हैं? इनका निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है और क्या निरीक्षण टिप्पणियां प्रकाशित होती हैं?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (१) इन नगरपालिकाओं ने नगरोत्थान के निम्न प्रकार के कार्य किये। संलग्न सूची के अनुसार इनको सरकार से सहायता दी गई।

टोंक: गांधी स्मारक का निर्माण, गांधी उद्यान का बनवाया जाना, बाजार में दोनों

Page No.2

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

और पत्थरों का फुटपाथ, पुराने टोंक में पत्थरों का खुर्रा, नालियों मोहल्लों में सड़कों की मरम्मत, पटेल स्मारक व पटेल पार्क, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की मूर्ति की स्थापना, किदवई पार्क का निर्माण, चुंगी चौकियों की मरम्मत, व निर्माण, सड़कों के नाम-करण के पत्थर लगाया जाना, नगर में ११५ बिजली की बत्तियां बढ़ाया जाना, मिट्टी के तेल की १४ लालटेनों का बढ़ाया जाना इत्यादि।

निवाई: १६०० फीट पुख्ता सड़क, तहारतें, पेशाबघर व दवाखाने, का निर्माण, गलियों का सुधार व मरम्मत इत्यादि।

मालपुरा: नवीन मंडी, तहारतें, पेशाब घर, हरिजनों को निःशुल्क भूमि देकर एक नवीन हरिजन बस्ती, म्युनिसिपल भवन व पब्लिक हॉल का निर्माण कार्य, बाल उद्यान आदि।

टोडा रायसिंह: नगर में पेट्रोमेक्स व केरोसीन ऑइल की लालटेनों द्वारा रोशनी की व्यवस्था, नागोरियान की घाटी, सीमेन्ट रोड, रैगरान की घाटी, पेशाबघर, पुस्तकालय व वाचनालय का निर्माण, बुद्ध सागर व अन्य जलाशयों की मरम्मत इत्यादि।

उनियारा: सड़कों व तहारतों के निर्माण, नालियों व वाचनालय, रोशनी, जनता की जानकारी हेतु रेडियो आदि के प्रबन्ध, कुओं, खुर्रों, घाटों, तालाबों व हरिजन कुओं की मरम्मत इत्यादि।

(२) जी हां।

(३) नगरपालिकाओं के निरीक्षण के कोई नियम नहीं हैं, निरीक्षण निर्देशक स्थानीय निकाय सहायक निर्देशक स्थानीय निकाय प्रादेशिक निरीक्षक व सहायक प्रादेशिक निरीक्षक द्वारा किया जाता है। निरीक्षण टिप्पणियां प्रकाशित नहीं की जाती।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने यह फरमाया है कि 'जी हां' और फिर कहा कि प्रकाशित नहीं की जाती हैं, तो क्या वे निरीक्षण रिपोर्ट्स सरकार बताने को तैयार हैं। इससे क्या यह समझ जाय?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट के बारे में पूछा गया था, जिनको सरकार बताने को तैयार है। बाकी जो इन्सपेक्शन होता है डिपार्टमेंट का डाइरेक्टली वह प्रकाशित नहीं की जाती है। वह कार्यवाही जो होती है वह लोकल ऑडिट फन्ड के कानून के मातहत होती है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या यह सच है कि उनियारा नगर-पालिका ने नगरोत्थान के लिए १० हजार रुपये की मांग की थी?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, वह आई है और विचाराधीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कब से विचाराधीन है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जब से आई है तभी से विचाराधीन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि गये ५७-५८ के बजट में मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि बजट पास होते ही पैसा कमेटी को दे दिया जायगा?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया था। मुझे याद है, मैंने कहा था कि उस पर विचार किया जायगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : आपने खुद ने कहा है आप प्रोसिडिंग में देख लें।

श्री अध्यक्ष : श्री तनसिंह।

सड़क निर्माण

४८७. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग यह बताने की कृपा करेंगे :

बाड़मेर से चीतलवाना तक की सड़क के लिए सन् १९५४–५५ में कितना रुपया स्वीकृत किया गया था तथा उसमें से कितना खर्च किया गया ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) २५,०००) रु०।

(२) कुछ भी खर्च नहीं हो सका।

श्री तनसिंह : क्यों नहीं खर्च हो सका।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ७१ मील की सड़क है और उस साल के बजट में २५,००० रु० का प्रोविजन रखा था, परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन उस साल के अन्दर पूरी आ नहीं सकी इसलिए नहीं हुआ।

श्री तनसिंह : एडमिनिस्ट्रेटिव सेन्क्शन सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी, उसके न मिलने के लिए रेस्पोन्सिबल कौन है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सेन्क्शन टाइम के अन्दर इशू नहीं हुई इसके लिए गवर्नमेंट सेक्रेटरियेट रेस्पोन्सिबल है।

श्री तनसिंह : सेन्क्शन मिली नहीं टाइम पर, इसका मतलब है कि नीचे से प्रोपोज़ल देर से आया या प्रोपोजल तो आ गया था लेकिन उस पर बैठे रहे सेक्रेटेरियट के डिपार्टमेंट।

श्री नाथूराम मिर्धा : इसके बारे में मैं निश्चित् तौर से नहीं कह सकता।

श्री तनसिंह : जब आप निश्चित् तौर मे नहीं कह सकते तो २५ हजार रुपया कई बार इस सड़क पर रखने से क्या फायदा ? केवल लोगों को चुप कर दिया जाता है और जब खर्च नही किया जाता है तो क्यों रखते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस साल में पहला ही प्रोविजन किया गया था। यह ७१ मीले की सड़क है, उसके बाद में अगले दो सालों में जो रुपया प्रोवाइड किया गया था उसमें से काफी रुपया खर्च हो चुका है और सन् १९५५–५६ में १,४२,०००) रु० और सन् १९५६–५७ में करीब ९६,०००) रु० इसके ऊपर खर्च हुआ है, और ३७ मील की सड़क बनी हुई है सिवाय २० और २५ मील के टुकड़े को छोड़ कर; इसके अलावा इस सड़क को ६०–६१ तक पूरा करने का इरादा है।

श्री लक्ष्मीचन्द : चीतलवाना के पास पुल बनाने की योजना जो इस सड़क पर थी वह क्रियान्वित हुई या नहीं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह अलग सवाल है।

हत्याएं और चोरियां

४८८. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे !

(श्री प्रभुदयाल पुरोहित)

(क) क्या शिवदासपुरा (चाकसू) में चोरियों एवं हत्याओं का जोर है ? वहां गत वर्ष कितनी चोरियां हुई तथा पुलिस में कितनी रिपोर्ट्स दर्ज हुईं ?

(ख) क्या पुलिस स्टाफ की कमी और उदासीनता ही इसका कारण है ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी नहीं। सन् १९५७ में केवल दो चोरियों के मामले दर्ज हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

नगरपालिकाओं के भूमि के क्रय-विक्रय संबंधी अधिकार

४८९. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) गवर्नमेंट बिल्डिंग के परकोटों के अन्दर की जमीन की मालिक गवर्नमेंट है या म्युनिसिपल बोर्ड ? यदि म्युनिसिपल बोर्ड नहीं है तो क्या उस भूमि को सरकार की बिना इजाजत म्युनिसिपल बोर्ड बेच सकता है ?

(२) क्या यह सत्य है कि जालौर म्युनिसिपल बोर्ड ने हाई स्कूल बिल्डिंग का परकोटा गिरा कर उसके अन्दर की भूमि बेची है ? यदि हां, तो इसकी सेन्कशन गवर्नमेंट ने कब दी और गवर्नमेंट को उसके एवजाने में म्युनिसिपल बोर्ड ने क्या दिया ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) परकोटें के अन्दर की जमीन की मालिक गवर्नमेंट है और म्युनिसिपल बोर्ड सरकार की इजाजत से बेच सकती है।

(२) जी नहीं। लेकिन चूंकि उन्होंने सन् १९५७ में सरकार को लिखा था कि इस जमीन का रुपया स्कूल के लाभ में खर्च किया जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : वह स्कूल के लिए एलॉट की गई थी या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : एलोटेड थी उसके लिए वह रुपया खर्च किया गया।

श्री लक्ष्मीचन्द : खर्च किया गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खर्च किया है या नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है लेकिन खर्च कर दिया जायगा, ऐसे कलेक्टर को कह दिया गया है।

श्री तनसिंह : वह रुपया म्युनिसिपल के पर्सनल डिपोजिट्स में है या सरकार के कन्सोलिडेटेड फन्डस में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह म्युनिसिपेलिटी की जमीन हो तो वह उनके पास जमा होता है लेकिन वह रुपया स्कूल के काम में आता है और इसी शर्त पर वह जमीन बेची गई थी कि यह सारा रुपया स्कूल के लिए खर्च कर दिया जाय तो कलेक्टर को इजाजत दे दी गई है।

गोचर भूमि

४९०. **श्री श्रीभानसिंह** (बयाना) : क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे:

क्या गवर्नमेंट ने बयाना और बसेरी तहसीलों में जंगलात की चरागाह की जमीनों को वहां की ग्राम पंचायतों को देने का निर्णय लिया है ?

वन मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी नहीं।

Page No.5

प्रश्न संख्या ४६१.

श्री अध्यक्ष : श्री पी० के० चौधरी

(अनुपस्थित)

औषधालय की स्थापना

४६२. श्री प्रभुलाल पुरोहित (लालसोट) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) क्या ग्राम तीतरिया, तहसील चाकसू, के आस-पास के करीब २०,२५ गांवों को मिलाकर जिनकी करीब ८,१० हजार की आबादी है उनके लिये चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वहां एक औषधालय खुलाने का विचार रखती है ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) यह सही है कि तीतरिया ग्राम के आस पास के गांवों में चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। परन्तु तहसील चाकसू में एलोपेथिक डिस्पेन्सरी मौजूद है तथा निकट में ही शिवदासपुरा और उससे कुछ दूरी पर वाटिका में आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं जिनसे निकटवर्ती ग्रामों की जनता को चिकित्सा की सुविधा मिल रही है।

(ख) जी नहीं।

प्रश्न संख्या ४६३.

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)।

प्रश्न संख्या ४६४

श्री पी० के० चौधरी।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ४६५.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर

४६६. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री उत्तर देने का कष्ट करेंगे ?

(क) आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर में कितने छात्र हैं तथा उनके लिए छात्रावास की क्या व्यवस्था है ?

(ख) उक्त कॉलेज में क्रियात्मक शिक्षण के लिये क्या क्या व्यवस्था की गई है ? शवच्छेद की तथा शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर रचना की क्रियात्मक शिक्षण की क्या क्या व्यवस्था की गई है ?

(ग) कॉलेज में उक्त शिक्षण के लिये किन किन उपकरणों की आवश्यकता है तथा उनकी पूर्ति हेतु क्या व्यवस्था की जाने वाली है ?

उप स्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : (क) आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर, में ८६ छात्र हैं। इनमें से जो विद्यार्थी छात्रावास में रहना चाहते हैं उनके लिये व्यवस्था मिस्त्रीखाना गनगोरी बाजार में है।

(ख) क्रियात्मक शिक्षण के लिये रसायनशाला, आरोग्यशाला, चिकित्सालय, प्रदर्शनालय व प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था है। शवच्छेद के क्रियात्मक शिक्षण के लिये संबद्ध अध्यापक के साथ छात्रों को मेडिकल कॉलेज के शवच्छेदनालय में समय समय पर भेजा जाता है। शरीर क्रिया विज्ञान का क्रियात्मक शिक्षण प्रयोगशाला में दिये जाने की व्यवस्था है। शरीर रचना के क्रियात्मक

('श्री भीखाभाई)

शिक्षण के लिये अस्थि, कंकाल, मोडल्स और चार्टस आदि विद्यमान हैं।

(ग) कॉलेज में काम चलाऊ उपकरण तो उपलब्ध हैं, किन्तु क्रियात्मक शिक्षण को सर्वांगीण करने के लिए निम्न उपकरणों की आवश्यकता है जिनके निर्माण के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिख दिया गया है।

१. शवच्छेदार्थ संगमरमर के चौकियों की चार टेबिलें।

२. हाथ धोने के लिये वाटरबेसिन।

३. शवों को सुरक्षित रखने के लिये सीमेन्ट का टैन्क।

इसके अतिरिक्त स्टॉफ में एक प्रवक्ता २ डिमान्स्ट्रेटर व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भी कमी है। जिनकी पूर्ति के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत द्वितीय वर्ष में १९५८,५९ में प्रावधान किया गया है।

डॉ० बहादुरसिंह : प्रश्न (ख) का उत्तर चाहिए, जिसमें पूछा गया है कि क्रियात्मक शिक्षण के लिए सेक्शन रूम और ऑपरेशन रूम के लिए क्या व्यवस्था है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : (स्वास्थ्य मंत्री) नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है।

श्री बहादुरसिंह : मेडिकल कालेज नहीं आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया जा रहा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आयुर्वेद का भी मेडिकल कॉलेज होता है

डॉ० बहादुरसिंह : आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, बल्कि आयुर्वेदिक कॉलेज होता है।

श्री जनार्दनराय नागर : जनपदोध्वन्स के लिए क्या व्यवस्था है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह प्रश्न अलग है।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, यह अलग प्रश्न नहीं है। जनपदोध्वन्स आयुर्वेद की प्रक्रिया और चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग है और उसके लिए जयपुर कॉलेज में क्या व्यवस्था कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं। इसमें अलग प्रश्न क्या है। हम आयुर्वेदिक कॉलेज के बारे में जानकारी चाहते हैं। मै दुबारा पूछना चाहता हूं कि जनपदोध्वन्स के बारे में क्या है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेडिकल कॉलेज में आयुर्वेद की बहुत सी बातें हो सकती हैं। जनपदोच्छेद के बारे में भी हो सकती हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : जनपदोच्छेद नहीं जनपदोध्वन्स के बारे में पूछ रहा हूं।

(हंसी)

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न नहीं है विद्वता का डिमान्स्ट्रेशन है।

(हंसी)

चिकित्सालय भवन, बारां

४२७. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि बारां (जिला कोटा) में चिकित्सालय भवन के निर्माण के हेतु ६०,००० रु० की रकम स्वीकृत की गई थी?

Page No.7

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(२) क्या यह सही है कि यह रकम व्ययगत हो गई? यदि हां, तो क्या सरकार, सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने को उद्यत है?

(३) क्या यह सही है कि यह राशि उदयपुर को दे दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

निर्माण मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं।

(२) और (३) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

निर्वाचन सम्बन्धी मामले

४६८. **श्री तनसिंह** (बाड़मेर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) बाड़मेर निर्वाचन क्षेत्र में गलत नाम से वोट देने के कितने मामले पुलिस थाना, बाड़मेर को सुपुर्द किए गए?

(२) अपराधियों के वास्तविक नाम और निवास-स्थान क्या हैं?

(३) इनमें से कितने लोगों का चालान किया गया?

(४) जिनका चालान नहीं किया गया, उसके क्या कारण हैं?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) ६ मामले जिनमें ८ अभियुक्त हैं।

(२) अपराधियों के नाम निम्नलिखित हैं :

आदम वल्द रामधन, निवासी दसेरा
मोना वल्द धन्ना, निवासी दसेरा
कासम वल्द उमाया, निवासी दसेरा
अली वल्द राना, निवासी बेटी
नूर वल्द साखी, निवासी बेटी
सकता वल्द किसना, साकिन कानोडा
देवा वल्द जीवन, साकिन बलवाया
सूरता वल्द बिसना, साकिन कानोडा

(३) इनमें ५ का चालान हुआ।

(४) तीन आदमियों का चालान नहीं हुआ क्योंकि इनके नाम सही की हुई मतदाता-सूची में मौजूद थे।

श्री तनसिंह : किन किन का चालान नहीं हुआ जिनका नाम सही मालूम हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास : पहले तीन नाम थे।

श्री तनसिंह : ये सही नाम थे तो रिटर्निंग ऑफिसर ने उनको वोट देने के अधिकारों से वंचित रखकर उनको गिरफ्तार किया उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके बारे में इलेक्शन डिपार्टमेन्ट से दर्याफ्त करें।

श्री तनसिंह : यह इलेक्शन डिपार्टमेंट से दर्याफ्त करने की बात नहीं है, जिनको वोट नहीं देने दिया और गिरफ्तार किया व उनकी स्वतन्त्रता का अपहरण किया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया?

श्री रामकिशोर व्यास : करेक्टेड लिस्ट पहले देखी नहीं थी, यह गलती की गई थी। पीछे जब देखी तो उसमें नाम मौजूद था।

तहसील पंचायत बड़ोद

४६६. **श्री रामनारायण वर्मा** (पीपलदा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.8

(श्री रामनारायण वर्मा)

(क) क्या यह सही है कि तहसील पंचायत बड़ौदा के सेक्रेटरी श्री रामगोपाल पेन्शनर कानूनगो इस वर्ष यात्रा करने गये थे ?

(ख) यदि हां, तो सेक्रेटरी ने कब से कब तक का अवकाश ग्रहण किया था ?

(ग) सेक्रेटरी की अनुपस्थिति में किस व्यक्ति ने कार्य किया था तथा उसको कितना वेतन दिया गया था ?

(घ) क्या यह भी सही है कि श्री रामगोपाल, सेक्रेटरी को अवकाश का भी वेतन दिया गया था ? यदि हां तो कितना तथा क्यों दिया गया ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) १९५६ में छुट्टी गये थे।

(ख) ५.८.५६ से २७.९.५६ तक

(ग) सरपंच, पंचायत काम करते थे।

(घ) सवेतन छुट्टी दी गई थी । वेतन चालीस रुपया माहवार है ।

प्रश्न संख्या ४००.

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

सड़क निर्माण

४०१. श्री सूरजमल (फलौदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि जोधपुर तहसील का ग्राम कैरू (रोड़) से शेरगढ़ तहसील का ग्राम गोपालसर तक सड़क जाती है ?

(२) यदि हां, तो क्या उस सड़क को सरकार डामर रोड बनवाना उचित नहीं समझती ?

निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री तनसिंह : क्या सड़क ही नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर से कैरू तक सड़क है और कैरू से गोपालसर तक कोई सड़क नहीं है ।

श्री तनसिंह : कैरू तक सड़क है तो क्या यहां तक इसको पक्की बनाने का विचार है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैन शेरगढ़ रोड से कैरू रोड जाती है और यह डेढ़ माइल का टुकड़ा अच्छा है ।

श्री सूरजमल : क्या गोपालसर तक सड़क नहीं जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी, नहीं जाती है।

पुलिस चौकियों की व्यवस्था

४०२. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् १९५०–५१ के बाद बाड़मेर जिले में कितने नये थाने व चौकियां कब-कब और कहां-कहां स्थापित की गई ?

(२) क्या यह सही है कि खांडप और बुरान का तला में भी कोई गार्ड या चौकी स्थापित की गई थी ?

Page No.9

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) कोई नहीं।

(२) बुरान का तला पर जो अब्दुल हादी भूतपूर्व एम. एल. ए उनके कुटुम्ब और गांव के दूसरे आदमियों की रक्षार्थ जिनको डाकू बलवन्तसिंह और उसके गिरोह से प्राणों का भय था, एक गार्ड लगाई गई थी । खंडप पर लगाई हुई गार्ड किसी एम. एल. ए. के रक्षार्थ नहीं थी।

श्री तनसिंह : यह भूतपूर्व एम. एल.ए. मोटाराम के लिये लगाई गई थी । क्या यह सही है कि हादी के लिये भी लगाई गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने हादी के लिये ही कहा है ।

श्री तनसिंह : श्री मोटाराम के लिये गार्ड नहीं लगाई गई तो क्या कोई चौकी उनके गांव में खोली गई थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मुझे मालूम नहीं, उनका कौनसा गांव है ?

श्री अध्यक्ष : भूतपूर्व एम. एल. ए. का तो कम से कम बचाव करना चाहिये ।

श्री तनसिंह : क्या कोई चौकी खोली नहीं गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : टेम्पोरेरी गार्ड लगाई गई ।

श्री तनसिंह : मैंने खुद ने देखा है, गार्ड थी; उनको स्टेशन पर लेने आई थी ।

श्री रामकिशोर व्यास : गार्ड लगाना और बात है और चौकी खोलना दूसरी ।

श्री तनसिंह : गार्ड के लिये श्री मोटाराम को क्यों वंचित रखा गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : मेरी इन्फार्मेशन यह है कि खडप और बुरान के तला पर गार्ड लगाई गई थी ।

नगरपालिका, जयपुर

५०३. श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) जयपुर नगरपालिका को जयपुर शहर के विकास कार्यों के लिये चालू साल में कितनी रकम किस तारीख को दी गई ?

(२) क्या यह सत्य है कि नगर के कई रास्तों का विशेषतया चौकड़ी तोपखाना देश के रास्तों का गत २०-२५ वर्ष से कोई सुधार नहीं हुआ है जिससे आम जनता को काफी असुविधा रहती है ?

(३) अब इस रास्ते का इंप्रूवमेन्ट कब तक कर दिया जायगा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा इस साल ता० २८-६-५७ को शहर विकास कार्यों के लिए १,६०,००० रु० मुख्य अभियन्ता, निर्माण विभाग को स्वीकृत हुए थे। इस रकम में से ५०,०००रु. निर्माण विभाग द्वारा खर्च हो चुके हैं और शेष रु० ५६,००० तारीख २३-१-५८ को नगरपालिका को दिये जाने के आदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा जारी हो चुके हैं ।

(२) नगर के रास्तों के सुधार पर ५०,००० रु० खर्च हो चुका है और तोपखाना देश के रास्ते पर एकत्र हुई मिट्टी हो अभी तक हटाई जा सकी है ।

(३) नगरपालिका का कहना है कि जैसे जैसे आर्थिक सुविधा होगी नगर सुधार के

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

कार्य प्रायोरिटी के अनुरूप एक के बाद एक शुरू किये जायेंगे ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : इतनी देरी से रकम मिलने का क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : रुपये मिल गये । २८-२-५७ को मिल गये । लास्ट डेट तक वर्किंग प्रोग्रेस के रुपये काट कर बाकी रुपये म्युनिसिपैलिटी को दे दिये गये ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि रास्ता तोपखाना देश की सड़क का २०-२५ साल से कोई सुधार नहीं हुआ है ? आपने कहा कि मिट्टी उठाई गई वह भी नहीं उठाई गई है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गवर्नमेन्ट की ओर से जो केपिटल टाउन्स हैं उनके लिये रुपये रखे गये हैं उनमें से १ लाख ६ हजार रुपये म्युनिसिपैलिटी को दिये थे । यह म्युनिसिपैलिटी को देखना चाहिये कि कौन से रास्ते ठीक करने हैं और म्युनिसिपैलिटी के ध्यान में नहीं आवे तो उसको कहना भी चाहिये । गवर्नमेन्ट हरेक काम नहीं कर सकती ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : हम आपकी ओर से आश्वासन चाहते हैं । २०-२५ वर्ष से सड़क ठीक नहीं हुई, अब ठीक करादेंगे इसका आश्वासन चाहिये ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं । म्युनिसिपैलिटी को ग्रान्ट देते हैं यह उसके देखने का काम है ।

कृषि विभाग द्वारा ली जाने वाली बीज की बाड़ी

५०४. श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) कृषि विभाग द्वारा वितरण किये जाने वाले बीज की बाड़ी फी मन क्या ली जाती है ?

(२) क्या यह बाड़ी बीज साल भर से पहले ही वापिस अदा करने पर कम ली जाती है ? या साल भर की ही बाड़ी ली जाती है ? यह बाड़ी कितनी प्रतिशत होती है ?

कृषि मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) बाड़ी ७॥ सेर प्रतिमन के हिसाब से ली जाती है ।

(२) बाड़ी की दर एक ही है ।

श्री तेजाराम : यह बाड़ी किस हिसाब से ली जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : एक केलकुलेशन है जिसमें करीब ३ रु० एक मन के हिसाब से इन्सीडेन्टल चार्जेज होते हैं । सारे राजस्थान में इधर उधर ले जाते हैं बीज को उसमें १२ आने लग जाते हैं ब्याज के, १॥ रु०, ट्रान्सपोर्ट चार्जेज लगते हैं करीब ३ आ० लोडिंग अनलोडिंग के लगते हैं, क्लीनिंग के २ आ० मुतफरीक ४ आ० और शोरटेज १॥ आ० इस तरह से फी मन लगभग ३ रु० इन्सीडेन्टल चार्जेज आते हैं ।

श्री शोभानसिंह : जिन्होंने ७॥ सेर से ज्यादा लिया है उनको वापिस देंगे क्या ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ७॥ सेर के हिसाब से लेने का केबिनेट ने तय किया था । जिस दिन से यह तय किया उसके बाद से अगर ज्यादा ले रहे हैं तब तो वापिस देंगे । लेकिन उस तारीख से पहले कहीं पर १० सेर के हिसाब से लेते थे, कहीं ७ सेर लेते थे और

Page No.11

(श्री नाथूराम मिर्धा)

कहीं २॥ सेर के हिसाब से लेते थे, उसे वापिस नहीं किया जा सकता।

श्री श्रीमानसिंह : मंत्रीजी भरतपुर की तरफ गौर करेंगे तो पता चलेगा कि वहां ७॥ सेर से ज्यादा ली है।

श्री नाथूराम मिर्धा : स्पेसिफिक इन्सटान्स बतायें तो उस पर गौर करेंगे।

श्री श्रीमानसिंह : कई दफा बताया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यहां कहने से काम नहीं होगा। लीगल तरीके से लिखिये।

श्री भैरोंसिंह : यदि बीज प्रोक्योर करने में ७॥ पर्सेन्ट नहीं खर्चा पड़ता है तो भी क्या ७॥ सेर बाढ़ी लेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : यह साढ़े सात पर्सेन्ट नहीं बल्कि साढ़े सात सेर है। कहीं खर्चा कम होता है तो कहीं ज्यादा होता है। On the whole सारे राजस्थान का वर्क आउट करके देखना पड़ता है और सारे राजस्थान में यूनिफोर्म रेट रखनी पड़ती है।

श्री तेजाराम : क्या सरकार जिलेवार रेट नहीं रख सकती ? किसी जिले में कम खर्चा पड़ता हो तो वहां उस हिसाब से ले ?

श्री नाथूराम मिर्धा : सारे राजस्थान का वर्क आउट करके रेट निकाली है, एक गांव या एक जिले की रेट नहीं निकाली जाती।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या यह सही नहीं है कि पहले महाजन लोग ५ सेर बाढ़ी पर ही बीज देते थे जब कि अब सरकार ७॥ सेर पर देती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : महाजनों की बात छोड़िये, वे अगर २॥ सेर के हिसाब से देते तो उस हिसाब से भी लेते थे और ज्यादा पर देते तो किसानों को गरज होती तो ज्यादा पर भी लेते। लेकिन हमें सारे प्रान्त का हिसाब लगाकर इन्सीडेन्टल चार्ज़ेज लगाते पड़ते हैं।

श्री पुरुषोतमलाल : साढ़े सात बाढ़ी पर किस हिसाब से ब्याज लेते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने आपको बताया कि १६ प्रतिशत ब्याज पड़ता है। १६ प्रतिशत मैंने आपको इन्सीडेन्टल चार्ज़ेज आदि वर्क आउट करके बताया है। यह एक फेसिलिटी है, लेकिन वे लोग बाध्य नहीं कि बाढ़ी पर ही लें। जो हमारी सेलिंग प्राइस है, उस पर किसानों से रुपया लेकर बीज सेल कर देना चाहते हैं। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वे बाढ़ी पर बीज लें।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या अजमेर में पहले दाई बाढ़ी ली जाती थी और अब साढ़े सात बाढ़ी ली जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अजमेर में कई प्रकार की सहूलियतें थी, उनका आधा खर्चा भारत सरकार दे देती थी। लेकिन अजमेर से राजस्थान का मुकाबला नहीं कर सकते हैं।

श्री श्रीमानसिंह : Does the selling price of the Government coincide with the market selling price ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी।

श्री श्रीमानसिंह : आपकी जो एग्रीकल्चरल सीड की सेलिंग प्राइस है और जो मार्केट प्राइस है, उससे कोइनसाइड करती है या नहीं ? Does it also include the interest charges ?

Page No.12

श्री नाथूराम मिर्धा : जो मार्केट प्राइस गेहूं की है, उसमें बीज थोड़ा अच्छी किस्म का होता है, उसमें आठ आना ज्यादा खर्चा हो सकता है। बाकी जो मार्केट प्राइस होती है, अगर कोई केश से बीज लेना चाहते हैं तो हम उसको प्राइस पर दे देते हैं।

श्री भीमसिंह : मार्केट प्राइस पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी।

श्री तेजाराम : जो काश्तकार पैसा इस साल न दे सकें और दूसरे साल दें, उनसे यह प्राइस क्यों नहीं ली जाती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उसमें इन्ट्रेस्ट जोड़ा जाता है, यह रूल्स में लिखा हुआ है।

श्री तेजाराम : जब सरकार इस योजना को "नो लोस, नो गेन" से करती है तो दूसरी साल कोई पैसा देता है तो उससे ज्यादा क्यों लिया जाता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जितना टाइम ज्यादा लगेगा, उतनी रकम की ब्याज बढ़ती जायगी।

प्रश्न संख्या ५०५.

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल पंवार।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ५०६

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

नीम के थाने में वकीलों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामले

५०७. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना): क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या नीम का थाना के दो वकीलों के विरुद्ध कोई ४२०, १६२ ता. हि. का मुकदमा नीम के थाने के थाने में रजिस्टर हुआ है ?

(२) अगर हां, तो कौनसी तारीख को और किन किन के विरुद्ध ?

(३) उनका चालान अब तक पेश क्यों नहीं किया गया है ? तथा अब कब तक पेश हो जावेगा ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (१) व (२) तारीख २४-८-५७ को राधाकृष्ण और रामनिवास के विरुद्ध धारा ४२० और १६० आई. पी. सी. के अधीन एक केस रजिस्टर किया गया, बाद में अपराध की धारा १६२ एवं ११४ आई. पी. सी. में बदल दी गई है।

(३) मामले में अभी तफतीश जारी है। यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : कब से तफतीश जारी है ?

श्री रामकिशोर व्यास : चार-पांच महीने हो गये।

श्री ज्ञानचन्द मोदी : कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने निवेदन किया कि निश्चित तिथि नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्ष : गोवरधनसिंह केन।

श्री रामकिशोर व्यास : मैं आपकी इत्तला के लिए बता दूं कि कुछ रिप्रेज़ेन्टेशन चीफ सेक्रेटरी के पास आये थे उसके लिए

(श्री रामकिशोर व्यास)

फाइल मंगानी पड़ी, इससे टाइम ज्यादा लग गया

श्री अध्यक्ष : श्री गोवर्धनसिंह केन ।

सड़क निर्माण

५०८. श्री गोवर्धनसिंह केन (बयाना): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) भरतपुर शहर में सड़कें किस सन् में निर्मित की गई थीं ?

(ख) इस समय इन सड़कों की कैसी दशा है और इन सड़कों की मरम्मत कब कब हुई थी ?

(ग) क्या यह सही है कि विक्टोरिया पार्क, कम्पनी बाग से सूरज पोल दरवाजे होती हुई केतन दरवाजे को जाने वाली सड़क में बड़ी बड़ी खन्दकें हो गई हैं ?

(घ) क्या सरकार का उक्त सड़क को ठीक कराने का विचार है ?

अगर हां, तो कब तक ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) सन् १९३६-३७ में ।

(ख) साधारण ५१-५२ में तथा हर वर्ष होती रहती है ।

(ग) जी हां, टेन्डर हो चुके हैं ।

(घ) कार्य शीघ्र आरम्भ होने की आशा है ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : यह टेन्डर कितनी बार हुए हैं साहब ?

श्री नाथूराम मिर्धा : करीब दो-तीन दफे हुए हैं ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : जी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : तीन दफे हुए हैं ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : और अब कै बार होंगे ?

(हंसी)

श्री नाथूराम मिर्धा : अब कह दिया कि मंजूर हो गया है टेन्डर ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : पहले मंजूर न होने के कारण क्या हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मंजूर न होने का कारण है कि रेट्स रीज़नेबल नहीं आती हैं, ऐसा इन्जीनियर महसूस करते हैं कि इससे कम रेटस आनी चाहिए, अगर रेट्स ज्यादा आयें तो टेन्डर रीकॉल करते हैं जब तक कि संतोष न हो जाय ।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

श्री गोवर्धनसिंह केन : कितने टाइम के अन्दर तैयार हो जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैंने कहा कि काम जल्दी आरम्भ होने की आशा है ।

श्री भैरोंसिंह : इस टेन्डर में कौनसी तारीख दी गई है काम शुरू करने के लिए ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह ठीक तारीख मेरे पास नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री ज्ञानचन्द मोदी ।

जल योजना सीकर

५०९. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना): क्या स्वायत शासन मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

Page No.14

(श्री ज्ञानचन्द मोदी)

(१) सीकर नगर के लिये जल योजना कब स्वीकृत हुई थी ?

(२) क्या उक्त योजना कार्यान्वित की जाने वाली योजना में शामिल की गई है ? यदि हां, तो कब ?

(३) यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि इस योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

(५) क्या यह योजना आगामी दो वर्षों में पूरी हो जायेगी ?

(६) क्या वित्तीय वर्ष १६५८–५६ में इस योजना का आवश्यक आर्थिक प्रावधान बजट में किया जा चुका है ?

(७) क्या सीकर नगर की विशालता और विकसित स्तर की उपेक्षा की जाकर छोटे छोटे कस्बों को जल-सुविधा के लिए प्राथमिकता दी गई है ?

(८) यदि हां, तो क्यों ?

(९) सीकर नगरपालिका ने इस सम्बन्ध में आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के लिये कितनी बार अनुरोध किया ?

(१०) क्या यह सही है कि योजना का रूप सरकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग ही तैयार करता है और उसकी सिफारिश होने पर ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है ?

स्वायत शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१ योजना अभी तैयार की जा रही है ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) धनराशि नहीं मिलने से ।

(४) जी नहीं ।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(६) जी नहीं ।

(७) जिन नगरों की इस सम्बन्ध में प्रथम मांग आई उनके विषय में पहले विचार किया गया । सीकर नगरपालिका की मांग देर से प्राप्त हुई है ।

(८) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(९) नगरपालिका ने इस बारे में सितम्बर ५५ में लिखा और उसके बाद भी लिखा पढ़ी की परन्तु अर्थाभाव से यह कार्य नहीं किया जा सका ।

(१०) जी हां।

श्री भैरोंसिंह : जितनी योजनायें बनी हैं उनको क्या दरख्वास्त के कारण ही प्राथमिकता दी गई है, या किन्हीं विशेष कारणों से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बहुत सी बातों को देख कर दी गई हैं । फर्स्ट फाइव इयर प्लान में जितनी स्कीम्स स्वीकृत हुई थीं, उनके वर्क के लिए रकम इस प्लान में स्वीकृत हुई है । उस समय क्या कन्सीडरेशन्स थे, इसके लिए मैं बताऊं कि इम्पोर्टेन्स और उस स्थान की सुविधा आदि को देखा गया था ।

प्रश्न संख्या ५१०.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश प्रसाद माथुर ।

(अनुपस्थित)

श्री तनसिंह ।

Page No.15

कुष्ट व मानसिक रोगों के चिकित्सालय

५११. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या मंत्री, चिकित्सा विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान में कुष्ट रोग के तथा मानसिक रोगों के कितने अस्पताल हैं ?

(२) वहां मरीजों का दैनिक औसत क्या है ?

(३) ऐसे अस्पतालों का वार्षिक आवर्तक खर्चा क्या है ?

उप चिकित्सा मंत्री (श्री भीखाभाई) : (१) राजस्थान में कुष्ट रोग तथा मानसिक रोगों के लिये क्रमशः २ व ३ अस्पताल हैं।

(२) मरीजों का दैनिक औसत निम्न प्रकार है :

	बाह्य रोगी	अंतः रोगी
कुष्ट रोगी	३१.५	७३
मानसिक रोगी	४.७	१६३.६

(३) कुष्ट रोग तथा मानसिक रोगों के अस्पतालों का वार्षिक अनुमानतः खर्चा निम्नलिखित है :—

कुष्ट रोगों के अस्पताल ४६,००० रुपया
मानसिक रोगों के अस्पताल १,५५,००० रु०

प्रश्न संख्या ५१२.

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री बेनाराम।

विद्युत व्यवस्था

५१३. **श्री बेनाराम गहलोत** (खारची) : क्या मंत्री, विद्युत विभाग यह बताने की कृपा करेंगे ?

(१) क्या सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला पाली के ग्राम सादड़ी में बिजली लगाने का विचार रखती है ?

(२) यदि हां, तो कब तक और कहां कहां पर बिजली सप्लाई की जायगी ?

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषी मंत्री, विद्युत मंत्री की अनुपस्थिति में) (१) जी नहीं।

(२) सवाल पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवचरण दास।

त रायपुर की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण

५१४. **श्री शिवचरणदास** (मांडल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील रायपुर, जिला भीलवाड़ा के ग्राम पंचयात भड़ौल, मोखनदा, कोट, रायपुर, बोराणा की पचायतों का निरीक्षण किसी गैर सरकारी व्यक्ति श्री अम्बालाल बाबेल से कराया ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त पंचायतों में प्रत्येक से ३ रु० प्रति दिन के हिसाब से श्री अम्बालाल ने खर्चा वसूल किया ? यदि हां, तो क्यों ?

स्वायत शासन मंत्री (**श्री** बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां निरीक्षक नहीं हैं बल्कि हिसाब किताब को ठीक करने के लिए इनको लगाया गया था।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

Page No.16

श्री शिवचरणदास : यह तीन रुपया क्य वसूल किया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कुछ पंचायतों का हिसाब ठीक नहीं था इसलिए इनको लगाया गया था कि ये पंचायतों को हिसाब किताब रखना बता दें और हिसाब की जांच करें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह व्यक्ति हिसाब-किताब के मामले में एक्सपर्ट है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी नहीं है, लेकिन हिसाब किताब के जानकार होंगे इसलिए ही नियुक्त किया गया।

श्री भैरोंसिंह : श्री अम्बालाल को ही क्यों नियुक्त किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये ही उपलब्ध थे, इसलिए नियुक्त किया गया। ये हिसाब-किताब में जरूर समझते होंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या ये सरकारी कर्मचारी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी नहीं। सरकारी कर्मचारी होते तो नियुक्त नहीं होती।

श्री भैरोंसिंह : क्या एप्लीकेशन इन्वाइट की थीं कि कौन कौन आदमी हिसाब-किताब के उपलब्ध हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सरकार ने नियुक्ति नहीं की है, इन्सपेक्टर ने की है।

श्री भैरोंसिंह : इन्सपेक्टर भी सरकार का ही आदमी है। इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि अम्बालाल की नियुक्ति क्यों हुई ? इस सम्बन्ध में इन्सपेक्टर का निर्णय किन बातों पर आधारित था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इन्सपेक्टर ने इनको अपॉइन्ट किया और कह दिया कि वे पंचायतों को बताये कि किस तरह हिसाब रखें।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि अम्बालाल को कुछ पंचायतों ने इन्कार किया, हिसाब किताब देखने से ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह जानकारी नहीं है। अगर पंचायतों ने इन्कार किया, तो उन्हें वापिस भेज देंगे।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार उचित समझती है कि पंचायतों का कोष किसी प्राइवेट व्यक्ति को बताया जाय, पंचायतों का हिसाब-किताब उसके सामने रखा जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायतों को एडवाइज़ देने के लिए इनको भेजा, अगर पंचायतों ने मना किया...

श्री भैरोंसिंह : वह फोर्सफुल एडवाइस थी कि यह काम करने का है। इससे नीति स्पष्ट है कि सरकार की मन्शा है कि पंचायतों का कोष, आमदनी किसी प्राइवेट आदमी के सामने रखी जाय ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायतों का हिसाब-किताब देखने के लिए इन्सपेक्टर ने इन्हें नियुक्त किया। सरकार की नीयत नहीं कि किसी प्राइवेट आदमी को हिसाब-किताब दिखाया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार के पास सरकारी आदमी नहीं थे जो पंचायतों के हिसाब किताब को, आमद और खर्चे को दुरुस्त कर सकें ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : राजस्थान में पंचायतें पांच हजार हैं, इन सबका हिसाब-किताब देखना मुमकिन नहीं था, इन्हें सिर्फ उनकी गाइडेन्स के लिए रखा गया था।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : कुछ सप्लीमेंटरी और पूछना है साहब, क्या इन्स्पेक्टर को अधिकार है कि इस तरह प्राइवेट आदमी को मुकर्रर कर दे ?

श्री अध्यक्ष : कहा न कि पंचायत को एतैराज नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि इस प्रकार की नियुक्ति करने का इन्स्पेक्टर को अधिकार है क्या ?

श्री अध्यक्ष : नियुक्ति थोड़े ही हुई है, उन्हें सुझाव दिया गया है, अगर पंचायत चाहती हैं कि नहीं रखें तो नहीं रखती। मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि अगर पंचायतों को एतराज हो तो पैसे वापिस दिला सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : जबर्दस्ती एकाउन्ट लिखवाया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : किसी पंचायत को एतराज हो तो उसकी मेरे पास सूचना नहीं है, अगर एतराज है तो वह रुपया वापिस कराने की व्यवस्था कर दी जायगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह।

पुलिस बेनेवॉलेन्ट फंड

५१५. श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में बेनेवॉलेन्ट फंड के नाम से कोई फन्ड रखा जाता है ? यदि हां, तो कब से और उसके एकत्रित एवं खर्च करने के क्या नियम हैं ? कृपया इन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इस फंड को रखे जाने की क्या व्यवस्था है ? जनवरी १ सन्, १९५८ को यह फंड कितना था ?

(ग) गत पांच वर्षों में इस फन्ड में से किस प्रकार से खर्चा किया गया तथा किन किन व्यक्तियों को किस किस की आज्ञा से कितना कितना धन उधार दिया गया और किन किन शर्तों पर ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : (क) जी हां, दिनांक ९-५-५१ से एकत्रित करने के नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) इस फण्ड का हिसाब एकाउन्ट्स ऑफिसर पी० एच० क्यु० द्वारा जो कि इस फण्ड के ओनरेरी ट्रेज़रार है, रखा जाता है........

श्री भैरोंसिंह : सुना नहीं। और सदन की मेज पर रखी है वह भी मेरे पास नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास : सदन की मेज पर रखने का ही फरमाया था...

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : रखने का मतलब है, मेरे पास पहुंचनी चाहिये।

श्री रामकिशोर व्यास : इसमें आपने फरमाया है कि सदन की मेज पर रख दें तो

Page No.18

(श्री रामकिशोर व्यास)

मैंने सदन की मेज पर रख दी। यदि आप चाहेंगे तो दे दूंगा, मगर कायदे की बात तो यही है....

श्री भैरोंसिंह : कायदे समझें तो बहुत हैं, कायदा तो यह है कि कॉपी मुझे मिल जाय।

श्री अध्यक्ष : आप बकाया उत्तर तो सुन लें।

श्री रामकिशोर व्यास : इस फन्ड का हिसाब अकाउन्टस् ऑफीसर पी. एच. क्यु. द्वारा जो इस फन्ड का ऑनरेरी ट्रेज़रार है रक्खा जाता है। तीन लेखक उसकी सहायता करते हैं। फन्ड का हिसाब बीकानेर बैंक, जयपुर की शाखा में भी खोला गया है। दिनांक १–१–५८ को फन्ड के खाते में २, ३०, ५३३ रु० ८७ नये पैसे थे।

सन् १९५२–५३ से दिसम्बर, ५७ तक के खर्च का विवरण इस प्रकार है :

यह मृतक पुलिस कर्मचारियों के dependauts को दी हुई सहायता, तीन लेखक जो ऑनरेरी ट्रेज़रार की सहायता के लिये लगाये गये हैं उनके allowance और फुटकर व्यय जैसे रजिस्टरों की छपाई स्टेश्नरी इत्यादि पर :

सन्	सहायता	अलाउंस	कन्टिनजेन्ट	टोटल
१९५२-५३	१७३८-१४-३	....	३३०-०-०	२०६८-१४-३
१९५३-५४	९०८-३-०	....	....	९०८-३-०
१९५४-५५	७५०-८-०	...	१-३-६	७५१-११-६
१९५५-५६	२४४०-०-०	५०१-७-०	१९१-२-९	३१३२-०-९
१९५६-५७	७३२३-४-०	४९९-३-०	७-६-९	७८२९-१३-९
३१-१२-५७ तक	५२४३०-०-९	४७५. ८१	३५. ८६	५७५४.७६

कर्जा केवल दो व्यक्तियों को ही दिया गया है। श्री हरिश्चन्द्र यू. डी. सी. को २४० रू० दिनांक १३–३–५३ को, उसकी पत्नी की बीमारी के सम्बन्ध में १२ रु० प्रतिमाह की २४ किस्तों में वसूली की शर्त पर। श्री जगन्नप्रसाद यू. डी. सी. को २०० रू० दिनांक १९–९–५३ को उसकी पत्नी व पुत्र की बीमारी के सम्बन्ध में ३० रू० प्रतिमाह की किस्त की वसूली की शर्त पर। यह कर्ज आई. जी. पी. की आज्ञा से दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी है कि नहीं!

श्री रामकिशोर व्यास : इसकी तालिका है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : वह सुना दिया है।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह लेंदी क्वेश्चन है इसकी तालिका मिलनी चाहिये। जिस तालिका के सदन की मेज पर रखने की जरूरत नहीं थी उसको तो रख दिया और जिसकी खास जरूरत थी उसको नहीं रखा। यह एक बार सुनने से याद नहीं रह सकती। माननीय मन्त्री जी खुद रिपीट कर दें बिना कागज़ के देखे हुए। तो माननीय

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष, मैं चाहूँगा कि इसकी तालिका हमें मिलनी चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : मेरा फर्ज सूचना देने का है वह मैंने दे दी, अब अगर आप अपने पर्सनल रेकॉर्ड के लिये रखना चाहते हैं तो वह दूसरी बात है...

श्री भैरोंसिंह : पर्सनल रेकॉर्ड का सवाल नहीं, क्वेश्चन का जवाब लेंदी है : इतना याद नहीं रह सकता इसलिये यह तालिका मिलनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : एक-एक साल के एक एक फीगर हैं....

श्री रामकिशोर व्यास : आप नोट कर लें, मैं बोलता जाऊं ।

श्री भैरोंसिंह : आप इस सप्लीमेंन्टरी का जवाब दे दीजिये कि एक एक साल में जो आपने खर्चा बताया है वह किन-किन आदमियों के लिये हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वे नाम भी बता दिये दो आदमियों के ।

श्री भैरोंसिंह : जिनको कर्जा दिया गया उनके नाम बताये हैं ।

श्री अध्यक्ष : आपने उधार दिया उनके बारे में पूछा है ।

श्री भैरोंसिंह : नहीं, मैंने खर्च का अमाउन्ट पूछा है, मेरा प्रश्न यह है कि गत पांच वर्षों में इस फन्ड में से किस प्रकार से खर्चा किया गया ?

श्री अध्यक्ष : इनका कहना है कि जैसे आपने ५ हज़ार रुपये बताये, वह पूरी बिगत चाहते हैं ।

श्री रामकिशोर व्यास : वह भी सुन लीजिये, आप सूचना चाहें वह देने को तैयार हूं ।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में देख लेना ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय अध्यक्ष, यह क्वेश्चन बाद में लिया जाना चाहिये ।

श्री रामकिशोर व्यास : यह बिलकुल कम्प्लीट सूचना है, कोई इन्कम्प्लीट सूचना नहीं है जो इसे बाद में लिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : बिलकुल इन्कम्प्लीट सूचना है ।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर आप चाहें तो मैं दुबारा सुना दूं ।

५२–५३ में सहायता १७३८ रु०, कन्टीजेन्सी में है. ३०० रुपया...

श्री भैरोंसिंह : अलग-अलग बता दीजिये कि किस किस को दिये गये ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह बात ज़रा अलग है, इसे नहीं पूछा है ।

श्री भैरोंसिंह : पूछा है, इसमें है कि इस फन्ड में से किस प्रकार से खर्चा किया गया ? यह 'प्रकार' शब्द साफ है, इसी में तो पोल है ।

श्री रामकिशोर व्यास : आपको हर चीज़ में पोल दिखाई देती है, प्रश्न में नाम नहीं पूछे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : एक ही बार में सप्लीमेंटरी कर लूं, इसका उत्तर दे दिया जाय । इस फंड में से किन-किन व्यक्तियों को किस किस कार्य के लिये सहायता किस-किस की आज्ञा से दी गई ?

Page No.20

श्री रामकिशोर व्यास : सहायता का पर्पज़ बता दिया कि पुलिस कर्मचारियों के डिपेन्डेन्ट्स को सहायता दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : इन एक हज़ार रुपयों में से किस-किस को किस-किस की आज्ञा से सहायता दी गई ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सूचना आपने इस प्रश्न में पूछी नहीं है; एडीशनल जानकारी चाहते हैं, इसके लिये अलग से पूछा जाय ।

श्री भैरोंसिंह : यह एडीशनल जानकारी नहीं, मेरे क्वेश्चन से कवर होती है । इसमें पूछा गया है कि गत पांच वर्षों में इस फन्ड में से किस प्रकार से खर्चा किया गया ? 'किस प्रकार' में यह आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष : 'किस प्रकार से' मतलब है किस चीज के लिये खर्च किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : 'किस प्रकार से' में यह आ जाता है ।

श्री अध्यक्ष : That would mean a copy of the whole account.

श्री भैरोंसिंह : किन-किन व्यक्तियों को ?

श्री अध्यक्ष : अभी आपको जो इन्फोर्मेशन मिली है, उस पर जो पूछना है, वह पूछिये ।

श्री भैरोंसिंह : वह सूचना इन्कम्प्लीट है ।

श्री रामकिशोर व्यास : जो सूचना मांगी गई, वह कम्प्लीट दी गई है । पूछा गया कि किस प्रकार से खर्च किया गया, तो जवाब दिया गया कि इस प्रकार से डिपेन्डेन्ट्स जो पुलिस कर्मचारियों के थे, उनको सहायता देने में खर्च किया गया । फिर यह पूछा गया कि किन-किन व्यक्तियों को कर्जा दिया गया, तो इसका जवाब दिया गया कि इन दो व्यक्तियों को कर्ज, इस शर्त पर, इस काम के लिये दिया गया ।

श्री भैरोंसिंह : मैं वही 'प्रकार' चाहता हूं कि एक हजार रुपये की सहायता दी गई, that is one part of the question; लेकिन इसका दूसरा पार्ट है कि किस प्रकार से किस किस को दी गई; way of giving help ?

श्री अध्यक्ष : उधार लेने वालों के नाम पूछे हैं उसी तरह सहायता लेने वालों के नाम पूछ सकते थे । उधार लेने वालों के नाम बता दिये, इसी प्रकार इनके भी बता देते ।

श्री भैरोंसिंह : प्रकार है वह, 'वे ऑफ गिविंग हैल्प' कि इस प्रकार से दिया, इस पॉलिसी से उनको दिया गया ।

श्री रामकिशोर व्यास : इसका जवाब दिया गया न कि इस प्रकार से पुलिस कर्मचारियों के डिपेन्डेन्ट्स को सहायता दी गई ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिये दरख्वास्तें दी जाती हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसके लिये रूल्स में प्रोसीज़र है ।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स क्या हैं, बताइये ?

श्री अध्यक्ष : That you should go through.

श्री भैरोंसिंह : कहां देखें, बुक्स अवेलेबल नहीं हैं ?

Page No.21

श्री **अध्यक्ष** : मन्त्री महोदय ने रखे हैं।

श्री **भैरोंसिंह** : सदन में रखने की चीज है, वह तो रखी ही नहीं, यह भी नहीं रखी होगी।

श्री **रामकिशोर व्यास** : सदन में रखा है।

श्री **भैरोंसिंह** : यह बिलकुल इवेसिव रिप्लाई है। मन्त्री महोदय को चाहिये कि इसकी तालिका दें और फिर इस पर सप्लीमेंटरी पूछे जायं।

श्री **अध्यक्ष** : He has laid all the facts that he had in the House.

श्री **भैरोंसिंह** : इसकी लिख कर सूचना क्यों नहीं देते?

श्री **अध्यक्ष** : आप स्पेसिफिक पूछ लीजिये।

श्री **भैरोंसिंह** : पूछा है कि तालिका सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री **अध्यक्ष** : उधार लेने वाले हैं उनके नाम पूछे वह बता दिये और तालिका जो मांगी वह सुना दी।

श्री **भैरोंसिंह** : सुनाई है पर वह बहुत लेंग्दी है, याद नहीं रही इसलिये उस पर क्या सप्लीमेंटरी पूछा जाय।

श्री **रामकिशोर व्यास** : आपके प्रश्न का जवाब ४ लाइन में आ जाय, इसके लिये मुझे अफसोस है।

श्री **अध्यक्ष** : बाद में डिबेट का सवाल आयेगा, उस वक्त पूछ लीजिये।

श्री **भैरोंसिंह** : यह क्वेश्चन ही वापिस रख दिया जाय, ऊपर जिस तालिका के सदन की मेज पर रखने का प्रश्न है, वह तालिका रखी नहीं

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट।

श्री मोहब्बतसिंह।

श्री **भैरोंसिंह** : मेरे प्रश्न के लिये कुछ फरमाया नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : वह आपको सुना दिया गया।

श्री **भैरोंसिंह** : वह सुना दिया, पर लेंदी बहुत है...

श्री **अध्यक्ष** : You see the daily proceeding, वह कॉपी भी रख दी जायगी।

श्री **भैरोंसिंह** : पर सदन की मेज पर रखने के लिये कहा गया था वह रखी नहीं गई।

श्री **अध्यक्ष** : But you have it now.

श्री **भैरोंसिंह** : इसमें साफ पूछा गया है—"क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में बेनीवलेन्ट फंड के नाम से कोई फन्ड रखा जाता है? यदि हां, तो कब से और उसके एकत्रित एवं खर्च करने के क्या नियम हैं? कृपया इन नियमों की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।" वह प्रतिलिपि सदन की मेज पर नहीं रखी गई है।

श्री **रामकिशोर व्यास** : That has been done.

श्री **भैरोंसिंह** : मेरे पास नहीं आई है।

श्री **अध्यक्ष** : You consult it from the Secretariat.

श्री **भैरोंसिंह** : इसके लिये क्या हुआ?

श्री **अध्यक्ष** : आप कॉपी देख लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : सेक्रेटेरियेट से ले लीजिये।

श्री भैरोंसिंह : अच्छा मालूम करूंगा साहब।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

जिला सिरोही में एलोपेथिक डॉक्टर

४१६. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Medical & Health Minister be pleased to state :

(a) Is the Government aware that within an area of fourty-eight miles between Mandar and Sirohi Dist. there is no alopethic Government doctor ?

(b) Does the Government intend to provide a doctor at Anadra dispensary which is situated in the centre between Mandar and Sirohi ?

(c) Is the Government aware that during the time of former Sirohi State an L. M. P. doctor was kept at Anadra dispensary ?

(d) Is it a fact that the building for dispensary was constructed at Anadra after the year 1947 by the former Sirohi State ?

(e) What has been the average number of outdoor patients at Anadra during the last six months ?

उप स्वास्थ्य मन्त्री (श्री भीखाभाई) :

(ए) जी हां।

(बी) जी हां, अगले वर्ष वहां डाक्टर की नियुक्ति के लिये विचार किया जावेगा।

(सी) जी हां।

(डी) जी नहीं। अनादरा डिस्पेन्सरी की इमारत सिरोही राज्य द्वारा १९४७ के बाद बनाई गई थी।

(ई) अनादरा डिस्पेन्सरी के बाहय रोगियों की दैनिक औसत संख्या ३२ है।

श्री मोहब्बतसिंह : Is the Government aware that Anadra dispensary was existing as a dispensary when the former Sirohi State was integrated in Rajasthan ?

चिकित्सा मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : Yes, this is a fact.

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government also realise that the medical facilities which the people of the native States had been enjoying during those times are denied in the age of democracy what to talk of providing more facilities ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : No, this is not correct because the dispensary still exists there and a doctor will be provided shortly.

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government realise that a dispensary without a doctor is a class room without a black-board ?

श्री अध्यक्ष : Without a teacher even.

Page No.23

बस सर्विस

५१७. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या यातायात मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले में कितने रूट्स पर कुल कितनी बसें चलाई जा रही हैं ?

(ख) इन रूट्स पर चलने वाली बसों के शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कितने परमिट किस २ रूट पर तथा किस किस को दिये गए ? कृपया उनके नाम, जाति, पता आदि बतलाने की कृपा करें।

(ग) क्या इनमें से कोई बस ऐसी भी है जिसका परमिट हरिजनों के नाम पर लिया गया है और उसे नॉन हरिजन चला रहे हैं ?

(घ) यदि हां, तो वह बस कौनसी तथा किस रूट पर चल रही है ?

यातायात मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) ५२ मार्गों पर ४६७ बसें।

(ख) ४ परमिट ।

(ग) निम्नलिखित विवरण है :

श्री मानसिंह, जयपुर, भरतपुर ।

श्री हरिजन यातायात समुदाय, (जयपुर, किशनगढ़)।

श्री हरिजन यातायात समुदाय, जयपुर, चांदीकुई, बालाजी ।

श्री लुभाना सिक्ख एसोसिएशन, जयपुर, अलवर।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एक माननीय सदस्य : ये श्री मानसिंह कौन हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं उनको जानता नहीं, लेकिन वे हरिजन भाई हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : उनके नाम वगैरह सब बतावें।

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे पास रेकॉर्ड नहीं है, ये कह सकते हैं कि हरिजन हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : आपने चार नाम बताये, वे शिडयूल्ड कास्ट के हैं या नहीं ?

एक माननीय सदस्य : मानसिंह जाति के रेगर हैं और हरिजन हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या किशनगढ़ रूट पर हरिजन के नाम से परमिट लिया हुआ है और बस किसी दूसरे की चलती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : प्राइवेट बस चलती हो तो नहीं कह सकते।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

बांध निर्माण

५१८. श्री रामधन (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या तहसील दौसा में कालाखों के नये बांध में जो जमीन आई है, उसके मुआवजे का मामला सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो मुआवजा कब तक दे दिया जायगा ?

उप सिंचाई मंत्री (श्री भीखाभाई) : इसमें आये हुए कुओं का मुआवजा बांटने के लिये एस्टीमेट मंजूर कर दिया गया है। आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में मुआवजा संबन्धित

(श्री भीखाभाई)

लोगों को दे दिया जावेगा। जमीनों के मुआवज़े के स्टेटमेंट रेवेन्यु विभाग से बन कर नहीं आये हैं, आने पर मुआवज़ा दिलवाये जाने की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

श्री रामधन : पानी के पेटे में कितनी जमीन है ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह कैसे कहा जा सकता है।

श्री रामधन : कुल कितना मुआवज़ा दिया गया ?

श्री रामकिशोर व्यास : इसका पूरा हिसाब आ जावेगा तब मालूम होगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्राकृतिक चिकित्सा

५१६. श्री ज्ञानचन्द मोदी (नीम का थाना) : क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में प्राकृतिक चिकित्सा के कितने अस्पताल हैं ?

(ख) प्राकृतिक चिकित्सा की उन्नति के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

स्वास्थ्य उपमन्त्री (श्री भीखाभाई) :
(क) राजस्थान में एक सरकारी प्राकृतिक चिकित्सालय उदयपुर में चल रहा है जिसमें १० शैयाएं हैं। दूसरा प्राकृतिक चिकित्सालय जयपुर में चल रहा है जिसे १८०० रु० वार्षिक राजकीय आर्थिक सहायता दी जाती है।

(ख) प्राकृतिक चिकित्सा की उन्नति के लिये सन् १९५५-५६ में १०,००० रु० की सहायता सरकार द्वारा दी जाकर जयपुर गांधीनगर में उचित भवन व्यवस्था कराई गई है। इसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र उदयपुर का वर्तमान भवन अनुपयुक्त होने से सरकारी तोपखाना भवन में बदलने की व्यवस्था करा दी गई है। परन्तु उक्त भवन के आन्तरिक हिस्से में अभी बारुद भरी हुई है जिससे यह हिस्सा अभी इस विभाग को नहीं दिया जा सका है। यह हिस्सा भी शीघ्र खाली कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही चल रही है।

डा० चन्द्रकला : क्या प्राकृतिक चिकित्सा के लिये भी होस्पिटल जरूरी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा ही महसूस होता है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या यह प्राकृतिक है या अप्राकृतिक....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गवाहों पर किया गया खर्च

५२०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) १ जुलाई से ३१ दिसम्बर १९५७ तक पाली जिले में prosecution की गवाहों को कितना खर्च सरकार को देना पड़ा और कितनी बार कितने गवाहों को बिना बयान दिये ही लौटना पड़ा ?

गृह मन्त्री (श्री रामकिशोर व्यास) : इस अवधि में पाली जिले में प्रोसीक्यूशन के गवाहों को तीन हजार, सात सौ चार रुपये ४४ नये पैसे बतौर खर्चा देना पड़ा। बिना बयान दिये ५७७ गवाहों को एक बार, १९५ को दो बार, १०३ को तीन बार, ४५

(श्री रामकिशोर व्यास)

को चार बार तथा ५ को पांच बार लौटना पड़ा।

श्री मूलचन्द डागा : कितना खर्चा गवाहों को लौटाने से पड़ा?

श्री रामकिशोर व्यास : मैंने कुल खर्चा बताया है।

श्री मूलचन्द डागा : लोगों को कितनी बार लौटना पड़ा, बगैर गवाही दिये उनका क्या खर्चा हुआ?

श्री रामकिशोर व्यास : यह सब उसका ही टोटल अमाउन्ट है।

श्री मूलचन्द डागा : इन गवाहों को क्यों लौटना पड़ा, उसके क्या कारण हैं। हाकिम नहीं थे या और कोई कारण था?

श्री रामकिशोर व्यास : मैं नहीं कह सकता। कभी मुकदमें ज्यादा होते हैं और कभी हाकिम छुट्टी पर होते हैं। यह अदालत का मामला है। मगर उनको लिखा जावेगा कि जहां तक हो सके इसका ध्यान रखा जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

दाई की नियुक्ति

५२१. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या चिकित्सा मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या सरकार के समक्ष कस्बा थाना तहसील शाहबाद की जनता के द्वारा इस प्रकार के कई आवेदन पत्र आये हैं कि वहां दाई के अभाव में अनेक निर्धन स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है?

(२) यदि हां, तो सरकार ने इस कष्ट के निवारण के लिये क्या कदम उठाये हैं?

उप चिकित्सा मन्त्री : (श्री भीखाभाई):
(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

डॉ० चन्द्रकला : क्या यह सही है कि वे ज्यादा हानिकारक तरीकों से काम करती हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ट्रेन्ड दाइयों की कमी के कारण वे काम कर रही हैं।

डॉ० चन्द्रकला : वे काम पहले से ही करती हैं फिर क्या बात है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको काफी अनुभव है और वे काफी अर्से से काम कर रही हैं।

श्री बहादुरसिंह : क्या उनको इन्डियन मेडिकल एक्ट के अन्तर्गत यह अधिकार है?

श्री बद्रीप्रसाद : वह तो वैद्यों के लिये ही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

यातायात सहकारी समिति

५२२. श्री बेनाराम गहलोत (खारची) : क्या मंत्री सहकारी विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) राजस्थान में कुल कितनी कोआॅपरेटिव ट्रान्सपोर्ट सोसाइटीज़ हैं?

(२) उपरोक्त सोसाइटियों में से कितनी सोसाइटियों में रोड पर्मिट की मांग की तथा कितनी समितियों को पर्मिट दिया गया?

Page No.26

(श्री बेनाराम गहलोत)

(३) उक्त समितियों की ओर से क्या-क्या आर्थिक सहायता दी गई है ?

सहकारी मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) ७४.

(२) ५८ व २७ क्रमशः।

(३) कोई नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

नकबजनी आदि अपराधों के संबंध में पेश किए गए चालान

५२३. श्री फतहसिंह (भीम) : क्या गृह मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) पिछले आम चुनावों के बाद देवगढ़ तहसील के सवादड़ी ग्राम के किस किस निवासी के खिलाफ नकबजनी आदि अपराधों के चालान पेश किए गए तथा उन पर न्यायालयों ने क्या निर्णय दिया ?

(२) क्या उक्त मुकदमात की पुलिस द्वारा द्वारा जांच के दौरान में गांव के निवासियों पुलिस के अत्याचारों की शिकायत की गई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) ;
(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री अध्यक्ष : नेकस्ट।

श्री रामकिशोर व्यास : अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर रह गया है।

(२) जी हां। जांच के बाद शिकायत झूठी पाई गई।

श्री फतहसिंह : वह क्या शिकायत थी ?

श्री रामकिशोर व्यास : मार-पीट के बारे में शिकायत की थी।

श्री फतहसिंह : वह शिकायत इस प्रकार थी कि पुलिस के अधिकारियों ने जांच के दौरान में रिश्वत मांगी और उन लोगों ने गांव में अपनी चीजें गिरवी रख कर उनको रिश्वतें दी....

श्री रामकिशोर व्यास : वह गलत पाई गई।

श्री फतेहसिंह : क्या सरकार इसकी जांच करने के लिए तैयार है कि उन मुलजिमानों की तरफ से हजारों रुपये रिश्वत के उन लोगों को देने पड़े और वहां के लोगों से पुलिस वालों को रिश्वत देने के लिए रुपए उधार लिए गए ?

श्री रामकिशोर व्यास : हमने तो इसकी जांच कर ली। अगर आप कहते हैं और आप सबूत दें तो इसको एन्टीकरप्शन के पास भेज सकते हैं। We can hand over the matter to the State Anti-corruption Board. आप इसका सबूत दें तो फिर दुबारा जांच करा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयचन्द्र।

ग्राम पंचायत सेमरथली (चित्तौड़)

५२४. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासन) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(श्री जयचंद्र मोहिल)

(१) चित्तौड़ जिला की छोटी सादड़ी तहसील के अन्तर्गत सेमरथली ग्राम पंचायत में कोई खयानत हुई है ? इसकी रिपोर्ट पंचायत इन्सपेक्टर, चित्तौड़गढ़ के पास किस तारीख को पहुंचा दी गई थी ? तथा उस पर इन्स्पेक्टर ने क्या कार्यवाही की ?

(२) क्या इसी सम्बन्ध में हिसाबी जांच हेतु डिविजनल पंचायत ऑफिसर, उदयपुर को भी तार द्वारा सूचना दी गई थी ? यदि हां तो कब और उस पर भी क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सत्य है कि इसी सम्बन्ध में उपरोक्त अधिकारियों की इस ओर उपेक्षा देख, चीफ पंचायत ऑफिसर, जयपुर को लिखा गया था ? यदि हां तो कब और उस पर क्या हुक्म हुआ तथा उस हुक्म का सम्बन्धित अधिकारी ने पालन किया या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) खयानत होने की शिकायत तहसील पंचायत छोटी सादड़ी द्वारा दिनांक ६-१२-५७ को इन्सपेक्टर चित्तौड़ के समक्ष पेश हुई थी। इन्सपेक्टर ने लोकल फन्ड ऑडिट विभाग द्वारा जांच करवाने को डिवीजनल पंचायत अधिकारी को लिखा।

(२) जी हां। तार प्राप्त होने पर लोकल फन्ड ऑडिट विभाग को जांच करने हेतु लिखा गया व इन्सपेक्टर को भी जांच हेतु दिनांक १६-१२-५७ को लिखा गया।

(३) सरपंच तहसील पंचायत छोटी सादड़ी ने दिनांक २०-१२-५७ को चीफ पंचायत ऑफिसर राजस्थान के पास आवेदन-पत्र पेश किया उस पर उसी तारीख को मामला पुलिस में देने का आदेश डिवीजनल पंचायत अधिकारी को दिया गया व लोकल फन्ड ऑडिट से भी जांच करवाने को लिखा गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : इसमें कितना घोटाला पाया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जांच का हुक्म दिया गया है २०-१२-५७ को। अभी इसकी इत्तला आयी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : खयानत की इत्तला मिलते ही पुलिस को मामला क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अपने जवाब में कहा है कि पुलिस को मामला देने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : जब खयानत की सूचना मिली तब ही पुलिस को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डिवीजनल पंचायत ऑफिसर के पास जब रिपोर्ट आई तो फिर इसको पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए कहा गया। तार प्राप्त होने पर लोकल फंड ऑडिट ऑफिस को भी जांच करने हेतु लिखा गया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री : क्या इस जांच में कोई बात मालूम पड़ी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : लोकल ऑडिट फन्ड ऑफिस और पुलिस दोनों ही इस मामले में जांच कर रहे हैं, रिपोर्ट अभी आयी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न २६८.

Page No.28

दिनांक २० फरवरी, १६५८ के स्थगित प्रश्न

गबन कृषि विभाग, अजमेर

२६८. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या कृषि मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगस्त १६५६ में ऑडिट पार्टी ने अजमेर राज्य में 'वेल सिंकिंग स्कीम' का लाखों रुपये का सामान व कृषि विभाग के ट्रकों के स्पेयर पार्ट्स, न्यू एन्ज़िन ऑइल्स आदि का गबन बताया ?

(ख) क्या इस रिपोर्ट पर सरकार ने अधिकारियों से जवाब मांगा ?

(ग) यदि हां, तो क्या जवाब दिया गया और उसकी क्या कार्यवाही हुई ?

(घ) यदि नहीं, तो कागज कहां है, क्या हुआ या हो रहा है ?

उपमन्त्री (श्री भीखाभाई) : अभी इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। अगली टर्न पर दे दिया जावेगा।

प्रश्न संख्या २७२

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री पी. के चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री ज्ञानचन्द मोदी।

बीज वितरण

४६३. **श्री ज्ञानचन्द मोदी** (नीम का थाना) : क्या कृषि मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान कृषि विभाग ने गत ३ वर्षों में कितने बीज का वितरण किया ? क्या यह सच है कि कृषकों को, बाजार से खरीदा गया अनाज, अच्छा बीज कह कर दे दिया गया ?

(ख) यदि हां, तो सरकार अच्छा बीज क्यों नहीं दे सकी ?

(ग) क्या कृषि विभाग फलदार पौधे देने में असमर्थ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(घ) क्या जिन स्थानों में फलों के पेड़ नहीं होते वहां बगीचे लगवाने के लिये सरकार कोई सहयोग दे रही है ? यदि हां, तो जयपुर डिविजन में क्या क्या सहायता दी गई ?

कृषि मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (क) निम्नलिखित बीज वितरण किये गये जो अधिकतर किसानों से खरीदा जाता है। आवश्यकता की पूर्ति के लिये बाजार से बीज खरीदा गया जो कि स्टेन्डर्ड क्वालिटी का होता है। चूंकि काफी तादाद में किसानों से बीज मिल जाता है इसलिए बाजार से खरीदना बन्द कर दिया है :

	१६५४-५५	१६५५-५६	१६५६-५७
गेहूं	५२,७२३ मन	१,५०,६२१ मन	२,१०,३५६ मन
आलू	३,३६२	१,६८४	३,५२६
जौ	२५८		६,०५६
मक्का	३३४		
धान	७५१		
ज्वार	४८२		

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Page No.29

(श्री नाथूराम मिर्धा)

(ग नहीं। फलों के पौधे दिये जाते हैं।

(घ) हां। कृषि विभाग द्वारा फलों के पौधे नर्सरी में तैयार किये जाकर व अन्य राज्यों की नर्सरी से मंगा कर किसानों को उचित मूल्य पर दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान में ५ और नर्सरी द्वितीय पंच-वर्षीय योजना के अन्तर्गत खोली जा चुकी हैं। जयपुर डिवीजन में भी दुर्गापुरा कृषि फार्म पर १ नर्सरी खोली गई है। इसके अतिरिक्त लगभग ६०,००० फलों के पौधे गत वर्ष किसानों को बांटे गये।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

बापू नगर में बिजली की व्यवस्था

४६५. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) नगर विकास मंडल ने अब तक बापूनगर में बिजली लगाने हेतु बिजली के पोल के लिये कितने बार टेन्डर कॉल किये तथा टेन्डर अस्वीकार करने के क्या क्या कारण थे? टेन्डर कॉल करने में अब तक कितना रुपया खर्च किया गया ?

(२) क्या यह सही है कि बापूनगर में बिजली के अभाव से आए दिन चोरियां होती हैं और बिजली बिना उनकी सुरक्षा खतरे में है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

(३) अब बापूनगर में कितने समय में बिजली लग जायेगी ?

(४) क्या यह सही है कि वहां के कुछ निवासियों ने स्वयम् के पैसे से बल्ली खरीदकर बिजली लगवाई है ?

(५) क्या राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में कोई स्मृति पत्र पेश किये गये हैं ! यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) इस विषय में अब तक चार बार टेन्डर मंगाये जा चुके हैं। प्रथम तीन अवसरों पर जिन फर्मों को बिजली के लट्ठे सप्लाई करने के लिए आज्ञा दी गई, वे कोई भी समय पर माल नहीं भेज सके और परिणामतः उनको दिये गये ऑर्डर रद्द किये गये। चौथी बार टेन्डर आने पर दो फर्में मेसर्स सरेन्द्रा ऑवरसीज़ लि० तथा राजकुमार राजेन्द्रसिंह एन्ड सन्स की दरें उचित थीं तथा दोनों ही फर्मों से लट्ठों के नमूना मगवाने के लिए लिखा गया। अभी तक किसी फर्म ने नमूने नहीं भेजे हैं। एक फर्म ने नमूने भेजने का आश्वासन जरूर दिया है। उसकी प्रतीक्षा है। ऐसा प्रतीत होता है कि नमूने प्राप्त न होने के कारण सम्भवतः पुनः टेन्डर मंगवाने पड़ें। इन लट्ठों को खरीदने में काफी बड़ी धनराशि व्यय करनी पड़ेगी तथा यह वस्तु स्थायी उपयोग की है इस लिए इस मामले में इस प्रकार सावधानी बरतनी आवश्यक है। टेन्डर कॉल करने में अब तक लगभग १५०० रुपये व्यय किये गये हैं।

(२) यह सही है कि बिजली के अभाव में अधिक अपराध सम्भव हैं पर यह सही नहीं है कि बिजली बिना वहां के लोगों की जान व माल अरक्षित हैं।

Page No.30

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(३) नगर विकास मंडल शीघ्रातशीघ्र बिजली लगवाने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहा है। अन्य सब समान मौजूद है केवल लट्ठों की ही कमी है। इस विषय में कोई निश्चित अवधि निश्चित नहीं की जा सकती।

(४) हां, इस योजना में कुछ निवासियों की प्रार्थना पर ही उन्हें अपनी स्वयम् की बल्ली लगाने पर बिजली देने का प्रबन्ध किया गया है।

(५) इस विषय में जो स्मृति-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर बिजली विभाग को यह आदेश दे दिया गया है कि जो व्यक्ति भी स्वयम् बल्ली लगाने को तैयार हों उन्हें तुरन्त बिजली दे दी जावे तथा अन्य आवश्यक सामान मंडल से लिया जावे। इस प्रकार बहुत से लोगों ने बिजली ले भी ली है लट्ठे आने पर यह बल्लियां उनके मालिकों को लौटा दी जावेंगी तथा उनके स्थान पर लट्ठे लगा दिये जावेंगे।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : प्रश्न १ के बारे में अस्वीकार किया गया या कोई माली इमदाद दी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सामान सप्लाई नहीं किया, इसलिए दुबारा टेन्डर कॉल किये गये।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : जो उनके द्वारा सिक्योरिटी जमा कराई गई थी तो क्या वह जब्त कर ली गई, जब कि वे सामान नहीं दे सके ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तहकीक जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन नियमानुसार जब्त हो जानी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

ग्राम पंचायत, हमीरवास

५००. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) क्या यह सही है कि राजगढ़ तहसील की ग्राम पचायत हमीरवास बड़ा के सरपंच जीवणराम ने १९५४ में जैपरिया गांव के मनाराम जाट की एक भैंस फाटक में आने पर मियाद से पहले ही अपने भाई को नीलाम में दे दी ?

(२) क्या मनाराम ने इसकी बाबत पंचायत विभाग में कोई शिकायत की थी ?

(३) यदि हां, तो जांच हुई या नहीं और हुई तो उसका क्या नतीजा रहा ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं। भैंस अवश्य फाटक में आई, परन्तु अवधि के बाद ही नीलाम होना पाया गया।

(२) जी नहीं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

(अनुपस्थित)

श्री मुरलीधर व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

Page No.31

सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर

साग, फल इत्यादि के फार्म

१. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कृषि विभाग के अन्तर्गत साग, भाजी, फल आदि के फार्म कहां २ पर हैं ?

(ख) ये फार्म एक्सपेरीमेन्ट्स के लिये हैं या कि मुनाफा उठाने के लिए ?

(ग) क्या सरकार ने इसके अन्तर्गत साग, भाजी, फल आदि की दुकानें भी खोल रखी हैं ? अगर हां तो कहां २ ?

(घ) डिस्ट्रिक्ट टोंक में यह फार्म तहसील वाइज कहां २ पर हैं ?

(ङ) इन फार्मों की क्या २ आमदनी और खर्च है ?

(च) यदि जनता साग सब्जी फल आदि का फार्म या बाड़ी करे तो क्या सरकार उसकी इमदाद करती है ?

(छ) अगर हां, तो अब तक डिस्ट्रिक्ट और तहसीलवाइज कितनी २ सहायता दी गई ?

उत्तर

(क) राजस्थान में साग भाजी व फल आदि के फार्म २५ हैं । संलग्न सूची 'अ' में वे फार्म हैं जिनमें परीक्षण के तौर पर पौधे व बीज तैयार किये जाकर काश्तकारों में बांटे जाते हैं । इसके अतिरिक्त १५० फलदार बाग भी कृषि विभाग के पास हैं जो पुरानी रियासतों से चले आरहे हैं जिनकी सूचि 'ब' संलग्न है ।

(ख) २५ फार्म परीक्षण व नर्सरी के लिए हैं । जिनमे उन्नतिशील बीज उगाकर नये पौधे किसानों में बांटे जाते हैं । सूची 'अ' संलग्न है । संलग्न सूची 'ब' में वे बाग हैं जो सिर्फ मुनाफा उठाने के लिए हैं ।

(ग) नहीं ।

(घ) जिला टोंक में दो बाग हैं (१) फूलबाग (२) खलीलबाग जो कि टोंक शहर में है ।

(ङ) हां ।

(च) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ३००) प्रति एकड़ के हिसाब से फलों के नये बाग लगाने के लिए तकावी ऋण की व्यवस्था है । किस्म और नकद दोनों ही रूप में यह दी जाती है । अभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं आया ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

प्रश्न

दस हजार या इससे अधिक ट्रेक्टर लोन

२. श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री (आमेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में अप्रेल, १९५२ से जनवरी, ५८ तक खेती करने हेतु रु० १०,०००) का या इससे ऊपर तक का लोन ट्रेक्टर खरीदने हेतु कितने व्यक्तियों को दिया गया तथा इनमें से शिड्यूल्ड कास्ट के जितने और कौन कौन लोग हैं ?

(ख) क्या यह सत्य है कि शिड्यूल्ड

(श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री)

कास्ट के लोग यदि इस प्रकार के लोन के लिए एप्लाई करते हैं तो एनकेन प्रकारेण उनकी मांग ठुकरा दी जाती है ?

(ग) क्या यह सत्य है कि जिला जयपुर, तहसील मोजमाबाद के कुछ हरिजनों ने एक ट्रेक्टर खरीदने हेतु रु० १०,०००) लोन के लिये मांग की थी ?

(घ) यदि हां, तो उसका क्या हुआ ?

(ङ) इस वर्ष अर्थात् अप्रेल, १९५७ से जनवरी, १९५८ तक जिला जयपुर में कितने सवर्ण लोगों को इस प्रकार का लोन ट्रेक्टर आदि खरीदने को दिया गया ?

उत्तर

(क) ७२ व्यक्तियों को। सूची संलग्न है।

(ख) किसी को नहीं दिया गया।

(ग) यह सत्य नहीं है। किसी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र ही नहीं दिया।

(घ) हां। सूरताराम आदि हरिजनों ने श्री लक्ष्मीलाल ब्राह्मण सारस्वत सरपंच ग्राम पंचायत दूदू के शामिल ट्रेक्टर ऋण के लिए दरख्वास्त दी थी।

(ङ) तकावी नियम के अनुसार सुरताराम के पास जमीन न होने के कारण दरख्वास्त नामन्जूर कर दी गई।

(च) निम्नलिखित ६ व्यक्तियों को ट्रेक्टर व पम्पिंग सेट खरीदने के लिए अप्रेल ५७ से जनवरी ५८ तक तकावी ऋण जयपुर जिले में मंजूर किए गये :

१	हरलाल जाट त० मोजमाबाद	ट्रेक्टर
२	दलेलसिंह लालसोट	ट्रेक्टर
३	रिद्धनाथ जोशी	ट्रेक्टर
४	गणेशनारायण वैश्य त० आमेर	पम्पिंगसेट
५	नानगराम कुमावत सांगानेर	पम्पिंगसेट
६	मांगीलाल ब्राह्मण	पम्पिंगसेट

प्रश्न

जिला भरपुर तकावी लोन

२. श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : Will the Minister for Agriculture be pleased to state:

(1) The total sum given as Taccavi loan for the Purchase of tractors in Bharatpur District (Please give names and amount given to each individual) from 1950 to 1957.

(2) How much land in acreage does each of them possess ?

(3) How many of them have purchased the Tractors and implements form the loan ? Please give the price of Tractor and imple ments in their possession separately.

(4) How many of them have not contributed their personal share of the loan, and what action, if any, has the Government taken against such individuals ?

(5) How many of them have sold their Tractors with or with out Government permission ?

Page No.33

(श्री श्रीमानसिंह)

and how many of them have deposited the amount after selling the tractors etc.

(6) How many of them have repaid the loan or instalments, and against how many defaulters recovery proceedings started and when (give names).

उत्तर

1. Rs. 5,78,221/- List enclose (see appendix)
2. Given in the enclosed statement (-do-)
3. Given in the enclosed statement (-do-)
4. Given in the enclosed statement (-do-)
5. Given in the enclosed statement (-do-)
6. The instalments are being paid regularly by most of the loanees except the following :—

S.N. 4. Shri Parasram Singh.
" " 3. Shri Bani Ajyakor w/o Shri Raja mansingh.
" " 10. Shri Pushkar Singh
" " 17. Shri Kanwar Laxmi Singh.
" " 18. Shri Bharat Singh.
" " 19. Shri Parmanad.
" " 24. Shri Sri Gopal Das.
" " 25. Shri Ram Swaroop.
" " 26. Shri Ram Sharan.
" " 27. Shri Girraj Singh.

The action is being taken by the Collector Bharatpur to recover the amount from the defaulters.

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

प्रश्न

यातायात विभाग में इन्सपेक्टर्स इत्यादि

४. श्री भैरोंसिंह : क्या यातायात मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) यातायात विभाग में इस समय सब इन्सपेक्टर एवं आर. टी. ओ. कौन २ हैं और इनकी इस विभाग में इन पदों पर किस तारीख को नियुक्ति हुई है ? इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(ख) इनमें से कौन २ पदोन्नति से व कौन २ दूसरे विभाग से स्थानान्तरण से तथा कौन-कौन नई नियुक्ति के कारण इन पदों पर नियुक्त हैं ?

(ग) जिनकी नियुक्ति स्थानान्तरण के कारण हुई हैं, वे उस विभाग में किस तनख्वाह व किस ग्रेड में तथा किन पदों पर काम कर रहे थे तथा इनके स्थानान्तरण के क्या आधार थे ?

(घ) स्थानान्तरण से इनको क्या लाभ हुए हैं ?

(ङ) पदोन्नति के कारण जिनकी नियुक्ति हुई है उनमें क्या यह सही है कि उनसे सीनियर व्यक्तियों के हक मार कर उनको तरक्की दी गई है ? यदि नहीं, तो इसकी सीनियोरिटी लिस्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें !

(च) नई नियुक्तियां किस प्रकार से हुई हैं और क्यों ?

(छ) क्या इन समस्त नियुक्तियों के विषय में पब्लिक सर्विस कमीशन का एप्रूवल प्राप्त हो चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(क) संलग्न सूची पत्र ए. में सब इन्सपेक्टरों

(यातायात मन्त्री)

और आर० टी० ओ० के नाम तथा इन पदों पर उनकी नियुक्ति की तिथि देदी गई है।

(ख) सूची पत्र बी का अवलोकन किया जावे जिसमें मांगी गई सूचना उपलब्ध है।

(ग) संबंधित विभागों द्वारा रेकार्ड न भेजे जाने के कारण सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती।

(घ) स्थानान्तरण से इनको यह लाभ हुआ कि वो क्लास ३ सर्विस से क्लास २ सर्विस में आगये।

(ङ) नहीं सबइन्सपेक्टरों की सीनीयोरिटी लिस्ट संलग्न है। इन्सपेक्टरों की सीनियोरिटी अभी बनी नहीं है।

(च) पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा।

(छ) हां हो चुका है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

जल बोर्ड एवं उसके सदस्य

५. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) जल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी और उसके कौन कौन सदस्य थे ?

(ख) जब से जल बोर्ड कायम हुआ है, डिस्ट्रिक, तहसील व ग्राम वाइज कितनी २ धन राशि देय की गई है ?

(ग) जिन २ कुओं पर धन राशि खर्च हुई है क्या उसका निरीक्षण और हिसाब का ऑडिट हो चुका है ?

(घ) अगर हां, तो किसके द्वारा और अब डिस्ट्रिक्ट व तहसील वाइज कितने अधूरे काम पड़े हुए हैं ?

(ङ) डिस्ट्रिक्ट टोंक में जल बोर्ड कायम होने से अब तक कितनी २ धन राशि ग्राम वाइज खर्च की गई और उसमें कितना २ कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ?

(च) क्या यह सही है कि जल बोर्ड वाइन्ड अप हो चुका है ? अगर हां, तो क्यों?

उत्तर

(क) जल बोर्ड की स्थापना ११ जनवरी १९५५ को हुई थी। उसके सदस्यों की सूची संलग्न है।

(ख) गत वर्षों में लगभग १० हजार के ऊपर योजनायें कार्यान्वित की गई हैं। इन सब कार्यों की सूची व्यवस्थित रूप से तैयार की जा रही है और उसके पूर्ण रूप से तैयार होने में लगभग एक महीना लगेगा।

(ग) अब तक ६७८४ योजनाओं के हिसाब ऑडिट के लिए दिये जा चुके हैं लेकिन ऑडिट अभी पूर्ण नहीं हुआ है। पूर्ण हुए कार्यों की सूची तैयार की जा रही है। तैयार होने पर उन कामों का निरीक्षण कराया जावेगा।

(घ) ऑडिट लेखा परीक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है।

अधूरे कामों की सूची तैयार की जा रही है।

(ङ) सूची तैयार की जा रही है।

(च) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

Page No.35

मध्यान्ह

प्रश्नों सम्बन्धी सदन की मेज पर रखे गये पत्रों विषयक विशेषाधिकार प्रश्न

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : On a point of Privilege, Sir, अभी (तारांकित) प्रश्न संख्या ५१५ के उत्तर में माननीय गृह मंत्रीजी ने यह बताया कि उन्होंने नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी है। इसके पश्चात मैं तुरन्त नोटिस ऑफिस में गया लेकिन यह सूचना मिली कि नोटिस ऑफिस में कोई प्रतिलिपि इस बारे में नहीं रखी गई है। मेरे जाने के बाद में माननीय गृह मन्त्रीजी ने सदन की मेज पर रखने के लिए नियमों की प्रतिलिपि यहां सदन में सचिव महोदय को दी है। इसलिए मैं समझता हूं कि जानबूझ कर मंत्री महोदय ने गलत सूचना सदन को दी है, जो सदन की परम्परा के लिए अच्छी चीज नहीं है।

श्री अध्यक्ष : There is nothing. There is no question of privilege in this.

श्री भैरोंसिंह : यह प्रिविलेज है। सही इत्तला दी जानी चाहिए, उसकी जगह जानबूझ कर गलत सूचना सदन को दी गई है।

श्री अध्यक्ष : उसी वक्त सेक्रेटरी को दे दी तो प्रिवलेज का सवाल कहां उठता है!

श्री भैरोंसिंह : जी नहीं, उसके पहले ही उन्होंने सदन में अपने उत्तर में कहा कि प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। यह एक तरह से जानबूझ कर उन्होंने कहा कि प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है, जब कि वास्तव में सदन की मेज पर नहीं रखी गई थी और मेरे जाने के पश्चात सचिव को दी गई थी। सदन हर हालत में यह अपेक्षा करता है कि जो भी सूचना यहां सदन में दी जाय वह सही रूप में हो। लेकिन सदन की मेज पर प्रतिलिपि नहीं रखी जाने के बावजूद भी जब उन्होंने जानबूझ कर यह कहा कि प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है, यह सदन की परम्परा के विपरीत है और विशेषाधिकार का हनन है, इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि मंत्रियों की ओर से जो इस प्रकार से जान बूझ कर सदन को गलत सूचना देने की एक परम्परा सी बन गई है इसलिए इस परम्परा को आगे न बढ़ने देने के लिए, मंत्री महोदय हाउस से खड़े होकर उन शब्दों को वापिस लें तो आगे के लिए भी सब को इबरत मिलेगी और हाउस के लिए भी एक अच्छी परम्परा होगी।

श्री अध्यक्ष : I will suggest the Hon. Members that raising of question of privilege on the least provocation actually lowers the prestige of the House.

कोई सीरियस मामला हो तो विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है। लेकिन हर रोज ऐसा करेंगे तो फिर विशेषाधिकार का कोई महत्व नहीं रह जायगा।

श्री भैरोंसिंह : जानबूझ कर जो इस प्रकार की गलत सूचनायें देते हैं उनके लिए तो यह आवश्यक हो जाता है।

श्री अध्यक्ष : नोटिस मेज पर ही रखा था। These are very small, minor matters. The basic thing is that the Hon. Member should get that copy and he would have got it.

श्री भैरोंसिंह : नोटिस ऑफिस में

Page No.36

(श्री भैरोंसिंह)

जाकर आया लेकिन वहां यह नहीं रखा गया था ।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आ जाते ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : पहले तो यह स्पष्टीकरण करवा दिया जाय कि उन्होंने सेक्रेटरी महोदय को दी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : इसमें स्पष्टीकरण की कोई बात नहीं । It is ruled out.

श्री भैरोंसिंह : यह हाउस की प्रिविलेजेज़ का सवाल है और गलत सूचना देने के लिए हाउस से क्षमा मांगी जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : No Question of Privilege.

श्री भैरोंसिंह : On a point of order, Sir, आज सदन में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने सूचना दी कि तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है । यह तरीका है कि जब कोई तालिका सदन की मेज पर रखी जाती है तो नोटिस ऑफिस से जाकर सदस्य हासिल कर लें लेकिन....

श्री अध्यक्ष : There is no point of order in this

श्री भैरोंसिंह : परम्परा का उल्लंघन हुआ है इसलिए मैं इसको रख रहा हूं । परम्परा यह है कि कोई भी तालिका की प्रतिलिपि देनी हो, तो वह नोटिस ऑफिस में यानि सदन की मेज पर रख दी जाती है । जब मुझे यह सूचना मिली कि तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है तो मैं शीघ्र ही नोटिस ऑफिस में पहुंचा और तालिका को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहां से सूचना मिली कि वहां कोई तालिका नहीं रखी गई है । अब प्रश्न यह है कि क्या अध्यक्ष महोदय से जा कर लाना चाहिए या इन्क्वायरी ऑफिस से जा कर लाना चाहिए ?

श्री अध्यक्ष : इसका स्पष्टीकरण आपको बाद में दिया जावेगा कि कहां से लेना चाहिए और कहां से नहीं ! सदन का टाइम आप न लें ।

१२. १० म० प०

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान मोटर विहिकल्स विधेयकमें संशोधन करने सम्बन्धी विज्ञप्ति

श्री नाथूराम मिर्धा (यातायात मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं मोटर विहिकल्स एक्ट की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी० १४६२८ । एफ १६ (४) (१०) । ५६ दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स एक्ट, १९५१ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में पहले भी कई बार निवेदन किया गया था कि इस प्रकार की जो विज्ञप्तियां या आदेश हों, उनको सदन के प्रारम्भ होने से पहले दिन ही सदन की मेज पर रख दिया जाना चाहिए । माननीय अध्यक्ष, इस सम्बन्ध में मैं इतना याद दिलाना चाहता हूं कि ऐसे ही एक ऑर्डर को यहां पेश करने का सवाल आया था, वह लेट था, उस समय अध्यक्ष महोदय ने इस प्रकार का संकेत दिया था कि इस प्रकार की आज्ञायें या विज्ञप्तियां जो हों उनको सदन के

(श्री भैरोंसिंह)

प्रारम्भ के दिन ही सदन की मेज पर रख दिया जाना चाहिये। अभी जो विज्ञप्ति सदन की मेज पर रखी गई है वह काफी लेट रखी गई है। इस बारे में मेरा यह निवेदन है कि इस प्रकार की परम्पराओं को हम प्रोत्साहन देते गये तो यह भविष्य में हो सकता है सभी विज्ञप्तियां, आदेश धीरे धीरे रखे जायेंगे और समय निकलने पर दिये जायेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि सेशन के खत्म होने तक ऐसी विज्ञप्तियां आती रहेंगी। इसलिये इस बारे में स्पष्ट हिदायत होनी चाहिये कि इस प्रकार के सर्कुलर्स और आदेश किस समय सदन में प्रस्तुत किये जाने चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है, यह विज्ञप्ति जो मैंने सदन की मेज पर रखी है वह काफी जल्दी रखी है। ऑर्डिनेन्स इस बारे में पास कर दिया गया, गलती से यह विज्ञप्ति रह जाती। दिसम्बर में यह संशोधन किया गया था उसको अभी दो ही महीने हुए हैं और हमने इसको सदन की मेज पर रख दिया है। मैं समझता हूं, इसमें कोई ज्यादा देर नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य का यह कहना है कि इस प्रकार की विज्ञप्तियां या आदेश हों उनको सदन के प्रारम्भ होने के दिन ही सदन की मेज पर रख दिया जाना चाहिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : गलती से यह रह गई थी इसलिये इसको आज रखा गया है।

श्री भैरोंसिंह : आप गलती मान लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह किसी मन्त्री की गलती नहीं है। इस प्रकार की विज्ञप्तियां या ऑर्डर्स ऑफिस में क्लर्क्स के पास पड़े रह जाते हैं। पहले जो लिस्ट बन गई थी वह जो सदन की मेज पर पहले ही रख दी गई थी। लेकिन गलती से यह विज्ञप्ति रह गई थी जो आज रख दी है। इस पर जो माननीय सदस्य एटीट्यूड ले रहे हैं वह ठीक नहीं है। हम भी यह आशा रखते हैं कि ये काम जल्दी होने चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : ये ऑफिसर्स कौन कौन हैं जिनके कारण देरी हुई है?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऑफिसर्स में सेक्रेटरी भी है, डिप्टी सेक्रेटरी भी है, असिस्टेन्ट सेक्रेटरी और ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी हैं।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मन्त्री महोदय अपने सबोर्डिनेट ऑफिसर्स द्वारा की हुई गलती के जिम्मेवार नहीं हैं क्या?

श्री अध्यक्ष : यह तो उन्होंने बताया कि वे भी जिम्मेवार हैं।

डॉ० चन्द्रकला : माननीय मंत्री महोदय को अपने ऑफिसर्स की गलती का पता है या नहीं?

श्री श्रीभानसिंह : इसमें माननीय मंत्री महोदय को अफसरों को फिलअप करना चाहिए कि तुम्हारी देरी के कारण हमारा जो प्रोसीजर है, उसकी अवहेलना होती है। I submit through you, sir, there is...

श्री नाथूराम मिर्धा : यह फिल अप करने का ही तो नतीजा है कि निकल निकल कर आ रही हैं।

श्री श्रीभानसिंह : This is a hopeless reply, sir, धीरे धीरे निकल रही हैं, I mean this is the most hopeless

(श्री श्रीभानसिंह)

reply, if I may submit. If this is the attitude of the Hon. Minister...

श्री अध्यक्ष : After this discussion, he will feel less courageous to do it.

अजमेर राज्य का नियोजन लेखा (१९५६-५७) एवं उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर राज्य का नियोजन लेखा, १९५६-५७ (१ अप्रैल, १९५६ से ३१ अक्टूबर, १९५६ तक) तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

१२. १५ म० प०

पुरःस्थापित विधेयक

राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८ को पुरःस्थापित करने के लिए आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बिल राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित हुआ भी है या नहीं ? यह सदन को सूचना दी जाय।

श्री अध्यक्ष : We have permitted them.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसकी कॉपियां सर्कुलेट हो गई हैं।

श्री अध्यक्ष : यह आवश्यक नहीं है कि गजट में छपा हो ही।

श्री भैरोंसिंह : स्पीकर साहब आवश्यक नहीं समझें तो।

श्री अध्यक्ष : यदि ऐसा नहीं होता तो यह परमिशन देने की आवश्यकता नहीं रहती।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

१२. १७ म० प०

राजस्थान सेल्स टेक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८

(अग्रेतर खण्डशः वाद-विवाद

श्री अध्यक्ष : इस बिल का क्लॉज़ ४

Page No.39

(श्री अध्यक्ष)

पेंडिंग रखा गया था उस पर दो माननीय सदस्यों के अमेन्डमेंट्स थे, एक तो श्री तनसिंह जी का और दूसरा श्री रामप्रसाद लड्ढा का।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ के क्लॉज ४ के तहत तीसरा भाग जोड़े जाने का अमेण्डमेन्ट पेश किया था। उसका मकसद था, मूल एक्ट की धारा ५ के प्रोवीज़ो ३ में कुछ पदार्थों पर जो सेल्स टेक्स की दरें थी, उस प्रोविज़ो को समाप्त करना। वह नये टैक्स लगाने का प्रोपोज़ल नहीं था, प्रोविज़ो को समाप्त करने का था। उस तरमीम के संबंध में कुछ कन्ट्रोवर्सी खड़ी हो गई। उस कन्ट्रोवर्सी के कारण सारा बिल पास होने से रुक गया। ऐसी परिस्थिति में मैं अपनी तरमीम को वापिस लेने की सदन से इजाजत चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि क्लॉज ४ में जो संशोधन श्री रामप्रसाद लड्ढा ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अपनी तरमीम को वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्लॉज़ ४ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ ४ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज १३ पर श्री तनसिंह जी का अमेन्डमेन्ट है।

श्री तनसिंह : I do not want to press, मैं सदन से अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि क्लॉज १३ पर जो संशोधन श्री तनसिंह जी ने रखा है उसे वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री तनसिंह : मैं अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेता हूँ।

श्री अध्यक्ष : खण्ड १४ से १८ पर भी प्रश्न रखा जा रहा है।

(विराम)

प्रश्न यह है कि खण्ड १३, १४, १५, १६, १७ और १८ विधेयक का अंग बनें।

(स्वीकृति)

क्लॉजेज़ १३, १४, १५, १६, १७ और १८ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि

(विराम)

प्रश्न यह है कि विधेयक का क्लॉज़ १, प्रीएम्बल इत्यादि विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

क्लॉज़ १, प्रिएम्बल इत्यादि विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

श्री तनसिंह ।

१२.१६ म० प०

आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट परसों हमारे सामने पेश हुआ है उसमें ऐसा बताया गया है कि १६ लाख रुपये के करीब की बचत है । लेकिन पिछले पांच–छः बरसों का हमें अनुभव है, चाहे बचत का बजट हो या घाटे का, किसी प्रकार का बजट हो, हमारे यहां नेट रिज़ल्टस क्या होते हैं, वास्तविक रूप में कितना खर्चा होता है, आमदनी से ज्यादा या कम । आमदनी से ज्यादा कितनी प्राप्तियां होती हैं पिछले आंकड़े देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है । एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स १६५५-५६ के अनुसार जहां तक आंकड़े उपलब्ध हुए हैं; उसके अनुसार ५२–५३ में ६३ लाख का घाटा बताया गया था, लेकिन हमारी आमदनी १५२ लाख बढ़ गई उस साल की और खर्चे में १२६ लाख की बचत हुई । इस प्रकार जहां ६३ लाख का घाटा बताया गया वहां हमको नेट बचत हुई । प्राप्तियां ज्यादा होने से और उस साल खर्चे में बचत होने से । यह इस एक साल की ही बात नहीं है । हर साल ऐसा ही हुआ । सन्तुलित बजट पेश किया गया ५३–५४ में व ५४–५५ में, इनमें भी हमको एक साल तो हुई है नेट ५३ लाख की बचत और दूसरी बार १८६ लाख की बचत । ५५-५६ में भी २३६ लाख की बचत हुई खर्चे में और प्राप्तियां ज्यादा होने से लगभग ३ करोड़ २३ लाख के हमारी बचत हुई ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे घाटे का बजट यहां पेश किया जावे, या बचत का, आंकड़े तैयार करने में वित्त विभाग हमारा इतना अयोग्य है कि आश्चर्य होता है । जो बजट के आंकड़े वह तैयार करता है, वह या तो यह माना जावे कि जो नीचे से बना-बनाकर लोग उसको भेज देते हैं उन्हीं को रख देता है या बिना किसी सैद्धान्तिक आधार पर या बिना यह जाने कि वह विभाग फलां वर्ष में इतना खर्च भी कर सकने की सामर्थ्य रखता है या नहीं और बिना यह जाने कि हमारी आमदनी कितनी हो सकती है, केवल नीचे के विभाग द्वारा बिना सोचे समझे जो आंकड़े भेज दिये जाते हैं फाइनेन्स विभाग को तो फिर उसके सामने और कोई चारा नहीं रह जाता और उन्हीं को मजबूर होकर मान लेता है । यह जानने की वह कभी कोशिश नहीं करता कि वास्तव में जो आंकड़े आते हैं वे सही आधार पर आधारित हैं या नहीं ? हम देखते हैं कि हमारी प्राप्तियां हर साल बढ़ती गई हैं । पर हम उनका अन्दाज़ निकाल लेने का रास्ता नहीं ढूंढ सके हैं । यह हमारे बजटिंग का बहुत बड़ा नुक्स है जो पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी को पनपाने में बड़ी भारी बाधा है । हम अन्दाज़ नहीं लगा पाने के कारण हर साल अन्धाधुन्ध टैक्सेज़ लगा देते हैं और इसके लिए सरकार को क्रिटिसाइज़ किया जाता है । अगर ठीक बजटिंग हो तो इन टैक्सों के इस तरह से अन्धा-धुन्ध बेसोचे-समझे लगाये जाने की आवश्यकता नहीं रहे ।

दूसरी ओर खर्चे में बचने का परिणाम यह होता है कि समान स्तर पर जो डिपार्टमेन्ट हैं वे अधिक पैसा अपने लिये लेकर

(श्री तनसिंह)

रख लेता है। कुछ ऐसे होते हैं जो खर्च नहीं कर पाते और कुछ जो विकास का काम करने वाले विभाग हैं उनको पैसा मिल नहीं पाता जो कि वास्तव में खर्च कर सकते हैं। इस तरह से रकम खामख्वाह एंड हो जाती है और जो विकास का काम करने वाले विभाग हैं उनको पूरा पैसा नहीं मिलने से जो विकास का लाभ जनता को मिलने वाला होता है वह नहीं मिल पाता।

इस तरह से जितने भी साल के आंकड़े उपलब्ध हुए हैं उन सब की यही हालत है। इससे मैं अन्दाज़ लगाता हूं कि इस दिशा में हमने ठीक बजटिंग करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की। इस विषय में पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में काफी कहा है। उसकी अब तक चार रिपोर्ट्स पेश हुई हैं। उन चारों में इस विभाग की इस सम्बन्धी अयोग्यता की ओर ध्यान आकर्षित किया है। पहली रिपोर्ट में पेज ७ पर है "Besides, several instances of defective budgeting, the Committee noticed a number of cases wherein depaiments had asked for funds for schemes which they subsequently found unable to execute either for want of staff and materials or because of the departments not being fully organised."

इसके बाद में रिमार्क दूसरी रिपोर्ट में भी वही है, कोई अन्तर नहीं आया, कोई प्रगति नहीं की गई, तीसरी और चौथी रिपोर्ट में भी रिमार्क ज्यों के त्यों हैं। इन सबका कोटेशन में यहां दूं तो लम्बा समय लग जावेगा। केवल चौथी रिपोर्ट का इन्स्टान्स मैं और दे देता हूं।

"Out of the 53 voted Grants and charged appropriations, budgeting was fairly close only in six cases. In 28 cases the variations were more than 25 percent, in three cases more than 50 percent and in two cases more than 80 percent."

फिर आगे जाकर कमेटी ने अपनी राय व्यक्त की है :

"The Public Accounts Committees of past years have repeatedly stressed the necessity of accurate budgeting and close control over expenditure, and this Committee can do no more than to reiterate these recommendations again"

लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में अभी जो एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट ५५–५६ का पेश हुआ है उससे स्थिति और भी असन्तोषजनक प्रतीत होती है। जहां कमेटी ने कुछ संतोष व्यक्त किया है अपनी आखिरी रिपोर्ट में और उसमें ८० परसेन्ट की सेविंग एक्सैस वेरिएशन्स की हैं, वहां आश्चर्य और भी द्विगुणित हो जाता है जब इस एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स ५५–५६ को देखते हैं। इसमें यह नुक्स पहले से भी अधिक बढ़ रहा प्रतीत हो रहा है।

अब मेरा निवेदन यह है कि यदि सेविंग्स की चीजों को देखें तो हमारे राजस्थान में सप्लीमेंटरी ग्रान्ट्स का एक आम रिवाज़ हो गया है, चाहे फिर उसकी आवश्यकता हो या न हो। एक होड़ सी विभागों में लग गई है इसके लिए। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि ओरीजिनल ग्रान्ट्स से भी खर्चा अधिक बढ़ता नहीं, पर फिर भी फरवरी–मार्च के आखिरी दिनों में भी एट-रेन्डम एप्रोप्रियेशन

(श्री तनसिंह)

बढ़ा लेते हैं, जिसका जिक्र इस ऑडिट रिपोर्ट में है और साफ है ।

उदाहरण के लिए लैंड रेवेन्यु विभाग में सप्लीमेंटरी ग्रान्ट ४ हजारों रुपयों की की गई है और उसमें ५,८६५ हजार २०४ की बचत हुई ।

दूसरे, एजुकेशन विभाग में ५५ हजार की सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट मांगी गई, जहां ४२ लाख १ हजार ३३६ की बचत हुई, जो कि ओरीजिनल सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट को बेकार कर गई । इनको यह भी अन्दाज नहीं कि कितना खर्च कर चुके और कितना करना है ।

पब्लिक हैल्थ विभाग की बताऊं । १२ लाख ३५ हजार की सप्लीमेन्टरी ग्रांट मांगी गई और १४ लाख ७८ हजार की बचत होती है । यह हालत है ।

एग्रीकल्चर विभाग का यह हाल है कि ६६ हजार की सप्लीमेंटरी मांगता है और १४ लाख २७ हजार की बचत करता है ।

कोऑपरेटिव विभाग में ४१ हजार की सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट मन्जूर करते हैं और बचत होती है १ लाख ५६ हजार ।

इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी विभाग में एक हजार की टोकन सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट लेते हैं और २४ लाख १८ हजार की बचत होती है ।

मिस्लेनियस में १३ लाख की सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट है और २२ लाख की बचत है । तो मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि कहीं कहीं तो ओरीजिनल ग्रान्ट भी पूरी नहीं कर पाते और सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट मन्जूर करा लेते हैं ।

केवल सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट्स में ही बचत नहीं होती बल्कि ओरीजिनल ग्रान्ट्स में बचत हो जाती है । इसलिए यह स्पष्ट प्रतीत होता है और हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी भी इसी दृष्टिकोण से निरन्तर अपने प्रतिवेदनों में यह बात कहती आ रही है कि हमारे यहां का बजटिंग ठीक तरह का नहीं है और एक बार तो पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी चौथी रिपोर्ट में यह सतोष प्रकट किया है कि हमारा फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट प्रगति कर रहा है लेकिन जो बाद के आंकड़े आये हैं उनको देखने से ऐसा मालूम होता है कि कमेटी ने जो रिकमन्डेशन और तारीफ की है उसमें भी धूल डाल दी है । अब यह तो रही केवल बचत की बात । अब मैं आपका ध्यान एक्सेस की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा निवेदन यह है कि असेम्बली अपना वोट देकर जो एप्रोप्रियेशन एक्ट पास करती है, अपना वोटिंग देकर जो अधिकृत करती है किसी संस्था को कि इतना रुपया खर्च किया जाय, उससे ज्यादा अगर वह खर्च कर देती है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि यह केवल एक इर्रेग्युलेरिटी ही नहीं है बल्कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इसको फाइनेन्शियल सिन, यानी आर्थिक पाप समझा है और इसे "The height of irregularity" समझा है। इसकी सेकिन्ड रिपोर्ट में है : "It is the cardinal principle of parliamentary control of expenditure that the Departments should not spend more than the sums granted to them by the Legislature for the year. Indeed an excess vote has been described as a type of 'financial sin', and the experts in public Finance have considered it as 'the height of irregularity'." तो मेरा निवेदन यह है कि जहां यह स्पष्ट

(श्री तनसिंह)

रूप से बात है कि हम जहां वोट देते हैं, वोट देकर किसी चीज को पास करते हैं और किसी मंद को ऑथोराइज़ करते हैं कि इतना रुपया इस मद में खर्च किया जाय, ऐसे नमूने भी देखने में आते है कि बहुत ज्यादा रुपया खर्च कर दिया जाता है जैसा कि पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट में है। लेकिन मैं उन सब तथ्यों को छोड़कर जो लेटेस्ट रिपोर्ट पेश हुई है उसके बारे में बताऊंगा। उससे यह अनुमान लगता है कि डिपार्टमेन्ट्स इस ओर कदम बढ़ायेंगे कि इस दिशा में कुछ सुधार करें। लेकिन जो अब रिपोर्ट पेश हुई है इससे तो हमें कुछ खाका ही दूसरा मिलता है। अब मैं जहां जहां एक्सेसेज़ हुई हैं, कुछ मोटी मोटी उनके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अब आप देखेंगे कि स्टेशनरी एण्ड प्रिन्टिंग में क्या कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला हो सकता है या कोई ऐसी स्कीम हो सकती है जिसमें अन-एक्सपेक्टेड खर्चा आ जाय और असेम्बली उस समय न हो और उस समय सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट पेश नहीं की जा सकती हो, मेरा ख्याल है कि इसमें ऐसा कोई मामला नहीं हो सकता है और न कोई ऐसी स्कीम ही हो सकती है। ऐसी स्थिति हो तो सम्भव हो सकता है कि एक्सेस खर्चा हो जाय लेकिन स्टेशनरी और प्रिन्टिंग जैसा डिपार्टमेंट जो कि चारों ओर से क्रिटिसिज्म का शिकार बना हुआ है वह ५,४८,५६४ रुपये का एक्सेस खर्च कर रहा है। यह १९५५-५६ के एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स में है। उसी तरह से पेमेन्ट ऑफ कम्युटेड वैल्यु ऑफ पेन्शन्स को यदि हम छोड़ भी दें तो केपीटल आउटले ऑन स्कीम्स ऑफ गवर्नमेन्ट ट्रेडिंग में ४२,५३,६३६ रुपये का एक्सेस खर्चा हुआ। कन्सट्रक्शन ऑफ इरिगेशन, नेवीगेशन, एम्बेंकमेन्ट एण्ड ड्रेनेज वर्क्स एण्ड केपीटल आउटले ऑन मल्टीपरपज़ रिवर स्कीम्स में ३,७७,८५१ रुपया एक्सेस खर्च हुआ और केपिटल आउटले ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स में १,४०,३२० रुपये का एक्सेस खर्च हुआ। यह खर्चा एक जगह तो ६,३१०.२ पर्सेन्ट है, यानी परसेन्टेज़ की सीमा भी तोड़ दी। एक जगह १४.२ पर्सेंट है और एक जगह सेन्ट पर्सेन्ट है। तो इस तरह की रकम का एक्सेस खर्च किया गया। सेविंग्स के अनुपात को देखें तो जैसे पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने ८० प्रतिशत के प्रति बहुत ही ज्यादा आश्चर्य प्रकट किया था। सेविंग्स के अनुपात को देखने से मालूम होता है कि केपिटल आउटले ऑन इलेक्ट्रिसिटी स्कीम्स में ९३.८ पर्सेन्ट की है, इसी तरह से केपीटल अकाउन्ट ऑफ अदर स्टेट वर्क्स आउटसाइड दी रेवेन्यु अकाउन्ट में ७१२.२ पर्सेन्ट की सेविंग है, मिसलेनियस में २६.४ पर्सेन्ट की, फैमिन में २३.३ पर्सेंट की और रिसीट्स फ्रोम मल्टीपर्पज़ रिवर स्कीम्स में ५३ ८ पर्सेन्ट की सेविंग है। इस तरह से करीब करीब हर डिपार्टमेन्ट में है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ३०.८ पर्सेन्ट और एजुकेशन में १०.५ पर्सेन्ट की है। इस तरह से जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्ट्स हैं, जिनकी सेवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वहां तो खर्चा होता नहीं है, बचत होती है और अनावश्यक डिपार्टमेन्टस जो हैं जिनका कि हमारे राजस्थान के विकास में कोई हाथ नहीं है, वह जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हैं। तो यह नमूना हुआ हमारे यहां के बजटिंग और कन्ट्रोल का। अब राजस्थान में डिपार्टमेन्ट्स की क्या नीयत रहती है, यह एक

(श्री तनसिंह)

छोटे से उदाहरण से मालूम हो जाती है कि पहले तो जब बजट पास होता है उस समय तो मौज करते रहते हैं, जब आधा साल गुजर जाता है तब कुछ कान फड़फड़ाते हैं और जब कि साल समाप्त होने को होता है उस समय दौड़ते हैं। उनको ३१ मार्च दिखती है और फिर वह किसी भी तरह से पैसा निकालते हैं। अब ३१ मार्च को फाइनल डेट समझ कर वर्ष का सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। इस विषय में अकाउन्टेन्ट जनरल द्वारा कितनी ही शिकायतें होती हैं और ऑडिट रिपोर्ट्स में भी यह बात स्पष्ट रूप से आती है लेकिन फिर भी यह सब होने के बावजूद भी ३१ मार्च को, यानी मार्च के महीने में सबसे ज्यादा एक्सपेन्डीचर होता है और यह मार्च के महीने में सबसे ज्यादा एक्सपेन्डीचर इसी लिए होता है कि वह डिपार्टमेंट पहले तो विजिलेन्ट रहता नहीं है और वह जगता है जब कि उनको ध्यान आता है कि बजट में हमारा जो पैसा है वह सारा का सारा चला जायगा क्योंकि साल खत्म होने वाला है और तब बाद में सोचते हैं कि सारा पैसा लैप्स हो जायगा, इसलिए इसको अब ही खर्च करदेना चाहिए। तो मेरा यह निवेदन है कि हम जहां बजट पास करके यह अनुमान लगाते हैं कि इस पैसे को खर्च करना है और यही सोचते हैं, कि जो बजट पास हुआ है कल से ही हमारे विकास के कार्य इसके अनुसार शुरू हो जायेंगे लेकिन हमें अत्यन्त खेद है कि अर्से तक तो यह बजट केवल किताबों में और फाइलों में ही पड़ा रहता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के लिए जब कागज़ात आते हैं तो ऑफिस में जो नीचे के लोग होते हैं वे बहुत देर से भेजते हैं और देरी से भेजने के बाद हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट उसको लेकर बैठ जाते हैं, उसके बाद में सेक्रेटेरियट में पड़ा रहता है। फिर फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट लेकर बैठ जाता है। इस तरह से बहुत से विकास कार्यों की जन्म से ही पहले मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से आप एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स १६५५-५६ और ऑडिट रिपोर्ट १६५७ को इसके पेज १८ पर देखें। इसमें कुछ उदाहरण दिये हैं कि मार्च महीने में जो खर्चा हुआ है वह साल भर के खर्च के अनुपात में क्या है ? अगर खर्चे का मिलान किया जाय तो इसमें वैसे ७,८ डिपार्टमेन्ट्स लिए हैं। लैन्ड रेवेन्यु के अन्दर मार्च महीने में ३,६५,००० रुपया खर्च किया गया जब कि पूरे साल में १६,२०,००० रुपया खर्च करता था, यानी पूरे साल का करीब २४ पर्सेन्ट। जेल डिपार्टमेन्ट में मार्च महीने में कुल खर्चे का २१.८ पर्सेन्ट खर्च किया गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में २३.३ पर्सेन्ट, पुलिस में १६.३ पर्सेन्ट और एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट में ५१.६ पर्सेंट केवल मार्च महीने में खर्च किया गया। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत ज्यादा काम रहता है इसलिए वे इस विषय में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट जिसके लिए हम कहते हैं कि इस डिपार्टमेन्ट में ज्यादा खर्च किया जाय क्योंकि हमारे विकास के लिए, हमारे मानसिक विकास के लिये इसमें अधिक रुपया खर्च किया जाना चाहिए और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राजस्थान में जनतंत्र के विकास के लिये शिक्षा की आवश्यकता है और शिक्षा के लिए यदि कुछ ज्यादा भी खर्च कर दिया जाय तो हम उदारतापूर्वक उसकी सराहना करेंगे और यदि इस विभाग में सरकार का क्रिटिसिज़्म भी करेंगे तो इस तरफ कि सरकार एज्युकेशन में बहुत कम खर्च कर रही है, लेकिन जो कुछ दिया जाय उसके खर्च करने का ढंग सही हो। मार्च के महीने में ही ५१.६ पर्सेन्ट खर्च किया जाय, इसका

(श्री तनसिंह)

मतलब यह हुआ कि जो जो भी आवश्यक चीजें होती हैं; वे पहले खरीदते नहीं हैं....।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह कौन से सन् की बात कह रहे हैं ?

श्री तनसिंह : यह १९५५-५६ के एप्रोप्रिएशन अकाउन्ट्स और उसकी ऑडिट रिपोर्ट १९५७ की है जो कि अभी लास्ट में ही पेश हुई है। ५५-५६ के अकाउन्ट्स हैं और ५७ की ऑडिट रिपोर्ट है।

श्री सोहनलाल भटनागर : अब मार्च में इतना खर्च नहीं होगा।

श्री तनसिंह : हम तो यह देखते हैं कि यह एप्रोप्रियेशन अकाउन्ट्स की रिपोर्ट है, यह काफी बड़ी आ रही है, इसके छोटे होने की गुंजाइश ही नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि एज्युकेशन डिपार्टमेन्ट अच्छा हो जायेगा तो फिर हम दूसरे डिपार्टमेन्ट को ले लेंगे, उनमें खरीबियां हो जायेंगी। हमें तो विवाद करने का पूरा मसाला मिलेगा ही। अब आप मेडिकल और पब्लिक हैल्थ को देखिये, वहां भी ३६.५ और ३८.४ पर्सेन्ट खर्चा मार्च महीने में किया गया। अब आप देखिये इस मार्च महीने में इतना ज्यादा खर्च होने के क्या दुष्परिणाम होते हैं। डिपार्टमेन्ट वाले सोचते हैं कि मार्च का महीना है और बजट कहीं लैप्स नहीं हो जाये इसलिए वह बिना टेन्डर कॉल किए और कम्पीटीटिव प्राइसेज़ को देखे बिना या जैसे तैसे कर के वह अपने पैसे उठा लेते हैं। कहीं कहीं तो ऐसा उदाहरण देखा गया है कि रुपया उठा लिया जाता है, वह खर्च होता नहीं है और रुपया अपनी जेब में रहता है या बैंक में रखा जाता है और सर्टिफिकेट तक दे दिये हैं कि इस बिल की जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं वे प्राप्त हो गई हैं। यहां तक ही नहीं बल्कि वहां स्टॉक में जो एन्ट्री होती है वहां भी इस सामान की एन्ट्री हो जाती है कि यह चीज़ वसूल होगई। लेकिन होता क्या है कि नैक्स्ट सितम्बर और अक्टूबर तक जाकर वे चीजें आती हैं। इस तरह की चीजें ऑडिट रिपोर्ट में आती हैं। एक दुष्परिणाम यह और होता है कि हम कई इर्रेगुलेरीटीज़ कमिट करते हैं और वे इर्रेगुलेटीरीज़ केवल कुछ अंशों में इर्रेगुलेरीटीज़ ही रहती हैं। बहुत से ऐसे केसेज़ होते हैं कि जिनमें हैड ऑफ दी डिपार्टमेन्ट की यह मन्शा नहीं होती है लेकिन फिर भी जहां तक कम्पीटीटिव रेट्स का सवाल है, वहां हम कह सकते हैं कि सरकार को कई मामलों में घाटा हुआ है और उस घाटे को आसानी से बचाया जा था। यदि उससे पहले टेन्डर कॉल किये जाते और इसके अलावा बाजार की सारी रेट्स का मुकाबिला किया जाता तो पैसे की काफी बचत हो सकती थी। ३१ मार्च के वक्त टेन्डर कॉल करना और कहीं कहीं तो सैंक्शन तक नहीं ली जाती है। इस प्रकार के आंकड़े भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस विषय दूसरी बात यह होती है कि पहले प्रारम्भ में तो यह दिखता है कि केवल इर्रेगुलेरीटी हुई है, लेकिन वह इर्रेगुलेरिटी धीरे धीरे घाटे का रूप धारण कर लेती है और बाद में वह एम्बेज़लमेन्ट के रूप में आ जाती है। जब एक आदमी एक चीज़ को एक ढंग से करता है और उसके लिए यह कहा जाय कि यह तो एक ऑडिट पॉइन्ट ऑफ व्यू से गलती हुई है और इसको रेग्युलर कर दिया जाय तो उसका असर दूसरों पर पड़े बिना नहीं रह सकता। इसका नतीजा यह होता है कि लोग रूपये को भूल जाते हैं और घपला और एम्बेज़लमेंट के मामले हो जाते हैं। जो

Page No.46

(श्री तनसिंह)

एम्बेज़लमेंट हुए हैं उनके लिए मैं प्रमाण दूंगा कि केवल यही बात नहीं है कि ३१ मार्च को रुपया उठाने से यह होता है। केवल इस बात से यह मान लें कि जो कुछ ३१ मार्च या मार्च के महीने में खर्च हुआ इसलिए एम्बेज़लमेंट हुआ है, यह बात नहीं है, लेकिन डिडक्टिव लोजिक से यदि आप देखेंगे तो एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि जितने भी एम्ज़बेलमेंट हुए हैं, इस तरह से हुए हैं जो शिरोमणि डिपार्टमेंटस् हैं इस मामले में वे हैं; पुलिस, सिविल सप्लाईज़ और रेवेन्यु डिपार्टमेंट। यह पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की लास्ट रिपोर्ट में कहा है, "The information supplied by the Finance Department in respect of the cases pending on 31. 3. 1956 reveals that there were 300 cases involving an amount of about Rs. 17 lacs,"

१७,००,०००........यह एम्बेज़लमेंट के सिलसिले में है। "out of which the Revenue Dep rtment alone had 83 cases and the Civil Supplies and Police Departments 44 and 42 cases respectively. Thus these three Departments have more than half the total number of cases pending with them."

अब इन तीनों शिरोमणि डिपार्टमेंटस् में से, सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट को मैं मानता हूं कि आखिर सिविल सप्लाइज़ का डिपार्टमेंट सप्लाइज का डिपार्टमेंट है। सप्लाई करना है उसका काम, तो अगर वे पर्सनल सप्लाई भी कर लेते हैं तो एक सामान्य सी चीज़ प्रतीत होती है। रेवेन्यु डिपार्टमेंट में भी घपले होते हैं। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि एम्बेजलमेंट क्यों करते हैं वे? सीधे तरीके से पटवारियों और अन्य लोगों के लिए तो बड़ा रास्ता है, एम्बेजलमेंट क्या करते हैं उनके पास तो रिश्वत वगैरह बहुत पड़ी है, लेकिन जिनके हाथ में न्याय और कानून और व्यवस्था आदि की बातें हैं जिनके ऊपर सारे के सारे एम्बेज़लमेन्ट के सिलसिले में इन्क्वायरी करने का उत्तरदायित्व है, जिनके हाथों में राजस्थान की बहबूदी और व्यवस्था का भार है, वह है पुलिस डिपार्टमेंट। उसमें घपला होता है तो वह तो इतना जबर्दस्त है कि यदि उसके विषय में लिखा जाय तो बहुत बड़ा पुराण लिखा जा सकता है। जो पिछली ही पिछली पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की रिपोर्ट है उसमें तीन एम्बेज़लमेंट के केसेज़ हैं या जिसको यदि एम्बेजलमेंट न माने तो इर्रेग्युलेरिटीज़ के सिलसिले में जो केसेज़ हैं उन पर यदि आप दृष्टिपात करें तो उनमें पहला केस वह है जिसमें १,४१,२२८) रु० का, १२४ मोटरों का फ्लीट खरीदा गया और वह खरीदा गया है मार्च के महीने में। वह क्यों खरीदा गया, क्योंकि बजट लैप्स हो रहा था और बजट के लैप्स होने के कारण

"...the expenditure was rushed through at the far end of the financial year..." इसमें यह भी बतलाया गया है कि यह बहुत जरूरी था और बोर्डर पर इन गाड़ियों की जरूरत थी लेकिन २३ चैसिस ऐसे थे जिनकी कीमत ३ लाख रुपये थी और वह न केवल मार्च या अप्रेल तक ही पड़ी रहीं, बल्कि २ साल तक बिल्कुल बेकार पड़ी रहीं। तो तीन लाख रुपये ३१ मार्च को लेप्स होने वाले थे उनको लेप्स होने नहीं दिया पुलिस डिपार्टमेंट ने; सिर्फ इसलिए कि यह रुपया बाद में मिले या नहीं और उन्होंने गाड़ियां खरीद लीं और वे गाड़ियां दो साल तक गेराज में पड़ी रहीं

(श्री तनसिंह)

और उनको किसी प्रयोग में नहीं लाया गया। इस प्रकार वह तीन लाख रुपया जो उस समय लेप्स होता तो कितने ही लोगों को फायदा होता, कितनी ही विकास योजनाएं उनसे प्रतिपादित हो सकती थीं, कितने ही अन्नेसेसरी टेक्सेज़ जो होने वाले थे, वे बच जाते। लेकिन यह सब का सब रुपया इसमें लगाया गया है। इसके संबंध में जो कुछ कायदा है कि डॉयरेक्टर जनरल ऑफ स्टोर्स और डिस्पोज़ल के वहां से खरीदा जाना चाहिए था, लेकिन वह नहीं हुआ।

एक दूसरा महत्वपूर्ण केस है छोलदारियों का; वह है १,६३,२१० रुपयों का उससे ६५० छोलदारियां खरीदी गई और उसके लिए जो टेन्डर्स इन्वाइट किये गये थे, वे थोड़ी सी छोलदारियों के लिये इन्वाइट किये गये थे, बाकी की छोलदारियों के लिए नहीं थे जो कि ज्यादा ली गई थीं। टेन्डर नोटिस बहुत ही शोर्ट दिया गया था, उसकी पूरी पब्लिसिटी नहीं की गई तथा और भी कई इर्रेग्युलेरिटीज़ हुई, लेकिन सब का कारण क्या है कि सन् ५३ के मार्च के महीने में वे सब खरीदी गई।

इसी तरह से वायरलेस ऐपरेटस का तीसरा केस है।

"The Department placed an order in March, 1953 for the purchase of scientific instruments, photographic material and electric goods worth Rs. 33,800/- required for the establishment of a photographic section and a science laboratory without obtaining sanction of the competent authority for the purchase"

तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वस्तुएं खरीदी जाने वाली हैं और जिनको बड़ी आसानी से वर्ष के आरम्भ में खरीदा जा सकता है, मध्य में खरीदा जा सकता है, उनको मार्च के महीने में खरीदने के कारण उस रकम को लेप्स होने से बचाना है लेकिन उसके दूसरे कुपरिणाम होते हैं, इर्रेग्युलेरिटीज़ प्रतीत होती हैं। कई जगह तो ऐसा हुआ है कि जो कुछ भी चाहिए था उनके रिसीव हुए बगैर ही उनका पेमेन्ट कर दिया जाता है, पैसा उठा लिया जाता है, बुक्स में एन्ट्रीज़ कर दी जाती हैं। इससे बढ़कर फोर्जरी और बोगस एन्ट्रीज़ और क्या हो सकती हैं? एक जगह इस शिरोमणियों के शिरोमणी पुलिस डिपार्टमेन्ट ने गवर्नमेंट की मोटर विहीकल्स खरीदी गई थीं तो उनके जब डिटेल्स पूछे गये तो कागजात ही गायब कर दिये। "When an attempt to ascertain further details about this purchase was made by the Committee it was revealed that as some of the papers of the relevant files were missing and were not available, the same could not be supplied." पुलिस डिपार्टमेंट इससे बढ़कर होशियारी क्या प्रदर्शित कर सकती है? ऐसी कारगुज़ारी जो अन्य डिपार्टमेंट्स नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं उसको एम्बेज़लमेंट के केसेज़ में सबसे ज्यादा शिरोमणी मानता हूं कि उसने पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी को क्या, ऑडिट को क्या, और दूसरे किसी एन्टी-करप्शन को क्या; ऐसी चीज नहीं दी जिसके मुताबिक यह पता चल जाय कि इसमें क्या घपला हुआ है?

मेरे कहने का यह अभिप्राय है कि यह जो वर्ष के अखीर में खरीदते हैं, उसका मतलब यह है कि बजट के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं रहते और एक्सपेन्डीचर पर कंट्रोल

(श्री तनसिंह)

नहीं रहना है इसलिए ज्यादा खर्चा हो जाता है और बचे हुए रुपयों को भी जल्दी खर्च करने की कोशिश की जाती है, इसी तरह की कई इर्रेगुलेरिटीज़ होती हैं ।

इसके अलावा इस रिपोर्ट के पेज २० पर ग्रान्ट इन एड के सिलसिले में जो लिखा है उसका उदाहरण प्रस्तुत करूंगा: "In six cases, sums aggregating Rs. 1,75, 630/- were withdrawn from the treasury on the last day of the financial year but were disbursed to the grantees in the next financial year. The amount was obviosly drawn to avoid lapse of budget grant."

अब आप देखेंगे कि ग्रान्ट इन एड का मामला है। इस सिलसिले में भिन्न भिन्न लोगों को ग्रान्ट इन एड मिलनी होती है । वे प्रारम्भ में ही इसके लिए कोशिश करते हैं लेकिन उनको उस समय ग्रान्ट इन एड मिलती नहीं है; लेकिन जब ३१ मार्च आता है, उस दिन १,७५,६३० रुपये उठाये गये । आप सोच सकते हैं कि इतने रुपयों के लिए कितने टेलीफोनिक प्रैक्टिस खड़खड़ानी पड़ी होगी ? ऐसे ६ केसेज़ थे । उन आदमियों को कितनी दफा सेक्रेटेरियट की धूल फांकनी पड़ी होगी, कितनी दफा वे इधर उधर दौड़े होंगे, कितनी परेशानी उन्होंने उठाई होगी, तब जाकर ये १ लाख ७५ हजार रुपये ३१ मार्च को उठाये होंगे । इस तरह के कार्यों से भी भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया जाता है । आदेश ऐसा है कि हम डे टू डे ड्रॉ करें । १ अप्रेल से लेकर ३१ मार्च तक जो खर्चा करते हैं, उसे साथ का साथ ड्रॉ करें । एक साथ यदि स्पेशल सेंक्शन करवा कर उठाया गया तो सख्त कार्यवाही की जायगी, इस तरह के आर्डर्स और सर्कुलर्स हैं । लेकिन इन सर्कुलर्स के होते हुए भी इनका पालन नहीं किया जाता है और इनका उल्लंघन किए जाने की हर आदमी की हिम्मत होती है । मैं तो कल्पना नहीं कर सकता कि किसी बोर्डिंग हाउस को या किसी संस्था को, जिसको ग्रान्ट इन एड मिलने वाली होती हैं और आज मार्च की २५ तारीख हो गई है तो ३१ मार्च तक वे कैसे रुपए ड्रॉ करने में कामयाब हो जायेंगे । लेकिन लोगों का साहस होता है, इस प्रकार के वीरतापूर्ण कार्य करने का, क्योंकि वे जानते हैं कि हम किसी मिनिस्टर के पास या किसी सेक्रेटरी के पास जायेंगे और इधर-उधर का दबाव डाल कर पैसा उठा लेंगे । इसका क्या अभिप्राय होगा और कैसे लोगों को इससे प्रोत्साहन मिलेगा ? मैं मानता हूं कि मिनिस्टर्स वगैरह को ज्यादा कुछ कहने के बजाय और उनके ऊपर दूसरे दबाव डालने के बजाय नीचे के तबके के लोग जो दूसरे दबाव में आने वाले नहीं हैं, इसलिए एक चीज़ होती है, उनसे यदि कोई कागज निकलवाना है तो उनको पैसा देना पड़ता है । मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि ३१ मार्च से पहले खर्चा व्यवस्थित ढंग से करें तो इस तरह से पैसा देने या दबाव डालने की परिपाटी बंद हो सकती है । यदि हमें शासन में सुधार करना है तो वर्ष भर का कार्य एक साथ नहीं करना चाहिए । वर्ष भर के कार्य को शुरू से अंत तक करना चाहिये, यह नहीं कि अंत में प्रारम्भ करके अंत में ही समाप्त करें । अब मैं इस प्रकरण को छोड़ कर आगे चलता हूं ।

सबसे बड़ी दुःखपूर्ण स्थिति हमारे स्टेट में जो है वह है राजस्थान सरकार की वित्तीय स्थिति और उसमें भी कर्जे की स्थिति और भी ज्यादा भयंकर है ।

(श्री तनसिंह)

क्या मालूम इस बात को लोग क्यों श्रेयस्कर समझते हैं कि हम दूसरे से पैसा उधार लेकर अपना विकास कर सकेंगे। दूसरों से पैसा उधार लेकर महल बनायेंगे और उसमें आराम से सोकर सुख भोगेंगे। हमारे राजस्थान को यदि इसी तरह से सुखी बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह नहीं बन सकेगा। अपने ही साधनों से यदि विकास का कार्य करेंगे और महल बनायेंगे तो आपको ज्यादा सुख अनुभव होगा। यदि आपने सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर ज्यादा आंख लगाई तो एक न एक दिन नकारात्मक उत्तर अवश्य मिलेगा। इसलिये हमको अंत में नकारात्मक उत्तर मिले, उससे पहले ही हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हम अपनी स्थिति को मजबूत करें या दृढ़तर बनावें और यहीं के साधनों से हमारा विकास हो व कर्जे की स्थिति कम हो।

कर्जे के आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। वैसे तो सरकार कर्जा लेने के मामले में चारवाक् के सिद्धान्त को मानती है; 'यावत्जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतम् पीवेत्।" हमारी सरकार को इसी नीति के अनुसार ऋण लेने में कोई झिझक नहीं रहती है। इस बात की उसे चिन्ता नहीं है कि वह कर्जा वापिस दिया जा सकेगा या नहीं। मैं अर्ज करूं कि आज से पहले बड़े बड़े अर्थ-शास्त्री होते थे, वे अव्वल नंबर के कंजूस और मक्खीचूस होते थे और एक एक पैसे का हिसाब रखते थे, उनके समय में ऐसा नहीं होता था कि अनायास ही पैसा खर्च हो जाय। निरकुंश राजाओं के जमाने में भी वे अर्थ पर कंट्रोल रखते थे, उनकी परिधि के बाहर राजा लोग खर्च कर देते थे, वह अलग बात थी। लेकिन उन राजाओं के जमाने में भी उनके मंत्रियों द्वारा पैसों की बचत की जाती थी। उन राज्यों की खुश-हाली इसी बात पर आधारित थी कि उनके पास कितना पैसा है। लेकिन खेद इस बात का है कि हमारे वित मंत्री केवल कर्जा लेने में ही बहादुरी प्राप्त करते हैं। आज राजस्थान की स्थिति क्या है, इस ओर देखने पर बड़ी चिन्ता होती है।

एक इस प्रकार का कर्जा है जिसे भारत सरकार लगातार दे रही है और उसे १५ साल के बाद में एक मुश्त वसूल किया जायगा। मैं उस कर्ज को आसान समझता हूं जो किश्तों में दिया जाता है। यदि हमने १०० रु० लिये हैं और ५ रु० की किश्त में उसे देना है तो वह आसान कर्जा है बनिस्पत उस कर्जे के जो १०० रुपये लिये जाते हैं और १५ साल के बाद एक दम वसूल किये जाते हैं। वैसे तो चारवाक् के सिद्धान्त को मानने वाले कह सकते हैं कि १५ साल कब आयेंगे, देखा जायगा उस समय। शायद हो सकता है कि उस समय तक गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया उस कर्जे को कंडोन कर दे या राइट ऑफ कर दे, अभी से हो इसकी क्यों चिन्ता की जाय, यह चारवाक का सिद्धान्त है। लेकिन जिसको ईमानदारी से पैसा वापिस देना है और अपने साधनों का विकास करना है उसे देखना होगा कि १५ वर्ष के बाद एक दम से ये रुपये कैसे दे सकेंगे? अभी ४ करोड़ ६२ लाख का कर्जे का आंकड़ा बताया गया है। मुझे लगता है कि यह ४ करोड़ ६२ लाख का आंकड़ा तोड़-मरोड़ कर बताया गया है। ये तो वे ही रुपये हैं जो राजस्थान सरकार ने भारत सरकार से सीधे प्राप्त किये हैं। लेकिन यह रुपया भाखरा नांगल के सिलसिले में, भाखरा नांगल योजना के अन्तर्गत हैं,

(श्री तनसिंह)

इसमें से २६.२८ करोड़ रुपया भाखरा व चम्बल परियोजनाओं के लिए है । माननीय उप वित्तमन्त्री या वित्तमन्त्री स्वयं ने, मुझे याद नहीं है, १८-११-५७ को दिखलाई दिया था । इस भाषण में भी स्पष्ट कर दिया है पैरा ६५ में:

"केन्द्र से उधार ली गई रकमों का कुल जोड़ ३१ मार्च, १९५८ को ६१.७४ करोड़ होने की प्रत्याशा है जिसमें ४.१ करोड़ रुपये सहायता व पुनर्वास के ऋण के हैं और २६.२८ करोड़ रुपये भाखड़ा व चम्बल परियोजनाओं के लिए हैं ।"

इन परियोजनाओं, दोनों के लिए २६.२८ करोड़ रुपया लगेगा ही, लेकिन केवल भाखरा के लिए १८, ८६, ४१, ४२२ के करीब है । इस १८, ८६, ४१, ४२२ करोड़ रुपये में ४, ६२, २०,००० रुपये की राशि ऐसी है जो १५ में एक साथ अदा करनी है और १८, ८६, ४१, ४२२ रुपये का क्या हिसाब है, यह मेरी समझ में नहीं आता । पंजाब गवर्नमेन्ट और हमारी राजस्थान सरकार के बीच में कुछ हिस्सा है, उस हिस्से के फलस्वरूप पंजाब सरकार को दिया हुआ ऋण, जो भाखरा प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए दिया जा रहा है, वह देना पड़ेगा; यह बात अलग है, लेकिन अभी नया निर्माण करने या लाइन लगाने के खर्चे को मीट आउट करने को भारत सरकार ने जो लोन दिया है वह४,६२,२००,००० रुपये होता है वह हमें १५ साल के बाद में देना पड़ेगा । एक जगह हमारे माननीय वित्तमंत्रीजी ने कहा है, "नहीं, फाइनेन्स अकाउन्ट्स की ऑडिट रिपोर्ट १९५६ के पेज २३ में हमारे कमिटमेन्ट्स हैं भाखरा नांगल प्रोजेक्ट के सिलसिले में और जो पूरी स्कीम है उसके आंकड़े दिये हुए हैं, वे यह हैं :

"The 3rd estimate framed in 1951 was for Rs. 156 crores which in 1953 has again been revised to Rs. 150 93 crores. Each State is required to share the expenditure on the construction of common works in addition to carrying out the entire work in its areas. Share of the Rajasthan Government of the estimated cost is Rs. 3 .55 crores which is distributed as follows:

Irrigation:--Rs. 23 42 crores.
Elec. Rs. 7.13 crores."

३०,५०,००,००० रुपये हमको भाखरा नांगल पर खर्च करने हैं । यह हमारी प्रारम्भिक योजना के अनुसार है और उसमें जो परिवर्तन हुए हैं, वे परिवर्तन भी अभी तक स्वीकार नहीं किये गये । The expenditure is being financed by the Government from loan given by the Government of India. The revised project estimate is yet to be approved by the Bhakra Control Board after its scrutiny by the Finance Ministry of the Government of India." हमारे जो ऑरीजिनल आंकड़े हैं, उनके मुताबिक यह पूरी स्कीम १५६ करोड़ रुपये की है, उसमें से ३० करोड़ ५५ लाख हमको देने हैं । उसमें से सिर्फ ४ करोड़ ६२ लाख रुपये तो वैसे हैं और १८ करोड़ दूसरे लिये हैं हमने । अभी तो हमें सात करोड़, आठ करोड़ और लेने हैं । तो इस तरह से यह जो रुपये हमें लेने हैं, वह ३० करोड़ रुपया है और उसको धीरे धीरे हमें चुकाना है । अब हमारा इस योजना में जो खर्च हुआ है मार्च १९५६ तक वह १० करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है । सन् १९५६ के बाद में एक, दो करोड़ और खर्च

(श्री तनसिंह)

हो गया होगा, पर इतना खर्च होने की गुंजाइश मुझे नहीं दीखती लेकिन अभी भी हमें २० करोड़ रुपया और खर्च करना है भाखरा नांगल पर। मुझे निवेदन करना है कि जिस रकम की ब्याज २० लाख रुपये होती है, और इसके बाद नई रकम ली जाती है उसका भी इतना ही शायद ब्याज़ होगा, इससे यह अन्दाज हुआ कि एक करोड़, डेढ़ करोड़ रुपये तो केवल ब्याज हुआ उस लोन पर, जो हमें एक साथ १५ साल में चुकाना है। यदि इसके साथ ही दूसरे लोन्स की ओर ध्यान दें तो स्थिति ज्यादा बिगड़ती हुई दीखेगी।

१.५ म० प०

हमारी सरकार की वित्तीय स्थिति, राजस्थान की वित्तीय स्थिति ठीक है या नहीं, यह जानने के लिए तीन हमें मुख्य पोइन्ट्स देखने हैं। पहला तो यह है कि राजस्व प्राप्तियों में से, जो प्रशासन का खर्चा है, वह खर्चा निकालने के बाद जो भी राज्य का कर्जा है, उसको चुकाने के लिए पैसा जुटाया जाय। तो हम देखते हैं कि जो राजस्व प्राप्त होता है, उसमें से प्रशासन का खर्चा निकालने पर जो पैसा रहे उससे ब्याज चुकाया जाय, यह तो पहली स्थिति में हम देख सकते हैं और यदि इस प्रकार की कोई योजना हो तो हम समझ सकते हैं कि वित्तीय स्थिति के प्रति राजस्थान सरकार जागरुक है। दूसरी चीज़ है कि कर्जे की मात्रा कितनी है और उसके साथ राजस्व से बने हुए असेट्स हैं उनसे कितना उत्पादन होता है, उनसे कितना लाभ पहुंचता है, यह बात भी कन्सीडर करने की है। तीसरी बात यह है कि एक ऐसा राजस्व फंड, एक संचित राशि होनी चाहिए जो कठिनाई के समय, जब हमें विकास का रास्ता नहीं मिले, बढ़ने का रास्ता नहीं मिले, तो उस संचित राशि में से कुछ खर्चा करें। यदि राजस्थान प्रान्त की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ बनानी है तो इन तीनों बातों की ओर निश्चित ही ध्यान देना होगा। यदि इस कसौटी पर राजस्थान सरकार के वित्त विभाग को कसें तो हमें बड़ी निराशा होगी। राजस्थान में राजस्व प्राप्तियों में प्रशासन का खर्चा निकालने के बाद कर्जे की राशियों को चुकाने का कोई प्रावधान नहीं है। मैंने एक प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर माननीय उप वित्त मंत्री ने दिया था, मैंने इस सिलसिले में पूछा था :

"१. सरकार पर ऐसे कर्ज की राशि क्या है जिसका मूलधन बिना किसी किश्त के १५ वर्ष बाद एक साथ सरकार को चुकाना है?

२. उपरोक्त श्रेणी का कितना कर्ज किस किस वर्ष में चुकाया जाना है तथा इन का ब्याज कितना कितना होगा?"

इसका उत्तर दिया, तो पहले प्रश्न का उत्तर तो अलग से दिया, लेकिन कब कब चुका है. इसका उत्तर दिया है वह भी अलग से दिया है; लेकिन कैसे चुकाया जायेगा इसका उत्तर दिया है :

"अब तक भाखरा में बैटरमेंट लेवी से होने वाली आय से यह ऋण चुकाया जायेगा।"

' हम अब तक इस निर्णय पर पहुचे हैं कि राजस्व प्राप्तियों से जो पैसा आयेगा उसमें से प्रशासन का खर्चा निकालने के बाद कर्जे की राशि पर गौर करेंगे, यह केवल एक चीज़ है; लेकिन बैटरमेंट लेवी से जो पैसा मिलेगा, उससे कर्जे की राशि को चुकायेंगे, यह दूसरी चीज़ है और स्वयं माननीय वित्त मंत्री अपने भाषण में स्वीकार करते हैं कि पिछली बार

(श्री तनसिंह)

कोई वसूली नहीं हुई है । पैरा ३६ में वे कहते हैं :

"असाधारण प्राप्तियों के अधीन कमी मुख्यत: सुधार शुल्क (बेटरमेंट लेवी) कतई वसूल न होने के कारण हुई है । सुधार शुल्क के अभिनिर्धारण की कार्यप्रणाली को सरल बनाया जा रहा है जिससे १९५८-५९ में वसूली करना संभव हो जायगा ।"

तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि १९५८-५९ तक, जो एक मात्र रास्ता अपनाया है, वह है बैटरमेंट लेवी से कर्जे को भरेंगे । यह बड़े अचरज की बात है, एक तरह से घड़े में ऊंट खोजने जैसी बात है । कैसे बैटरमेंट लेवी से इतना रुपया वसूल होगा और इतनी बड़ी कर्जे की राशि बैटरमेंट लेवी से कैसे प्राप्त हो जायगी, यह जांचने वाली बात है । कर्जे का करोड़ों रुपया है, इतना रुपया कहां से आयेगा ? यदि इस प्रकार बैटरमेंट लेवी से इतनी तादाद और मिकदार में रुपया वसूल करना शुरू करेंगे तो उसका हमारे प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा । हमें निश्चित तौर से मालूम है कि भाखरा-नागल नहरों से जो पानी आया है, उसका वास्तविक लाभ नहीं उठाया जा रहा है, वह पानी कई जगह वेस्ट किया जा रहा है क्योंकि लोगों को भूमि अलॉट नहीं की गई है, कहीं पर सड़कें नहीं हैं, कहीं नालियां टीक तरह से नहीं बनी हैं । इस प्रकार से हमें जो लाभ होने वाला था, वह वास्तव में प्राप्त नहीं हुआ । अव्वल तो उसका कारण यह है कि हमारी सरकार और सरकारी कर्मचारी जो हैं, वे इस बात के लिए जागरूक नहीं हैं कि कितनी जल्दी इस कार्य को पूरा करें ताकि इससे वापिस लाभ प्राप्त होना शुरू हो ।

दूसरी कठिनाई यह है कि बैटरमेन्ट लेवी कितनी लगे, आखिर उसकी भी एक हद होती है और हद से ज्यादा बढ़ कर कितना ले सकते हैं ? इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अब माननीय वित्त मन्त्रीजी सम्भवत: कोई दूसरा कारण खोज डालें । हम अगर कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसका कुछ अर्थ होता है । उन प्रश्न के उत्तर में वे कहते हैं कि जहां तक ऋण चुकाये जाने की बात है, बैटरमेंट लेवी से भाखरा नांगल का खर्चा चुकायेंगे; यह कहना चाहिए कि यह उत्तर कितना असंतोषजनक है, या यह कहना चाहिए कि यह स्थिति कितनी असंतोषजनक है । न तो वे यह सोच रहे हैं कि यह कैसे पूरा किया जायगा और सब से बड़ी बात तो इस सिलसिले में आखिर में जाकर कहते हैं कि कितना इसमें मूलधन है, कितना ब्याज होता है और कितनी दी गई है बेटरमेंट लेवी इसका उदाहरण दूं । ५८-५९ में २८,००,००० रुपये का एस्टीमेट रखा है । बेटरमेंट लेवी लें तो दूसरी और कर्ज का ब्याज कितना चुकाना, ४ करोड़ २० लाख ७६ हज़ार रुपया, ८ लाख बचते हैं, बचें कहां से, इसमें आगे भी पैसा लिया जा रहा हैं । यह प्रश्न १८-११-५७ का है और इसमें जवाब है, तारीख नहीं हैं, ५६-५७ के वर्ष का है, ५७-५८ गया, ५८-५९ चल रहा है, एक साल और गुजर गया, इसका ब्याज हुआ, तो मेरा निवेदन करना है कि यह रुपया लिया गया है, उसका ब्याज ही बेटरमेंट लेवी से नहीं चुकाया गया है, तो फिर कर्ज कैसे चुकाया जायगा । तो इस सम्बन्ध में वित्त आयोग के सम्मुख मांग की गई है कि वह कर्जा इन्टर्मिनेबल लोन करार दिया जाय और केवल इसका ब्याज ही लिया जाय और वह ब्याज भी आज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिये ।

(श्री तनसिंह)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शोर तो बहुत किया जाता है, पर नजदीक आकर देखा तो चीज़ दूसरी ही निकली। अभी तो हम बहुत बातें बनायें कि इतना बड़ा कर्जा है, चुका देंगे, और यहां आकर पोल खोल दी कि हम सरकार को कह रहे हैं कि इस कर्ज को इन्ट-र्मिनेबल लोन करार दिया जाय और ब्याज लिया जाय, पर अर्थ मन्त्री यह समझते हैं कि क्या हम यह भी नहीं जानेंगे कि युगों-युगों के लिये यह कर्जा हम पर रहने वाला है, पर वित मत्री महोदय को अन्दाज है कि यह कर्जा राइट ऑफ कर दिया जायगा, और केवल ब्याज लिया जायगा। पर यह स्थिति ऐसी नहीं है कि हमेशा हम भारत सरकार से रुपया लेकर उस पर ही जीवित रहें।

आर्टिकल २९३ में है कि ऐसा कर्जा जो किसी स्टेट में बकाया है तो भारत सरकार इन्कार कर सकती है कि उस रुपये को पहले लाओ। हम देख रहे हैं कि भारत सरकार की भी आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि हर राज्य को बराबर इस प्रकार के कार्यों के लिये पैसा देकर एक पैसा भी वापिस नहीं ले और स्वयं अच्छी तरह से फंक्शन करती रहे। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों को मजबूत करना है तो अखबारों में या भाषणों में उसकी पॉलिसी की प्रशंसा करने से नहीं कर सकते। हमें काम करना पड़ेगा, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिये कि हम इन विकास कार्यों को स्वयं आगे बढ़ायें।

यह तो वही कर्जा हुआ कि जो १५ साल बाद देना है। अभी एक प्रश्न यह भी था कि आज तक कुल कर्जा कितना है, यह तो १५ साल बाद देने का है पर वह कर्जा जो एक-दो साल में ही दिया जाने वाला है तो हमारे एक मंत्री महोदय ने बताया था कि ३१-३-५७ के दिन ६२,६२,००,००० का राजस्थान सरकार पर है और उसमें से ४५,४१,००,००० रूपया देय होते हुए भी नहीं चुकाया गया है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप वित्त-मंत्री) : यह इन्फोर्मेशन आपकी गलत है कि ४५ करोड़ ४१ लाख रुपये देय होते हुए भी नहीं चुकाया गया है। ऐसा नहीं कहा गया। भारत सरकार से लिया हुआ लोन इसमें शामिल है, यह कहा गया था।

श्री तनसिंह : कोई बात नहीं, इसको भी बन्द कर देता हूं और आपका लिखा हुआ है, टाइप किया हुआ है, उसको ही पढ़ देता हूँ। वह तो ३१-३-५७ की बात है। आपने एक प्रश्न का १६-११-५७ को उत्तर दिया है, ३०-६-५७ तक का।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : आप कल की बात कर रहे हैं।

श्री तनसिंह : मैं कल की बात कह रहा था, पर आपने कहा कल की बात को सुधार डालूं। आपने ३०-६-५७ तक का जो एक प्रश्न का जवाब दिया है, वह आपका टाइप किया हुआ है, वह पढ़ कर निवेदन कर दूं।

"३०-६-५७ तक भारत सरकार से ५६,७६,००,००० रूपयों का ऋण प्राप्त किया गया है जिसमें से ४४५ लाख विस्था-पितों के लिये और १८८८ लाख भाखरा नांगल के पंजाब और राजस्थान के कार्य के लिये प्राप्त किया गया है।"

मूल धन की देय राशि है उसके लिये ५६७६ लाख हैं उन्हीं को सही आंकड़े मानता हूं क्योंकि आपने कल आंकड़े दिये हैं, वे ३१-३-५७ तक के हैं और आपने ये

(श्री तनसिंह)

३०-६-५७ तक के आंकड़े दिये हैं। उन्हीं को लेटेस्ट फीगर मान लेता हूँ, उस दिन ५६,७६ ६१,००० का कर्ज़ा था भारत सरकार को। विस्थापितों के लिये जो ४४५ लाख रुपया है, उसके लिये भारत सरकार को निवेदन किया गया है कि विस्थापितों से जो मूल धन में से वसूल होगा, वह मूलधन में और व्याज में से वसूल होगा वह इस कर्जे के व्याज में चुकाते रहेंगे, सीधा नहीं देंगे। इस ४४५ लाख रुपये को निकाल दें तो भी ५२३४ लाख रुपया होता है, जो आपको देना है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल (उप वित्त मंत्री) : यह जोड़-बाकी ज़रा ठीक तरह से कर लें।

श्री तनसिंह : ५६ करोड़ में से ४ करोड़ बाकी जाते हैं तो ५२ करोड़ ही बाकी रहते हैं, यह मेरे मास्टर साहब ने बताया है, यदि मंत्री महोदय के मास्टर साहब ने ५० करोड़ या ५ करोड़ बताया हो तो वह बात दूसरी है। मैंने हिसाब ध्यान से लगाया है, आप और देख लें। ३०-६-५७ को देय मूलधन राशि ५६,६६,६८,००० रुपया मन्त्री महोदय ने बताई। ७५ लाख तो वेज़ एण्ड मीन्स के एड्वान्स के आधार पर दे दिये, १४ करोड़ रुपया अमोनियम सल्फेट के लिये ऋण मांग लिया। यह तो मूलधन है जो ३०-६-५७ को ड्यू हुआ है। मैं तो निवेदन करूंगा कि मूलधन तो साधारण सा ड्यू हुआ है, अभी अभी हमारी योजना शुरू हुई है, कोई तीन साल की किश्तों में है, जो मूलधन अभी लिया जा रहा है और जो ड्यू होगा वह तो वास्तव में ज्यादा होगा, यह तो वास्तव में पहले पहल 'प्रथम ग्रासे मक्षिका पातः' है। मूलधन की बात तो दूर, व्याज चुकाने में ही गाड़ी अटक गयी है और व्याज कितना रुपया होता है ३०-६-५७ को, ५६ लाख तो व्याज का होता है हमारे माननीय मंत्री बहुत ही रोचक उत्तर देते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आपने व्याज क्यों नहीं चुकाया, मूल क्यों नहीं चुकाया तो कहते हैं; कि इसमें से २ करोड़ ३७ लाख ४४ हज़ार रुपया चुकाया जा चुका है। मगर वह रुपया कैसे चुकाया गया, यह आपको मालूम होगा; वह रुपया भारत सरकार से ऋण लेकर चुकाया गया। यह हमारी स्थिति है कि हम व्याज को भी भारत सरकार से ऋण लेकर चुकाते हैं। यह हमारा देवालियापन नहीं तो क्या है।

जहां पर व्याज को चुकाने के लिये भारत सरकार से ऋण लिया जाता है, जब व्याज चुकाने के लिये कर्जा लिया जाता है तो असल की तो बात ही क्या कहनी। देवालियापन की भी कोई हद होती है। यहां देवालियेपन की हद हो गई। जब आपको व्याज को चुकाने में कर्जे की जरूरत है तो फिर आप किस जंगल में जाते हैं उसका अन्दाज नहीं लगाया जा सकता। मूलधन का देना तो कहीं गया, मगर व्याज का भी हिसाब नहीं। इतना होते हुए भी पैसे पर पैसा कर्ज लिया जा रहा है। हम कहते हैं कि वह पैसा आखिर हमारी सरकार ने कहीं तो लगाया है। हमने विकास किया है उन पैसों से, पैसे घर पर तो नहीं ले गये मगर आप एक बात पर आयें। आप एक बात कहें कि इतना राष्ट्रीय विस्तार खंड में और नेशनल स्कीमों में धन दे दिया, मगर इससे कुछ नहीं होगा। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर आपने खर्च किया है तो कृषि पर भी लगाये हैं। आपने पैसा अपनी योजनाओं को पूरा करने और चंबल और भाखरा पर लगाया है, इर्रिगेशन पर लगाया है। अब आपकी

(श्री तनसिंह)

आमदनी किस तरह से पैदा होनी चाहिये, यह देखना है। आपकी आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया लैन्ड रेवेन्यु से है। सबसे पहले यह देखना कि लैन्ड रेवेन्यु में वृद्धि हुई और उसके बाद दूसरी बात यह देखना कि इर्रिगेशन में वृद्धि हुई और तीसरी बात यह कि दूसरे मलटीफेरियस व्यवसायों द्वारा आमदनी हुई, ये ही आमदनी के ज़रिये हैं। इसके सिवाय आपके पास शराब और एक्साइज़ में आमदनी होती है, वह तो आपके विकास योजनाओं में शामिल नहीं हैं। अफीम और शराब में पैसा कमाने में आपने कमाल किया है, मगर मैं तो आपकी आमदनी के मोटे-मोटे ज़रिये हैं वही यहां पर लेता हूं।

सबसे पहला ज़रिया है लैन्ड रेवेन्यु का। इसमें ५२-५३ में ४ करोड़ ७ लाख रूपये। मैं पीछे के फिगर्स छोड़ देता हूं।

५२-५३ में ४ करोड़ ७ लाख रूपये

५३-५४ में ३ करोड़ ७८ लाख

५४-५५ में ४ करोड़ १४ लाख

५५-५६ में ५ करोड़ १ लाख

लेकिन यह कितनी वृद्धि हुई है ? यह तो ५५-५६ के आंकड़े हैं। बजट एस्टीमेट ५६-५७ के आंकड़े देखें तो मालूम होगा कि ६ करोड़ ७६ लाख का था। फिर उसको रिवाइज़ किया और ६ करोड़ २५ लाख का अन्दाज़ लगाया। ५ महीनों में दो करोड़! यदि एवरेज़ बेसिस पर आंकड़े लें तो ५७-५८ में ६ करोड़ की आमदनी होगी। इसमें आपने ६ करोड़ ३० लाख लिखा है। आपने खुद ने इस बात को स्वीकार किया है कि आमदनी बढ़ी जरूर है लेकिन उसके साथ साथ खर्चा भी बढ़ा है। मगर मैं यह कहूंगा कि अगर आपकी आमदनी बढ़ी और खर्चा भी बढ़ जावे तो हमें यह देखना है कि आपको लाभ क्या होगा ? आपने आखिर करोड़ों रूपयों का खर्चा किया है उससे आपको आमदनी में कितना लाभ हुआ ? यह तो बात है ही कि जब पैसा ज्यादा आवेगा तो खर्च ज्यादा होगा। लेकिन देखने की बात यह है कि वास्तव में कितनी लैन्ड रेवेन्यु में प्रगति हो रही है ?

अब मैं बचत के जो आंकड़े हैं उनकी तरफ ध्यान दिलाता हूं :

५२-५३ में ३ करोड़ ५ लाख

५३-५४ में २ करोड़ ६४ लाख

५४-५५ में २ करोड़ ८१ लाख

५५-५६ में २ करोड़ ८६ लाख

अब इसके बाद आंकड़े तो अन्दाज़न आंकड़े हैं, कोई प्रामाणिक आंकड़े तो हैं नहीं। आपने ५ महीनों की वसूली के आंकड़े दिये। इससे स्पष्ट नहीं होता कि कितनी बचत होगी। लेकिन इन चार-पांच वर्षों के आंकड़ों से तुलना करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना पहले शुरू हो चुकी और उस योजना से तुलना करें तो मालूम हो जावेगा कि "होनहार बिरवान के होत चीकने पात;" भविष्य क्या है और हमारी दूसरी पंच वर्षीय योजना किस तरह फलीभूत होगी ; इन चार वर्षों में हमने खर्चा अलग निकाल कर इस प्रकार है बचत की है :

५२-५३ में हमारी बचत ३ करोड़

५५-५६ में हमारी बचत २ करोड़ ८६ लाख।

इससे मैं मान सकता हूं कि ५४-५५ से ५ लाख की आमदनी बढ़ी। यह ५ लाख की आमदनी का बढ़ना राजस्थान प्रान्त के लिये कोई बड़ी चीज नहीं है। यदि हम ५२-५३ की तरफ देखते हैं तो अभी हम उस

(श्री तनसिंह)

टार्गेट पर नहीं पहुंचे हैं । वहां ३ करोड़ की थी वह २ करोड़ ५.३ लाख की है । इसके लिये मैं समझता हूं कि आप यह कहेंगे कि हमारी वसूली नहीं हुई । जब आप यह कहें कि हमारी वसूली नहीं हुई तो फिर खर्च किस बात का लगा रहे हैं । आप खर्च ज्यादा लगा रहे हैं वह इस बात का ही तो लगा रहे हैं कि जो लोग लेन्ड रेवेन्यु वसूल करने जाते हैं उस पर खर्च होता है । यह तो बात लेन्ड रेवेन्यु की है ।

अब आप इर्रिगेशन की बात लीजिये । बजट में आपने इस विषय में भी जो आमदनी और खर्चा है उसका निकालने के बाद बताया, वह है २५ लाख ७६ हजार रुपये । यह बजट एस्टीमेट है । ५७–५८ का है २५ लाख ७३ हजार । तो ५७–५८ और ५८–५६ में फर्क है, ६ हजार का फर्क है । जहां हमारे यहां सिंचाई के कार्य में प्रगति हुई है वहां पर ६ हजार की आमदनी में वृद्धि हुई । लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यह ६ हजार रुपये जो वृद्धि के बताये हैं, वह कोई वृद्धि नहीं हो सकती क्योंकि ६ हजार रुपये तो क्या कहीं कहीं २० या ३० हजार रुपये नीचे ऊंचे लड़के चलते हो जाते हैं । अगर यह एक्युरेट बजट होता तो हम मानते कि यह ६ हजार रुपये का फायदा है । मगर यह बजट एक्युरेट नहीं है, फिर भी आपने इसको माना है कि हमको ज्यादा आमदनी हो रही है मगर यह आमदनी कोई ज्यादा आमदनी नहीं है ।

दूसरा आपने सिंचन, नौचालन, तटबंधन तथा जल निकास निर्माण में पैसा लगाया है, उसमें ५० लाख रुपया लगाया है जो पिछले अनुमान से ३० लाख ज्यादा है । अब आप पिछले ५ महीनों का अनुमान लगाएं और उससे मैं समझता हूं कि स्थिति दयनीय ही है । पिछले बजट में आपने ४० लाख रुपया इस मद में आमदनी का रखा था, लेकिन बाद में आपको रिवाइज करना पड़ा और वह २० लाख किया गया, यानि आधा काट लिया और कहा कि इतना वसूल होगा । इसके अलावा १५ महीने वसूली के लें और ५ महीनों की वसूली को ३ लाख ४५ हजार मान कर चलें तो १५ महीनों की वसूली उसी अनुसार मान लें तो भी वह १५, १६ या १७ लाख रुपया होगी । पिछली बार आपने २० लाख का एस्टीमेट लगाया और इस बार आप ५० लाख का लगाते हैं । पिछली बार आपने यह बताया कि चंबल कार्य में यह यह नहीं हुआ लेकिन मेरी बात यह है कि जो रीज़न्स आपने पहले दिये थे कि ५० लाख की बात आपने लिखी उसके बजाय ३० लाख की आमदनी हुई । वही फिर होगा, इसलिये यह मानकर चलना कि इसमें कोई वृद्धि हुई, यह कोई बात नहीं है ।

अब दूसरा प्रश्न आता है, नदी योजना का । हमको यह देखना है कि हमारा खर्च इस संबन्ध में कितना हो रहा है और उसके बदले में हमारी आमदनी क्या हो रही है ? इसमें ६ लाख ७५ हजार लिखा है मगर यदि हम प्रति प्रान्त की ५० हजार आमदनी मान लें तो भी १ लाख २० हजार रुपया करीब होता है । हम उससे दुगुना अनुमान लगा लें मगर हमने यहां पर ६ लाख ७५ हजार लिखा है; मगर मैं यह कहूंगा कि अगली बार जब बजट पेश होगा तो यह होगा कि ६ लाख में से ४ लाख निकाला करें । मैं यह कहूंगा कि इस चेप्टर को आपको बन्द ही रखना चाहिये । आज जब नया चेप्टर खोलते हैं तो हमारी स्थिति की भद्द उड़ाते हैं ।

(श्री तनसिंह)

इसलिए यदि आप ठीक तरह से स्थिति का दिग्दर्शन करें तो आपको पूर्ण रूप से यकीन होगा कि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी ईल्ड नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है ? कारण यह है कि हमारा प्लानिंग ठीक तरह से नहीं है। कब क्या काम होने चाहिये इसका कोई ठीक तरह से आपके पास प्लानिंग नहीं है। मैं आपसे आंकड़े जानना चाहूंगा कि आपके टार्गेट्स क्या थे और उन टार्गेट्स के मुताबिक काम हुए हैं या नहीं, यदि नहीं; हुए हैं तो क्या कारण है ? कितना उन पर क्या खर्चा किया है ? यदि पूरी तरह से विकास कार्यों का प्लानिंग हुआ है तो निश्चित रूप से उनके लिए यह दर्ज होगा कि इस प्लान से फलां साल में इतनी आमदनी होगी, उसके बाद दूसरे साल में इतनी आमदनी होगी और तीसरे साल में इतनी आमदनी होगी। यदि इस सम्बन्ध के आंकड़े उपलब्ध कर दिये जांय और यदि उनका तुलनात्मक दृष्टि से विवेचन किया जाय तो निश्चित रूप से स्थिति यह होगी कि जो विकास योजनायें हैं वे बेकार जा रही हैं और जो पैसा खर्च किया जा रहा है वह बेकार जा रहा है। मेरे इससे कहने का यह अभिप्राय है कि रुपया तो उन पर खर्च कर रहे हैं लेकिन उनका ठीक तरह से प्लानिंग नहीं हो रहा है। इस तरह से उन पर खर्च कर रहे हैं कि रुपया पहले मांगा जाता है तो समय पर दिया नहीं जाता और दिया जाता है तो ठीक ढंग से खर्च नहीं किया जाता और उसका नतीजा यह हो रहा है कि आधी चीज बनी है तो बरसात आयी, पानी का दबाव आया कि वह आधा बना-बनाया काम बेकार हो गया। इस सम्बन्ध में मैंने एक अतारांकित प्रश्न भी पूछा था कि कितने बांध अब तक टूट चुके हैं, शायद मन्त्री महोदय इस बात से डर गये हैं इसलिए इससे पहले उसका उत्तर आया नहीं है। यदि उस प्रश्न के उत्तर में आंकड़े आते तो पता लग जाता कि वास्तविक हालत क्या है ? एक ओर पाल बांधी जा रही है तो दूसरी तरफ उसका पेंदा किस बुरी तरह से फूटा जा रहा है। एक ओर से विकास के द्वारा प्रगति का मार्ग तय कर रहे हैं और दूसरी ओर से विकास और प्रगति का मार्ग ढहा जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि हम इन्क्वायरी कर रहे हैं। इससे क्या संतोष होता है ? यह होगा कि ज्यादा से ज्यादा आपने वार्निंग दे दी। इससे यह तो नहीं हो सकता कि जिन कार्यों पर आपने लाखों रुपया खर्च किया है और कर रहे हैं। उनके अधूरे खराब हो जाने से उन पर जो कुछ खर्चा हुआ है वह रुपया वापिस आ जाय, गया सो तो गया। इन कार्यों और बांधों के टूट जाने से जो फसल का नुक्सान हुआ है, गांवों का नुकसान हुआ है वे तो रिकम्पेन्सेट होने से रहे। ज्यादा से ज्यादा जोर भी मारा तो आप यह कर लेंगे कि किसी इन्जीनियर को डिसमिस कर दें, या जिसकी गलती पायी गई उसको और कोई सजा दे दें। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो टारगेट डेट है वह पूरी नहीं होती। काम पूरा नहीं होगा और उसकी निश्चित रूप से रेस्पोन्सिबिलिटी (जिम्मेवारी) आप एक्सपर्ट्स पर ही नहीं डाल सकते। यह भी हो सकता है कि आपने एक्सपर्ट द्वारा समय पर रुपया मांगे जाने पर न दिया हो और उनके द्वारा और कोई भी इन्क्वायरी के वक्त रास्ता निकाला जा सकता है जिसमें से समय पर पैसा न देने के कारण भी एक रास्ता हो सकता है; अथवा ऐसा हो गया या वैसा हो गया। मैं समझता हूँ कि उत्तरदायित्व केवल उन एक्सपर्ट लोगों पर ही नहीं है बल्कि यह उत्तरदायित्व वित्त मन्त्री पर और वित्त

Page No.58

(श्री तनसिंह)

विभाग पर भी है जो कि सुपरवाइजिंग डिपार्टमेंट है। एक ओर तो कहा जाता है कि हम तेजी से विकास कार्यों की ओर बढ़ते जा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर यह देखने की कोशिश नहीं करते कि उनसे वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है उसका क्या कारण है ? माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मन्त्री महोदय का भाषण पढ़ूं तो निश्चित रूप से यह बात मालूम होती है कि यह निराशा से डूबा हुआ भाषण है ! इसमें प्रारम्भ, बीच और अन्त में यह कहा गया है कि धैर्य पूर्वक सुनिये। आप बोलेंगे उससे कोई आप परीक्षा में नापास नहीं होंगे। लेकिन कोई धैर्य नहीं रख सकता, जिस धैर्य के साथ में आपने राजस्थान की सम्पत्ति के साथ में, आपके विभाग ने खिलवाड़ की है और स्थिति यहां तक पहुंच गई है फिर भी आप रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कितना कर्जा हो गया। राजस्थान में एक कहावत है कि जिस पर ऋण हो उसको नींद नहीं आती है; जिन पर ऋण हो उनको नींद नहीं आती है, लेकिन मुझे खेद है कि इतना ऋण होने पर भी, माननीय मन्त्री महोदय को नींद कैसे आ जाती है।

श्री चन्दनमल वेद : सदन में नींद आ जाती है।

(हंसी)

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इसीलिए बाल सफेद हो गये।

श्री चन्दनमल वेद : इसी साल हुए।

श्री तनसिंह : बाल सफेद हुए, इसीलिए कि फिक्र फिक्र में हुए ? मैं निवेदन करूंगा कि थोड़े बहुत आस पास वाले भी बांट लें तो अच्छा है।

श्री चन्दनमल वेद : बगल के बाल देखिये आप।

श्री तनसिंह : अब एक जगह माननीय मंत्री महोदय यह बताते हैं कि जगह जगह पर हमने नहरें बनाई हैं। एक जगह यह भी बताया गया है कि क्योंकि आस-पास में जो इर्रिगेशन होता है उसमें रेट कम है और हमारे यहां उनसे ज्यादा होने से लोग लेते नहीं हैं ! वे उनके भाषण के शब्द हैं, "अनुसंधान करने पर पता लगा कि नवीन क्षेत्रों में बढ़ी हुई दरों पर सिंचन शुल्क देने में लोग आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि समीपस्थ पुराने क्षेत्रों में इस शुल्क की दरें कम हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सिंचन दरों को युक्ति-युक्त बनाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अब 'युक्ति युक्त' क्या होगा ? निश्चित रूप से यही होगा कि किसी के क्षेत्र में कम दरें हैं तो उसको युक्ति-युक्त करने के लिए कम कर दी जावेंगी। इस प्रकार से एक ईर्ष्या होगी कि पास में दरें कम हैं और हमारी ज्यादा हैं इसलिए कम लें। लेकिन यह चीज नहीं देखी जा रही है कि जिस तरह से, जिस ढंग से, जिस मिकदार में वसूल करते हैं वास्तव में हमारी जेबें भरने की कोशिश कर रहे हैं या इस स्टेट के राष्ट्रीय धन का विकास कर रहे हैं ? हम यह कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि यदि राजस्थान सरकार के पास करोड़ों रुपया हो जाय तो उससे हमारी स्टेट और देश स्मृद्धिशाली हो गया। मैं तो सही माने में स्मृद्धिशाली तब ही मानूंगा जब कि राजस्थान सरकार के कोष में एक पैसा भी हो या न हो इससे कोई खास अन्तर नहीं पड़ता है लेकिन देश तो तब ही स्मृद्धिशाली हो सकता है जब कि उसके निवासी पूर्ण साधन सम्पन्न हों और पर्याप्त मात्रा में उनके पास धन हो। लेकिन आज तो

(श्री तनसिंह)

हो रहा है यह कि पैसा तो हम बटोरते जाते हैं ग्रामीणों से और सरकार के उस कोष में डालते जाते हैं जिस कोष का कि पेंदा फूटा हुआ है। उस फूटे हुए पेंदे के कोष में हम भरते जा रहे हैं। करोड़ों रुपया जहां कर्जा है वह पूरा होने का भी नहीं। इसके कारण से और टैक्सेज़ बढ़ाते जांय और उत्पादन के नाम पर और टैक्सेज बढ़ाते जांय। एक तरफ बैटरमेन्ट फी लगा रहे हैं, जमीनें बेची जा रही हैं वे ज्यादा कीमतों पर बेची जा रही है और ज्यादा इर्रिगेशन चार्जेज वसूल किये जा रहे हैं। इससे तो वे लोग ही ज्यादा सुखी हैं जो कुओं से बैलों द्वारा पानी निकाल कर सिंचाई करते हैं और यह उनको ज्यादा सस्ता पड़ता है। तो आप द्वारा इतना रुपया खर्च करने पर भी लाभ किसको होगा, इस तरह से लोगों की जेब कतरने का काम करने पर भी वास्तव में विकास का काम नहीं होगा।

अन्त में जाकर माननीय वित्त मन्त्री महोदय ने डेढ़ पन्ना, इन २८ पेज के भाषण में, एक अल्प बचत योजना के लिये लिया है। यही एक आकर्षण उनके सामने रहा है।

"त्वमेव माता च पिता त्वमेव"

यानि हे अल्प बचत योजना तुम्हारा ही आसरा है, तुम्हीं त्राण देने वाली हो। यह ऐसा कहा है कि माननीय सदस्यों, आप सब अपना दिमाग अल्प बचत योजना में लगाओ, अपना प्रयास और परिश्रम इसी में करो।

यह अल्प बचत नाम ही ऐसा है, अल्प बचत करके आखिर कितनी करेंगे? आपने आंकड़ों को इधर उधर बढ़ाकर बता दिया। आखिर हमारी सभ्यता, संस्कृति का इससे कितना विकास होता है। आज के वैज्ञानिक युग में हम देख रहे हैं जो काम हम कई दिनों मे नहीं कर सकते, वह काम एक दिन में हो जाता है, इस तरह से एक तरफ तो विज्ञान के द्वारा समय बढ़ता जा रहा है आखिर उस समय के बढ़ने का उपयोग क्या हुआ? यही इस अल्प बचत योजना का सवाल है? आखिर इस योजना से प्राप्ति क्या हुई, क्या लाभ हुआ? क्या केवल यह लालच देने से कि हम रकम का अच्छा ब्याज दे रहे हैं, इसलिये आप अपना बचत का पैसा इसमें लगाओ। आप चार, सवा चार पर्सेन्ट से ज्यादा देने वाले नहीं, वैसे ही हम गांवों में इधर से उधर पैसा देते हैं उसमें छः पर्सेन्ट तक तो हम वहीं पर कमा लेते हैं, तो ऐसी हालत में चार पर्सेन्ट आपके पास लेने के लिये कौन आयगा? यह ठीक है कि आप विकास योजनाओं में यह पैसा लगायेंगे, लेकिन विकास होता कहां है? लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस प्रकार अल्प बचत योजनाओं से कितना धन प्राप्त कर सकेंगे? यह तो बिल्कुल हास्यास्पद बात है।

अभी जैसा कि मैंने निवेदन किया आखिर आप रुपया तो लेते हैं, लेकिन उस कर्जे को चुकाने की भी कोई व्यवस्था होनी चाहिये। बात आप यह कहते हैं कि हमारे उत्पादन की ज्यों ज्यों क्षमता बढ़ती जाती है उसी अनुपात से हम धीरे धीरे इसको पे करते जायेंगे। लेकिन उत्पादन जिस मात्रा में बढ़ना चाहिये क्या वह उतना बढ़ रहा है? वास्तव में जो वस्तुस्थिति होनी चाहिये, नहीं हो रही है। मैं इस बात से इन्कार नहीं कर सकता, कुछ विकास हुआ और लैन्ड रेवेन्यु भी बढ़ी है, लेकिन जो अनुपात खर्चे का है उससे बहुत अंशों में कम है।

एक बात माननीय मन्त्री महोदय ने बड़ी

(श्री तनसिंह)

चतुराई से रखी है वह जागीरदारों को दिये जाने वाले ऋण और मुआवज़े के सम्बन्ध में है। माननीय अध्यक्ष, इस नाम को लेकर, इस प्रथा को लेकर जो मौज उड़ानी थी, जो बातें कहनी थीं वे बहुत कुछ कही जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी इस बजट में उनका नाम रख दिया गया है। हम तो यह चाहते हैं कि आप एक बार जितनी गालियां देना चाहें दे लें, फिर तो कम से कम इस चेप्टर को बन्द कर दीजिये। अफसोस मुझे यह है कि चेप्टर के बन्द होने के बजाय नये नये अध्याय खुलते हैं। हम तो यह चाहते हैं कि एक बार भर पेट गालियां निकाल लीजिये, फिर तो आप इस चेप्टर को बन्द कर दीजिये। इस प्रकार जागीरदार और जमीदारों का नाम लेकर आप उनकी आड़ में शिकार करना चाहते हैं। जागीरदारों की खामियों की आड़ लेकर शिकार करना चाहते हैं, आपको यह याद रहना चाहिये वह आड़ टूट जायगी। आपने इसमें जागीरदारों के लिये बताया कि हमें इतना रुपया उनको देना है, मेरा ऐसा खयाल है कि यह उनको ढाल बना कर शिकार खेलने का सरंजाम है। इसमें रखा गया है कि इतने करोड़ रुपये का मुआवजा जागीरदारों को देना है। मुआवजे का टोटल हिसाब लगाकर आप देखें, तो आपको पता चलेगा कि जो उनसे वसूल हुआ है, उससे ज्यादा तो नहीं दे रहे हैं; उनकी नेट इन्कम से ज्यादा नहीं दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप यह कैसे कह रहे हैं कि इतना-इतना रुपया उनको देना है इसलिये बजट पर प्रभाव पड़ता है, यह तो ऐसी बात है जबरदस्ती को किसी को खड़ा कर दिया और उस पर सवार हो गये। यह ऐसी बात है। अगर आप जागीरें लेते नहीं और बिना लिये मुआवज़ा देने की बातें करते तो आपका यह आरग्यूमेन्ट साउन्ड होता, आपने उनकी जागीरें ले लीं, उनसे आप रुपया वसूल कर रहे हैं और उसी रुपये में से कुछ रुपया आप मुआवज़े की तौर पर उनको दे रहे हैं तो इसमें बड़ी बात क्या है, इससे आप पर अतिरिक्त भार क्या पड़ा ? जो लोग मुआवज़ा नहीं ले रहे हैं, उनका एक्युमुलेट हो रहा है वह आपके कोष में जमा है। मैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना चिन्तित राजस्थान की वित्तीय स्थिति से हूं उतना चिन्तित किसी और से नहीं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद २९३ के सब-आर्टिकल (१) में एक बात स्पष्ट है : "239 (1). Subject to the provisions of this article, the executive power of a State extends to borrowing within the territory of India upon the security of the Consolidated Fund of the State within such limits, if any, as may from time to time be fixed by the Legislature of such State by law and to the giving of guarantees within such limits, if any, as may be so fixed."

हमारे माननीय वित्त मंत्री हमें धैर्य रखने का कहते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं, धैर्य रखते-रखते बहुत अर्सा हो गया, अब हम में धैर्य रखने की क्षमता नहीं है. राज्य पर करोड़ों रुपयों का कर्जा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ टैक्स बढ़ाने की बातें होती हैं, उस पर क्रिटीसिज़म जब किया जाता है तो उस पर मुंह बन्द करने की बातें होती हैं। जहां हमने इतना रुपया कर्जा लिया है, अब हमें धैर्य नहीं, इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद २९३ के अन्तर्गत "बोरो लिमिट" गवर्न-

Page No.61

(श्री मानसिंह)

मेन्ट में तय करनी चाहिये, उस निर्धारित रकम से ज्यादा कर्जा ले नहीं सकते और वह भी "बोरो" करने की लिमिट लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित की जानी चाहिये ।

आजतक हमने इस प्रकार की राशि का निर्धारण नहीं किया । यह हो सकता है कि विधानके निर्माण के पहले और विधान-सभाओं के निर्माण के पहले किसी भी प्रकार की लिमिट निश्चित की गई हो । लेकिन विधानके अनुसार हमारे यहां इस प्रकार कर्जे को लेनेकी कोई लिमिट तय नहीं की गई, यह हमको अन्धकार में रखने का प्रयास किया गया है। हमारा यह प्रीविलेज हैं कि हमें निश्चित रूपमें इसकी सीमा बांधनी होगी और उसी सीमा के अन्तर्गत राज्य सरकार बोरो करे । उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से मन्जूरी मांगे ।मेरा यह ख्याल है कि जब तक लिमिट का कोई बन्धन नहीं होगा हम धैर्य रख नहीं पायेंगे। अन्त में वित्त मंत्री महोदय को यह अनुरोध करते हुए कि आप इस प्रकार की लिमिट्स के बारे में कोई कानून लेजिस्लेचर में लायेंगे और उसी के अनुसार आप कर्जा ले सकें, अन्यथा हम यह समझेंगे कि हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है । इस-लिए हम इस उत्तरदायित्व में सम्मिलित नहीं हो सकते । पैसा आप दनादन लिये जा रहे हैं और उसी के फलस्वरूप आप टैक्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो बातें मैंने कही हैं, वे चार मुद्दों पर ही कही हैं । मैंने और अधिक इस बजट को छेड़ा नहीं है । इन चार बातों को लेते हुए मैंने अपने भाषण को समाप्त किया है । आप कम से कम आर्टिकल २९३ के अनुसार शीघ्राति-शीघ्र ऐसा कानून लायेंगे कि आप कर्जा लेने की इस आदत से गुरेज करें और अंकुश लगा सकें उस आदत पर और इससे शायद संभव हो सकेगा कि हम अधिक कर्जे में डूबते नहीं जाएं ।

इतना ही निवेदन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : श्री फतहसिंह ।

श्री फतहसिंह (भीम) : अध्यक्ष महो-दय, मुझे इस सदन में विरोधी दल के साथ बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन केवल इसी दृष्टिकोण से माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट का बहि-ष्कार करना अनुचित, अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण कार्य होगा । मैं इस बजट में, राजस्थान सरकार का राजस्थान में कल्याण कारी राज्य की स्थापना की भावना के लक्ष्य को छिपा हुआ देखता हूं, इसके लिए मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि अपनी ओर से मन्त्री महोदय अथवा राजस्थान सरकार को अपना धन्यवाद और बधाई दूं । हां, अलबत्ता वह बात दूसरी है कि अपने इस लक्ष्य की पूर्ति में राजस्थान सरकार कहां तक सफल हो सकेगी, यह बतलाऊं ।

अध्यक्ष महोदय, योजनाओं और प्रशा-सकीय कार्यों की सफलता का मूलभूत आधार, जन सहयोग और जनता का शासन के प्रति विश्वास होता है । इस विषय पर मैं अपने विचार प्रगट करूं कि क्या हमारे वर्तमान प्रशासकीय ढ़ांचे को जनता का सहयोग और विश्वास प्राप्त है या नहीं, इससे पूर्व, मैं सदन का कुछ टाइम लेकर, प्रशासन की उन विशेषताओं और कलाओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनमें निपुणता प्राप्त करने के बाद ही प्रशासन कहलाता है और अपने इष्ट की सिद्धि प्राप्त करने में समर्थ होता है ।

Page No.62

(श्री फतहसिंह)

अध्यक्ष महोदय, हमारे और नीतिकारों ने यह बताया है कि सृष्टि के आरम्भ में सर्वत्र मत्स्य न्याय था। जिस प्रकार से बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है उसी प्रकार से शक्तिशाली दुर्बल को सताता था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी। सब जगह अन्याय, दुराचार और नृशंसता का बोलबाला था। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये शासक की आवश्यकता हुई और प्रशासन व्यवस्था कायम की गई।

अध्यक्ष महोदय, हमारे आदि ग्रन्थों वेदों में भी प्रशासन व्यवस्था का उल्लेख आया है। ऋग्वेद में लिखा है कि इन्द्र शक्ति अर्थात् प्रशासन शक्ति, मायावियों, विरोधियों और शोषकों से शोषितों की रक्षा करे। इन्हीं भावों को अथर्ववेद में और भी सुन्दर ढग से दर्शाया गया है। वहां लिखा है कि जिस प्रशासन में नागरिक सुरक्षित होते हैं, रहने के लिये आवास की व्यवस्था होती है, धन-धान्य से सम्पन्न होते हैं और आध्यात्मिक तथा भौतिक उन्नति करते हैं, उसी प्रशासन में जनता को विश्वास होता है और उसी प्रशासन को प्रजा आशीर्वाद देती हुई उसके दीर्घायु होने की कामना करती है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले मैं महाकवि कालिदास के काव्यों की रचना पढ़ रहा था और मैंने रघुवंश में पढ़ा कि रक्षा, शिक्षा और भरण-पोषण देने वाला राजा दिलीप ही प्रजा का पिता था। अन्य माता पिता तो केवल जन्म दायक मात्र थे। कितना सुन्दर सम्बन्ध था प्रजा और राजा का, शासक और शासित का कि वे आपस में एक दूसरे को पिता और पुत्र समझते थे। इसका कारण केवल एक ही था कि उनमें परस्पर अटूट विश्वास था। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हमने देखा है और हमारे ग्रन्थों में मिलता है कि जनता और शासन का सम्बन्ध विश्वास पर ही निर्भर होता है और जब यह जनता का विश्वास शासन से उठ जाता है, तो प्रजा दुखी हो जाती है। अध्यक्ष महोदय, कोटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजधन मधु है और राजकर्मचारी मक्खी और उनके लिए स्वाभाविक है कि अवसर पड़ने पर राजधन और मधु का अपव्यय कर जावें, उनको चाट जावें। जिस प्रकार से, पानी में प्रविष्ट मछली पानी पीती हुई नजर नहीं आती, उसी प्रकार राजपद पर नियुक्त किया गया कर्मचारी राजधन का अपव्यय करते हुए और जनता को सताकर घूस लेते हुए आसानी से नजर नहीं आता। इसलिए यह प्रशासन का सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि इस प्रकार के अपव्यय से जनता को बचावे और जनता जिस घूसखोरी से पीड़ित होती है, उससे भी उसकी रक्षा करे।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासन एक कला है, एक मशीन के समान है। उदाहरण के तौर पर एक सवारी की मोटर गाड़ी की मशीन को लीजिये। मोटर गाड़ी की मशीन का निर्माण एक इन्जीनीयर के मस्तिष्क की देन है। लेकिन अगर उस मशीन के कल-पुर्जे, उसकी देखभाल करने वाले ड्राइवर, कन्डक्टर, या खलासी में से कोई भी अपने कर्त्तव्य से गिर जाते हैं, काम करना छोड़ देते हैं, तो उस मशीन से मोटर गाड़ी में बैठने वाली सवारियों का विश्वास उठ जाता है। यही हाल हमारे प्रशासन का है

१.५६ म० प०

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(श्री फतेहसिंह)

हमारे मन्त्री मण्डल के सदस्य प्रशासन केमूर्धन्य स्थान में, जयपुर में बैठते हैं, वे योजनाएं बनाते हैं, राजस्थान को समृद्ध और सम्पत्तिशाली बनाने के लिए, प्रशासन का संचालन करने के लिए नीति भी निर्धारित करते हैं योजनाओं को चलाने के लिए और प्रशासन को चलाने के लिए धन-राशि की आवश्यकता होती है। इस विधान सभा में वाद-विवाद के बाद धन-राशि स्वीकृत होती है। लेकिन अगर योजनाओं को चलाने वाले जो इन्जीनीयर हैं, ओवरशियर हैं, ठेकेदार हैं, और दूसरे कारीगर कर्मचारी हैं वे सभी अपनी अपनी चुंगी मांगने लगें, रिश्वतखोरी में पड़जावें तो वह योजना असफल हो जावेगी और राज का धन बेकार चला जावेगा। यही हाल प्रशासनिक मशीन का है। प्रशासन की मशीन एक जंजीर के समान है। उसमें अगर एक कड़ी भी टूट जाती है तो सारी जंजीर खराब हो जाती है। मैं मानता हूं कि हमारे मन्त्री मण्डल को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनको एक सड़ी गली, पुरानी प्रशासनिक मशीन विरासत में मिली है परन्तु फिर भी आखिर यह उन्हीं का उत्तरदायित्व है कि वे उस मशीन को सुधारें। आज मंत्री मण्डल द्वारा नीति निर्धारित होगी लेकिन अगर निम्नतम श्रेणी के कर्मचारी अपना कर्त्तव्य करना छोड़ दें, और गांव का पटवारी और चौकीदार जनता को सताने लग जावें, रिश्वत लेने लग जावें तो उसका आखिर उत्तरदायित्व हमारे शासन के मूर्धन्य प्रस्थान पर जो बैठे हैं उनका ही होता है। अध्यक्ष महोदय, इतनी बात कहने के बाद अब यह सदन को ज्ञान हो गया होगा कि संक्षेप में मैंने बताया है कि प्रशासन की ऐसी कौन सी कलाएं हैं जिनमें प्रशासन को निपुणता हासिल करना आवश्यक होता है।

अब इतना कहने के बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या हमारे वर्तमान प्रशासनिक ढांचे को जनता का सहयोग और विश्वास प्राप्त है या नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं और बहुत सोच-विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे प्रशासन को जनता का उतना सहयोग और विश्वास प्राप्त नहीं है जितना कि होना चाहिए और अगर मैं आगे बढ़ता हूं और यह कहता हूं कि दिन प्रति दिन इस प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास घटता जा रहा है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब मैं इस कथन को केवल यहीं छोड़ दूं और इसकी पुष्टि में कोई दृष्टान्त नहीं दूं तो यह तर्कहीन बात होगी। इसलिये आपके माध्यम से मैं सदन के धैर्य की भिक्षा मांगता हुआ, कुछ दृष्टान्त देना पसन्द करूंगा, जिससे यह साबित होगा कि छोटी छोटी बातें उग्र रूप धारण कर लेती हैं जिससे प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास उठता जाता है। अध्यक्ष महोदय, श्री सोरी, उपाध्यक्ष महोदय, पिछला बजट अधिवेशन १८ मई, १९५७ को समाप्त हुआ था। जब तारीख ३ जून, ५७ को मेरे क्षेत्र के केन्द्र भीम में मैं पहुंचा तो मुझे ज्ञात हुआ कि बालाचाराट की एक १५ वर्षीय किसान कन्या को भीम पुलिस थाना के उदयसिंह नामक कान्सटेबल ने बहला फुसला कर फरार किया और उसको वहां से टाडगढ़ ले गया, जहां तारीख २९-३० मई की रात्रि को भीम थाने के ३ कांस्टेबलों ने और ब्यावर के दो मोटर कर्मचारियों ने उस किसान कन्या के साथ बलात्कार किया। उपाध्यक्ष महोदय, इस वीभत्स काण्ड की पुनरावृत्ति ३०-३१ मई की रात्रि को भीम में हुई जहां भीम पुलिस थाने के चार पुलिस

(श्री फतहसिंह)

कान्सटेबल्स ने पुनः उस लड़की के साथ बलात्कार करके अपना मुंह काला किया...

श्री उपाध्यक्ष : Has it some relation to the proceedings or is it quite a new matter ?

श्री फतहसिंह : Quite a new matter.

श्री उपाध्यक्ष : Now to be introduced ?

श्री फतहसिंह : yes, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : The procedure is that new matter, not connected with the debate as well as not connected with the proceedings should not come on record

श्री फतहसिंह : It is an example, Sir, which I am giving of the atrocities by administration which lead to create dis-satisfaction and dis-trust in the minds of the people regrding the administration.

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछता हूं कि जब एक विधान सभा के सदस्य को यह मालूम होता है कि ऐसी घटना हुई है और वह विधान सभा का सदस्य जो उस क्षेत्र का समाजिक कार्यकर्ता भी है तो उसका क्या कर्त्तव्य हो जाता है; जब मुझे यह ज्ञात हुआ तो मैं शीघ्र ही स्थानीय एस० एच० ओ० श्री नारायणसिंह से मिला और उनसे निवेदन किया कि इस मामले में उचित कार्यवाही करें। लेकिन उन्होंने इस बात को टाल दिया; मैं फिर उस लड़की के माता-पिता और अन्य संबंधियों से मिला तो ज्ञात हुआ कि जो सूचना इस बलात्कार के कांड की मुझे मिली थी वह अक्षरशः सही और सत्य थी। फिर उस लड़की और उसके पिता के साथ तारीख ४ जूनको मैं पुनः भीम के स्टेशन हैड-ऑफिसर से मिला और उनसे निवेदन किया कि लड़की की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की जाय। लेकिन थानेदार साहब ने उस बात को टाल दिया और उल्टी दबी हुई जबान में मुझे एक धमकी दी कि मेजर साहब पुलिस वालों के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाने का परिणाम अच्छा नहीं होता। खैर, वह परिणाम अच्छा होता या नहीं इस संबंध में मैं सिर्फ यहां सरसरी तौर से केवल इतना ही कहूँगा कि मेरे व इस लड़की की मदद करने वालों पर भीममें एक फौजदारी मुकदमा चलाया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि ऐसे विवाद जिस समय कटमोशन्स का समय आये, उस समय करें तो अधिक उपयुक्त होगा। यदि ऐसे इन्सटान्सेज़ से इस समय वंचित रह जाये तो उपयुक्त होगा।

श्री फतहसिंह : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा और इन दृष्टान्तों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

खैर, उपाध्यक्ष महोदय, उस लड़की ने टाडगढ़ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस के चार कॉन्सटेबलों और ब्यावर के दो पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा ३६६, ३७६ में मुकदमा दर्ज किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो घटनाएं हुई हैं वह हमारे शासन के लिए अशोभनीय है। इस पर मैं बोलना चाहूंगा। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो प्रशासन की तरफ से, पुलिस के उच्चाधिकारियों की तरफ से यह कोशिश की गई कि उस मुकदमे को दबा दिया जाय और अन्त में

(श्री फतहसिंह)

मुकदमे को दबा दिया गया और उस लड़की को यह सूचना दे दी गई कि सुबूत की कमी के कारण तुम्हारा मुकदमा दाखिल दफ्तर कर दिया गया है। मैंने इस विषय में आई. जी. साहब से और दूसरे अधिकारियों से टेलीफोन पर बात की और यहां तक कि जयपुर में मैंने यहां आकर आई. जी. से निवेदन किया कि पुलिस के जांच अधिकारियों ने जान-बूझ कर उन लोगों के बयान नहीं लिये हैं जिनके बयान लेने से पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा साबित होता। खैर, यह हुआ और इस प्रकार से मुकदमे को दबा दिया गया।

दूसरा उदाहरण, उपाध्यक्ष महोदय, अभी हाल का ही है, बड़ा ताजा ही है। वह मेरे क्षेत्र का है। पीपली नामक गांव से एक लड़की को फरार किया गया, उसको वहां से देवगढ़ ले जाया गया। वहां से सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लड़की को पुलिस के कब्जे में से बरामद किया तो पता चला कि उसके साथ ३-४ दिन तक पुलिस वालों ने, जिनमें देवगढ़ के हैड कॉन्स्टेबल सुलतानसिंह और भीम के एस. एच. ओ. श्री नारायणसिंह का नाम विशेष तौर से उल्लेखनीय है, बलात्कार किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि इन दो पुलिस अधिकारियों को अपने-अपने स्थानों से बदल दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : Is it based on hearsay evidence or...

मेजर फतहसिंह : No, Sir, I have got the knowledge of it and it has been published in the newspaper also.

श्री उपाध्यक्ष : You will excuse me, but a reference to a newspaper or a report based on a newspaper should not be debated. You will proceed with other items of your speech.

मेजर फतहसिंह : It is an incident of my constituency and so I have got reliable information of it and I should be allowed to speak on it, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : The Hon. Member will kindly understand me. The information is based on certain newspaper reports. Therefore, it is not relevant to the debate and I am constrained not to allow it.

मेजर फतहसिंह : It is based on my personal information as well as on the newspaper.

श्री उपाध्यक्ष : I hope you will understand the observations of the Chair.

मेजर फतहसिंह : Yes, Sir, it is based on my information and personal enquiry also.

श्री उपाध्यक्ष : As lawyers we are expected to know what personal knowledge is and what personal information is ?

मेजर फतहसिंह : It is a reliable information, Sir. I have made enquiry.

श्री उपाध्यक्ष : Anyhow, you will please be a little cautious on this issue.

मेजर फतहसिंह : I am an M.L.A. of that constituency, Sir, and so

(श्री फतहसिंह)

what I am saying should be accepted on my information reliable information, Sir.

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार की एक तीसरी घटना भी हुई है, जिसका उल्लेख एक अखबार में आया था, लेकिन उसकी पूरी जानकारी मैंने खुद ने नहीं की है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इन दृष्टान्तों को समझाने के लिए आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान त्रेता युग के रामायण काल की तरफ ले जाना चाहता हूं। राम को वनवास होता है और सीता को रावण हरण करता है और राम, सीता को ढूंढते ढूंढते वानरों की राजधानी किष्किन्धापुरी में पहुंचते हैं जहां उनकी सुग्रीव से मित्रता होती है। जब सुग्रीव राम को कहता है कि उसकी पत्नी को बाली ने बलात् हरण कर लिया है तो राम बालि से युद्ध करके उसका वध कर देते हैं और जब बालि का वध हो जाता है तो बालि कहता है,

"मैं बैरी सुग्रीव पियारा,
कारण कवन नाथ मोहि मारा।"

इसका उत्तर राम कितने सुन्दर शब्दों में देते हैं :

"अनुज वधू भगिनी सुत नारी,
सुनु सठ ये कन्या सम चारी।
इन्हें कुदृष्टि विलोकेई जोई,
ताहि बधें कुछ पाप न होई।"

अर्थात् पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखने वालों का वध करने में भी कोई पाप नहीं होता। उपाध्यक्ष महोदय, हम महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, के पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं; महात्मा गांधी की यह कामना थी कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद रामराज्य के आदर्श से चलने वाला प्रशासन स्थापित हो। राम ने क्या किया था? उन्होंने बड़े से बड़े आदमी को, जो आततायी था, चाहे वह राजा हो क्यों न था, समय का सबसे बड़ा दण्ड दिया, उसको मौत की सजा दी। मैं यह कभी नहीं कहता कि हमारे अधिकारियों या जिन लोगों के खिलाफ, पुलिस के या दूसरे कर्मचारियों के खिलाफ यदि इस प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं तो उनको एकदम फांसी पर चढ़ा दिया जाय, लेकिन मैं खास तौर से जो कहना चाहता हूं वह बात यह है कि क्या हमारे प्रशासन में दो कानून हैं? कानून एक तो सर्वसाधारण नागरिकों के लिए और दूसरा कानून राज्य कर्मचारियों और पुलिस वालों के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आज इस प्रकार की घटनाएं हुई होतीं और एक साधारण नागरिक के ऊपर इस प्रकार के आरोप लगाये गये होते तो एकदम प्राइमाफेसी केस होने के कारण उस आदमी को जेलखाने में नहीं डाल दिया गया होता, अवश्य डाल दिया गया होता। इसलिए मैं आपकी मारफत यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा प्रशासन राज्य कर्मचारियों और सर्वसाधारण नागरिकों को एक दृष्टि से देखें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व आपके माध्यम से हमारे शासक वर्ग को एक बात सलाह के रूप में कह देना चाहता हूं। शासक वर्ग हमेशा यही समझे कि प्रजा के सुख में ही उनका सुख है और प्रजा के हित में ही उनका हित है। वे यह अच्छी तरह समझ लें कि उनकी पृथक कोई प्रिय और हितकारी कार्य नहीं होता। जो प्रजा को प्रिय और हितकारी कार्य लगता है वही शासन के लिए प्रिय और हितकारी कार्य होता है। आपको पता होगा कि आचार्य

(श्री फतहसिंह)

कौटिल्य ने भी ढाई हजार वर्ष पूर्व अपने अर्थ शास्त्र में लिखा था:-

"प्रजा सुखे सुखम् राज्ञः
प्रजानाम् च हिते हितम्,
नात्मप्रियं हितं राज्ञः
प्रजानाम् तु प्रिय हितम् ।"

आपने इस प्रकार बताया है कि जब प्रजा दुखी होती है और प्रजा के हितों की रक्षा नहीं होती है तो फिर असन्तोष फैलता है, लोग नाराज हो जाते हैं, उनका शासन पर से विश्वास उठ जाता है और जब शासन पर से विश्वास उठ जाता है तो:—

"जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी,
सो नृप अवस नरक अधिकारी ।"

का फल सामने आता है । कुशासन और दुष्ट शासक दोनों का नाश होता है । मैं यह कहूँगा कि मैं यह कोई नई बात नहीं कह रहा हूं । हमारे इतिहास और पुराणों में इस प्रकार के किस्से, कितने ही आये हैं । महाभारत में भी इस प्रकार का जिक्र आया है कि असन्तुष्ट जनता ने आततायी शासक को समाप्त किया, उसका दमन किया । इस विषय के ऊपर सिर्फ सदन का ध्यान बेनु नाम के एक राजा की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसको ऋषियों ने मारा क्योंकि वह आततायी था....

श्री उपाध्यक्ष : Appearing in what book ?

मेजर फतहसिंह : That has appeared in the Maha-Bharat which we have all read, Sir.

तो, उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं आपके मारफत प्रशासन को चलाने वाले, और खास तौर से मन्त्री मण्डल से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विचारों को केवल आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं देखकर पीछे इसके जो रचनात्मक दृष्टिकोण छिपा हुआ है उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे समाज, राजस्थान और हमारे प्रशासन का भला होगा, क्योंकि आखिर प्रजा सुखी होगी, जनता सुखी होगी, जनता सन्तुष्ट होगी तभी तो जनता का सहयोग हमें प्राप्त हो सकेगा और जनता का शासन के प्रति विश्वास होने से ही हमारी बड़ी बड़ी योजनायें सफल हो सकेंगी, अन्यथा कदापि नहीं । इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

२. १६ म० प०

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष, हमारे सामने १६।। लाख रुपये की बचत का यह बजट प्रस्तुत है । यदि हम विस्तार से वित्तमंत्री महोदय के भाषण पर विचार करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि योजना आयोग के निदर्शन के अनुसार हमारी राज्य सरकार ने और वित्त मंत्री महोदय ने हमारे यहां के बजट की रचना की है । यह सत्य बात है कि योजना आयोग ने यह स्पष्ट निर्देश कर दिया कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस समय कोई ऐसी योजना नहीं बनाई जानी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा से भरी हुई हो और जिनके लिए राज्य सरकार स्वयं कोई आर्थिक व्यवस्था कर सकने की स्थिति में नहीं हो । यही कारण है कि अभी तक हिन्दुस्तान के जितने भी राज्यों के बजट अब तक हमारे सामने आये हैं, उन सब में कम ज्यादा इस स्थिति का निर्देशन मिलता है कि उन्होंने इस वर्ष बजट में इतनी महत्वाकांक्षा से भरी हुई कोई योजनाएं नहीं रखी हैं और घाटे का बजट जो आज तक पेश होता आया है, उनको

(श्री मनोहर कोठारी)

जहां तक संभव हुआ सर्वत्र टाला गया है। यह ऐसी स्थिति है कि जिस पर वास्तव में विचार करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो विकास के काम हैं उन पर ही केन्द्रीय सरकार हमें इस बार सहयोग कर सकती है उसके अतिरिक्त दूसरे कामों में केन्द्रीय सरकार से हमें एड या सब्सिडी के रूप में अधिक रकम मिलने की आशा भी नहीं करनी चाहिये, ऐसा हमारे वित्त मंत्री महोदय के भाषण से स्पष्ट प्रतिध्वनित होता है। इसलिए यह तो बिल्कुल स्वभाविक है कि जो बजट हमारे सामने आया है, वह एक संतुलित बजट है, और संतुलित इसलिए कहा जाता है कि १६॥ लाख की जो इसमें बचत बताई गई वह कोई ज्यादा ऐसी बचत नहीं है। इसके अतिरिक्त बचत का बजट बनाने के लिये राज्य सरकार ने कोई बहुत भारी कर भी नहीं लगाये हैं। यद्यपि संतुलित करने के लिए बजट में दोहरे प्रयत्न किये गये हैं, एक तो यह है कि जो कुछ भी हमारे यहां पर खर्चे की मदें हैं उन मदों में करीब तीस लाख रुपये की कमी की योजना है और दूसरी ओर ८० लाख के नये कर प्रस्तावित किये गये हैं। यदि हम वास्तव में देखें तो कुछ लोगों का अनुमान सही उतरता है कि जो बजट हमारे सामने एक बचत का बजट बताया गया है वह सही माने में बचत का बजट न होकर घाटे का ही बजट है, इसलिए कि जो एक बड़ी रकम लगभग १॥ करोड़ जागीरदारों को मुआवजे के रूप में अथवा बोन्ड्स के व्याज के रूप में अथवा पुनर्संस्थापन के भत्ते के रूप में देंगे वह रकम पूंजीगत खाते में डाली गई है, जबकि नियमानुसार उसको राजस्व व्यय के खाते में डाला जाना चाहिये। यदि पूंजीगत राजस्व की आमदनी में से जागीरदारों को चुकाई जाने वाली रकम खर्च की जायगी तो इसका असर हमारे विकास के कार्य पर पड़ने वाला है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इससे विकास के कार्यों में कुछ अड़चनें, कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि जो रकम विकास की दृष्टि से मिल सकती है वह रकम उन जागीरदारों के मुआवजे आदि में खर्च हो जायेगी, विकास के आवश्यक कार्यों को पूरा करने का तरीका क्या होगा ?

अब सवाल यह रहता है जिस स्थिति में आज बजट हमारे सामने आया है, तथा हमारे अभी सीमित साधन हैं, उन साधनों को ध्यान में रखते हुए भी अल्प वेतन भोगियों के लिये राहत देने का ध्यान भी राज्य सरकार ने रखा है और वह राहत इस दृष्टि से कि जिनकी आमदनी या वेतन ४०० रु० से नीचे है उन लोगों को महंगाई भत्ते की आधी रकम मूल वेतन का अंग मानने की छूट दी गई है। मैं समझता हूं आम लोगों और उन कर्मचारियों को भी जिन्हें आगे चल कर निश्चित रूप से लाभ होगा, इससे अभी सन्तुष्ट नहीं हैं। इसका खास कारण यह है कि आज उनको इस व्यवस्था से सीधा लाभ नहीं मिल सकता। उसका लाभ जब वे नौकरी से मुक्त होंगे अथवा आगे जाकर पेन्शन और ग्रेच्युटी की स्थिति आयेगी तब उनको मिलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि यात्रा के भत्ता बिलों पर कुछ लोगों को वर्तमान में भी इसका लाभ मिल सकता है। लेकिन जब आज कर्मचारी इस बात को सोचते हैं कि जब मूल वेतन में महंगाई भत्ता आधा जुड़ जायगा, तब उससे जो लोग प्रभावित होंगे उनको बीमा और मकान लोन की किश्तों की रकम ज्यादा देनी पड़ेगी। इस अनुपात से आज जो रकम सीधी कर्मचारियों की जेब में आती है वह कम आयगी।

(श्री मनोहर कोठारी)

जहां तक नये करों को प्रस्तावित करने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि हमारे वित्त मंत्रीजी ने इस बात का ध्यान रखा है कि किसी प्रकार के भारी और भरकम कर न लगाये जांय जो जनता की कमर तोड़ दें, उस जनता की जो पहले से ही गिरी हुई स्थिति में हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कर हैं जिनसे पैसे वालों और गरीबों, अमीरों और निर्धनों दोनों पर बराबर असर पड़ सकता है। इस सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मनोरंजन कर से ३ लाख रुपये वसूल करने की व्यवस्था किस श्रेणी के दर्शकों से, किस आधार पर की जायगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं है। साधारणतः दूसरी और तीसरी श्रेणी में गरीब लोग जाते हैं; यदि उन पर मनोरंजन कर का अधिक बोझ डाला गया तो वह अनुचित भी होगा और अवैज्ञानिक भी। मैं समझता हूँ वित्त मन्त्री जी से उम्मीद रखनी चाहिये कि छोटे गरीबों पर मनोरंजन कर नहीं बढ़ाया जायगा बल्कि ऊंची श्रेणी के दर्शकों पर अधिक कर लगा कर ३ लाख की आय पूरी करनी चाहिये।

इसके अलावा जो बिक्री कर की सूची हमारे सामने आई है, उसमें कुछ ऐसे आवश्यक पदार्थ भी जोड़े गये हैं जिन्हें नहीं जोड़ा जाता तो ज्यादा उपयुक्त होता। उदाहरण के तौर पर जूते और स्टेशनरी आदि को ले लीजिये जो आम जनता के काम में आनेवाली चीजें हैं और उन्हें सूची में जोड़ा गया है। होना तो यह चाहिये कि छोटे लोगों और गरीब विद्यार्थियों के काम में आनेवाली चीजों हैं उन पर कर वृद्धि करने के स्थान पर विलासिता की चीजों पर अपेक्षाकृत भारी कर लगाया जाना चाहिये। प्लास्टिक की चीजों पर जो कर बढ़ाया है उसके लिये मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जूतों और स्टेशनरी पर की गई कर वृद्धि उचित नहीं कही जा सकती है। फिर भी इस बात की खुशी है कि पंजाब प्रान्त में जिस तरह से बिक्री कर खास करके खाल और बिनोला आदि चीजों पर जो आम किसानों से सम्बन्धित हैं, लगाया है, उस तरह से हमारे यहां पर इन चीजों पर कोई कर नहीं लगाया गया है। इसके लिये मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ।

शराब पर ज्यादा ड्यूटी लगाई जा रही है यह ठीक है, किन्तु इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ। यह सौभाग्य की बात है कि आज एक ओर जहां शराब पर ड्यूटी बढ़ाई जाती है, वहां दूसरी ओर प्रोहिबिशन के लिये सदन के सामने प्रोहिबिशन बिल भी आता है। इससे हम अन्दाज लगा सकते हैं कि हमारी सरकार प्रोहिबिशन के काम को हाथ में लेकर वास्तव में तेज़ी से उस पर अमल करने का विचार भी रखती है। लेकिन एक बात और सोचनी है और वह यह कि देशी शराब पर टैक्स बढ़ाया है। मैं समझता हूं टैक्स बढ़ाने से ही, जैसी कि वित्त मंत्री जी ने संभावना व्यक्त की है, शराब की खपत कम होगी, प्रोहिबिशन ज्यादा सफल हो सकता है, इसमें सच्चाई कम है, मैं इन विचारों से सहमत नहीं हो सकता। देखा गया है कि अधिकांश गांवों में गरीब लोग शराब पीते हैं। वे लोग शराब विलासिता की दृष्टि से पीते हों ऐसा नहीं है, बल्कि मेरी निश्चित मान्यता है कि वे लोग निरक्षर हैं और उनके जाति-रिवाज कुछ ऐसे हैं, इसलिये वे शराब पीते हैं। इसलिये जब तक सामाजिक और जाति सुधार नहीं किया जायगा और जब तक उनको शिक्षित नहीं किया जायगा तब तक, मैं समझता हूँ, केवल शराब की रेट में

(श्री मनोहर कोठारी)

वृद्धि करने मात्र से ही इस समस्या का समाधान नहीं होगा। अंग्रेजी शराब पर टैक्स में और ज्यादा वृद्धि करनी चाहिये क्योंकि गांव के लोगों के बारे में हम यह कह सकते हैं कि वे निरक्षर हैं और जाति-रिवाज उनका ऐसा है कि जिसके कारण वे शराब पीते हैं या पिलाते हैं, उन पर हम रहम भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पढ़े लिखे हैं, शहरों में रहते हैं और जो लोग होटलों में अंग्रेजी शराब का इस्तेमाल करते हैं वे विलासिता की दृष्टि से शराब पीते हैं। उन पर विशेष टैक्स बढ़ाना आवश्यक था। मैं आशा करता हूं, कि इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी दुबारा विचार करेंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा।

इसी तरह की बात अफीम के बारे में भी कही जा सकती है। बताया गया है कि २० लाख रुपयों के लगभग अफीम की खपत कम होगी और इससे जो राज्य सरकार को नुकसान होगा वह एक्साइज़ ड्यूटी से पूरा किया जायगा। मैं समझता हूं अफीम के बारे में भी उसी दृष्टि से सोचना आवश्यक है कि जिस तरह से गांवों में लोग शराब सामाजिक कारणों से पीते हैं; उसी तरह से आम तौर से गांवों में दूसरे सामाजिक नियमों के कारण शादी, विवाह और मृत्यु के अवसर पर लोग अफीम काम में लेते हैं। मैं जानता हूं कि सामान्यतया कई लोग अफीम नहीं खाते, लेकिन जब उनके घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो सामाजिक नियमों के कारण आगन्तुकों के स्वागतार्थ उन्हें अफीम घर में मंगानी पड़ती है। जो लोग आदतन अफीम खाते हैं उनमें नशा-बन्दी प्रचार करने की आवश्यकता है। जिस तरह से शराब बन्दी के लिये सर्वत्र प्रचार की आवश्यकता अनुभव की जाती है; उसी तरह से अफीम बंदी के लिये भी प्रचार की आवश्यकता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि कई ऐसे गांव हैं जहां पर अस्पताल नहीं खोले गये हैं वहां पर कई छोटी-मोटी बीमारियों के निराकरण के लिये अफीम काम में ली जाती है और कई वृद्ध लोग जिनकी हिम्मत कम हो गई है, वे अफीम के सहारे जिन्दा रहते हैं, ऐसी भी मान्यता है। इसलिये मैं समझता हूं कि हमें इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि उन गरीब आदमियों को जो ज्यादा उम्र के हैं और जो अफीम बिना जिन्दा नहीं रह सकते, उन पर कर का अनावश्यक बोझ न पड़े।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : आपके लिये भी इन्तजाम करदें?

श्री मनोहर कोठारी : (जारी) जी नहीं मुझे जरूरत नहीं। जयपुर में अफीम का ज्यादा कंजम्पशन हो ऐसा नहीं लगता, गांवों की बात चल रही है, इसीलिये मैंने वास्तविकता को सामने रखना है। एक सवाल जो हमारे सामने माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अल्प बचत अभियान के सम्बन्ध में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमें वर्तमान परिस्थिति में जब कि हमारे सामने भीषण आर्थिक संकट खड़ा है यह सुझाया गया है कि हम कोई सार्वजनिक ऋण न लें बल्कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति सार्वजनिक अल्प बचत योजना के आधार पर, इस सदन के सम्माननीय सदस्यों के सहयोग से और जनता के प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग लेकर करें। अब तक की प्रगति पर टीका करते हुए हमारे वित्त मंत्री ने आगे कहा है कि इस सम्बन्ध में अब तक जितना काम हुआ है वह ज्यादा संतोषजनक नहीं कहा जा सकता। इसके साथ ही साथ उन्होंने

(श्री मनोहर कोठारी)

इस बात की ओर भी स्पष्ट इंगित किया है कि अल्प बचत योजना के अन्तर्गत पूर्व में जिन व्यक्तियों ने रुपया जमा किया था, उनमें से अधिकांश वह रुपया वापिस निकाल लिया गया तथा इसकी मांग गत वर्ष असाधारण रही। इससे एक बात स्पष्ट प्रतीत होती है कि अभी अल्प बचत योजना का कार्यक्रम जो चल रहा है, उसमें धींगा मस्ती से पैसा इकट्ठा किया जाता है, जोर-जबरदस्ती से किसानों से अल्प बचत योजना का महत्व बताये बिना धन प्राप्त किया जाता है। मैंने देखा है कि जो लोग तहसील में रजिस्ट्री आदि कराने के लिए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि रजिस्ट्री कराने के पहले १० रु० अल्प बचत योजना में देना होगा, तभी डॉक्युमेन्ट रजिस्टर किया जा सकता है। इस प्रकार उनको परेशान करके पैसा लिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे अल्प बचत अभियान का मूल प्रयोजन ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना है, अथवा पर्मिट लेना है, वे परिस्थितियों के दबाव में उस समय पैसा दे देते हैं और काम निकल जाने पर वे रकम को वापिस लेने का प्रयत्न करते हैं। मैं समझता हूँ इसके लिए एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है। मैं इस सम्बन्ध में माननीय वित्त मन्त्रीजी को सूचना के तौर पर अर्ज कर देना चाहता हूँ कि मैंने अपने निर्वाचन-क्षेत्र के किसानों के घरों में इस बात की व्यवस्था की है कि वे अल्प बचत को सफल बनाने के लिए अपने-अपने यहां एक मटकी का इन्तजाम करें और उस मटकी में रोज एक मुट्ठी अनाज डाल दें, एक मुट्ठी अनाज इसलिए डालें कि देश में जो योजनायें चल रही हैं, उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में वे भी एक मुट्ठी अनाज के द्वारा अपना योगदान दे सकें। मैं समझता हूं यह तरीका किसानों के लिए और ग्राम जनता के लिए ज्यादा मुफीद हो सकता है, यदि इस प्रकार एकत्रित हुए अनाज को ग्राम सेवकों के जरिये बेचा जाकर रकम प्राप्त की जाय और उस रकम को यदि अल्प बचत योजना में लगाया जायगा तो हम सच्चे माने में इस अभियान को सफल बना सकेंगे। इससे यह लाभ होगा कि हर व्यक्ति के मन में अल्प बचत योजना के प्रति आदर उत्पन्न होगा और उसके मन में यह विचार पैदा नहीं होगा कि उससे जोर-जबरदस्ती से पैसा वसूल किया जा रहा है।

एक बात मैं और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी ने हमें एक सूचना दी है कि श्री एन. माधवराव कमेटी नियुक्त की गई है, यह कमेटी अन्य महत्वपूर्ण सुझावों के साथ ही साथ एक सुझाव यह भी देगी कि प्रशासनिक खर्चें में किस तरह से कमी की जाय। इस सम्बन्ध में एक रिपोर्ट सरकार के पास आ भी गई है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी आय के अनुमान हैं, उनको देखने से पता चलता है कि विभिन्न मदों से आमदनी का अनुमान जिस तरीके से रखा गया था, उससे बहुत कम आमदनी हुई है। इस बात को हमारे माननीय वित्त मन्त्रीजी ने भी स्वीकार किया है। हमें विचार करना चाहिये कि इसका कारण क्या है? मुझे इसका कारण यह प्रतीत होता है कि ज्यादातर लोग विशेष कर हमारी सर्विसेज़ इस बात की चिन्ता नहीं करती हैं कि जो आउट स्टेंडिंग ड्यूज़ हैं, जो रकम लोगों से लेनी है, उनको वसूल किया जाय। मैं सदन को सूचना के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि बेटरमेंट लेवी की बात हमारे

(श्री मनोहर कोठारी)

वित्त मन्त्रीजी ने कही है। मेरी मान्यता है कि बैटरमेंट लेवी की बात सुन कर, किसानों के दिल में यह शंका उत्पन्न हो गई है और वे ऐसा सोचते हैं कि अगर वे खेती में सुधार करेंगे, खेती के लिए अच्छे बीज डालेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, सिंचाई के लिए कुए खुदवायेंगे तो जिस प्रकार अधिक सुधार पर बैटरमेन्ट लेवी चार्ज की जा रही है, उसी प्रकार उत्पादन में तरक्की होने पर सरकार उनसे विशेष टैक्स वसूल करेगी। आज गांव का किसान यह सोच कर भौंचक्का है, उसे आज यह समझाने की आवश्यकता है कि बैटरमेन्ट लेवी इस तरीके से वसूल नहीं की जा रही है। मैं समझता हूं, कि वास्तव में हमें किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बैटरमेन्ट लेवी वसूल करने की बात को छोड़ना होगा। किसानों के हित को दृष्टि में रखते हुए इसे देखना होगा कि आज जब किसान अपनी ही मेहनत से केवल भर आपके सहयोग से उत्पादन बढ़ाता है तो बैटरमेन्ट लेवी चार्ज करने की बात क्यों कही जाय। आज जो लगान लिया जा रहा है वह भी ठीक नहीं है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के रूप में, किसान को एक सीमा तक छूट दी जाकर, उसके बाद अगर टैक्स लिया जाय, तो वह ज्यादा मुफीद होगा। उससे भी ज्यादा वैज्ञानिक तरीका और अच्छा तरीका यह हो सकता है कि जिस प्रकार शहर में रहनेवाले व्यक्ति से इन्कम टैक्स लिया जाता है और उसको तीन हजार की आमदनी तक छूट दी जाती है, उसी प्रकार किसान को भी तीन हजार की आय तक छूट देकर उससे अधिक हो तो लगान लिया जावे। मैं नहीं जानता कि आखिर क्या कारण है कि एक किसान एक जमीन में, जो कि उसके नाम से दर्ज है, सुन्दर ढंग से खेती करता है, उस पर लेवी चार्ज की जाय। इसके विपरीत होना तो यह चाहिये कि उत्तम खेती करने वालों को अधिक छूट दी जाये क्योंकि वह राष्ट्रीय आय बढ़ाता है। मैं आपको बताऊं कि उदयपुर में कई जगह बैटरमेन्ट लेवी की रकम चार पांच साल से वसूल नहीं हुई है और अब उसको वसूल करने की पुरज़ोर कोशिश की जा रही है। वहां के किसान किस तरह इतनी बड़ी रकम को चुका सकेंगे? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए।

एक बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि विकास का काम काफी अच्छे ढंग से, सुन्दर ढंग से चल रहा है लेकिन हमारे विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण कई बातों में सरकार को भारी आर्थिक नुकसान भी हुआ है और हमारी सरकार को उक्त आर्थिक क्षति को अकारण सहन करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सामने जो ऑडिट रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ बातें बताई गई हैं। उक्त रिपोर्ट से साफ मालूम पड़ता है कि काफी नुकसान हुआ है। उसमें एक स्थान पर डूंगरपुर माइनिंग सिन्डीकेट का उल्लेख मिलता है, इस डूंगरपुर माइनिंग सिन्डीकेट के लिक्यूडेशन के कारण ३,७१,६१४ रुपये का भारी नुकसान राज्य-सरकार को हुआ है। इसी प्रकार जब हम आगे इस रिपोर्ट का सर्वेक्षण करते हैं तो पता लगता है कि सार्वजनिक धन का कई बार अपव्यय हुआ है और अनावश्यक तौर पर उसको खर्च किया गया है। इसकी जिम्मेदारी भी न्यूनाधिक हमारे विभागीय अधिकारियों पर ही है। मैं उदाहरण के रूप में आपको निवेदन करना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में एक जगह हमें यह सूचना मिलती है कि एक ओवरफ्लो टाइप मल्टीपल आर्क बनाया गया था, इसका काम जनवरी, १९५४ में शुरू हुआ और

(श्री मनोहर कोठारी)

दिसम्बर, १९५४ में खत्म हो गया। मार्च, १९५५ में उसका अधिकारियों द्वारा इन्सपेक्शन किया गया है और कहा गया कि इसकी नींव खराब है, इसलिए उसके आगे की तरफ एक पक्की दीवार व उसके लिये मिट्टी कि दीवार डालने की योजना बनाई गई तथा उस पर खर्च किया जाता है। सन् १९५६ में वह आर्क टूट गया और सारी दीवार बह गई। इसके निर्माण में दुबारा १,८०,१५८ रुपये और खर्च करने पड़ेंगे, यह भी ऑडिट रिपोर्ट से ज्ञात होता है। मैं समझता हूँ कि जब फाउन्डेशन डालने के समय विभागीय अधिकारी वहां मौजूद रहते हैं, समय समय पर जांच करते हैं और मौके पर अक्सर जाते रहते हैं, तो फिर क्या कारण था और किस तरह से कच्ची जमीन पर नींव खड़ी करके यह दीवार बनाई गई और उसके कारण सरकार को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा? मैं जानता हूं कि इस तरह की और भी आये दिन घटनाएं हमारे सामने आती हैं। एक और सिंचाई परियोजना के बारे में निवेदन करूंगा कि एक बांध की स्वीकृति जून, १९५४ में हुई और उसका काम अक्टूबर, १९५४ में शुरू हुआ......

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आपने उदाहरण कहां का दिया था?

श्री मनोहर कोठारी : मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा और इस बांध का काम अगस्त, १९५५ में पूरा हो गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रकार की योजना थी कि पक्का काम शुरू होने के साथ ही साथ उसका मिट्टी का काम भी शुरू कर दिया जायगा, लेकिन पक्का काम समाप्त होने से एक महीने पूर्व मिट्टी का काम शुरू कर दिया गया। परिणामस्वरूप वह बांध एक ही वर्ष में टूट गया। यदि इसे वापिस बनाया जायगा, तो विभागीय अधिकारियों की राय है कि उस पर २,४७,००० रुपया खर्च करना पड़ेगा। मेरी मान्यता है कि पहले विभागीय अधिकारी अपनी जिम्मेदारी अनुभव नहीं करते और बाद में कहते हैं कि हमारे सामने फलां कठिनाई थी। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हमारी राज्य सरकार को ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए और जो इस प्रकार अनावश्यक क्षति उठानी पड़े वह उन्हीं से वसूल की जानी चाहिये।

मैं एक और उदाहरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। यह भी इरिगेशन डिपार्टमेंट से ही सम्बन्धित है। सामान्यतः यह नीयत है कि किसी भी निर्माण कार्य के लिए पांच प्रतिशत शिंकेज (Shrinkage) के रूप में रख लिया जाता है। यह शिंकेज काट कर चुकारा किया जाना चाहिये। लेकिन एक जिले का टेस्ट चैक हुआ तो चार घटनाओं का पता चलता है कि जिनमें शिंकेज नहीं कहा गया तथा उसमें करीब २०,२७७) रुपये का चुकारा ज्यादा किया गया है। इस सम्बन्ध में मुझे यह भी सूचना है कि गवर्नमेंट को फरवरी, १९५७ में सूचना दी गई लेकिन नवम्बर, १९५७ तक उसका उत्तर नहीं मिला है। उस सम्बन्ध में आगे क्या प्रगति हुई है, यह मैं नहीं कह सकता।

ऑडिट रिपोर्ट से एक बात का और पता लगता है और वह यह है कि हमारे विभागीय अधिकारी कुछ अधिक सतर्कता और होशियारी से काम लें तो मैं समझता हूं कि कई अनावश्यक खर्चे हुए हैं, उन खर्चों को बचाया जा सकता था। इस ऑडिट रिपोर्ट में एक सूचना

(श्री मनोहर कोठारी)

हमें यह भी मिलती है कि १३ अस्पतालों में मरीजों के भोजन के लिए सामान आदि खरीदा गया, उसमें राज्य सरकार का ४६,६०० रुपया ज्यादा खर्च हुआ: जो टेन्डर कम कीमत का मिला था, उसको ८ महीने तक अधिकारियों ने पास नहीं किया और नतीजा यह हुआ कि मंहगा सामान खरीदा गया और राज्य सरकार को अनावश्यक तौर पर इतना पैसा खर्च करना पड़ा।

इस ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ने से कुछ और बातें भी मालूम होती हैं- ६ अधिकारियों को नियुक्त किया जो १०००-५०-१५०० के ग्रेड में मुकर्रर किये गये, नियुक्तियां करने के बाद में फिर पता चला कि अन्य राष्ट्रों में उन्हें इस ग्रेड में नहीं रखा जा सकता तो ८५०-५०-१५०० के केडर में रखा। पर उनको पहले नियुक्त कर दिया, उनकी तनख्वाहें उस केडर में मुकर्रर की गई, इससे हमारी सरकार को ६६,००० रुपयों का घाटा हुआ।

मैं समझता हूं कि इसी तरह २६ अफसर और हैं जिनको अनावश्यक तौर पर प्रोमोशन दिये हैं जिससे सरकार को घाटा हुआ है। फाइनेन्स डिपार्टमेंट का १३,४२५ रुपये का खर्चा अनावश्यक रूप से हुआ है। सरकार ने एक पार्टी के साझे में एक बस चला रक्खी थी, वह पार्टी मर गई, सरकार ने उसका कोई-फैसला नहीं किया। अन्त में मुकदमे का खर्चा तथा व्याज आदि के रूप में और १३,४२५ रुपया सरकार को भुगतान करना पड़ा। अन्त में हमें बताया गया है कि ७ नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में परिवर्तित करने और २८ नये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड शुरू करने का प्रस्ताव है; इसके लिये हमें खुशी है।

अन्ततोगत्वा यह बजट एक संतुलित बजट है। मैंने खामियां रखी हैं; महज इसलिये रखी हैं कि उनको रोकना चाहिये। सरकार या जिम्मेदार अधिकारी इस बारे में विचार करें और अपनी जिम्मेदारी अनुभव करें तो हमारे घाटे का बजट इस सदन में पेश होने का कोई कारण ही नहीं। हमें खुशी है कि हमारा बजट घाटे का बजट नहीं है।

अन्त में एक बात की ओर इशारा करते हुए कि बजट की जो कॉपियां दी गई, वे अंग्रेजी व हिन्दी में हैं पर जो अंग्रेजी से अनुवाद किया गया है वह ऐसा लगता है कि किसी अमेरिका से आने वाले ने किया है, जहां कंवरपदा होना चाहिये वहां कांवरपाड़ा, कपासन को केपसिन, कांकरोली को कनकरोली लिखा है। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या हमारे अधिकारी हिन्दी नहीं जानते, मुझे आज कहने दीजिये....

श्री उपाध्यक्ष : शुद्धि-पत्र भी देखा कि नहीं?

श्री मनोहर कोठारी : शुद्धि पत्र नहीं है।

श्री चन्दनमल वैद : नाथद्वारा को क्या लिखा है?

श्री मनोहर कोठारी : मैंने एक-एक अक्षर ढूंढ कर निकाला है, आप विश्वास रखिये नाथद्वारा को गलत नहीं लिखा है। कई स्थानों पर एक लाइन में १० गलतियां भी हैं। हमने हिन्दी को राष्ट्रभाषा घोषित किया है, हमारे मुख्य मंत्री ने कहा है कि हिन्दी की अभिवृद्धि की जाय। क्या इस प्रकार हिन्दी की अभिवृद्धि की जायेगी, जब कि हमारे गांवों के नाम अशुद्ध और उलट-पुलट रखे

(श्री मनोहर कोठारी)

गये हैं ? तब स्वभावतः यह प्रश्न हो सकता है कि आखिर ऐसे कौन से अंग्रेजीदां हैं या वे लोग अमेरिका से आये हैं, जिन्होंने इस तरह की हिन्दी लिखी है ।

अन्त में मैं यह निवेदन करते हुए कि जो बजट हमारे सामने रखा गया है अन्ततोगत्वा आशाजनक है और अच्छा है, क्योंकि आर्थिक कठिनाइयां होते हुए भी सरकार ने हम पर कोई विशेष टैक्स नहीं डाला है ।

(अनेक सदस्य एक साथ बोलने खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : The hon'ble member to my left at the mike.

श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : राजस्थान के वयोवृद्ध वित्त मन्त्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसके आंकड़ों को देखा, भाषण को भी पढ़ा है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वित्त मंत्रीजी भाषण अच्छी तरह से दे सकते हैं और भाषण, बांटण और उद्घाटन में हमारी सरकार निपुण है । अन्त में बजट के अन्दर ४०० से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के साथ, उनके बहते हुए आंसुओं को रोकने की नीति अपनाई है पर उनके आंसू इससे रुके नहीं, उनकी इस नीति से इनको कोई इमिजियेट फायदा नहीं पहुंच रहा है । इस नीति से उन्हीं को फायदा पहुंचा है जिनकी ट्यूरिंग ड्यूटी ज्यादा है या रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनको ज्यादा पहुंचेगा, कम वेतन वालों को कोई ज्यादा फायदा नहीं पहुंचेगा । किसी आदमी का १०० रुपया वेतन है और ३० रुपया डीअरनेस अलाउन्स मिलता है, आधा डी. ए. तनख्वाह में मर्ज करने से ११५ रुपया तनख्वाह हो गई और १५ डीअरनेस अलाउन्स मिलेगा, पर इससे कटौती होने वाली है, हाउस रेंट १००) की तनख्वाह पर १० रुपया देना पड़ता है तो इससे साढ़े ग्यारह देने पड़ेंगे, लोंग टाइम में जाकर फायदा पहुंचेगा, इसके लिये एक हमारे कहावत प्रचलित है वह लागू होती है "बामण को मारे उसका नाखोज जाय" तो पहले तो ब्राह्मण को खोजा जाता है, उसके बाद ब्राह्मण को मारने वाले को खोजा जाता है, अभी तो पहले अपनी पोकेट से इन कर्मचारियों को देना पड़ता है, इन्श्योरेंस में ११५ रुपयों पर ज्यादा कटाना पड़ता है । तो इस तरह यह नीति सरकारी कर्मचारियों के बहते हुए आंसुओं को रोकने की नहीं, सिर्फ आश्वासन देने की नीति है । दूसरे इन आंकड़ों को देखते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है कि ये आंकड़े वित्त मन्त्री जी द्वारा उस समय तैयार किये गये होंगे जब कि सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष : Why to make conjectures ? You should come to the solid facts. We will not make conjectures.

श्री लक्ष्मीचन्द : साहब थोड़ा बहुत तो बताना ही पड़ेगा ।

(श्री लक्ष्मीचन्द का खड़े रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष : The Chair is on its legs.

श्री लक्ष्मीचन्द : उस वक्त माननीय वित्त मन्त्रीजी के मन में....

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़): (अश्रव्य)

श्री लक्ष्मीचन्द : मन में यह बात समाई हुई थी कि किसी प्रकार कांग्रेस एम० एल० एज़० को खुश कर दें । हम तो

(श्री लक्ष्मीचन्द)

समझते थे कि हमारे वयोवृद्ध वित्त मन्त्री जी ऐसा बर्ताव नहीं करेंगे जैसा कि कैकई ने रामचन्द्रजी के साथ वर्ताव किया था, जैसा कि उन्हें १४ वर्ष का वनवास दिया, हमारे वयोवृद्ध वित्त मन्त्रीजी ने अपोज़िट पार्टियों की कॉन्स्टीट्यूएन्सीज़ को १४ वर्ष का वनवास दे दिया है ! हम वनवास भुगत सकते हैं लेकिन आपको हम इस प्रकार से नहीं जानते थे कि आप इस तरह का बर्ताव करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष : माता कैकई दे रही हैं न !

(हँसी)

रावल श्री नरेन्द्रसिंह : मंथरा ।

श्री चंदनमल वैद : सेवा-भाव सिखाया जा रहा है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : शिक्षा-विभाग का ज्यादातर खर्चा मिनिस्टरों की कॉन्स्टीट्युएन्सीज़ में होगा, उदयपुर, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को मिला कर ८६,६८,०० रुपया खर्च होता है । वहां जोधपुर में ७६,२,०२० रुपया होता है, कम से कम डिविजनों को तो बराबर का डिस्ट्रिब्युशन मिलना चाहिये । जालोर डिस्ट्रिक्ट को तो इस प्रकार इग्नोर किया गया है कि उसका ईश्वर ही मालिक है । शिक्षा के मामले में, मैं आपको बताऊंगा कि जालोर बहुत बैकवर्ड एरिया है । हर प्रकार की फेसेलिटी आप शहर में दीजिये पर थोड़ा बहुत तो इस डिस्ट्रिक्ट को भी उठाने का प्रयास कीजिये । राजस्थान भर में कोई ऐसी तहसील नहीं होगी जहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के कोई साधन नहीं हों, सिर्फ सांचोर ही एक ऐसी तहसील है जहां किसी प्रकार भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का साधन नहीं है । तहसील भर में हाई स्कूल नहीं हैं, चौथी से आठवीं क्लास में २०० लड़के बैठते हैं । हमारे मन्त्रीजी को वहां दौरा करने की फ़ुरसत नहीं है, झौंपड़ियों की आवाज़ सुनने को फ़ुर्सत नहीं है । हमारी सरकार आंकड़े बतादेती है कि हमने इतनी उन्नति की है, शिक्षा के मामले में इतनी तरक्की की है, इतनी स्कूलें खोली है, यह यह योजनाएं बना रहे हैं, यह कांच में देखने की सरकार की योजना है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, सांचोर तहसील हैड-क्वार्टर है, १२५ गांव वहां हैं, ४० मील का एरिया है, उसमें उच्च शिक्षा प्राप्त करने का कोई एक भी साधन नहीं है; ऐसी और कोई तहसील राजस्थान भर में नहीं होगी ।

इसके साथ ही मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । तारीख १-६-४६ को चार क्लर्क चतुर्भुज, पेवरचन्द, रामचन्द्र लोहिया और रामचन्द्र बिड़ला इनका अपॉइन्टमेंट होता है, १६४६ में ७२ रुपया माहवार पर । चतुर्भुज का ६२ रुपयों पर वापिस अपॉइन्टमेंट कर दिया जाता है । यह एक प्रकार का शिक्षा-विभाग में सौतेली मां का सा व्यवहार है, उससे ३६२ रुपये रिकवर कर लिये जाते हैं; जबकि सरकार उसमें ५२५ रु० मांगती है, सरकार ने उसके १०७ रु० ज्यादा ले लिये, उसको वापिस नहीं दिये । सरकार के पास कई रिप्रेज़ेन्टेशन किये जाते हैं मगर उस पर कोई गौर नहीं करते हैं और कहते हैं कि हम शिक्षा में सहूलियतें देना चाहते हैं । अब मैं आपको जालोर में जो प्राइमरी स्कूलें हैं उनका हाल आपको अर्ज करूंगा तो आपको मालूम होगा कि प्राइमरी स्कूलों में लड़कों के लिये बैठने का प्रबन्ध नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : हम लोग कट मोशन पर वाद-विवाद करने वाले हैं । ये बातें उस अवसर पर हों.......

Page No.77

श्री लक्ष्मीचन्द : कम से कम हमको बोलने का अधिकार है ।

श्री उपाध्यक्ष : The chair is on its legs. माननीय सदस्य बैठ जावें । आपको बोलने का अधिकार है, आप बोलिये । मैं आपसे यही निवेदन कर रहा था कि बजट के कट मोशन्स पर बोलते तो ज्यादा अच्छा होता ।

श्री लक्ष्मीचन्द : अब यदि आपकी इच्छा नहीं है तो......

श्री उपाध्यक्ष : मेरी इच्छा का सवाल नहीं है, आप अपनी इच्छा पर चलें ।

श्री लक्ष्मीचन्द : वहां पर बच्चों का क्या हाल है ? आकाश उनके लिये छत और धरती उनके लिये फर्श है । बरसात में मकान में बैठने को जगह नहीं । मकान मालिक मकान को खाली कराने के लिये कहता है । लोग प्रार्थना-पत्र देते हैं, तार देते हैं मगर शिक्षा मन्त्रीजी को वहां जालोर तक पहुंचने और उनको आश्वासन देने के लिये समय नहीं है ।

श्री चन्दनमल बेद : तार पढ़ने के लिये तो समय होगा ।

श्री लक्ष्मीचन्द : हो सकता है तार पी० ए० तक ही रह सकता है । अब मैं आपको जालोर में सड़कों की हालत बताना चाहता हूं । वहां रोड्स की हालत बहुत खराब है । जिले की हालत को सुधारने के लिये सबसे पहले वहां के यातायात के साधनों की हालत ठीक होनी चाहिये । किसी जिले को उदयपुर के समान बनाना चाहते हैं तो उसकी रोड ठीक कराएं । जालोर में रोड्स बहुत खराब हैं...

श्री उपाध्यक्ष : मैं यह आपसे निवेदन करूंगा कि ये बातें कट मोशन पर आयेगी तो पुनरावृत्ति नहीं होगी ।

श्री लक्ष्मीचन्द : थोड़ी थोड़ी तो सब पर रोशनी डाल दूं । तो मैं यह कह रहा था कि सांचोर की सड़कों की हालत बहुत चिन्ताजनक है । एक तो वह रेल्वे स्टेशन से बहुत दूर है इसके अलावा चार चार महीनों तक पानी भरा रहता है और एक टापू के समान रहता है और खबरें मिलना मुश्किल हो जाता है। फिर भी सरकार कहती है कि हम उन्नति कर रहे हैं ! समझ में नहीं आता, किस प्रकार से उन्नति कर रहे हैं ? उन्नति उन स्थानों की आप करते होंगे जो आपका विरोध ज्यादा करते होंगे या शहरों में आपने उन्नति की होगी ।

अब मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहूंगा । आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा एरिया है जिसमें ४० साल का आदमी नजर नहीं आवेगा । वहां मलेरिया का बहुत प्रकोप है, मगर सरकार उस सम्बन्ध में कतई ध्यान नहीं देती । उस जगह मूविंग डिस्पेन्सरी होनी चाहिए, वहां आप देखेंगे कि तहसील भर में एक डिस्पेन्सरी है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आपकी उम्र क्या है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं सांचोर में रहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order!!

श्री लक्ष्मीचन्द : अब उसके बाद में वन-विभाग की बात कहूंगा । वन-विभाग द्वारा प्लान्ट लगाये जाते हैं । पब्लिक उसका विरोध करती है कि यहां पर पौधे नहीं लगेंगे, कलेक्टर भी कहता है कि यहां पर नहीं लग सकते, मगर हमारी सरकार उसका

Page No.78

(श्री लक्ष्मीचन्द)

कोई ध्यान नहीं देती और जनता जाये खड्डे में, कलेक्टर की हम परवाह नहीं करते ।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी आपके जिले का ही है क्या ?

श्री लक्ष्मीचन्द : यह जालौर जिले की बात है । हथोन्डी में प्लान्टेशन कराया था । उसका पब्लिक ने विरोध किया और कहा कि कामयाबी नहीं होगी । कलेक्टर ने भी रिकमन्डेशन की मगर हमारी सरकार ने फिर भी किसी की परवाह न करते हुए पैसे खर्च किये । पैसे सरकारी कर्मचारियों की जेब में गये । जनता द्वारा टेलीग्राम दिये गये । प्राइम मिनिस्टर को दिया मगर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया । इसके अलावा वन विभाग में सुन्डा-माता के यहां पर एक व्यक्ति की ढाणी है, वह वहां पर रहता है वन विभाग घोषित होने से पहले से । मगर आज उस रेगर को वहां से हटाने की कोशिश की जा रही है । उसने कई अर्जियें दीं, मगर कोई जबाव नहीं दिया । सरकारी कर्मचारी बहुत ज्यादती कर रहे हैं ।

अब इसके बाद मैं एक्साइज़ विभाग की बात कहता हूं । इक्साइज़ विभाग खुले आम चोरी के लाइसेन्स देता है । सरकार ठेका आक्शन के जरिये देती है । सांचोर जो ठेका दिया गया है उसमें ३ हजार कमीशन के मिलेंगे, मगर सरकार उससे चार हजार ज्यादा वसूल करेगी तो वह रुपया कहां से लायेगा । इसलिए सरकार उनको चोरी करना सिखाती है । ऑक्शन से ठेका देना नहीं मिटा रही है । इसके अलावा एक व्यक्ति को ६०० रुपये मिलेंगे । अगर वह ४५०० रु० ठेके के देता है तो वह, रुपये तो पब्लिक से ही वसूल करेगा और चोरी करके करेगा । इस तरह से सरकार उनको चोरी करना सिखा रही है और सरकार गरीब जनता से कहती है कि हमने इतनी ड्यूटी बढ़ाई है और उससे इतनी आमदनी हुई । मगर वह सब गरीब जनता पर ही है ।

इसके अलावा जागीर के आंकड़े आपने बताये कि इतनी रकम की आवश्यकता है । जागीरदारों को मुआवजा दिया जाता है, मगर उनकी एक्चुअल रकम में से २५ प्रतिशत कटौती होती है और उसको आप मैनेज़मेन्ट चार्जेज़ कहते हैं । जितने लगान लगने वाले हैं वे सब उसमें से बाद में दे दिये जाते हैं और फिर आप मुआवजा देते हैं, मगर मुआवजा तो उनको उनकी रकम का ही दिया जाता है । उसमें भी इतना लैंदी प्रोसेस है कि सरकारी कागजों में लिपट जाते हैं और उनको बहुत परेशानी होती है और इतने छोटे-छोटे जागीरदार उधर हैं जिनको ५०) मिलते हैं । ५० रुपयों के लिए उनको १०० रुपये खर्च करने पड़ते हैं । माननीय उपाध्यक्ष, इतना लम्बा प्रोसेस हैं, छोटों के लिए तो इतना लम्बा प्रोसेस नहीं होना चाहिए । मगर एक लाख के मुआवजे के लिए भी वही प्रोसेस और ५०) के लिए भी वही प्रोसेस । इसलिये छोटे छोटे जागीरदारों के लिये होना तो यह चाहिये कि उनके पैसे उनको घर बैठे मिलने चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये ।

श्री चन्दनमल बेद (सरदारशहर) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् ५८-५९ का बजट पेश किया गया है, उस पर कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं । मैं भी इस पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूं । सबसे पहले मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि न मालूम क्यों

(श्री चन्दनमल वेद)

हमारे वित्त मंत्री बराबर अर्थ-शास्त्र के साधारण नियम होते हैं उसकी बराबर अवेहलना करते जा रहे हैं ? दो वर्ष पहले भी हमारे सामने जब बजट पेश हुआ था, यही शिकायत की गई थी कि अर्थ-शास्त्र के साधारण नियमों की अवहेलना की जा रही है और इस वर्ष भी उसी सिद्धान्त की अवहेलना की जा रही है। जब हम दो वित्त मंत्रियों को ऐसा करते देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि इसमें गलती वित्त मंत्री की नहीं बल्कि पीछे बैठने वालों की हो सकती है। मुझे मालूम नहीं कि कोई अर्थ-शास्त्र के अब नये नियम बन गये हों। ऐसा नहीं होता कि कोई घाटे का बजट हो और उसको मुनाफे का बनाया जावे। मैं समझता हूं कि हर साल १५, २० बजट पेश होते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट के भी बजट पेश होते हैं। कहीं पर यह नहीं कहा जाता कि यह कर लगा कर हमारी यह बचत हुई है। आम तौर पर यह तरीका होता है, यह कहा जाता है कि जो हमारे एग्ज़िस्टिंग, वर्तमान कर हैं उनके अलावा इतना घाटा है और इतने कर लगाने के बाद वह घाटा बचत में परिणत हो जाता है। शुरू में ही कह दिया गया है कि इतनी बचत का यह बजट है। समझ में नहीं आता है कि यह कौनसे अर्थ-शास्त्र का सिद्धान्त है कि जिसके अनुसार यह बजट बनाया गया है ? मेरी समझ में तो एक बात आती है और वह यह है कि आजकल केन्द्र में वित्त मंत्री नहीं है और वित्त मंत्री की खोज है, जिन माननीय सदस्य ने यह बजट बनाया है, मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि उनको छिपा कर रखें, ताकि कहीं सेन्टर की उन पर नजर न पड़ जाय और उनको राजस्थान से महरूम रहना पड़े। हमें बताया यह गया है कि १६६ लाख रुपयों की बचत है और चूंकि १५० लाख रुपया तो जागीरदारों को मुआवजा और ब्याज देने के लिए रखेंगे इसलिए मुख्य बचत है, वह १६ लाख ५० हजार है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इस बजट में दो तीन बातें नहीं होतीं तो करीब ७ करोड़ का घाटा इसमें होता।

३ म० प०

मैं आपको विस्तार में बताना चाहता हूं। दूसरा फाइनेन्स कमीशन हुआ। इस वजह से ४॥-५ करोड़ का विन्ड फॉल, मैं इसको विन्ड फॉल कहूंगा, हुआ, यदि नहीं हुआ होता तो चार-पांच करोड़ का हमारे बजट में घाटा रहता। दूसरा जागीरदारों को दिया जाने वाला जो मुआवजा है वह रकम तो देनी ही है, पहले नहीं दी, उसको अब देनी है, उसको भी केपिटल अकाउन्ट में रख दिया गया और इसके लिए दलील यह दी है कि फाइनेन्स कमीशन ने ऐसा कहा है इसलिए इसको केपिटल अकाउन्ट में दे दिया गया है इसलिए राजस्थान में बचत हो गई। मैं तो यह कहूंगा कि यदि ऐसा ही है तो पुलिस के ऊपर जो खर्चा है और दूसरे-दूसरे जो खर्च हैं, उन सब को ही कैपिटल अकाउन्ट में दे दीजिये तो सारी की सारी राजस्थान के बजट में बचत ही बचत दिखाई देगी और कहीं घाटा नहीं होगा। एक बात मैं मान भी लूं कि फाइनेन्स कमीशन ने ४॥ करोड़ रुपया दे दिया, जायज़ है, २.६० लाख रुपया केपिटल बजट में रख दिया और कम से कम ८० लाख रुपयों के नये कर लगाये हैं, नहीं तो यह तो अवश्य ही मानना चाहिये था कि ८० लाख का हमारे बजट में घाटा था, लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए ८० लाख रुपयों के नये कर लगा कर

(श्री चन्दनमल वेद)

हम उस घाटे को १६ लाख ५० हजार की बचत में दिखा रहे हैं ।

दूसरी बात बजट के सिलसिले में कहना चाहता हूं वह यह है कि पिछली दफा और दो साल पहले सदन में निवेदन किया था कि हमारी सरकार को बैक डोर से आने की आदत पड़ गई है । हम टैक्सेशन का विरोध नहीं करते हैं, जो विकास कार्य चल रहे हैं उनके लिए पैसा चाहिए और प्लानिंग कमीशन ने तो टार्गेट भी फिक्स कर दिया है कि किस स्टेट को कितना लगाना है और अगर नहीं लगावेगी तो केन्द्रीय सरकार से ऋण मिलने वाला नहीं है, मिलने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारा निवेदन है कि यदि कोई भी टैक्स आप लगाना चाहते हैं तो पहले उनसे विधान सभा को अवगत करिये, विधान सभा राज्य की सबसे बड़ी संस्था है और उसके सामने आपको खुले रूप से आना चाहिए कि हम टैक्सेज़ लगा रहे हैं । विधान सभा को आप यह नहीं बता सकते हैं और कह देते हैं कि एक्साइज़ टैक्सेशन से १५ लाख की आमदनी होने वाली है । क्या केन्द्र की सरकार द्वारा और अन्य प्रान्तों की सरकारों द्वारा सब ही जगह विधान सभाओं को इस प्रकार से पहले बताया जाता है कि क्या टैक्सेज़ लगाने वाले हैं, किन-किन चीजों पर टैक्सेज़ बढ़ा रहे हैं, यह बताया जाता है, लेकिन इस विधान सभा में यह नहीं होता । कहा जाता है कि लग्ज़री गुड्स पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है इसके लिए नोटिफिकेशन भी निकाल दिया और उसके निकालने के पहले यदि विधान सभा में यह बात कह देते तो क्या कोई हैवन फॉल हो जाता, मैं समझता हूं कि इससे कोई हैवन फॉल नहीं हो जाता और इससे तो विधान सभा की और आपकी और इज्जत बढ़ जाती कि विधान सभा को यह बात बताई गई, लेकिन यह बात नहीं करते हैं तो यह बात जरूरी हो जाती है कि दो वर्ष पहले जो सरकार पर आरोप लगाये गये थे, जो आक्षेप लगाये गये थे कि सरकार बैक डोर से टैक्सेज़ लगाती है, यह सही हो जाती है । इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि सरकार विधान सभा में बता दे । यही नहीं, यह भी बता दे कि क्या क्या टैक्सेज़ लगाये जावेंगे, यह भी बताये कि अलग-अलग टैक्सेज़ से क्या-क्या आमदनी होगी । यह बताया गया कि लग्ज़री गुड्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाया जायगा, लेकिन यह नहीं बताया कि उससे कितनी आमदनी होगी, यह विधान सभा को बताया जाय । दूसरी बात यह बतायी गई कि माइन्स की रोयल्टी बढ़ायी जायगी, लेकिन यह नहीं बताया गया कि इससे कितनी आमदनी बढ़ जावेगी । इन सब बातों में सरकार अन्धेरे में है; सब को अन्धेरे में रखा गया है । कहा यह गया है कि ८० लाख की इन टैक्सेज़ से आमदनी होने वाली है । लेकिन कितनी कितनी आमदनी, माइन्स रॉयल्टी के बढ़ाने से, लग्ज़री गुड्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाने से होगी यह कहीं नहीं बताया गया है । इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं वही बात निवेदन करूंगा कि यह तो इस प्रकार से टैक्सेज़ बढ़ाने का तरीका है, वह बैक डोर से टैक्सेशन का तरीका है और इसको जितना जल्दी हो सके छोड़ दें, तो उतना ही अच्छा है ।

एक दूसरी मिसाल मैं बैक डोर टैक्सेशन की प्रस्तुत करना चाहता हूं । लैंड रेवेन्यू एक्ट विधान–सभा से पारित हुआ और उसके अन्तर्गत रूल्स बनाने का अधिकार सरकार को दिया गया । उसमें लम्बरदारों के सिलेसिले में भी सरकार को अधिकार दिये गये, लेकिन

(श्री चन्दनमल वेद)

सरकार की ओर से जब रूल्स निकले तो इनमें यह प्रोवाइड किया गया कि लैंड रेवेन्यु का पांच प्रतिशत लम्बरदार को मिलता है, वह किसान देगा । बिना विधान-सभा को बताये ३१ लाख रुपयों का कर किसानों के ऊपर बैक डोर से लगा दिया । मुझे इस समय यह मालूम नहीं है कि और किन किन बातों में बिना विधान सभा को कॉन्फीडेन्स में लिये और कर लगाये और आमदनी बढ़ायी, लेकिन जो यह बात सामने आयी है कि लैंड रेवेन्यु के रूल्स बना कर ३१ लाख रुपयों का कर का भार किसानों पर लगा दिया और वह भी बिना विधान सभा को कॉन्फीडेन्स में लिये जो निश्चित रूप से अन्यायपूर्ण है और नाजायज है । मैं यह कहूंगा कि अगर इस तरह से जो बैक डोर टैक्सेशन होता है तो वह निश्चित रूप से नाजायज़ है ।

दूसरी बात मैं इस सिलसिले में निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि जो टैक्सेज़ बढ़ाये हैं वे आम लोगों पर ज्यादा बढ़ाये हैं । इन ८० लाख के टैक्सेज़ में से आप देखिये कि ३० लाख रुपया तो टैक्स के किसानों से वसूल करेंगे जो इर्रिगेशन और बैटरमेंट के नाम से होगा । अब जो ५० लाख के टैक्सेज़ रहते हैं उनमें से २५ लाख के टैक्सेज़ आम जनता से वसूल होंगे, ये मध्यम श्रेणी के लोगों से ज्यादा होंगे और ऊंचे लोग हैं उनसे कम होंगे । यदि टैक्सेज़ लगाते हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इन टैक्सेज़ का बोझा किन लोगों पर पड़ने वाला है, लेकिन इसका बोझा ज्यादा केवल मध्यम श्रेणी के लोगों पर और किसानों पर डालते हैं तो यह बात अच्छी नहीं कर रहे हैं । बार बार यह कहा जाता है कि हम किसानों को राहत दे रहे हैं । इसमें किसानों को राहत तो नहीं दी गई किन्तु किसानों को आहत किया गया है । ८० लाख के टैक्सेज़ में से ३० लाख का भार किसानों पर ही डाल दिया है और बाकी का दूसरी शहर की गरीब जनता पर । ३०-३५ लाख के टैक्सेज़ ऐसे हैं जो दूसरों पर लगेंगे । २५ लाख के टैक्सेज़ हैं, उनमें शराब पर है, ३–४ लाख एन्टरटेनमेंट पर और बाकी मिनरल्स पर । टैक्सेज़ लगाने से पहले यह सोचना चाहिये कि उनका बोझा किस पर पड़ने वाला है ? आप देखिए कि चाय पर टैक्स है, जूतों पर टैक्स है । शायद वित्त मन्त्री महोदय चाय नहीं पीते हैं ।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : पी लेता हूँ ।

श्री चन्दनमल वेद : ठीक है, पी लेते हैं । इसलिए लगा दिया । स्टेशनरी पर टैक्स, कागज पर टैक्स लगाया गया है क्योंकि उनको तो कागज राजस्थान सरकार से मुफ्त में मिल जाता है । तो चाय पर टैक्स, जूतों पर टैक्स, यदि ज्यादा कीमत के जूतों पर टैक्स लगाते तो पता चलता कि २० रुपये का जूता है इन पर तो कुछ टैक्स लगा भी दिया जाय, लेकिन छोटे छोटे १), २) रु० वाले जूतों पर जो आम लोगों के व्यवहार की चीज़ है उस पर टैक्स लगाया है, इस प्रकार अन्य आम लोगों की व्यवहार की जो चीजें हैं उन पर टैक्स लगाया है, यह अच्छा नहीं है । टैक्स करने को बहुत सी चीजें हो सकती हैं, जैसे मोटर गाड़ी सोना, चांदी । आप इन पर टैक्स लगाइए जिससे कि आमदनी हो । लेकिन चुना यह किया तो किसानों पर टैक्स लगे या आम जनता पर टैक्स लगे, मैं समझता हूं कि यह अच्छी बात नहीं हुई ।

चौथी बात जो मुझे कहनी है वह बहुत ’’ त्वपूर्ण है । अब तक चीनी, कपड़ा और

(श्री चन्दनमल वेद)

तम्बाकू इन तीनों पर स्टेट में कर वसूल किया जाता था लेकिन अब भारत सरकार ने कह दिया है कि राज्य सरकार इन वस्तुओं पर कर नहीं लगावेगी। इन पर जो कर हैं वे सेन्ट्रल गवर्नमेंट ही वसूल करती है और निश्चित आमदनी राज्य सरकारों को देती है। इस बारे में मुझे एक बात और निवेदन करनी है और वह यह है कि चीनी, तम्बाकू और मिल का बना कपड़ा, इन पर टैक्स हटाने से पहले सेल्स टैक्स की जो आमदनी थी वह थी २ करोड़ ९६ लाख रुपये, इसके हटने के बाद ५८–५९ में, २९ लाख को बाद देकर २ करोड़ ३२ लाख ६० हजार होती है। इस तरह से देखेंगे तो पता चलेगा कि तम्बाकू, चीनी और कपड़े पर जो सेल्स टैक्स हम वसूल करते थे उसमें से ६३ लाख १० हजार रुपये कम वसूल करते थे। इस साल भारत सरकार ने सेल्स टैक्स के बदले जो धन-राशि हमें दी है, वह ११८ लाख रुपये है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें जो आमदनी इन चीजों से होती थी उससे ५४ लाख ९० हजार रुपया ज्यादा मिलेगा। इस सम्बन्ध में सीधा सवाल मैं जो रखना चाहता हूं वह यह है कि भारत सरकार अपने कोष में से तो कोई रुपया देने वाली नहीं, उसने जो टैक्स के रूप में वसूल किया है अलग अलग राज्यों से वसूल किया है, उसीमें से तो हमें दे रही है। यह इस बात को इंगित करता है और मैं खास तौर से वित्त मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा जब सेल्स टैक्स लिया जाता था, तब हमारी आमदनी ६३ लाख १० हजार रुपया थी, उससे पहले हमारे टैक्सेज़ में ९० प्रतिशत इवेज़न होता है। इसका मतलब यह हुआ कि टैक्स पे करने वाले लोग ९० प्रतिशत टैक्स की चोरी कर जाते थे। हम इस बात से सबक लें कि दूसरे टैक्सेज़ में न मालूम कितने लाखों करोड़ों रुपयों की चोरी होती होगी। आप यदि उनमें इसी प्रकार की सख्ती से काम लेंगे तो लाखों करोड़ों रुपया विकास कार्यों के लिए मिल सकता है। इस सिलसिले में मैं एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं और वह यह कि टैक्स वसूल करने का यह ज्यादा कारगर तरीका भी है। जब वित्त मन्त्रियों की कॉन्फ्रेन्स हो उसमें यह सवाल रखा जाना चाहिए कि दूसरी चीजों पर सेल्स टैक्स को हटा लिया जाय और उस पर भारत सरकार एक्साइज़ टैक्स लागू कर दे और फिर उससे जो आमदनी हो उसे सारी स्टेट्स को बांट दे। इससे मेरा यह मानना है कि सारे हिन्दुस्तान की स्टेट्स की आमदनी बढ़ने वाली है। जहां चीजें बनती हैं वहीं पर टैक्स वसूल कर लिया जाता है तो टैक्स की चोरी होने में कम गुंजाइश रहेगी और उसके साथ साथ सारी स्टेट्स की आमदनी भी बढ़ेगी। सब से बड़ा फायदा जो होगा वह यह होगा कि सेल्स टैक्स का हिसाब रखने वाले व्यापारियों को भी बहुत झंझट हैं वे भी इससे खुश हो जायेंगे और स्टेट की आमदनी भी बढ़ जायगी। इससे तो दोनों तरफ फायदा है। आप किसी कपड़े के व्यापारी को पूछिये वह यही कहेगा कि एक्साइज़ ड्यूटी लगने से हमें तो बड़ी भारी राहत मिल गई। इससे व्यापारियों को भी खुशी होगी और देश की आमदनी बढ़ेगी और विकास कार्यों के लिये ज्यादा पैसा मिल सकेगा। क्योंकि हमें यह अनुभव हो गया कि चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर जो एक्साइज़ ड्यूटी भारत सरकार ने लगायी है, उससे करीब ६३ लाख रुपये का फायदा हमें हो गया इसलिये यह एक मुद्दे की बात है। इस चीज़ को फाइनेन्स मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेन्स में

(श्री चन्दनमल वेद)

रखना चाहिये कि जहां चीजें मेन्युफेक्चर होती हैं उस पर से सेल्स टैक्स हटाकर एक्साइज़ टैक्स लागू कर दिया जाय, इससे राज्य की आमदनी बढ़ सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद मैं इस बात को देखता हूं कि हमारे सदन में यह कहा जाता है कि मेवाड़ की उन्नति हो रही है, राजस्थान के बजट का बहुत बड़ा अंश मेवाड़ की उन्नति के लिये खर्च हो रहा है। खर्च कितना हो रहा है या नहीं, इस वाद विवाद में मैं पड़ना नहीं चाहता, मेवाड़ पर यदि ज्यादा खर्च होता है तो हमें खुशी है क्योंकि वह भी राजस्थान का ही एक हिस्सा है। मेवाड़ का इतिहास इतना शानदार रहा है कि उसका एक एक कण भी यदि सोने से मढ दिया जाय तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ हम इस बात को नहीं भूलें कि बीकानेर का इतिहास भी कम शानदार नहीं है। जब कभी मेवाड़ की हालत बुरी होने लगी बीकानेर ने उसकी मदद की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री को याद दिलाऊं जब राणा प्रताप झुकने के लिये तैयार हो गये थे उस समय बीकानेर के महाराजा पृथ्वीसिंह ने बचाया था। ६ नवम्बर, १६५४ को, आप भूले नहीं जब मेवाड़ के होठ सूख रहे थे, उस समय बीकानेर के एक आदमी ने मदद की थी। आप मेवाड़ के इतिहास के साथ साथ बीकानेर के इतिहास को मत भूलिये। मेवाड़ उन्नति करे इसमें हमें खुशी है, लेकिन बीकानेर डिवीज़न को मत भूलिये। सारे डिवीज़न के बारे में तो गंगानगर और बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य प्रकाश डालेंगे, मैं चूरू जिले के बारे में खास तौर से निवेदन करूँगा। मैं चुरू जिले की दास्तां आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

मैंने इस सिलसिले में इस बजट को बड़ी बारीकी से देखा है और यहां तक कि आंकड़े इकट्ठे करने में एक रात मुझे लग गई। मैं उस रात को सो भी नहीं पाया। उन्हीं आंकड़ों को जो बड़ी मेहनत से तैयार किये हैं, वे मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। ग्रान्ट नं० ५.० के अन्तर्गत सिविल वर्क्स पर हम ७५ लाख ७६ हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। ग्रान्ट नं० ५.८ के अन्तर्गत ४७ लाख और कुछ रुपया खर्च कर रहे है। ग्रान्ट नं० ६८ के अन्तर्गत १ करोड़ ५८ लाख २० हजार रुपया खर्च कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एपेंडिक्स दिया हुआ है, उसके अन्तर्गत ये जो रकमें है, वे सारे जिलों पर खर्च हो रही हैं। इन सब बिल्डिंग्ज़ और डेवलपमेन्ट के जो काम हैं उसमें करीब ६ करोड़ ३६ लाख ४१ हजार रुपया खर्च कर रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष, मैं अब आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि जहां ६ करोड़ ३६ लाख और ४४ हजार रुपया सब जिलों पर खर्च कर रहे हैं वहां आपको मैं बताऊं चुरू जिले पर आप कितना खर्च करने जा रहे हैं, अगर मेरे आंकड़े गलत हों तो माननीय वित्त मंत्री मुझे कह सकते हैं मैं उसको दुरूस्त करने के लिये तैयार हूं। चूरू जिले पर जो सारा खर्चा हो रहा है वह इस प्रकार है। सारे चूरू जिले पर १ लाख ८४ हजार रुपया हम खर्च करने जा रहे हैं। जहां छः करोड़ रुपये की धन-राशि सारे जिलों पर खर्च करने की है वहां चूरू जिले पर केवल १ लाख ८४ हजार रुपये हैं। इसमें बिल्डिंग एन्ड रोड्स, सोशियल वेलफेअर, कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट सारी चीजें आजाती हैं। जनरल एड मिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एनिमल हस्बेन्डरी,

(श्री चन्दनमल वेद)

वेटरनरी, सप्लाइज़ आदि सभी आ जाते हैं। ये सब कार्य हैं उनके लिये चुरू जिले में केवल १ लाख ८४ हजार रुपये हमारे बजट में प्रोवाइड किये है। इसके अलावा भी एक रकम है जिसको भी मैं कहे बिना नहीं रह सकता। तीन लाख रुपया एक सड़क पिलानी से राजगढ़ तक बनाने के लिये रखा है, इसका कितना हिस्सा चूरू जिले में पड़ेगा यह मैं कह नहीं सकता; हो सकता है आधा हिस्सा चूरू जिले का भी इसमें आ जाए, उसके भी डेढ़ लाख रुपये को हम चूरू जिले के खर्च में जोड़ते हैं। तो करीब ३ लाख ३४ हजार रुपया हुआ। आप मेवाड़ पर छः करोड़ तो क्या छः अरब रुपया खर्च करिये, हमें किसी प्रकार का एतराज नहीं होगा लेकिन मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को अर्ज करना चाहता हूं कि चूरू जिला भी राजस्थान का ही एक हिस्सा है। मैं बिना किसी सन्देह के हमारे उप मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने चुरू जिले के लिये साढ़े तीन लाख रुपये तो रखवा लिये जहां की आबादी साढ़े पांच लाख है वहां साढ़े तीन लाख रुपया रखवा लिया. यह वार्षिक पर केपिटा आठ आने होते हैं। आप आंकड़े और भी बता सकते हैं क्योंकि आंकड़े आप इकट्ठा कर सकते हैं, इकट्ठे नहीं हो सकते तो आप बना भी सकते हैं। लेकिन जो चीजें हमारे सामने रखी गई उसी के अनुसार मैंने आंकड़े आपके सामने रखे। अगर उसमें गलती की होती माननीय वित्त मंत्री मुझे दुरुस्त कर सकते हैं, मैं सदन के सामने माफी मांग सकता हूं। यह हमारे चुरू जिले की स्थिति है।

सड़को के बारे में मैं आपसे निवेदन करूं बीकानेर से दिल्ली तक एक सड़क जाती है, अगर उस सड़क से मोटर ले जायी जाय, तो कोई न कोई चीज खराब हुये बिना नहीं रहेगी क्या उस सड़क पर तारकोल नहीं हो सकता? इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के लिये कुछ प्रोवीज़न किया है। मैंने इस बजट में देखा है बहुत सी जगह तहसीलों की बिल्डिंग बनवा रहे हैं, लेकिन चुरू जिले में अभी तक जिलाधीश के कार्यालय की बिल्डिंग नहीं बन पायी है। क्या कारण है? क्या आप चूरू जिलेको तोड़ना चाहते हैं? अगर यही चाहते हैं तो तोड़-तुड़ाकर मामला समाप्त करिये ताकि हमेशा का झंझट मिटे, हमें इस तरह से हैरानी तो नहीं उठानी पड़े। पर होता क्या है कि दूसरी जगहों पर जिलाधिकारियों की बिल्डिगें बन रही हैं, बनी हैं और यह जिला तोड़ने के सवाल को उठाने के बाद बनी हैं। फिर क्या कारण है कि चूरू जिले के साथ ही यह वर्ताव किया जा रहा है? क्या इस चूरू जिले में सड़कों और बिल्डिंगों का सारा काम समाप्त हो गया है? क्या अब वहां कोई जरूरत नहीं रह गई है? जो कुछ उच्चतम और पूर्णतम विकास एक जिले का होना चाहिये वह उसका हो चुका है ताकि अब और कुछ करने की जरूरत नहीं रह गई है? मैं चाहूंगा कि हमारे वित्त मंत्री जी या मुख्य मन्त्रीजी जो, भी इस सारी बहस का जवाब दें, वे बतावें कि आखिर इन सारी बातों के पीछे क्या राज है, क्या भेद है कि इस तरह का भेदमूलक वर्ताव आज चूरू जिले के साथ किया जा रहा है?

इसके बाद एक बात की ओर विशेष रूप में मैं, उपाध्यक्ष महोदय,, सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में सहयोग की वांछा की है। हमें इसकी खुशी है। हम उनके आभारी हैं इसके लिये। अगर वित्त मंत्रीजी ने हमारा सहयोग मांगा तो हम उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उन्हें वह सहयोग मिलेगा जब

Page No.85

(श्री चन्दनमल वेद)

जब भी वे चाहेंगे। पर दुःख इस बात का है कि हम सहयोग देते हैं, पर लेता कौन है? हम कोई आलोचना करते हैं, सही भावना से करते हैं, सुझाव देते हैं तो हमें कहा यह जाता है कि बक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। जब हमारे....

("शाबाश" की आवाज)

श्री भैरोंसिंह : ये बातें केवल पार्टी मीटिंग में ही होती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य को जो सुझाव विपक्ष द्वारा दिया गया है उसमें तथ्य अवश्य है।

(हंसी)

कम से कम यह आप जो शब्दों का प्रयोग करें समझ बूझ कर करें।

श्री चन्दनमल वेद : मैं तो यह कह रहा था उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्रीजी ने सहयोग मांगा पर जब हम उस सहयोग की भावना से कुछ सुझाव देते हैं तो कहा यह जाता है कि बक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। मैं पार्टी मीटिंग की बात नहीं कह रहा हूं; सदन की प्रोसीडिंग्स की बात कह रहा हूं और इस पर यहां काफी वाद-विवाद भी हुआ है।

श्री भैरोंसिंह (वि. सं. १४) : कल की पार्टी मीटिंग की बात कह रहे हैं?

श्री चन्दनमल वेद : मैं उसमें हाजिर नहीं था।

(हंसी)

श्री भैरोंसिंह : पूछ कर कह रहे हैं।

श्री चन्दनमल वेद : हम सहयोग के लिए तैयार है। पर सरकार में बैठे हुए साथी उसको लेने को तैयार हैं, इसको भी देखना पड़ेगा। हमारे मन्त्री लोग जब हमारे निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं तो उसकी कोई सूचना हमें नहीं देते। यहां तक कि उनसे कहा जाता है कि साहब आप हमारे निर्वाचन क्षेत्र में आये, अकेले ही क्षेत्र का निरीक्षण करने आये, हमें सूचना तक नहीं दी, तो हमें कहा जाता है कि हमें पहले से ही मालूम था कि आप वहां हैं नहीं। तो यह सहयोग मांगने का तरीका है।

श्री उपाध्यक्ष : सहयोग, is not a point of issue we are discussing the Budget

श्री चन्दनमल वेद : यह भी एक पोइन्ट है साहब। बजट के साथ ही यह भी देख रहा हूं कि राजस्थान की बहबूदी किस तरह हो सकती है, इसके लिए सहयोग मांगा है तो उसके लिये हम तैयार हैं, पर डिफिकल्टी क्या है, इसका उल्लेख कर रहा हूं।

अभी पार्लियामेन्ट के सदस्य यहां आये थे। पूछने पर उन्होंने बताया कि पं० जवाहर लाल नेहरू कांग्रेस संसद दल के नेता हैं, उन्हें कोई पत्र लिखते हैं दूसरे या तीसरे दिन उसका उत्तर आ जाता है। पर मेरा तो यहां ऐसा अनुभव है कि एक क्या कई बार पत्र पत्र ही क्या तार और रजिस्टर्ड लैटर्स तक का कोई जवाब आज तक नहीं। माननीय मुख्य मन्त्रीजी मेरी तरफ गौर से देख रहे हैं। मैं सूचना देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा आपसे यह नम्र निवेदन है कि इस तरह शब्दों का प्रयोग न करें जो ओफेन्सिव हों। You will proceed with the debate.

श्री चन्दनमल वेद : i am stating only facts and if the Hon. Deputy

Page No.86

(श्री चन्दनमल वेद)

Speaker thinks that I am being offensive, I will not refer...

श्री उपाध्यक्ष : It is likely to be offensive.

श्री चन्दनमल वेद : तो मेरा निवेदन इतना ही है कि अगर आप माननीय सदस्यों का कोऑपरेशन चाहते हैं तो कम से कम वे जो सुझाव देते हैं उनको सुनिये और अगर उचित हों तो मानिये, राजस्थान की भलाई के सिलसिले में हों, तो मानिये। कोई आपको पत्र लिखे, तार दे, रजिस्टर्ड लेटर दे तो उनका जवाब देने की तकलीफ कर सकते हों तो करिये। फिर जो सहयोग मांगने का आपका प्रस्ताव है उस पर और अधिक सहयोग वे आपको दे सकेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन बातों में और ज्यादा नहीं जाना चाहता। केवल एक बात की ओर ध्यान दिलाकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहूंगा।

वह बात है पलाना के कोयले की खान की। मैं मानता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि इसका जिक्र जब कट मोशन्स आवेंगे तब कर सकता हूं, पर यह सवाल इतना बड़ा है अपने आप में आर्थिक दृष्टि से, राजस्थान के आर्थिक विकास की दृष्टि से और खास कर बीकानेर डिवीज़न की आर्थिक स्थिति के विकास की दृष्टि से और एम्प्लोयमेन्ट की दृष्टि से इस प्रकार जुड़ा है कि अगर इसका, खास करके मैं कोई उल्लेख इस वक्त भी करूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। पलाना कोल माइन्स से, यह जो हमें दूसरी पंचवर्षीय योजना संबंधी किताब हमें मिली है, उसमें हमें बताया गया है कि सेकन्ड प्लान के तीसरे ईयर में, हम रोजाना पांच सौ टन कोयला निकाल सकेंगे और इसके लिये दो करोड़ रुपया भी खर्च किया जावेगा। इस पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सूचना के लिए यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसका जो कोयला निकलता है वह बीकानेर के पॉवर हाउस के लिए मौजूद है और उसकी पूरी सप्लाई नहीं मिलने से बंगाल का कोयला मंगाना पड़ता है जो महंगा भी पड़ता है और उसकी मशीनरी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो रहा है। इसके बारे में हमारी सरकार की एस्टीमेट कमेटी तक का यह मानना है कि दूसरा कोयला काम में लाने से बीकानेर के बिजलीघर में ६ लाख रुपया सलाना की घटौती हो रही है। तो एक तरफ तो यह नुकसान हो रहा है, दूसरी ओर जो दो करोड़ रुपया इस पर इस साल खर्च करना चाहते थे वह नहीं कर सके। इससे एम्प्लोयमेंट की समस्या बहुत हद तक हल हो सकती थी, वह भी नहीं हो रही है। तो इस तरह से तीन तरफ से नुकसान हो रहा है, ६ लाख सालाना का नुकसान, मशीनरी का नुकसान और एम्प्लोयमेन्ट नहीं मिलने का नुकसान। श्रीमान् राज्यपाल के भाषण के अवसर पर बहस के उत्तर में हमारे गृह मन्त्री महोदय ने बताया था कि अभी तक इसमें से ५ हजार टन कोयला प्रति मास निकाल रहे हैं। पूरे फिगर तो सही रूप में मुझे मालूम नहीं, क्या कहा? पर पांच हजार से ज्यादा किसी हालत में नहीं है, यह मैं कह सकता हूं। तो ऐसी स्थिति में यह मेरी समझ में नहीं आया कि इसको पन्द्रह हजार टन तक इन तीन–चार महीनों में कैसे ले जावेंगे? यह एक बड़ा मसला है। यह हमारी लापरवाही का एक बहुत बड़ा मसला है जिससे बीकानेर डिवीज़न के लोगों को यह महसूस हो रहा है कि हमारी जो रोज़मर्रा की चीज़ है, बेरोजगार का जो हाल है, हमारी बहबूदी की जो चीज़ है उसको लापरवाही के साथ देखा जाता है। जो नुकसान हो रहा है वह तो मैं बता रहा हूं, इसके

Page No.87

(श्री चन्दनमल वेद)

अलावा सैकड़ों देहातों और कस्बों को बीकानेर पॉवर हाउस से बिजली मिलती है, उसमें भी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। यह एक ऐसा अहम् मसला है जिस पर राजस्थान सरकार ने लापरवाही से कार्य किया है। इस तरफ ज्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए और जो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी हो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये।

अब इसके लिए यह कहना कि एक फर्स्ट क्लास इन्जीनियर के लिए हमने विज्ञापन निकाला और चार साल तक निकाला, पर नहीं मिला इससे छूट नहीं होगी। अगर कोई सरकार यह चाहे कि इन्जीनियर मिले और चार साल तक न मिले, तो मैं समझता हूं कि यह स्थिति सोचनीय है।

इसी तरह से नासिक के प्रेस से टिकिट छपवाने थे पर वे छप नहीं सके, इसलिये तीन लाख रुपयों का एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स वसूल नहीं कर सकी यह सरकार। जो सरकार कहलाती है उसके लिये किसी भी सूरत में यह स्थिति सोचनीय है। जो लोग इस तरह की गफ़लत के लिये जिम्मेदार हों उनके प्रति एक्शन लिया जाना चाहिये। नासिक प्रेस में नहीं छपा तो दूसरे प्रेस थे वहां छप सकते थे। अब अगर वह कह देते या कह दें कि हम तो नहीं छापेंगे तो क्या करेंगे आप ? तब भी तो दूसरी जगह छपवाना होगा, नहीं तो क्या एन्टरटेन्मेन्ट टैक्स लगाना ही बन्द कर देंगे ? इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये। इसके अलावा मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात के लिए जरूर बधाई दूंगा कि आज से दो साल पहले जो अच्छा रवैया शुरू किया था कि टैक्स लगाकर और ऋण प्राप्त कर बजट को संतुलित किया जाय वही बात इस बजट में देखने को मिलती है। इस बात से कोई घबराना नहीं चाहिए और सिद्धान्त ही हमारा यह हो कि हम अपने बजट को संतुलित रखें। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बार इसको किया है और २॥ करोड़ रुपया ऋण पब्लिक से लेकर और कुछ टैक्स से वसूल करके बजट को संतुलित रखा है। मैं समझता हूं कि इस कार्य के लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। बस इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : रावराजा सरदारसिंह।

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सन् ५८–५९ का बजट पेश किया है उसको हमने पढ़ा और जो उनका भाषण है उसको भी हमने पढ़ा। उस भाषण को पढ़ने से यह मालूम होता है कि ५७–५८ के बजट भाषण में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने, सदस्यों को आश्वासन दिये थे कि जो योजनायें चल रही हैं और जो जो काम किये जाने हैं, वे कटिबद्ध होकर, पूर्ण की जायेंगी। ५८–५९ के बजट को देखने से यह प्रतीत होता है कि यह कोई आश्वासन बजट नहीं मालूम होता है। इसमें बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए बहुत सी धन-राशि रखी गई है और जो ब्लॉक्स के लिए तजवीज की गई है उसके लिए मुझे मालूम नहीं होता है कि यहां कहां कहां होंगे और यह रकम कहां खर्च की जा रही है ? जिस कॉन्स्टीटुएन्सी से मैं आ रहा हूं वहां के लिए तो आपने हमें कुछ आश्वासन देने के बाद भी आज दिन तक न तो कोई ब्लॉक ही खोला है और न आज तक वहां कोई कार्य जनता के स्तर को ऊंचा करने

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

के लिए किया गया है। तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? अब मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेरे यहां के ब्लॉक डेवलपमेन्ट के कार्य के लिए, मैं माननीय मुख्य सचिव से भी मिला था और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके एन०ई० ब्लॉक खोल दिया जायेगा। लेकिन वह भी आज दिन तक नहीं खुला है। अब मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो इस समय वहां कार्य हो रहे हैं और उसमें जो प्रगति है वह माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब खुद देखकर आये हैं। वहां एक गोलबा नाम का बंध बन रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : आपने एक ही कॉन्सटीटुएन्सी को ले लिया, आप सारे राजस्थान को ले लेते तो अच्छा रहता।

रावराजा श्री सरदारसिंह : राजस्थान के बारे में बोलने वाले तो बहुत हैं। मैं जिस कॉन्सटीटुएन्सी से आया हूं उसी के लिए कह रहा हूं, राजस्थान के लिए कहूंगा तो वह फिर पार्टी पोलिटिक्स का नाम आ जायेगा। इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि मेरे यहां उनियारा में गोलबा बंध बन रहा है और एक मेरे इलाके में जो बूंदी के अन्दर उसकी सीमा पर मेरे इलाके के गांवों के लिए एक गोठड़ा बंध बन रहा है। उस गोलवा बंध को बनते हुए चार साल हो गए हैं और अब साल, डेढ़ साल से वहां का कार्य बन्द पड़ा है और वहां का स्टाफ ऐसे का ऐसा ही मौज उड़ा रहा है और वैसे की वैसे तनख्वाह ले रहा है। तो मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि सरकार की इसके लिए क्या मन्शा है? इसको बनवाना है या नहीं बनवाना। अगर बनवाना है तो वहां जल्दी ही काम शुरू करा दें अगर नहीं बनवाना है तो सरकार क्यों अपना इतना पैसा वहां के स्टाफ के लिए खर्च कर रही है? दूसरी बात यह है कि जो गोठड़े का बंध है, वह बिलकुल बन चुका है, मगर उसके बनाने में जो ५,७ गांवों की जमीन डूब में आ चुकी है, वह बंध तो तैयार हो कर उसमें से मोरियां चली गई लेकिन बेचारे अबकी से चौमासे के अन्दर वहां के लोग घर घर भटकते फिरे और आज दिन तक भी न तो उन को जमीन का कम्पेन्सेशन मिला है और न उनको कहीं बसाने की योजना है और न उनके लिए कोई मकान आदि की सहूलियत है। इस बारे में मैंने माननीय राजस्व मंत्री जी से भी कहा था और मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कलेक्टर को और दूसरे अधिकारियों को आज्ञा भी दी लेकिन उसका आज दिन तक पालन नहीं हुआ.......

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप दोनों का झगड़ा तो मिटा।

(हँसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : तो मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये बातें नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार कार्य करना चाहती है और यहां समाजवादी समाज की व्यवस्था करना चाहती है तो सरकार क्यों डिस्टिंग्युश करती है कि यह विरोधी दल की कॉन्स्टीटुएन्सी है और यह मिनिस्टरों की है। सरकार को चाहिए कि अपने शेयर की माफिक सब के यहां रचनात्मक कार्य हों।

दूसरी बात मैं आपसे यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि आज दिन तक पहली पंच वर्षीय योजना में, मेरे यहां पर टोंक टू लाखेरी वाया उनियारा और टोंक से सवाई

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

माधोपुर वाया उनियारा सड़क पर काम होने के लिए दो तीन साल से पड़ा हुआ है, मगर यह सड़क पूरी नहीं हुई है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि यह बात क्या है?........

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आपने प्रश्न में ही पूछ लिया था।

(हँसी)

रावराजा श्री सरदारसिंह : अभी उपमंत्री जी वहां गये थे, उन्होंने भी देखा होगा कि जब बन्ध का काम अभी तक उनियारा में पूरी नहीं हो रहा है, तो बेचारे किसानों की खेती बिगड़ रही है। उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे मंत्री जी कहेंगे कि साहब वह स्टाफ तो नहर का काम कर रहा है। तो साहब तालाब तो अभी तक बना नहीं है और वह अभी से नहर का काम करने लग गए। अब मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि राजस्थान की जो प्रशासन प्रणाली है, इनके साथ तो पूरी खिलवाड़ ही हो रही है और वह खिलवाड़ क्या है; मेरी समझ में नहीं आता कि कोई ज़िले या तहसील या उप-तहसील में पटवारियों को रखने का क्या आधार है? कोई आधार तो होना चाहिए। लेकिन न मालूम क्या हुआ कि मर्जी आया उसको वहां डाल दिया और मर्जी आया उसको वहां डाल दिया। कोई आधार भी होना चाहिए, जनसख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। मगर मालूम नहीं क्या होता है?

तीसरी बात मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि स्वायत्त शासन का जो विभाग है, मुझे मालूम नहीं कि यह मंत्री जी के हाथ में है या किसी और के हाथ में ......?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य आपने इस कुर्सी को तो छोड़ दिया। बारबार उधर देखते हैं। एड्रेस तो कुर्सी को किया जाना चाहिए।

रावराजा श्री सरदारसिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, जब मेरे यहां पंचायतों का चुनाव हो रहा था तो मैंने आकर मंत्रीजी को अर्ज किया कि इसकी तारीख मुकर्रर होनी चाहिए। उसकी तारीख निश्चित करने को चीफ पंचायत ऑफिसर को कह दिया। चीफ पंचायत ऑफिसर की तारीख तो एन टाइम पर आती है, तो कलेक्टर कहता है कि यह चीफ पंचायत ऑफिसर ने जो तारीख मुकर्रर की है, मैंने नहीं की, इसलिए चुनाव स्थगित कर दिया जाय। यह मेरी समझ में नहीं आता कि क्या बात है? या तो चीफ पंचायत ऑफिसर को ही पॉवर्स होनी चाहिए या कलेक्टर को ही। इसलिए मैं यह सुझाव देता हूं कि आयन्दा से चाहे कलेक्टर को ही यह पॉवर्स हों कि वह डेट फिक्स करे और कलेक्टर को चाहिये कि इन्सपेक्टर को बुलाये, तहसीलदार को बुलाये, और वहां के क्षेत्र के एम० एल० ए० को बुलाये और सब की सलाह से तारीख निर्धारित करे ताकि आयन्दा यह शिकायत नहीं आये। और आजकल न मालूम क्या है कि बेचारे आई० सी० एस० ऑफिसर वहां जाते हैं, उनकी सर्विसेज़ को न जाने कैसे डीमोरेलाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि फलां काम यह कर दो, वह कर दो। मेरे ख्याल से यह नहीं होना चाहिए।

जो बजट प्रस्तुत किया है, यह मुझे तो आशावादी मालूम नहीं होता। यह घाटे का तो है ही और इस घाटे को पूरा करना चाहिए। लेकिन पहले चूंकि ५७-५८ में तो

Page No.90

(रावराजा श्री सरदारसिंह)

आपकी भावना भी शुद्ध थी, लेकिन यहां बैठने से रंग को भरना तो आ गया।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मन्त्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसको उन्होंने सरप्लस बजट बनाया है, लेकिन आज तक बजट बनाने का जो सिलसिला हमने देखा है और डेफिसिट या सरप्लस बजट किसको कहा जाता है उसका मापदण्ड यही है कि एक्ज़िस्टिंग टैक्सेशन लेवल जो है उससे हमारा जो रेवेन्यु एकाउन्ट का एक्सपेन्डीचर है वह कवर होता है कि नहीं, वह देखा जाता है । जो एग्ज़िस्टिंग लेवल आफ टैक्सेशन है वह हमारे रेवेन्यु एकाउन्ट का जो एक्सपेन्डीचर है उससे कवर होता है तो उसको डेफिसिट बजट बनाकर उस डेफिसिट का जो गेप है उसको एडिशनल टैक्सेशन रेज़ करके कवर करते हैं, उसको हम बैलेन्स्ड बजट कहते हैं, वह सरप्लस बजट नहीं है। बजट को बैलेन्स्ड किया गया है ८० लाख के एडिशनल लगाकर। सरप्लस जो बताया गया है वह बैलेन्स्ड बजट हुआ है। एडीशनल टैक्सेशन रेज करके हमने सरप्लस का बजट बनाया है। जनता के दिमाग में हो सकता है कि आपने बड़ी कारकर्दगी की है, होशियारी बताई है कि सरप्लस बजट बना दिया। जो दरअसल में आज तक माने हुए सिद्धान्त हैं उनके आधार पर बजट को देखें तो यह बजट १६॥ लाख से सरप्लस का बजट नहीं है। वह एक बैलेन्स्ड बजट है जो कि एक डेफिसिट बजट था, ६० लाख रुपये का डेफिसिट था।

दूसरी बात यह है कि पिछले साल २ करोड़ ८ लाख का डेफिसिट बजट था और एकदम इस साल २० लाख का सरप्लस बजट वित्त मन्त्री महोदय ने पेश किया है तो आम पब्लिक जो है, आम जनता जो है वह सोचती है कि वित्त मन्त्रीजी ने इस साल काफी एफिशिएन्सी बताई है, एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इकोनोमी हो गई है कि उन्होंने पौने तीन करोड़ के घाटे के बजट को २० लाख के सरप्लस बजट में परिणत कर दिया है। यह उन्होंने सी. डी. देशमुख और श्री टी. टी. कृष्णमचारी जैसी कामयाबी हासिल की है, यह दिमाग में पैदा होता है। यह कैसे हुआ? वह इस तरह से कि दो करोड़ ६० लाख रुपया जो हमें जागीरदारों को कम्पेन्सेशन देना है उसको हम केपिटल एकाउन्ट में ले गये हैं यानी इस साल का जो बजट है वह करीब करीब ५० करोड़ का बजट है, न कि कुल ३३ करोड़ का बजट है; यानी बजट के साथ साथ ३३ करोड़ का हमारा रेवेन्यु एकाउन्ट का बजट है और लगभग १७ करोड़ का हमारा केपिटल एकाउन्ट का बजट है। केपिटल एकाउन्ट वह होता है जो कर्जा लेकर, लोन अलोट करके या दूसरे तरीके से प्रोवीडेन्ट फन्ड का पैसा लेकर फाइनेन्स करते हैं, उसको हम चलाते हैं। तो जब हरेक बजट को टेस्ट किया जाता है कि डेफिसिट या सरप्लस है तो वह रेवेन्यु एक्सपेन्डीचर से किया जाता है, और केपिटल एक्सपेन्डीचर की तरफ कोई तवज्जह नहीं देता है। इस वजह से नहीं देता है कि केपिटल एकाउन्ट या केपिटल का जो एक्सपेन्डीचर है उसमें जो हम खर्च करते हैं, वह ऐसी चीजों पर खर्च करते हैं कि जिन पर लगाया हुआ रुपया वापिस आ जाता है, केपिटल एक्सपेन्डीचर तो जब आता है कि हमने कोई फेक्ट्री बनाई, या हमने कोई इन्वेस्टमेन्ट किया है, जिससे कि हमको रुपया वापिस मिलता है, वह चीज़ केपिटल एक्सपेन्डीचर में जाती

(श्री पी० के० चौधरी)

है। लेकिन यहां हम देखते हैं कि बजट के कई जगह हैड्स के हैड्स चेन्ज करते रहते हैं, रेवेन्यु को केपिटल में और केपिटल को रेवेन्यु एकाउन्ट में, और रेवेन्यु एकाउन्ट में भी हमें मद से मद का पता नहीं चलता है कि हम कहां जा रहे हैं और बाकी कहां जा रहे हैं। यह हमें जगलरी सा लगता है।

(हंसी)

कई दफा केपिटल एक्सपेन्डीचर के डिटेल्स स्टडी नहीं कर सके हैं। मैं समझता हूं कि वहां भी खामियां मिल सकेंगीं, ऐसी चीजें नजर आयेगी ऐसे एक्सपेन्डीचर उसमें हैं जिनको सही प्रिन्सिपल और केपिटल एक्सपेन्डीचर से जो एक्सपेन्डीचर करना चाहिए, जिनसे कि अल्टीमेटली पैसा रिकवर होना है, उन इन्वेस्टमेंट्स से पैसा वापिस मिलता है।

यह जो पिछले साल के बजट को कम्पेअर करेंगे तो पिछले साल के बजट में २ करोड़ ६० लाख का घाटा था, और इस साल हमने २ करोड़ ६० लाख को केपिटल एकाउन्ट में लिया है, उसमें से १०० करोड़ उसमें सिंकिंग फन्ड में है और बाकी के १५० करोड़में से ८० लाख का एक्सपेन्डीचर इसमें एड करते हैं तो दरअसल में यह बजट पिछले साल के स्टेन्डर्ड पर आ जाता है, यानी २ करोड ३० लाख के घाटे का बजट है न कि सरप्लस बजट।

तीसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहता हूं और वह यह है कि वित्त मंत्री महोदय बड़े चतुर हैं। कल जैसा मैंने कहा था कि वे कल्पना से hecan conjure up income, यानी आमदनी वे कल्पना से कन्ज्योर अप कर लेते हैं, पिछले साल, उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि वित्त मंत्री महोदय ने जब मई के महीने में जो बजट पेश किया था, उस बजट में आमदनी थी उसको गौर से देखें तो स्पेशल आइटम में ३० लाख रुपये बजट की आमदनी में वित्त मंत्री महोदय ने बजट पेश करते हुए कर दिये, लेकिन वह आमदनी कैसी बतलाई कि जो लेण्ड रेवेन्यु के ३० लाख के एरियर्स थे, उनको कलेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के १० लाख के एरियर्स थे उनको कलेक्ट करेंगे। ऐसे ऐसे करके कुछ मदों में ८० लाख रुपये उन्होंने बता दिये और ८० लाख का बजट पेश करने के साथ साथ फायदा हो गया। ८० लाख रुपये की इनकम बता दी। यह जो ८० लाख की मद थी जो कि वित्त मंत्री महोदय एरियर्स कलेक्ट करके करना चाहते थे, उसमें से किसी भी मद में एरियर्स कलेक्ट नहीं हुए, बल्कि उन हेड्स में जो कलेक्शन है, उनका जो एस्टीमेटेड कलेक्शन है. एरियर्स तो दूर रहे, रेग्ड एरियर्स तो कलेक्ट नहीं हुए, बल्कि एग्जिस्टिंग जो कलेक्शन थे, वे भी कम हुए, एग्जिस्टिंग रियलाइजेशन कम हुआ। इस सिलसिले में मैं आपका ध्यान वित्त मंत्री महोदय के भाषण के २८ वें पैरे की तरफ आकर्षित करता हूं, उसमें a number of heads show decreases. ३० लाख लैण्ड रेवेन्यु एरियर्स कलेक्ट करने का वायदा किया था, जिसके लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन सेट अप हो गया था। ऐसा कहा गया था, उस भाषण में कि वास्तव में लैण्ड रेवेन्यु में ४२ लाख रुपये कम रियलाइज हुए हैं, इरिगेशन में कहा था, उसमें २० लाख रुपये कम हुए हैं। इस तरह से ८० लाख रुपया बताया था, उसका ५० परसेंट ही कलेक्शन हुआ है। इस तरह से इस मद में उनके जो एस्टीमेटेड एन्टीसिपेटेड रियलाइजेशन्स ये करीब-करीब

(श्री पी० के० चौधरी)

२ करोड़ १४ लाख का एस्टीमेटेड रियलाइ-जेशन कम हुआ है। फिर भी रिवाइज्ड बजट जो था, उसमें क्यों घाटा मालूम नहीं हुआ, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड फायदा उनको मिल गया। ३१ लाख रुपये सेन्टर से मिल गये, कुछ गाडगिल कमिशन के बजट से मिल गया। इस वजह से रेवेन्यु का जो एक्सपेक्टेशन था, एन्टीसिपेशन था, जो एस्टीमेंट था उसमें इतना ज्यादा घाटा नहीं पड़ा क्योंकि अनएक्सपेक्टेड विन्ड फाल इनको मिले, उस वजह से। अनएक्सपेक्टेड विन्ड फाल्स नहीं आते तो पिछले साल का बजट २ करोड़ १४ लाख का और घाटे में जाता। तो यह चीज़ वित्त मंत्री महोदय के इस भाषण से नजर आती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस साल का जो बजट पेश किया गया है, उसमें कई बातें बताई गई हैं कि पैसा इकट्ठा करेंगे, ज्यादा आमदनी होगी, तो मुझे इस बात का भय है कि वित्त मंत्री ने बताया कि पैसा इकट्ठा करेंगे उससे रिसीट्स बढ़ जायगी, लेकिन मुझे शंका है कि वाकई में रिसीट्स बढ़ेगी या नहीं।

इसके बाद इस बजट को जब हम देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि पिछले साल से एक कदम भी आगे नहीं आये हैं। आज एक वेलफेयर स्टेट का जो बजट है, वह बजट स्टेशनरी नहीं है, वह स्टेगनेन्टिव नहीं है. वह (अश्रव्य) बजट होता है। आप हर ऐक चीज़ को देखें, इस बजट का जो एक्सपेन्डीचर है, जो क्रिटिकल आइटम्स हैं, उनको पहले लें, तो देखेंगे, तो एक्सपेन्डीचर साफ बताता है कि हम आगे नहीं बढ़े हैं बल्कि हम पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर इस साल पिछले साल के बजट से एजुकेशन के ऊपर कम एक्सपेन्डीचर हुआ है और इस साल जो आने वाला साल है, उसमें वित्त मंत्री महोदय ने एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर जिसको कि हम इतना जोर देते हैं, जो एलीमेन्ट्री एजुकेशन के लिए हम जल्दी से जल्दी कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन करना चाहते हैं, शिक्षा के ऊपर जितना जोर दिया जाता है, उस शिक्षा के मद पर जो बजट पिछले साल था वह ६ करोड़ पांच लाख का था, यानी पिछले साल टोटल रेवेन्यु का लगभग २० परसेन्ट उस पर खर्चा किया था, और इस साल शिक्षा के ऊपर जो वित मंत्री महोदय ने बजट रखा है वह ६ करोड़ ५५ लाख का रखा है, यानी टोटल रेवेन्यु का १६ परसेंट हम खर्च करेंगे। जब कि आप सब जानते हैं कि शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं, हम प्रस्ताव पास करते हैं, मीटिंगें करते हैं, कमेटी बिठाते हैं, रिज़ोल्युशन्स पास करते हैं, हमारा डॉइरेक्टिव प्रिन्सिपल स्टेट पॉलिसी का यह है कि कम्पलसरी प्राइमरी एजुकेशन करेंगे। वहां जाकर यह उस क्राइ-टेरिया का एक टेस्ट है कि जो बजट है उसमें हमने प्रोग्रेस किया है या हम पीछे गये हैं। यह क्या एक वेलफेयर स्टेट के लायक बजट है, यह एक टेस्ट हमने किया है। वह इसमें देखा है। इसको मैं सब से बड़ा टेस्ट समझता हूं। जिस बजट में शिक्षा की तरक्की पर इतना कम ध्यान दिया है, उस बजट को हम क्या कहें। वित्त मंत्रीजी को हम शिक्षक समझते हैं, वे शिक्षा शास्त्री हैं, वे शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, उनके हाथ से जो बजट पेश होता है उसमें शिक्षा का बजट २० परसेन्ट से १६ परसेन्ट आता है तो इसको मैं रिट्रोग्रेड समझता हूं। टोटल एक्सपेन्डिचर में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इस साल ३३ करोड़ का है और पिछले साल ३२ करोड़ का था। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि it will rise substantially. ऐसा होने पर हम समझते कि कदम आगे बढ़ा रहे हैं।

Page No.93

(श्री पी० के० चौधरी)

शिक्षा के बजट को भी आप एनेलाइज़ करेंगे तो देखेंगे कि यह अनबैलेन्स्ड है । इस सेन्स में शिक्षा के बजट में से युनिवर्सिटी पर ६२ लाख रुपये पिछले साल खर्च हुए थे, इस साल वित्त मंत्रीजी ने ७२ लाख रुपये रखे हैं । सेकन्ड्री एज्युकेशन पर पिछले साल २ करोड़ ५७ लाख रुपये रखे थे और इस साल २ करोड़ ६२ लाख रुपये रखे हैं और प्राइमरी एज्युकेशन पर पिछले साल १ करोड़ ४६ लाख रुपये खर्च हुए थे, इस साल इसके लिये १ करोड़ ७० लाख रुपये प्राइमरी एज्युकेशन के लिये रखे हैं । प्राइमरी एज्युकेशन पर आप पौने दो करोड़ रुपये रखते हैं और सेकन्डरी एज्युकेशन पर करीब पौने तीन करोड़ रुपये खर्च करते हैं । मैं नहीं समझता कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के अनइवन डिस्ट्रीब्युशन को ठीक समझेगा । जब हम प्राइमरी एज्युकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, where the number of people concerned is much nore, उस समय प्राइमरी एज्युकेशन पर सेकन्ड्री एज्युकेशन से भी कम रुपये खर्च करने को रखें जब कि यहां पर १०० प्राइमरी स्कूलों के पीछे मुश्किल से एक-दो हायर सेकन्ड्री स्कूलें होंगी । सेकन्ड्री एज्युकेशन पर जो खर्चा करते हैं उसका ७० पर्सेंट खर्चा प्राइमरी एज्युकेशन पर होता है तो मैं नहीं समझता कि हमारा बजट वेल बैलेन्स्ड है या वेल थोट ऑफ है । डेवलपमेंट की दृष्टि से युनिवर्सिटी कार्य स्पेशल स्कूलों के लिये ३२ लाख रुपये रखे हैं, पिछले साल से बढ़ गया है क्योंकि पिछले साल २३ लाख थे; राजस्थान कॉलेज वगैरह हैं उसमें खर्चा करते हैं । मैं समझता हूं यह डेवलपमेन्ट का बजट नहीं है, डिफेक्टिव एटिट्यूड है । एग्जिक्यूटिव द्वारा बजट एलोटमेंट बिल्कुल गलत है ।

मैं नहीं कहता कि सेकन्ड्री एज्युकेशन पर खर्चा कम कर दिया जाय, लेकिन साथ ही प्राइमरी एज्युकेशन पर और अधिक खर्चा करना चाहिये । सेकन्ड्री से डबल या त्रिबल खर्चा प्राइमरी पर होना चाहिये तभी जो प्रोमिज़ेज़ करते हैं वे पूरे होंगे । प्रोमिज़ेज़ केवल आप ही नहीं करते हैं बल्कि हम भी करते हैं कि शिक्षा का अधिक प्रचार करेंगे । आप भी रिज़ोलुशन पास करते हैं, अखबारों में खबरें आती हैं । हमारे कांस्टिट्युशन में भी इस बात का उल्लेख आता है । लेकिन जब एग्जीक्युशन का सवाल आता है तब व्यवहार में विपरीत बात होती है । प्राइमरी एज्युकेशन कम्पलसरी करने का नारा लगाते हैं लेकिन बजट आता है तो इस तरह का अलॉटमेंट करते हैं । मैं समझता हूं, यह ठीक नहीं है, इसको सुधारना चाहिये । वित्त मंत्रीजी शिक्षक हैं, शिक्षा शास्त्री; उनके हाथ से इस प्रकार का बजट बनता है तो यह ठीक नहीं है । जिस बजट में शिक्षा का बजट स्टेशनरी हो वह अच्छा बजट नहीं कहा जा सकता है । ६ करोड़ पहले भी था और ६ करोड़ अब भी है । जब कि हमें ५ वर्षों में काफी तरक्की करनी चाहिये । शिक्षा के लिये बजट एलोटमेंट बिल्कुल रद्दी है, बिल्कुल सेटिस्फेक्ट्री नहीं है । शिक्षा पर डबल खर्चा करना चाहिये था ।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं एम्पलायमेन्ट के लिये; एम्पलोयमेन्ट के बारे में पिछले साल वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया था कि इतना एम्पलोयमेन्ट कर देंगे, शायद ११०००; शायद इसका उल्लेख वित्त मंत्री जी ने किया था या राज्यपाल ने किया था । लेकिन इस साल न तो राज्यपाल की स्पीच में इसका

(श्री पी० के० चौधरी)

जिक्र है और न वित्त मंत्री जी ने बेकारी मिटाने का जिक्र किया है। एक सवाल पूछा गया था कि अनएम्पलोयमेन्ट को दूर करने के लिये सरकार की ओर से क्या करने जा रहे हैं ? डिप्टी मिनिस्टर की ओर से जवाब दिया गया था कि हम सिंगल टीचर्स स्कूल्स खोल रहे हैं। मैं समझता हूं, अनएम्पलोयमेन्ट को दूर करने के लिये सिंगल टीचर्स स्कूल्स खोलना ही काफी नहीं है। इससे अनएम्पलोयमेन्ट दूर नहीं हो सकता। सिंगल टीचर स्कूल में एक आदमी को कम से कम १२०० रूपये देने होते हैं। एक आदमी को आपने एम्पलोयमेन्ट दिया १ साल के लिये और उसको २५ साल तक रखेंगे तो उसके पीछे ३०,००० रूपये खर्च करेंगे। अनएम्पलोयमेन्ट को दूर करने के लिये ३० हजार रूपयों का इस तरह डिस्ट्रिब्युशन करने के बजाय एक आदमी को एक हज़ार रूपया देकर किसी धंधे में एस्टेब्लिश करते तो वह आदमी अपने पांवों पर खड़ा होता और उसका सेल्फ रेस्पेक्ट बढ़ता और वह आप पर निर्भर नहीं करता, खुद कमा पाता, आपको जो सेन्टर से एलोटमेन्ट मिलता है उस ग्रान्ट का इस किस्म का उपयोग ठीक नहीं है। मुझे मालूम हुआ है कि सेन्टर से डेवलपमेन्ट ग्रान्ट दी जाती है उसको जिस पर्पज़ के लिये देते हैं उसी पर्पज़ के लिये खर्च नहीं करके उसको इस ढंग से लगाते हैं कि रुटीन एक्सपेन्डिचर मीट करते हैं लेकिन नाम बदल कर। रूटीन एक्सपेन्डिचर तो करते हैं लेकिन रूटीन का नाम बदल कर डेवलपमेन्ट का नाम डाल देते हैं, यह तरीका नहीं होना चाहिये।

यह मैंने महसूस किया कि यह अनएम्पलोयमेन्ट दूर करने का तरीका नहीं है। इससे तो अच्छा होता उसको एक मशीन खरीद कर उस पर लगा देते, तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन एक आदमी को आप २५ साल के लिये नौकर लगाते हैं ३०,००० रू. उस पर खर्च करते हैं फिर भी प्रोडक्शन कुछ नहीं होता।

दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं, वह है ओवर बजटिंग की। हमें पूरा पता नहीं चलता कि कितना ओवर बजटिंग हुआ है क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट दो साल के बाद आती है, ५३ की रिपोर्ट ५५ में आती है और ५५ की रिपोर्ट ५७ में आती है, इसलिये पिछले साल कितना ओवर बजटिंग हुआ, इसका पता नहीं है। इसका पता अगले साल लगेगा। जरूरी यह था कि पिछले साल का पता इस साल बजट पेश होने से पहले लगता। हम देखते हैं कि सप्लीमेन्ट्री ग्रान्ट लेते है उससे ज्यादा पैसा बाकी रह जाता है, प्रोपर युटेलाइज़ेशन नहीं होता। ओवर बजटिंग यह बतलाता है कि रूटीन तरीके से बजट बनता है कोई दिमाग नहीं लगाता है, कोई स्क्रुटिनाइजिंग नहीं करते। इसका दूसरा नतीजा यह होता है कि एक्सपेन्डिचर पर कंट्रोल नहीं होता। किसी हेड में ३ लाख रूपये बाकी रह जाते हैं तो ३१ मार्च को पैसा ले लेते हैं या इससे पहले जल्दबाजी में पैसा खर्च करने की कोशिश करते हैं तो इस तरह से भी बराबर खर्चा नहीं होता। जैसा सोच समझ कर खर्चा करना चाहिये वैसा नहीं होता, पर्चेज़ेज़ हेस्टिली करते हैं और पर्चेज़ेज में डिलेज़ होती हैं, उसका कारण यह है कि बजट में जो पैसा मंजूर करते हैं, मैं जानता हूँ, जो एग्ज़ीक्युटिव ऑफिसर जो उस बजट के अनुसार पर्चेज़ेज़ करते हैं, उस पैसे को खर्च करते हैं, उनके पास बजट की डिटेल्स अक्टूबर में पहुँचती हैं। जो बजट में दिये हुए पैसे को खर्च करने वाले हैं, जो

(श्री पी० के० चौधरी)

पर्चेज़ेज करने वाले हैं, उनके पास अक्टूबर में बजट पहुंचता है । वे उसके बाद टेन्डर कॉल करते हैं और जनवरी-फरवरी से पहले इस साल के बजट में से, जो आज की तारीख में पास हो जाता है, पर्चेज़ेज होती हैं, पर्चेज़ेज अगले साल डिलीवर होती हैं । इस प्रकार पर्चेज़ेज का काम जनवरी, फ़रवरी से चलता है और मार्च के आखिर तक चलता है। मैं समझता हूँ, वित्त मंत्री महोदय इसको रोकने की कोशिश करें ताकि जो बजट पास होता है, वह हैड ऑफ दी ऑफिसेज़ के पास जल्दी ही पहुंच जाय और जितनी पर्चेज़ेज हैं वे जून-जुलाई तक कर सकें। आज आप एक भी डिपार्टमेंट बता दीजिये जिसके पास पर्चेज़ेज़ की डिलीवरी जनवरी-फरवरी से पहले हो गई हो और अक्टूबर के पहले टेन्डर कॉल कर लिये हों। हैड ऑफ दी ऑफिसेज़ आखिरी महीने में पर्चेज़ेज़ करते हैं और अनाप-शनाप खर्च करते हैं । यदि कोई टेन्डर नहीं भरता है तो उनको बुला कर बोलते हैं कि टेन्डर भर दो नहीं तो हमारा बजट लैप्स हो जायेगा। इस प्रकार उनको टेन्डर तो मिल जाता है लेकिन जो सामान मिलता है उसकी क्वालिटी गिर जाती है। डिपार्टमेंट ऊंची रेट्स देते हैं लेकिन खराब क्वालिटी का सामान लेना पड़ता है । अगर पर्चेज़ेज़ शुरू में होती हैं तो मार्केट प्राइस से पर्चेज़ेज़ कर अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं । आख़िर में पर्चेज़ेज़ करते हैं तो बजट लैप्स न हो इसलिए किसी तरह टेन्डर भरा लेते हैं और सामान की रेट बराबर देते हैं और क्वालिटी खराब लेते हैं। इस प्रकार वे सेलर्स मार्केट में से पर्चेज़ेज़ करते हैं, पूरा पैसा खर्च करते हैं; लेकिन रिटर्न नहीं मिलता है ।

४.३ म० प०

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ दो चीजों की तरफ वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और खास तौर से इसके बारे में मैं मुख्य मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । वे बातें हैं राजस्थान के डेवलपमेंट के लिए। मैं समझता हूं कि किसी भी प्रान्त के लिए ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है। प्लानिंग कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है और सैकिंड फाइव इयर प्लान में भी कहा गया है कि किसी प्रान्त का, किसी देश का विकास करना है, आर्थिक विकास करना है, तो यह उस प्रान्त का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेन्ड करता है। राजस्थान के अन्दर कम्युनिकेशन का जहां तक सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि दूसरे किसी प्रान्त में कम्युनिकेशन की जो सहूलियत हैं वे इतनी कम नहीं हैं, जितनी कि राजस्थान में हैं । राजस्थान का प्रान्त हिन्दुस्तान के प्रान्तों में बहुत बड़े प्रान्तों में से एक है। राजस्थान का एक लाख ३० हजार स्क्वायर माइल का विस्तार है, हिन्दुस्तान के अन्दर यह तीसरे नम्बर का प्रान्त है । सारे हिन्दुस्तान में बम्बई और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान का नम्बर आता है, लेकिन जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, ट्रान्सपोर्ट की सुविधा का सवाल है, यहां सबसे कम है, रेल्वे लाइन यहां पर सब से कम हैं, रास्ते यहां पर सब से कम हैं और जो ट्रान्सपोर्ट है, रोड ट्रान्सपोर्ट है, वह सुविधाजनक नहीं है, उससे पब्लिक को बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहां पर अच्छी बसें नहीं चलती हैं । जो बसें चलती भी हैं तो सर्विस बराबर अच्छी नहीं देती हैं। एक जगह से दूसरी जगह पर समय पर नहीं जा सकते, इससे टाइम वेस्ट होता है। बहुत से लोग बिज़नेस के सम्बन्ध में, लिटिगेशन के सम्बन्ध में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनका एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट

(श्री पी० के० चौधरी)

होता है। किसान लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, मजदूर लोग जो एक्टिव लोग होते हैं, इन लोगों का भी यातायात में काफी टाइम जाता है। तो इकॉनामिक डेवलपमेन्ट के लिए, गुड्स के स्मूथ मूवमेंट के लिए यह बहुत जरूरी है कि ट्रान्सपोर्ट सिस्टम अच्छा हो। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लानिंग कमीशन है, उसने एक स्टडी ग्रुप अपोइन्ट किया था और उन्होंने उसको यह देखने को कहा था कि डेवलपमेन्ट है वह क्यों कम होता है, इसकी वजह क्या है ? जो वजह है, मैं आपको, उपाध्यक्ष महोदय, सुना देता हूं। प्लानिंग कमीशन के सैकण्ड फाइव इयर प्लान के ४७६ पन्ने पर है :

"The inadequate development of road transport during the recent years has been attributed to a number of causes. Among these, commonly attributed are the fear of nationalisation, high level of taxatiou on motor transport, restrictions placed on inter-State movement..."

मुझे वह पेज नहीं मिला है लेकिन उसमें यह बताया गया है कि ट्रान्सपोर्ट में जो रेस्ट्रिक्शन होता है उसका कारण यह है कि परमिट्स जो दिये जाते हैं वे परमिट्स मोटर विहीकल्स एक्ट के माफिक नहीं दिये जाते हैं। इस एक्ट में कहा गया है कि परमिट जितने फ्रीली दिये जावें, उतने देने चाहिए। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के प्लानिंग कमीशन ने एक स्टडी ग्रुप अपोइन्ट किया था, उसकी रिपोर्ट में यह है :

"In the areas that would be left outside the approved nationalisation schemes, permits should be granted freely for periods of not less thah 3 years in accordance with the provisions of the Motor vehicles Act. 1939."

यानि जहां नेशनलाइज़ेशन नहीं है, वहां पर परमिट्स फ्रीली देने चाहिए और परमिट्स मोटर विहीकल्स एक्ट के माफिक देने चाहिए। इस एक्ट में कहा गया है कि परमिट कम से कम तीन साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा पांच साल के लिए दिये जाने चाहिए जब कि हमारे स्टेट में जो परमिट देते हैं वह साल भर के लिए देते हैं। दूसरी जिस बात का मोटर विहीकल्स एक्ट में इन्डीकेशन है, वह यह है कि जब रिनुअल का सवाल आता है, other things being equal' renewal ot the permits should be given preference.

यानी रिनुअल में पुरानों को प्रिफ़रेन्स मिलना चाहिए, बनिस्पत नये एप्लीकेन्ट्स के। रिनुअल के लिए प्रिफरेन्स नहीं मिलता है, even when other conditions are the same.

इसकी वजह क्या होती है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसका डेवलपमेन्ट नहीं हो रहा है, इसका कारण है, कि जो ऑपरेटर्स बसें प्लाई करते हैं, उनको परमिट के लिए नाजायज रूप से काफी रुपया खर्च करना पड़ता है और वह आम बात है कि जो परमिट्स लेते हैं, उन हर परमिट्स के लिए अलग अलग रेट्स हैं। यानी जब तक कुछ पैसा नहीं पहुंचाया जाता है तब तक परमिट नहीं मिलता है। एक रिसेन्ट इन्सीडेन्ट मुझे याद है, जिसे मोटर विहीकल्स एक्ट के मातहत एक इन्सीडेन्ट कहता हूं, जो मेरी जानकारी में आया है, उसके बारे में मैंने सवाल भी पूछा था जो यह है कि कोटा से

(श्री पी० के० चौधरी)

अजमेर बस चलती थी, वह बूंदी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी की बस थी और मैं समझता हूं कि वे बसें दूसरी कम्पनी की बसों से कम नहीं थीं। तो कोटा से अजमेर चलने वाली बस का जो परमिट था, उसका जो भाग उदयपुर रीजन में आता है, उसका परमिट उन्होंने दे दिया था लेकिन जो हिस्सा जयपुर में आता था, जिसको कि अजमेर डिवीज़न के कमिश्नर को करना था, उसको चाहिए था कि वह कर दें, He has to Sign. It is mandatory. लेकिन उसको नहीं किया बल्कि उसके पीछे सौदे बाजी हुई। वह भी मुझे मालूम हुई है, उसके पीछे सौदे बाज़ी हुई कि २५ हजार रुपया चाहिए तब रिनुअल किया जायगा। आप किसी से बात कीजिये, इस सदन के हर सदस्य से पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछिये कि परमिट देने के बारे में क्या बात सुनाई देती है; तो हरेक कहेगा कि परमिट बिना पैसा दिये नहीं मिलता है। जब तक पैसा नहीं मिलता है तब तक परमिट नहीं मिलता है। मैं समझता हूं, इस चीज़ को बन्द करने के लिए एक तरीका हो सकता है और वह यह है कि मोटर विहीकल्स एक्ट के अन्दर जो प्रोवीज़न है उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फोलो किया जाय। अगर आप परमिट कम से कम तीन साल के लिए और ज्यादा से ज्यादा पांच साल के लिए देंगे तो जो ऑपरेटर्स हैं वे पैसे को रिश्वतख़ोरी में न लगा कर, उस पैसे की सर्विस को एफीशियेन्ट बनाने में लगा सकते हैं। यदि एक आदमी कोटा से अजमेर या अजमेर से जयपुर के लिए, मान लीजिये, परमिट के लिए २५ हज़ार रुपया दे तो आख़िर सर्विस में क्या एफीशियेन्सी लायेगा? अगर २५ हजार देगा तो बस में ओवर क्राउडिंग करके बस में ज्यादा आदमी बिठाकर पैसा वसूल करने की कोशिश करेगा। अगर कॉम्युनिकेशन को डेवलप करना है तो ऑपरेटर्स को फ्रीली परमिट देने चाहिए और इस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रान्सपोर्ट के लिए स्टडी ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने जो रिकमन्डेशन्स की हैं, उनसे ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है, ट्रान्सपोर्ट का तब ही डेवलपमेंट हो सकता है जब उन प्रिन्सिपल्स को स्ट्रिक्टली फोलो करेंगे। वह मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं। उन्होंने यह रिकमन्डेशन की है :

"In the areas that would be left outside the approved nationalisation schemes, permits should be granted freely for periods of not less than 3 years in accordance with the provisions of the Motor Vehicles Act, 1939.

with a view to make the motor transport services run by private operators more economical and efficient, the State Governments have been advised to encourage the formation of viable units. In this connection, it may be mentioned that specific provision for preference being given to co-operative societies in the grant of permits has been included in the motor vehicles (Amendment) Act."

तो यह जो है इसमें साफ़ ज़ाहिर होता है कि यह स्टडी ग्रुप गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया ने किया तो उनके कान में भी बात पहुंची कि सर्विसेज़ की एफिशियेन्सी इसलिये नहीं आती है कि इधर-उधर खर्च करना पड़ता है। ५ साल के लिये किसी को परमिट दीजिये ताकि एफिशियेन्सी के लिये कोशिश कर सकें। दूसरे वॉयेबल युनिटस को दीजिये जो बराबर सर्विस दे सकें, उसको प्रिफरेंस दें। परमिट जो दिये

(श्री पी० के० चौधरी)

जायं वे एक आदमी को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं बल्कि पब्लिक को एफिशियेन्ट सर्विस देने के लिये दिये जाने चाहिये। तो मैं यह मानता हूं कि एक-एक आदमी जो बस के पर्मिट के लिये एप्लाई करता है, उसको बन्द कर देना चाहिये। जो ड्राइवर्स को ज्यादा तनख्वाह दे सकें, एक बस खराब हो जाय तो उसकी जगह दूसरी बस चला सकें, जिसके पास तीन चार बसेज़ हों, उसको दें। यह कन्डिशन मोटर विहिकल्स एक्ट में है, राजस्थान में रूल्स में मोडिफाई कर लिया है, तीन साल के लिये दिया जाय, इस तरफ ध्यान रखेंगे तो राजस्थान का रोड कॉम्युनिकेशन बढ़ेगा और अगर इसको नेशनेलाइज़ कर लेते हैं तो सारा टंटा ही मिट जाता है, तो सारा टंटा ही मिट जाता है यह भारत सरकार का आखिरी एम है, हमारा आखिरी एम है नेशनेलाइज़ेशन ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट। चार-पांच लाख रुपयों की गाड़ी खरीदें तो काम शुरू किया जा सकता है। ७० लाख रुपये आपको मोटर विहिकल्स के टेक्सेशन से मिलता है, उसकी वसूली पर सिर्फ साढ़े चार लाख रुपया खर्च होता है, ६७ लाख रुपया इसमें से एक्सपेन्डीचर के बाद आपके पास बचता है। थोड़े दिनों पहले रेल्वे बजट देखा है, ७६ करोड़ रुपये का नेट नफा हुआ, ७६ करोड़ का नेट रेवेन्यू हुआ था तो उसमें से वे लोग लगभग ५० करोड़ रुपया जनरल रेवेन्यू के डिविडेन्ट में दे देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ७० लाख मोटर विहिकल्स टैक्सेशन से आपको मिलता है, उसकी वसूली के लिये ४ लाख रुपये खर्च होते हैं। रेल्वे की नेट इन्कम का ३३ परसेंट रुपया इसके डेवलपमेंट में सैंट्रल फंड में ४६ करोड़ जाने के बाद नेट सेविंग्स में से बाकी पैसा रहता है, रेल्वे के डेवेलपमेंट में जाता है, रेल्वे की तरक्की के लिये खर्च होता है। तो मेरी अर्ज है कि मोटर विहिकल्स टेक्सेशन से जो पैसा मिलता है उसमें से २० परसेंट, ३० पर्सेन्ट पैसा अलोट कर दीजिये कि नेशनेलाइज़ेशन के लिये खर्च करेंगे। कलेक्शन के साढ़े चार लाख हैं। १,१०,००० रुपया आप इन्स्पेक्शन चार्जेज़ में खर्च करते हैं, आपको इसकी कोई फिक्र नहीं है कि बस अपटू स्टेन्डर्ड है कि नहीं, ओवर क्राउडिंग तो नहीं होता है, इन्स्पेक्शन का एक्सपेन्डीचर है,....

Inspectorate is meant for looking after the safety and facilities of the public.

और कोई काम आपका नहीं है इन्स्पेक्शन के खर्च का, बसेज़ के स्टेन्डर्ड की ओर कोई ध्यान नहीं, सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं, इन्स्पेक्शन में एक लाख रुपया खर्च करते हैं। मैं तो मानता हूं कि कलेक्शन का खर्चा ज्यादा है, इन्स्पेक्शन में और खर्चा करना चाहिये, ताकि हमारे यहां रोड कॉम्युनिकेशन में तरक्की हो। जो स्टेन्डर्ड चीजें हैं वे आज इन बसेज़ में नहीं, ओवर क्राउडिंग की तो बात ही क्या कहनी है?

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और खास तौर से वित्त मंत्रीजी का ध्यान इस तरफ खींचना चाहता हूं, वह है प्रोहिबिशन के बारे में। आज हिन्दुस्थान में सिवाय राजस्थान के हर एक स्टेट ने अपनी प्रोहिबिशन पोलिसी डिक्लेअर कर दी है; बोम्बे, मद्रास, आन्ध्र और सौराष्ट्र ने तो प्रोहिबिशन लागू कर दिया है पर अपनी अपनी प्रोहिबिशन पॉलिसी हर एक गवर्नमेंट ने डिक्लेअर कर दी है; पर हमारी

(श्री पी० के० चौधरी)

राजस्थान सरकार की तरफ से प्रोहिबिशन पॉलिसी डिक्लेअर नहीं हुई है। इस पर रिमार्क पास किया है प्रोहिबिशन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कि राजस्थान सरकार ने प्रोहिबिशन पॉलिसी डिक्लेअर नहीं की है, उनकी पॉलिसी इस बारे में वही चल रही है, "Maximum revenue with minimum consumption." यह प्रिंसिपल है। इसका ओरिजिन कहां है, इसको मैं माननीय उपाध्यक्ष, बताना चाहता हूं। १६०५ के पहले ब्रिटिश सरकार ने घोषित किया था, मैं वित्त मंत्री जी से पूछूंगा कि इस पॉलिसी में और आपकी पॉलिसी में कोई फर्क हो तो बता दें; मैं पढ़ कर सुना देता हूं। उसमें जो पॉलिसी है उसमें आपने कहां तक तरक्की की है, यह बतायेंगे तो मैं जो आपके सामने चार्ज लगाता हूं वह विथड्रॉ करूंगा।

वह पॉलिसी यह है, १६०५ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने डिक्लेअर किया था:

"The general lines of excise policy for the guidance of Provincial Governments were enunciated by the Government of India in their Resolution No. 5001 Exc. dated the 7th September, 1905 as below:—

The Government of India have no desire to interfere with the habits of those who use alcohol in moderation and it is necessary in their opinion to make due provision for the needs of such persons. Their settled policy, however, is to minimize temptation to those who do not drink and to discourage excess among those who do, and to a furtherance of this policy, all considerations of revenue must be absolutely sudordinated. The most effective method of furthering this policy is to make the tax on liquor as high, as it is possible to raise it without stimulating illicit consumption to a degree, which would increase instead of diminishing the total consumption and without driving people to substitute deleterious drugs for alcohol, or a more or less harmful form of liquor."

It would appear from the Excise Manuals of various Provincial Govrnments that policy of deriving maximum revenue from minimum consumption was applicable generally to all exciseable articles...... तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आज हमारी सरकार वही कर रही है जो ब्रिटिश इन्डिया की गवर्नमेंट ने १६०५ में किया था और उसने बताया था कि हमारी पॉलिसी यह होनी चाहिये, उन्होंने कहा कि जो शराब पीता है उनको रोकने का काम नहीं है। नये लोग न पीएं, आज भी हमारी राजस्थान सरकार की यह पॉलिसी है। मैं यह कहूंगा कि जब प्रोहिबिशन इन्क्वायरी कमेटी ने इस बात की सिफारिश की है कि कम से कम ५६ के आखिर तक यह प्रोहिबिशन हो जाना चाहिये और उसने यह कहा है कि भारत के हर प्रांत की सरकार अपनी प्रोहिबिशन पॉलिसी डिक्लेअर कर देगी और १ अप्रैल, १६५८ से यह प्रोहिबिशन हो जायगा। यही पॉलिसी हमारी पार्लियामेंट और नेशनल एसेम्बली की

(श्री पी० के० चौधरी)

है। पार्लियामेंट का इस सम्बन्ध में एक रिज़ोल्युशन है जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उपाध्यक्ष महोदय, पार्लियामेंट में ३१ मार्च को लोक सभा में यह रिज़ोल्युशन पास किया था :

"This House is of the opinion that prohibition should be regarded as an integral part of the Second Five Year Plan, and recommend that the Planning Commission should formulate necessary programme to bring about national prohibition necessarily and effectively."

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हमारी पार्लियामेन्ट ने यह नेशनल पॉलिसी मानी है और यह रिज़ोल्युशन पास किया है, तो हमारी सरकार की तरफ से इस प्रकार की कोई पॉलिसी क्यों नहीं आई है? मैं वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को इस सम्बन्ध में याद दिलाना चाहता हूं कि १६२० में कांग्रेस गवर्नमेन्ट ने अपनी पॉलिसी डिक्लेअर की थी, गवर्नमेन्ट तो नहीं थी मगर कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी टोटल प्रोहिबिशन की डिक्लेअर की थी और टोटल प्रोहिबिशन का प्लेज किया था और कहा था कि सारे देश में प्रोहिबिशन पॉलिसी लागू करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ और आपको याद होगा कि जब गांधी इरविन-पेक्ट हुआ था उस समय महात्माजी ने कहा था कि सब बातों पर कम्प्रोमाइज हो सकता है मगर लिकर पर नहीं होगा और वह कम्प्रोमाइज लिकर पर नही हुआ। इसलिये मैं यह आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप उस पॉलिसी को अमल में लाने की कोशिश करें। इसके अलावा ये सारी बातें हमको याद दिलाती हैं। क्योंकि यह जो दलील रखी है वह १६५५ की दलील है। प्रोहिबिशन कमेटी ने सारे हिन्दुस्तान का दौरा किया और उसने बताया है कि टैक्स बढ़ाने से यह कम नहीं होता। जो लोग पीने के आदी हैं, एडिक्टेड हैं वे लोग तो पीते ही रहेंगे, वे अपने खर्चे दूसरों में कम कर सकते हैं, मगर इसमें वे अपना खर्चा कम नहीं करेंगे और बढ़ा देंगे। उस कमेटी ने यह कहा है कि टैक्सेशन बढ़ाने से यह बन्द नहीं हो सकता और इसके बढ़ने से किसी ने शराब पीना बन्द नहीं किया। इसलिये यह ख्याल करना कि टैक्स बढ़ाने से लोग शराब पीना बन्द कर देंगे यह सही नही है। आज कम से कम बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जहां लिकर प्रोहिबिशन कामयाब हुआ है, मैं इस संबन्ध में आपको यह बता देना चाहता हूं कि कम से कम सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनके लिये यह ऑब्लीगेटरी नहीं, मेन्डेटरी कर दिया जावे कि वे ड्रिंक न लें क्योंकि सबसे ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इसके लिये रेस्पोन्सिबल हैं। लोग कहते हैं कि Government officers were responsible for the failure of prohibition in America. मैं यह कहूंगा कि सबसे पहले ऑफिसरों पर यह बान होना चाहिये, कम से कम सभी ऑफिसर लोग शराब पीते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां पर शराब बन्द है; जैसे बंबई में तो वहां के बड़े बड़े ऑफिसर लोग शराब पीने के लिये दिल्ली आते हैं। मैं इस बात को जानता हूं और मैंने देखा है, मेरे साथ गाड़ी में बैठे थे। इसके बंबई में बन्द होने से वहां के मजदूरों को काफी फायदा हुआ है और उन्होंने काफी तरक्की की है। उनके यहां पर रोजाना मारपीट हुआ करती थी वह बन्द हो गई। घर में बाल-बच्चे आराम से रहने लग गये हैं और उनके यहां

(श्री पी० के० चौधरी)

पर गहने कपड़े पहिनने को हो गये और उनका स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग सुधर गया है। मगर बड़े बड़े ऑफिसर लोग जब उनको शराब पीना होता है तो वे फर्स्ट या सेकिन्ड क्लास में बैठ कर बम्बई से दिल्ली तक आते हैं, बम्बई से रतलाम तक आते हैं और रतलाम में आकर शराब पीते हैं। इसलिये मैं यह कहूंगा कि इस प्रोहिबिशन को फेल कराने के लिये सरकारी अधिकारी ज्यादा जिम्मेदार हैं। इसलिये सरकारी अधिकारियों के लिये तो यह हो ही जाना चाहिये कि वे शराब न पीएं। तो मेरी अर्ज यह है कि फाइनेन्स मंत्री महोदय इस प्रोहिबिशन पर खास ध्यान देंगे।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां पर लम्बरदारों के बारे में मेरे पूर्व वक्ता जो चूरू से आये हैं, उन माननीय सदस्य ने कहा, लेकिन यह तो एक टैक्सेशन है। मैं तो कहता हूं, it is abuse of the rule making power. रेवेन्यु कानून के मातहत रूल्स हैं उसकी मंशा क्या है? उसकी मंशा यह नहीं है कि उस एक्ट को अमल में लाने के लिये उनको ब्लेंक चैक सौंप कर कह दिया जाय कि जिस तरह से आप टैक्स लगाना चाहें लगा दें। आपने कहा है कि नम्बरदार को तनख्वाह मिलेगी वह इस तरह से मिलेगी। वह १००) रु० रेवेन्यू कलेक्ट करेगा उसमें ५ पर्सेन्ट वह ज्यादा रेवेन्यू वसूल करेगा। जब वह किसी किसान से लगान वसूल करेगा तो १० रुपये का जब लगान वसूल करेगा तो ५ परसेन्ट के हिसाब से वह उस किसान से १० रु० तो लगान के वसूल करेगा और ८ आने अपने लेगा, यानी उस किसान से १० रुपये के १०॥) रु० लेगा। इसका मतलब यह हुआ कि उसकी तनख्वाह जो होगी वह किसान से वसूल होगी। आज राजस्थान सरकार की ६। करोड़ या ६॥ करोड़ की लेन्ड रेवेन्यु वसूल होती है, उसका अगर हिसाब लगाया जावे तो उस हिसाब से ३२ लाख रुपया ज्यादा किसानों से वसूल सरकार करेगी जो लेण्ड रेवेन्यू देते हैं। मैं मानता हूं कि जो व्यक्ति किसी तरह की लेवी आदि देता है, वह एक प्रकार का टैक्स होता है। मगर नम्बरदार जो ५ पर्सेन्ट किसानों से ज्यादा लेता है वह भी तो एक प्रकार का टैक्स ही है। मैं यह कहूंगा कि यह जो टैक्स लिया जा रहा है, राजस्व मंत्री से और रूलिंग पार्टी से मैं यह कहूंगा कि गवर्नमेंट को जो पॉवर्स दिये गये हैं वह उनका मिसयूज़ होता है, हम उनको अधिकार यह समझ कर देते हैं कि वे उसका मिसयूज नहीं करेंगे। मैं समझता हूं कि ज्यादा पैसा किसानों से वसूल करना it is an abuse and mis-use of the rule making power. यह एक प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं और इस प्रकार का एक्स्ट्रा चार्ज लेने का सरकार का कोई अधिकार नहीं था। Every peasant who pays revenue will have to pay 5 percent extra for the maintenance of lambardar. अगर आपको नम्बरदार को पैसे देने हैं तो आपको अपनी रेवेन्यु में से देने चाहिये, न कि किसान पर उसका बोझा डाला जाए। मैं यह कहता हूं कि यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है। It is a very serious thing. parliamentary democracy के मूल सिद्धान्तों को ब्रेक किया गया है। यह डेमोक्रेसी का एक प्रकार का मखौल है। इसके लिये तो मैं बहुत स्ट्रोंगली कहूंगा। I take exception to it that the Government has misused and abused the power of

(श्री पी० के० चौधरी)

rule making which was entrusted to it by this House. यह मेरा स्टेन्ड है इसके बारे में ।

दूसरी बात माननीय उपाध्यक्ष, मैं गवर्नमेन्ट की रिक्रूटमेंट पोलिसी के बारे में कहना चाहता हूं । एपोइन्टमेंट्स किस प्रकार होते हैं ? आप किसी से भी पूछिये कि एपोइन्टमेंट किस तरह से होते हैं, तो वह यही कहता है कि एपोइन्टमेन्ट में चलता है नेपोटिज़्म (nepotism), फेवरिटिज़्म (favouritism) और रिश्वत । इसकी मैं आपको एक मिसाल सदन के सामने पेश करना चाहता हूं । एक आदमी है वह उदयपुर जाता है । १४ दिसम्बर को वह कहता है कि मेरा एपोइन्टमेंट हो जायगा, चूरू कॉलेज में पोलिटिक्ल साइन्स के लेक्चरार की तरह । उदयपुर से चिट्ठी चल जाती है ।

"G.L. Tewari has been appointed as Lecturer in Political Science in Churu College."

वह पोस्टकार्ड हमारे हाथ में आता है । उसकी फोटो कोपी मैं सदन के सामने पेश करता हूं । दूसरा क्या होता है. एपोइन्टमेंट ऑर्डर होते हैं १७ दिसम्बर को । जब १७. १२. को एपोइन्टमेंट ऑर्डर होते हैं तो उसको १४. १२. को किस तरह मालूम हो गया that G.L. Tewari is going to be appointed as Lecturer in Political Science. वह १४ तारीख को मालूम होता है । वह चिट्ठी हमारे पास है । इस पर इन्क्वायरी होनी चाहिये । यह क्या बताता है ? इस आदमी को कैसे मालूम हुआ ? वह उदयपुर में बात करता है । वह १४ तारीख को लिखता है कि फलाने का एपोइन्टमेंट फलां जगह पर होता है, मगर एपोइन्टमेंट ऑर्डर १७ तारीख को होता है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी कॉपी आपके सामने पेश करता हूं और यह फोटो स्टेट कॉपी सदन की मेज पर रखूंगा और जो ऑर्डर इश्यू हुआ है उसकी भी एक कॉपी रखूंगा । १४ दिसम्बर को उदयपुर से वन मिस्टर एच० डी० मिश्रा लिखते हैं : टू वन मिस्टर भार्गव साहब एट चुरू । १४ तारीख का पत्र है । इस पर १४ की सील है ।

"Perhaps you must have come to know that Shri G. L. Tewari of this place has been selected by the P. S C. as Lecturer in Political Science for Churu College. He met me here just now and says that he would join there latest by the 21st December."

यह कॉपी मैं आपके सामने पेश करता हूं । दूसरी बात, जी० एल० तिवाड़ी ने १४. दिसम्बर को बाल गोविन्द को जो लेटर लिखा वह भी मेरे पास है ।

"You will be surprised to read this letter from a stranger but if I mistake not you might be knowing me. Anyhow you will be glad to know that I have been appointed as lecturer in Political Science on the recommendation of the P. S. C. at Lohia College, Churu. Now I will most probably start from Udaipur on the 19th of this month by the evening train." अपोइन्टमेन्ट ऑर्डर जो १७ दिसम्बर को इश्यू हुए वह भी मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूं । यह अपोइन्टमेन्ट ऑर्डर था : "17th December, 57.

Appointment Order

On the recommendation of the P. S. C., Shri G. L. Tiwari is

(श्री पी० के० चौधरी)

appointed as Lecturer in Political Science at Lohia College, Churu, with effect from the date of taking over charge."

It was issued on the 17th December, 1957.

(शेष के लिये कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बता कर मैं यह कहना चाहता था कि जो यह एपोइन्टमेन्ट करते हैं और जो रिक्रूटमेन्ट होता है तो उसमें जो इर्रेगुलरिटीज़ होती हैं, ऐसा हम सुनते तो हैं लेकिन पकड़ में आसानी से नहीं आती है। एक आध हाथ लग जाती हैं। एपोइन्टमेन्ट के बारे में दूसरी बात कहना चाहता हूं। इस पोलिटिकल साइन्स पोस्ट के लिए दो नोटिफिकेशन इश्यू हुए थे। एक तो जनवरी ५७ को और दूसरा नोटिफिकेशन अप्रैल ५७ को। इन दो नोटिफिकेशन्स के अन्डर में आर. पी. एस. सी. को कहा गया था कि तीन पोलिटिकल साइन्स के लेक्चरार्स चाहिए जब कि दो के बजाय पांच लिये गये; जुलाई १२, १९५७ के ऑर्डर में दो आदमियों को, और दो सितम्बर के ऑर्डर में दो आदमियों को और लिया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर ९ आदमियों की एपोइन्ट करते हैं जबकि रिक्वज़िशन देते हैं दो आदमियों का। इस तरह से रिक्रूटमेन्ट ९, १० आदमियों की है। इन बिटवीन दी सेशन रिक्रूटमेन्ट नहीं होता है जब इसके लिए मालूम था तो क्यों नहीं जनवरी १९५७ को ही आर. पी. एस. सी. को एपोइन्टमेंट के लिए कह दिया? यदि ऐसा करते तो जी. एल. तिवाड़ी जैसों को एपोइन्टमेंट करने का मौका भी नहीं मिलता, ऐसे आदमियों को भरती करने का मौका नहीं मिलता। मुख्य मन्त्री महोदय इसकी इन्क्वायरी करेंगे और सदन यह देखेगा कि जो एपोइन्टमेंट हुए हैं वे किस प्रकार इर्रेगुलर हुए हैं। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल इर्रेगुलर है और इसकी जाँच होनी चाहिए, इसका पता लगाना चाहिए कि who is the officer who has given this boy an assurance that he will be appointed? किसने एश्योर किया, हम यह जानना चाहते हैं, इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिए। यह जो फोटोस्टेट कॉपी है, जो सर्कुलर है उनको मैं सदन की मेज पर रखता हूं और मैं चाहता हूं कि इस विषय में इन्क्वायरी की जाय।

(विराम)

डॉ० चंद्रकला : आप अभी बैठे नहीं हैं

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो सदन की मेज पर आ रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद : The originals should be produced and not the photostat copy. It is a wrong convention because even in courts photo stat copies are not admitted.

श्री उपाध्यक्ष : That is a question of secondary evidence. If I see it proper I will admit the secondary evidence.

श्री पी. के. चौधरी : ऑनरेबल उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको जो ओरीजिनल कॉपी है, I have not brought that in the House.

ओरीजिनल कॉपी भी दूंगा and today I am producing the photo stat copy now. I will produce the original tomorrow.

श्री भैरोंसिंह : On a point of information, Sir, उपाध्यक्ष महोदय, कई दफा ऐसा होता है कि गवर्नमेन्ट की फाइलों से फोटोस्टेट कॉपी तैयार करनी पड़ती है और यदि यह कन्वेन्शन लागू कर दिया कि ओरीजिनल मिले तब ही सही माना जाय, तो जो फोटोस्टेट कॉपी तैयार करने का जरिया है वह खत्म हो जायगा, इसलिए ऐसी रूलिंग नहीं दी जानी चाहिए कि फोटोस्टेट कॉपी पेश नहीं की जाय। यह तो गवर्नमेंट की लुक आउट है कि जो फोटोस्टेट कॉपी प्रस्तुत की जाती है उसको देखकर ओरीजिनल से मिलान करके उसकी सत्यता के बारे में सही जानकारी सदन में रखी जाय और यदि वह गलत है तो उसके लिए क्या एक्शन हो सकता है और यदि सही है तो फिर उसके लिए क्या एक्शन लिया जा सकता है, इस पर सदन विचार कर सकता है इसलिए यह तो गवर्नमेन्ट की ओर से ही हो, बनिस्पत इसके कि सारी जिम्मेदारी माननीय सदस्य पर ही डाल दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सेकन्डरी एविडेन्स पर वह आ सकती है या नहीं, that will depend upon the circumstances of the particular case. As such there is no need of a ruling.

श्री ज्वालाप्रसाद : But this should not be encouraged.

श्री पी. के. चौधरी : मैं ये कागजात सदन की मेज पर पेश करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : And you will produce the originals.

श्री पी. के. चौधरी : Yes, Sir, I will produce the originals.

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैठने से पहले और भी एक बात आपके सामने पेश करना चाहता हूं मैं इसी सदन में आर. ए. एस. इमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट के बारे में सवाल प्रस्तुत किया था। मैंने यह सवाल पूछा था कि आर. ए. एस. के पेनल में कौन कौन से आदमी थे? जो लिस्ट सदन में पेश हुई उसमें ६२ आदमी थे। ६२ नाम के सम्बन्ध में मैंने यह पूछा था कि एपोइन्टमेन्ट हुआ है तो अकोर्डिंग टु मेरिट्स एज़ रिकमन्डेड बाई दी आर. पी. एस. सी. हुआ है या नहीं? तो यह कहा गया कि आर. पी. एस. सी. ने रिकमन्ड किया वैसा किया है। फिर मैंने पूछा कि कोई एक्सेपशन तो नहीं किया गया है। तो बताया गया कि एक्सेप्शन किया गया है और वह शिड्युल्ड कास्ट और तहसीलदारों के लिए किया है। हमने पूछा कि पेनल में साइड के आदमियों को एपोइन्टमेन्ट मिला है या नहीं? तो बताया गया कि मिला है। किसको मिला है? कहा गया कि तहसीलदार के डर से आये हैं। उस वक्त मैं चुप रहा क्योंकि मुझे उस समय यह जानकारी नहीं थी कि तहसीदार इस के डर में आते है या नहीं। मैंने इसकी जानकारी की और आर. ए. एस के सर्विस रूल्स मेरे हाथ में आये जिसमें कि रिक्रूटमेन्ट का तरीका बताया गया है। रिक्रूटमेन्ट तीन तरह से होता है। एक डाइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट, दूसरा प्रोमोशन, that is by promotion of the subordinate staff और तीसरा by special selection from amongst persons other than administrative subordinates serving in connexion with the affairs of the state ये तीन तरीके हैं, उनके रिक्रूटमेन्ट के यह जानकारी इससे प्राप्त हुई है कि जो जानकारी मंत्री महोदय ने सदन को दी है वह सही नहीं है। तहसीलदारों का जो केन्डर है वह

(श्री पी० के० चौधरी)

पहले से ही अलग कर दिया गया है। २० प्रतिशत पोस्टें डिपार्टमेन्ट तरीके के लिए पहले से ही अलग कर दी गई हैं। और बाकी जो पोस्टें रह जाती हैं उनमें कोई कोटा नहीं रहता, वे तो ऑर्डर ऑफ मेरिट्स से ली जानी चाहियें। एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट हुआ और जिस पैनल द्वारा यह हुआ, उसने भी ऑउट ऑफ वे जाकर एपोइन्टमेन्ट किया। तहसीलदार इस केटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिये तहसीलदारों को प्रिफरेन्स नहीं मिल सकता। एकोर्डिंग टू दी रूल्स यह है कि अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का है तो उसको प्रिफरेन्स मिल सकता है। इसलिये तहसीलदार की केटेगरी से जो लिया गया है वह गलत था। एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट हुआ था, उसमें डॉइरेक्ट रिक्रूटमेन्ट और डिपार्टमेन्टल केन्डीडेट्स दोनों शामिल थे। यह चीज़ गलत है। इस तरह के रूल्स हैं कि डिपार्टमेन्टली एप्लीकेशन इन्वाइट करके उनका इन्टव्यू द्वारा एपोइन्टमेन्ट किया जाता है, किन्तु रूल्स को अपनी इन्टरेस्ट की वजह से तोड़-मरोड़ कर इधर-उधर कर दिया जाता है और उसके मुताबिक रख लिया जाता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम एमर्जेन्सी रिक्रूटमेन्ट हुआ है उसके लिये भी कुछ न कुछ रूल्स हैं, उसके अनुसार होना चाहिये, चाहे वे रूल्स अच्छे हों या बुरे, उनको फोलो किया जाना चाहिये। अगर हम एपोइन्टमेंट्स में फेवरटिज़्म या नेपोटिज़्म को रोकना चाहते हैं तो anybody who is found defaulting, must be punished. There should be no excuse. Rules must be same for every body. Everybody must be governed by the same Rules. गलती से कोई चीज हो जाती है तो रूल्स मस्ट बी रूल्स, चाहे उसमें बड़े आदमी का लड़का आता हो या छोटे गरीब का लड़का, सबके साथ समान रूप से व्यवहार होना चाहिये। अगर हम रूल्स के मुताबिक कार्य करते हैं तो हम एडमिनिस्ट्रेशन में एफीशियेन्सी ला सकते हैं और जनता में एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति जो दुर्भावना है वह भी मिट सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुरुषोत्तमलाल।

श्री पुरुषोत्तमलाल (किशनगढ़) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय. जो बजट हमारे सामने पेश हुआ है, उसके बारे में मैं अपने विचार प्रगट करना चाहता हूं। बजट-भाषण देखने से प्रतीत होता है कि साहित्य विशेषज्ञ का यह बजट–भाषण है और साथ ही साथ उन्होंने इस प्रकार का बजट भाषण प्रस्तुत किया है कि जिसे कोई चाहे तो नफे का समझ सकता है और चाहे तो घाटे का भी समझा सकता है। इस प्रकार का जो भाषण तैयार किया गया है उसमें हर व्यक्ति अपने अपने रूप से अपने अपने आइडिया से जैसा चाहे वैसा समझ सकता है। इस प्रकार यह भाषण साहित्य विशेषज्ञ और वित्त विशेषज्ञ दोनों की सलाह से तैयार किया हुआ प्रतीत होता है, जो अद्वितीय है, सराहने योग्य है, इसके लिये वित्त मन्त्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं। इसके साथ साथ इसमें अच्छी बातें भी बतायी गई हैं व सार्वजनिक योजनाओं के लिये, स्कूलों के लिये, चिकित्सालयों के लिये, कितना २ रुपया हम इस वर्ष खर्च करने जा रहे हैं उसका भी उल्लेख बजट भाषण में किया गया है। इसमें जो सार्वजनिक कार्यों के लिये अधिकतम रकम रखी गई है इसके लिये माननीय वित्त मन्त्री धन्यवाद के पात्र हैं।

दरअसल हमें देखना यह नहीं है

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

कि बजट नफे का है या घाटे का। साधारण-तया यह नियम है कि घाटे और नफे का बजट वे देखते हैं जो साधारण दुकानदार होते हैं, वे महाजन होते हैं, नफे-नुकसान को देखते हैं और उसी को ध्यान में रख कर वे अपना बजट बनाते हैं। सरकारी बजट बनाते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि सार्वजनिक कार्यों पर व प्रशासनिक कार्यों पर कितना खर्च इस वर्ष लग सकता है और उस खर्चे को किस तरह से हम मीट आउट कर सकते हैं, ऋण द्वारा या करों में वृद्धि करके इस आधार पर सरकारी बजट तैयार होता है। इस तरह से हम विचार करते हैं तो बजट घाटे का भी और नफे का भी हो सकता है।

हमारे राज्य में इस साल में जो जनता के उपयोगी कार्य होने वाले हैं, उनसे जनता को फायदा होने वाला है या नहीं, इसी बात को ध्यान में रखकर बजट तैयार होना चाहिये। इसलिये हम समझते हैं कि जो ऋण लेने की व्यवस्था की गई है, उसके लिये यह कहा जा रहा है कि राजस्थान प्रदेश ऋण से पहले ही दबा जा रहा है, व हमारे प्रदेश को रहन रखा जा रहा है, इस तरह से हम नष्ट हो जायेंगे, ऐसा उनका ख्याल है। मैं बताना चाहता हूं, आप ऋण किससे ले रहे हैं, ऋण हम भारत सरकार ले रहे हैं जिसके हाथ में हमारे देश का शासन है और ऋण ले रहे हैं जनता से, और उस जनता से ले रहे हैं जिसने हमारी सरकार को बनाया है, जिस सरकार के सदन के सदस्यों को जनता ने चुनकर भेजा है। जब कि हम भारत सरकार से ऋण ले रहे हैं, यह कोई दुष्काम नहीं है। इस पर यह भी कहा जा रहा है कि भाखरा चम्बल बान्ध से कोई फायदा नहीं है, यह जो बजट आया है उसमें हमें इन बांधों की किसी प्रकार की आमदनी का ठीक पता नहीं चलता कि इन बान्धों से किस प्रकार की आमदनी हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि ऋण जो हम इन बड़ी बड़ी योजनाओं के लिये ले रहे हैं, ये योजनायें जैसे चम्बल बान्ध, राजस्थान योजना, भाखरा योजना, जब पूरी हो जायंगी तब हमें इनसे आमदनी होगी। अभी हमें नुकसान कैसे है, इस बात पर विचार करना है। अगर हम इन योजनाओं को अधूरी छोड़ देते हैं तो हमें कितना नुकसान होता है, यह देखना होगा। हमें तो अब यह चाहिये किसी न किसी प्रकार से इन योजनाओं को शीघ्र पूरा करना चाहिये। मैं माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि ये जो योजनायें बनायी गई हैं, वे सारे देश व प्रदेश की प्रगति के लिये बन रही हैं, इन योजनाओं को अगर अधूरी छोड़ देंगे तो हमें बड़ा भारी नुकसान होने वाला है। आज जिन जिन योजनाओं को हमने हाथ में लिया है उनको किसी न किसी तरह पूरा करने का हमें पक्का इरादा कर लेना चाहिये, चाहे उसके लिये हमें कितना ही ऋण लेना पड़े, कितना ही कर बढ़ाना पड़े इसकी भी परवाह नहीं करनी चाहिये, नहीं तो होगा क्या कि हम जितने आज घाटे में हैं उससे कई गुना अधिक नुकसान हो जायगा।

अब मैं टैक्सेशन के बारे में कुछ निवेदन करूंगा, ४७ लाख रुपये की रकम जिन टैक्सों द्वारा वसूल की जाने वाली है। आब-कारी टैक्स से १५ लाख की अतिरिक्त आमदनी जो बतलायी है उसके मैं सख्त खिलाफ हूं। आज जो हम इस प्रकार से नशीली चीजों को प्रोत्साहन दे रहे हैं और उससे टैक्स वसूल करके सार्वजनिक कार्यों में लगायें, इससे जनता का ज्यादा भला होने वाला नहीं, इससे हमारा नैतिक पतन ही होने वाला है। आज

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

हम क्षणिक लाभ के लिये शराब जैसी नशीली चीजों पर टैक्स बढ़ाकर आमदनी कर रहे हैं, यह हमारे देश की नैतिकता को नीचे की ओर ले जाने वाली बात है। हमें अपने देश के करेक्टर की ओर ध्यान देना पड़ेगा। प्यारे दोस्तो, हम आज यह कर रहे हैं कि जिन लोगों को शराब पीने की आदत है, उनसे बेजा फायदा उठाना चाहते हैं। आज हमारी सरकार जनता की वीकनेस से फायदा उठाकर, पैसे वसूल करना चाहती है। मैं इस प्रकार के टेक्सेशन को लागू करना हानिकारक मानता हूं। आप चाहे जितना ही टेक्स लगायें, जिनकी पीने की आदत पड़ गई है वे छोड़ने वाले नहीं है। हमारे देश को दो चीजों ने बरबाद किया है, एक सुरा और दूसरी सुन्दरी; ये दोनों वस्तुएं ऐसी है जिनसे हम बरबादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : सुन्दरी का प्रश्न नहीं।

एक माननीय सदस्य : इसके लिये तो ऑलरेडी प्रोहीबिशन है।

श्री पुरुषोतमलाल : (जारी) इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि शराब के प्रोहीबिशन की पोलिसी डिक्लेअर करनी चाहिये। आज हमें यह भी सोचना है कि भ्रष्टाचार की तरफ जो हमारा शासन बढ़ रहा है, उसमें हम यह भी देखते है कि बड़े बड़े अफसरों को रुपयों की इतनी जरुरत नहीं रहती। उनको यदि एक शराब की बोतल दे दी जाय तो उनसे आप चाहे जो भी काम हो वह करवा सकते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : you will not give such a reference.

श्री पुरुषोतमलाल : (जारी) इसलिये मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों ...

श्री उपाध्यक्ष : References which are objectionable should not be given on the floor of the House.

५ म० ३०

श्री मदनसिंह (दांता) : आज एक बहुत ही ऐसी चीज सदस्य कह गये, जो नहीं कहनी चाहिये थी। सुरा बहुत बुरी चीज़ है पर सुन्दरी और सुरा की बराबरी यह और भी बुरी चीज़ है।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष : The Hon'ble member will resume the Debate. It is just a relaxation of the House.

श्री पुरुषोत्तमलाल : (जारी) आज मैं देखता हूं कि छोटे छोटे लोगों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक यह जो नशे का व्यसन बढ़ रहा है, यह हमारे देश को नीचे गिराने वाला है। इसलिए मैं वित्त मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप तो हमसे वयोवृद्ध हैं, जमाना देखा है इसलिए आप इस पर गहराई से विचार करें और इस प्रकार के टैक्सेशन के बजाय इसको पूरी तरह से मिटाकर, खत्म कर और किसी प्रकार का टैक्सेशन लगा दें तो कोई भी खराबी नहीं होगी।

अब मैं उस मुद्दे पर आता हूं कि जिसके बारे में कहा गया कि नासिक प्रेस में सर्टीफिकेट नहीं छुप सकने के कारण एन्टर्टेनमेन्ट टैक्स नहीं वसूल हो पाया गये साल। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि उस प्रेस में नहीं छप सकने के कारण टैक्स लागू नहीं किया। यह गलत है। मैं तो यह समझता हूं कि जिस प्रकार हमने बालकों पर फीस बढ़ाकर भूल की और उसके परिणाम स्वरूप जो राजस्थान व्यापी आन्दोलन मचा, इस टैक्सेशन की बात भी उन्हीं दिनों की है, इस आन्दोलन

(श्री पुरुषोत्तमलाल)

से डर कर सरकार ने टैक्स नहीं लागू किया, यह बात मेरे दिमाग में आ रही है। क्योंकि सरकार को भय था कि जिस तरह से बालकों का यह एजीटेशन चल रहा है उसमें जनता भी कहीं इस टैक्स के कारण शरीक न हो जाय ?

एक माननीय सदस्य : पर टैक्स तो लागू हो गया था।

श्री पुरुषोत्तमलाल : पर वसूल कहां हुआ ?

(हंसी)

तो जो बात सर्टिफिकेट की टैक्स वसूल नहीं होने के कारण के रूप में बताई गई, यह जंचा नहीं। इसलिए निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की गलत बातें तो कम से कम सदन को न बताने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं बताता हूं कि हमारे प्रदेश में कोई इस बजट भाषण में इन्डस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बताई गई। आज हम देखते हैं कि देश के बेरोजगारों के लिये हम बहुत से प्रयत्न करते हैं, पर इस सम्बन्धी पॉलिसी का उल्लेख इस बजट भाषण में नहीं देखकर मुझे दुख हुआ। फिर एक तरफ यह कहा जाता है कि कोटेज इन्डस्ट्री को बढ़ाया जावे, दूसरी तरफ बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ के लिये सेठ साहूकारों को रुपया देने की बात कही जाती है। एक तरफ हमारे वित्तमंत्री तैल घाणी उद्योग के लिये भाषण देते हैं कि सब लोग घाणी का तेल खावें और मिल से निकलने वाला तेल न खावें। मैं तो समझता हूं कि उनके हाथ में यह बात है कि वे मिल के तेल को बिल्कुल ही राज्य में आना बन्द कर सकते हैं और राज्य की ऐसी मिलों को वे क्यों नहीं बन्द कर देते ? अपील करने के बजाय तो उनके हाथ में साधन है, सत्ता है, मिलों को बन्द कर दो और घाणियां चालू कर दो तो बिल्कुल ठीक हो। पर खाली अपील कर देने मात्र से कुछ होने वाला नहीं।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मंत्री) : कॉन्स्टीट्युशन के अनुसार उन्हें बन्द नहीं कर सकते।

श्री पुरुषोत्तमलाल : अब जहां बड़ी बड़ी इन्डस्ट्रीज़ की बात करते हैं वहां एक इन्डस्ट्री किशनगढ़ में चालू थी जिसमें तीन हजार मजदूर काम करते थे, वह आज दो साल से बन्द पड़ी है पर सरकार का ध्यान उसकी ओर जाता ही नहीं। मैं बताना चाहता हूं कि उससे सरकार को क्या लाभ था।

श्री उपाध्याय : असली प्रश्न आपने अब रक्खा है, पहले नहीं रक्खा था।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : जनाब, मैं सभी प्रश्नों पर बोलूंगा।

(हंसी)

किशनगढ़ की मिल सबसे पुरानी है और बड़ी है। इसमें ४७५ लूम कपड़े बनाने के हैं और एक गज कपड़े पर पौने तीन आने मीडियम कपड़े पर एक्साइज़ ड्युटी का लगता है। यह ड्युटी भारत सरकार को मिलती है, आधा आना हैण्ड लूम का और सवा दो आना एक्साइज़ ड्युटी का। इस तरह से प्रति माह गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया को १५ लाख रुपयों की आमदनी होती थी।

श्री तनसिंह : कपड़ों पर एक्साइज़ ड्युटी कब से लगने लगी है ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : आपको पता नहीं है, मेरी नजर में है।

Page No.109

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : तो इस तरह से अगर एक शिफ्ट चले और पूरी तरह से चले तो करीब पांच लाख रुपयों की आमदनी एक्साइज़ ड्यूटी से होती है और इस तरह से अगर तीनों शिफ्ट्स चलें तो १५ लाख रुपया सालाना की टैक्स की आमदनी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया को जाती है, आप यह सोचें।

श्री तनसिंह : हमें क्या फायदा ?

श्री पुरुषोत्तमलाल : देश के साथ आपको भी फायदा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी तो इधर बैठा हूं, आप किधर बातें करते हैं ? you will please maintain the decorum.

श्री पुरुषोत्तमलाल : तो मैं निवेदन करूंगा कि १५ लाख की प्रति वर्ष की सरकारी आमदनी वाली इन्डस्ट्री को आप दो साल से बन्द करे बैठे हैं और इस ओर ध्यान तक नहीं दिया जाता। मैं यह देखता हूं कि आज क्षेत्रीय भावना अधिक से अधिक सरकार में बढ़ती जा रही है जो हमारे मन्त्री लोग इसे ज्यादा मानते हैं। क्योंकि उनको अपने लिए वोटों की चिन्ता है और इस भावना के रहने से उनको ज्यादा वोट अपने ऐसे क्षेत्रीय लोगों से प्राप्त होते हैं। पर मैं निवेदन करूं कि उनका साथ ही यह भी फर्ज है कि जिस क्षेत्र से यहां एक व्यक्ति ही है वह भी सदन में अगर सही बात कहता है तो उसमें भी तथ्य समझना चाहिये उनको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे रेफरेन्सेज़ जो विषय से सम्बन्ध नहीं रखते हैं, न दें. उनसे आप अपने को वंचित रखें, we are discussing the Budget here and not appealing the Ministers.

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह उद्योगों के बारे में जो बजट में कहा गया है वह बेरोजगारी को मिटाने के लिये कहा गया है, तो मैं उसी के बारे में कह रहा हूं कि बेरोजगारी किस तरह से मिटाई जा सकती है ? उसी के लिये कहने जा रहा हूं।

उपाध्यक्ष : I take exception to this.

श्री भैरोंसिंह : बेरोजगारी के लिए क्षेत्रीय भावना मिटनी आवश्यक है।

(हंसी)

श्री पुरुषोत्तमलाल : तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह इस प्रकार जो हमारी इन्डस्ट्री है उसे चलाने की पूरी-पूरी कोशिश करने का प्रयत्न सरकार को करना चाहिये।

अब मैं शिक्षा के बारे में आता हूं। इस बारे में कहा गया है कि १ हजार स्कूलें....

श्री उपाध्यक्ष : दो—तीन मिनिट और हैं, इसमें समाप्त करिये।

श्री पुरुषोत्तमलाल : नहीं, गरीबपरवर मुझे आधा घंटा लगेगा।

(अट्टहास)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रारम्भ रखिये। Contiuue please.

(पुनः हंसी)

श्री ज्वालाप्रसाद : a point of Order, Sir. यह गरीब परवर शब्द क्या पार्लियामेन्टरी है ?

श्री भैरोंसिंह : यह मुक्तिलालजी को रिप्लेस कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तमलाल : मैंने किसी को गाली नहीं दी है।

Page No.110

श्री उपाध्यक्ष : यह गरीबपरवर पार्लियामेन्टरी तो है, पर आब्जेक्शनेबुल है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिये ।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह सुपर पार्लियामेन्टरी है ।

श्री भैरोंसिंह : मुक्तिलालजी को रिप्लेस किया गया है ।

श्री पुरुषोत्तमलाल : आज शिक्षा के मामले में जो पालिसी है सरकार की उसके बारे में निवेदन करूंगा कि एक हजार प्राइमरी स्कूलें एक शिक्षक वाली और खोलने जा रहे हैं । इसी प्रकार हम कुछ स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिवर्तित करने जा रहे हैं । मुझे समझ में नहीं आया कि बेसिक स्कूलों में परिवर्तित किस तरह से किया जाता है ? यानी एक कमरा जो लेट्रिन का है उसको रसोई में परिवर्तित कर दो तो रसोई बनेगी, न कि लेट्रीन और रसोई दोनों ?

(हंसी)

परिवर्तन तो यही हो सकता है । परिवर्द्धन की बात कहते तो वह कुछ समझ में आ सकती थी । मैं परिवर्तन शब्द से इत्तफाक नहीं करता ? प्राइमरी स्कूलों में बेसिक शिक्षा भी दी जावेगी, यह तो ठीक है पर यह कहा गया कि उनमें परिवर्तन किया जावेगा ? तो क्या परिवर्तन किया जावेगा ? क्या उनमें कारखाना खोला जावेगा ।

(हंसी)

तो यह तो इसके लिए कहा । दूसरी बात यह है कि हम देखते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है । मैं इसको राष्ट्रीयकरण तो नहीं मानता क्योंकि देश में जो कार्य या पॉलिसी होती है वह राष्ट्रीयकरण कहलाती है । इसे तो प्रान्तीयकरण मैं मानता हूं । तो अब यह जो पाठ्य पुस्तकों का गवर्नमेंट का पब्लिकेशन्स हैं, इनके बारे मैं निवेदन करूंगा कि जब कभी भी जिसका भी राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो उसमें जो भी काम करने वाले होते हैं उनको भी कहीं न कहीं प्रोवाइड किया जाता है । पर आज हम देखते हैं कि टैक्स्ट बुक्स जो प्रिंट करने वाले थे, बेचने वाले थे, बाइन्ड करने वाले थे उनको कहीं भी काम पर नहीं लगाया गया । अब मैं इसके खिलाफ यह बात बताना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यो, सदन की कार्यवाही आज के लिए स्थगित की जाकर कल तारीख १३ को ११ बजे प्रातः प्रारम्भ होगी ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्यान्होत्तर पांच बजे, अगले दिन दिनांक १३ मार्च, १९५८ के म. पू. ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त-विवरण

(बुधवार, १२ मार्च, १६५८)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नोत्तर	३०७१	त० रायपुर की ग्राम पंचायतों का निरीक्षण ।	
बंदियों द्वारा निर्मित-गांधीजी के चरित्र का एल्बम ।		पुलिस बेनेवलेन्ट फन्ड ।	
नगरपालिकाओं द्वारा किए गए नगरोत्थान कार्य ।		जिला सिरोही में एलोपेथिक डॉक्टर ।	
सड़क निर्माण ।		बस सर्विस ।	
हत्यायें और चोरियां ।		बांध निर्माण ।	
नगरपालिकाओं के भूमि के क्रय-विक्रय संबंधी अधिकार ।		प्राकृतिक चिकित्सा ।	
गोचर भूमि ।		गवाहों पर किया गया खर्च ।	
औषधालय की स्थापना ।		दाई की नियुक्ति ।	
बीज वितरण ।		यातायात सहकारी समिति ।	
गांधी नगर में बिजली की व्यवस्था ।		नकबजनी आदि अपराधों के संबंध में पेश किये गये चालान ।	
आयुर्वेदिक कॉलेज, जयपुर ।		ग्राम पंचायत से भरथली (चित्तौड़) ।	
चिकित्सालय भवन, बारां ।		**स्थगित प्रश्न**	
निर्वाचन सम्बन्धी मामले ।		गुरुवार, २० फरवरी, १६५८ ।	
तहसील पंचायत, बडौद ।		गबन-कृषि विभाग, अजमेर ।	
ग्राम पंचायत, हमीरवास ।		**सदन की मेज पर रखे गये अतारांकित प्रश्नोत्तर**	३१३१
सड़क निर्माण ।		साग, फल इत्यादि के फार्म ।	
पुलिस चौकियों की व्यवस्था ।		दस हजार या अधिक के ट्रैक्टर लोन ।	
नगरपालिका जयपुर ।		जिला भरतपुर तकावी लोन ।	
कृषिविभाग द्वारा ली जाने वाली बीज की बाड़ी ।		यातायात विभाग में इन्सपेक्टर्स इत्यादि ।	
नीम के थाने में वकीलों के विरुद्ध दर्ज किये गये मामले ।		जलबोर्ड एवं उनके सदस्य ।	
सड़क निर्माण ।		**प्रश्नों सम्बन्धी सदन की मेज पर रखे गये पत्रों विषयक विशेषाधिकार प्रश्न**	३१३६
जल योजना—सीकर ।		श्री भैरोंसिंह (१४) ने तारांकित प्रश्न संख्या ५१५ के उत्तर में	
कुष्ट व मानसिक रोगों के चिकित्सालय ।			
विद्युत व्यवस्था ।			

स्कम्भ

गृह-मंत्री द्वारा उल्लिखित पत्रों का सदन की मेज पर न रखे जाने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रश्न उठाया जो माननीय अध्यक्ष द्वारा अस्वीकृत किया गया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र ३१४२

१. श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने आजमेर राज्य का नियोजन लेखा, १९५६–५७ (१ अप्रेल, १९५६ से ३१ अक्टूबर, १९५६ तक) तथा उस पर अंकेक्षा प्रतिवेदन को सदन की मेज पर रखा।

२. श्री नाथूराम मिर्धा, यातायात मंत्री, ने मोटर विहीकल्स एक्ट की धारा १३३ (३) के अन्तर्गत गृह विभाग (बी) विज्ञप्ति संख्या डी. १४६२८ / एफ. १६ (४) (१०) ५६, दिनांक १६ दिसम्बर, १९५७ को, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स, १९५१ में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखा।

पुरःस्थापित विधेयक ३१४५

निम्नांकित विधेयक सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किये गये:—

१. राजस्थान पशु रोग विधेयक, १९५८

स्कम्भ

२. राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, १९५८

राजस्थान सेल्स टैक्स (संशोधन) विधेयक, १९५८ ३१४६

(अग्रेतर खण्डशः वाद-विवाद)

उपरोक्त विधेयक पर अग्रेतर खण्डशः विचार किया गया।

खण्ड ४, १३, १४ से १८, १ आदि स्वीकृत हुए।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद ३१४९

आय व्ययक, १९५८-५९ पर आज सामान्य वाद-विवाद आरंभ हुआ। इस संबंध में निम्नलिखित सदस्यों ने अपने २ विचार प्रकट किये:—

१. श्री तनसिंह।
२. श्री फतहसिंह।
३. श्री मनोहर कोठारी।
४. श्री लक्ष्मीचन्द।
५. श्री चन्दनमल वेद।
६. रावराजा सरदारसिंह।
७. श्री पी. के. चौधरी।

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा का भाषण जारी था कि सदन की बैठक स्थगित की गई।

गुरुवार, दिनांक १३ मार्च, १९५८ की कार्य-सूची

आय-व्ययक पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद।

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ४८६ का उत्तर देखिये)

नगरपालिका टोंक ने १ अप्रैल, १९५६ से ३१ दिसम्बर १९५७ तक निम्न प्रकार व्यय किया है :

नगरोत्थान के लिये केवल निर्माण कार्यों में ३,११,३१२ रुपया एवं
विद्युत प्रकाश में............................... २६,८१४ रुपया

कुल ३,३८,१२६ रुपया।

नगरपालिका, उनियारा ने सन् १९४९ से १९५७-५८ तक निम्न प्रकार व्यय किया है :

५३९ रुपया सन् १९४९-५० में :	सड़क कार्य में २३१ रुपया तहारतों के कार्य में, १५९ रुपया रोशनी लालटैन वगैरह में ७८ रुपया वाचनालय में पत्र आदि ७१ रुपया, मु० ५३९ रुपया।
८७१ रुपया सन् १९५०-५१ में	तहारतों में २९१ रुपया, नालियों में २५ रुपया, वाचनालयों में ६५ रुपया, रेडियो बैटरी खरीद में ४९० रुपया, मु० ८७१ रुपया,
९३४ रुपया सन् १९५१-५२ में	सड़क कार्य में ३५ रुपया, तहारतों के कार्य में १५७ रुपया, नालियों के कार्य में २५ रुपया, बिजली के सामान में ४४० रुपया, कुओं आदि में १०१ रुपया, वाचनालय में ५२ रुपये, रेडियो को बिजली का बनवाने में १२४ रुपया, मु० ९३४ रुपया।
७५५ रुपया सन् १९५३-५४ में	सड़क कार्य में २७८ रुपया, नालियों के कार्य में २७ रुपया, रोशनी के सामान में १५५ रुपया कुएँ आदि में ७४ रुपया, वाचनालय में १०२ रुपया रेडियो में ११९ रुपया मु० ७५५ रुपया।
१,०१५ रुपया सन् १९५४-५५ में	सड़क कार्य में ४९७ रुपया, नालियों के कार्य में ३६ रुपया, रोशनी के सामान में २०० रुपया, कुयें आदि में १०१ रुपया, वाचनालय में ९४ रुपया। रेडियो में ८७ रुपया, मु० १०१५ रुपया।
१,६४३ रुपया सन् १९५५-५६ में	तहारतों के कार्य में २८८ रुपया, खुर्रा बन्धवाई में ११० रुपया, नालियों के कार्य में ११० रुपया, रोशनी के सामान में २२७ रुपया, जल विभाग में घाट तालाब में २७३ रुपया, तामीर के तेलवाड ४६३ रुपया वाचनालय में १६२ रुपया रेडियो में १० रुपया मु० १,६४३ रुपया।

Page No.114

११,३७४ रुपया सन् १९५६-५७ में	सड़क कार्य में ९०३० रुपया, खुर्रा बन्धवाने के कार्य में १८६ रुपया, नालियों के कार्य में ७४ रुपया हरिजन मोहल्लों में बिजली कार्य में ९१० रुपया, हरिजन कुओं की तैयारी में व अन्यों में ७६६ रुपया, वाचनालय में १५९ रुपया, रेडियो खरीद में ३२६ रुपया मु० ११,३७४ रुपया।
५,००० रुपया सन् १९५७-५८ में	सन् १९५७-५८ में ५,००० रुपये सड़क व बिजली के प्रसार के कार्य में व्यय हो चुका है व अभी कार्य चालू है।
मु० २२.९८१ रुपया।	
५५० रुपया सन् १९५२-५३ में	सड़क के कार्य में १० रुपया नालियों के कार्य में ४२ रुपया, रोशनी के समान में १६२ रुपया, कुएँ आदि में १२१ रुपया, वाचनालय में ६७ रुपया रेडियो मे १४८ रुपया मु० ५५० रुपया।

———

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५.१५ का उत्तर देखिये)

RULES FOR THE RAJASTHAN POLICE BENEVOLENT FUND (1952).

Articles of Association of the Rajasthan Police Benevolent Fund.

TITLE.

Title — 1. The fund shall be called the Rajasthan Police Benevolent Fund.

Objects of the Fund. — 2. The objects of the fund are to relieve distress among the dependants of:-

(1) (a) Members of the Rajasthan Police Force who have been enrolled under section 7 of the Police Act (V of 1861) and,

(b) Members of the Police Clerical staff holding permanent pensionable posts, who died in service or within 24 months of retirement or those who lose their limbs or are otherwise incapaciated to continue to service.

(2) To grant loan to subscribing members to meet expenses on account of sickness of the member himself or a member of his family or in any other circumstances in which the committee considers the grant of relief justifiable.

(3) In emergent and exceptional cases relief may be given for the purchase of medicines to the subscriber.

Note :--Family in this article means "Wife and Children" and

Note :--(1) Deputy Supdts. of Police who are promoted from the non-Gazetted ranks of the Police may continue to subscribe to the Fund at the rates fixed for Inspectors, and their dependents will be eligible for the benefits provided by the Fund at the same rates as the dependants of Inspectors.

(2) Deputy Supdts. of Police promoted from the non-gazetted ranks who at any time prior to their promotion subscribed to the

Fund but subsequently ceased to do so, will on payment of all subscriptions in arrears at the rate fixed for Inspectors render their dependents eligible for the benefits provided from the fund, as metioned in note (1) above.

Source of Income 3. The fund shall be supported:--

(a) By the amount already on credit, subscribed by the members of various units of the Rajasthan Police before integration.

(b) By voluntary subscriptions from Police officers and men of all ranks,

(1) Constable -/2/- per Const. p. m.
(2) Head Const. -/3/- per H. C. p. m.
(3) A. S. Is. -/4/- per A. S. I. p. m.
(4) S. Is. -/8/- per S. I. p. m.
(5) Inspr. -/12/-per Inspr. p. m.
(6) Dy. Supdts. promoted from the non-gazetted ranks who at any time prior to their promotion subscribed to the Fund--Same as for Insprs.
(7) Lower Div. Clerks. -/4/- per had p. m.
(8) Upper Div. Clerks, Stenographers & Office Supdts. -/8/-per head p. m.

(c) By a percentage of the profits of Police sports, Bands etc.

(d) By voluntary Subscriptions and donations from persons other than Police Officer, collected under such retions and conditions as the Inspr. Genl. or other competent authority may impose.

(e) By credit of 50 percent recoveries for Police supplies to private persons under sec. 13 of the Police Act (Act V of 1861 Section 13 of Police Act)

Note:--For this sanction of Govt. will be necessary.

Administrative of the Fund 4. The fund shall be administered by Central Committee of management consisting of:--

(1) Inspr. Genl. (ex officio)
(2) One Deputy Inspr. (Genl) President to be nominated by the Inspr. Genl.

(3) The Assistant Inspr. Genl. Finance (ex officio Honorary Secretary.

(4) A representative of upper subordinate Rajasthan Police Service from each range.

(5) A representative of Head Constables and Constables from each range.

(6) Asstt. Inspr. Genl., C. I. D. (ex officio).

Note:--Number of 4 and 5 will be elected by the Head Constables and Constables.

Eligibility of benefits.

5. The dependants of the police Officers and men and members of the clerical staff detaild in articks 2 shall be eligible for the benefits of the fund. But other things being equal, the dependants of a subscriber to the fund shall have preference over those of non-subscriber. Also the amount distributed in benefits in any year to the dependents of:--

(a) Inspectors including Deputy Superintendents of Police (promoted from the rank of Inspr.) and Sub-Inspr.

(b) Head Constables-Naiks and Constables.

(c) Members of the Police, Clerical staff shall be proportionate to the total subscriptions received from three classes.

Meeting of the Central Committee

6. The Central Committee of management shall meet not less than twice a year at a time and place to be appointed by the President, to adjustdicate claims to benefits and dispose of all business connected with the management of the fund.

Qalifications or Benefits.

7. In deciding priority of claims to benefit the Central committee shall take into consideration:

(a) the circumstances of the deceased officer's family.

(b) the length of service of the deceased

(c) the quality of the service of the deceased,

(d) to the question whether the deceased was a subscriber to the fund or not (vide article 5)

(e) the length of time the deceased had subscribed.

District Committee.

8. There shall be in each district, Railway Police Section and branch of the force which may be declared by the central Committee to be equivalent to a district for the purpose of the fund, a district committee of the fund which shall consist of:—

(a) The Superintendent of Police or Head of the Office (ex-officio) President.

(b) The Reserve Inspector (ex Officio) or if there is no Reserve Inspector another Inspector nominated by the Superintendent of Police.

(c) A representative of the upper subordina'e Police service of the district nominated by them.

(d) A representative of the head Constable, Naiks and Constables of the district, to be nominated by him.

Duty of District Committee.

9. It shall be the duty of each District Committee under such rules as may be framed by the Central Committee to investigate and forward all claims to collect and forward. Subscriptions, to pass and forward the District accounts, and to dispose of any other business that may be referred to it by the Central Committee.

Powers of Central Committee to make Rules.

10. The Central Committee may make rules to regulate the collection of subscriptions, the maintenance of acounts, the investment of money the amounts to be distributed annually in relief and the submission of claims and otherwise generally to give effect to the objects of the Fund and to these articles.

Delegation of powers by the Central Committee.

11. The Central Committee may delegate to a quorum of not less than three of its numbers, such powers as a Central Committee may consider necessary to enable them to dispose of urgent claims that are pendng adjudication by the Committee as a whole, and may also place such funds in the hands of District Committee as it may consider desirable to enable them to grant immediate relief in urgent cases.

Decision of Central Committee to be Final Publication of accounts.

12. The decision of the Central Committee on all matters connected with the interpretation of the articles and rules of the Fund and the adjudication of claim shall be final.

13. A statement of accounts of the Fund as passed by the Central Committee shall be published annually in the Police Gazette.

In this statement the amounts received in subscriptions :—

(a) From Inspr. (incliding Deputy Supdts. of Police promoted from the rank of Inspectors) and Sub-Inspectors.

(b) From Head Constables, Naikas and Constables, and

(c) From members of the Police Clerical staff, shall be shown separately. The amounts distributed in benefits to the dependants of officers of each of these three classes during the previous year, as also the loans granted, shall be shown separately together with the share of the amount available for distribution to each of these classes during the coming year.

Alteration of Articles save of Association.

14. No change shall be made in the Articles of Association by the consent of two-thirds majority of the members.

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ५२३ का उत्तर देखिये)

S. NO.	Name of accused with parentage, caste and residence	Cases in which challaned with FIR NO., date and offence and Police Station	Name of court	Result of trial
1.	Laliya s/o Teja r/o Sawadari	FIR NO. 2 5 u/s 457/380 dt. 1956. P. S. Deogarh	SDM, Barmer	Pending
		„ NO. 1 u/s 457/380 dt. 1956. P. S. Rajnagar	FCM. Rajnager	Pending
		„ NO. 3 u/s 457/380 IPC of 1957. P. S Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
2.	Lalia s/o Hanga of Sawadari	2 3) dt. 18-8-57 u/s 379, 411/75 IPC, P. S, Siriyar(Pali) 2 4)	Extra Magistrate, Sojat (Pali)	Pending
3.	Hema s/o Dewa r/o Sawadari	„ NO. 4 u/s 148/324 dt. 2-3-57, P.S. Deogarh	SDM, Bhim	Compounded
		„ NO. 44 u/s 457/380 dt. 1955, P.S. Deogarh	FCM, Gangapur	Pending
		„ NO. 1 u/s 457/380 dt. 1957, P.S. Devair	SDM, Bhim	Pending
		„ NO. 24 u/s 457/380 dt. 1955, P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
		„ NO. 3 u/s 357/380 dt. 1956, P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
4.	Roopa s/o Dewa r/o Sawadari	„ NO. 27 u/s 457/380 dt. 1956 P.S. Deogarh	SDM, Bhim	Pending
		„ NO. 44 u/s 457/380 dt. 1955, P.S. Deogarh	FCM, Gangapur	Pending
		„ NO. 1 u/s 457/380 dt 1957, P.S. Devair	FCM, Bhim	Pending
		„ NO. 24 u/s 457/380 dt. 1955 P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
		„ NO. 3 u/s 457/380 dt. 1956. P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
5.	Panna s/o Biran r/o Sawadari	„ NO. 27 u/s 457/380 dt. 1956, P S Deogarh	SDM, Bhim	Pending
		„ NO. 1 u/s 457/380 dt. 1956 P.S. Devair	SDM, Bhim	Pending
		„ NO. 24 u/s 457/380 dt. 1955 P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
		„ NO. 3 u/s 457/380 dt. 1956, P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged

1	2	3	4	5
6.	Pema s/o Hawala r/o Sawadari	FIR NO. 24 u/s 457/380 dt. 1955, P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
		„ NO. 3 u/s 457/380 dt. 1956, P S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
7.	Chatra s/o Goma r/o Sawadari	„ NO. 25 u/s 457/380 dt. 1956 P.S. Deogarh	SDM, Bhim	Pending
8.	Goda Goma s/o Roopa r/o Sawadari	„ NO. 25 u/s 457/380 dt. 1956 P.S. Deogarh	SDM, Bhim	Pending
9.	Pitha s/o Roopa r/o Sawadari	„ NO. 25 u/s 457/380 dt. 1956 P.S. Deogarh	SDM, Bhim	Pending
		„ NO. 1 u/s 457/380 dt. 1956 P.S. Rajnagar	FCM, Rajnagar	Pending
10.	Duda s/o Tila r/o Sawadari	„ NO. 1 u/s 457/380 dt. 1957 P.S. Devair	SDM, Bhim	Pending
11.	Kumpa s/o Deva r/o Sawadari	„ NO. 24 u/s 457/380 dt. 1955 P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged
		„ NO. 3 u/s 457/380 dt. 1956 P.S. Amet	FCM, Rajnagar	Discharged

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर देखिये)

APPENDIX A

1.	New Fruit Garden.	Alwar District.
2.	Mangal Bihar Garden.	,,
3.	Narain Vilas Garden.	,,
4.	Roopbas Garden.	,,
5.	Jaswant Exhibtion.	Bharatpur.
6.	Kalami Bagh.	,,
7.	Rajdhanj Garden.	Dholpur and Bundi
8.	Bhilgawa Garden.	,,
9.	Maharaj Bag Bundi.	,,
10.	Ram Bag Dadi.	,,
11.	Nursery Garden.	Sawai Madhopur
12.	Maharaj Gopal Garden.	Karauli.
13.	Nalla Garden.	Jaipur.
14.	Durgapura Garden.	,,
15.	Ram Bagh	Kotah
16.	Kadri Bagh.	Chhabra
17.	Khorkhan Garden.	,,
18.	Ishwari Fruit Garden.	Bundi.
19.	Malhar Singh garden.	Jhalawar.
20.	Fruit Nursery on Agri. Farm.	Udaipur.
51.	Mandore Farm & Nursery.	Jodhpur.
22.	Fruit Farm & Nursery.	Ganganagar.
23.	Ahta Mela Garden.	Alwar.
24.	Ajan.	Bharatpur.
25.	Bihari Behan Garden.	Dholpur.

APPENDIX B.

1.	Chimaji ka Bagh.	Alwar District
2.	Nahar Sagar Garden.	,,
3.	Kacha Bagh.	,,
4.	Shoerwar Garden.	,,
5.	Garden Nadram	,,
6.	Hans Ashram.	,,
7.	Bad ka Bagh. NO. 1	,,
8.	Bad ka Bagh. NO. 2	,,
9.	Seelisarh Garden.	,,
10.	Nazar Baigchi.	,,

		Bharatpur District
11.	Rarah Garden	"
12.	Katch Bagh.	"
13.	Ram Bagh.	"
14.	Pachuri Bagh.	"
15.	Pachuri wala Bagh.	"
16.	Chaudhry wala Bagh.	"
17.	Ram Sagar Badi.	Dholpur and Badi.
18.	Kesho Ram Dhabi Garden.	S. Madhopur District
19.	Tal Bangavan.	"
20.	Mikham vilas Garden.	Jaipur District
21.	Kamal Gundals Tank.	"
22.	Nagi ji ka Bagh.	Kota District
23	Khadian Ladpura.	"
24.	Ganesh ka Bagh.	Ishwari Fruit Garden.
25.	Gathda ka Bagh.	"
26.	Gopal ka Bagh.	"
27.	Hindoli ka Bagh,	"
28.	Jai Niwas Garden.	Jhalawar District.
29.	Mandore Farm and Nursery.	Jodhpur division
30.	Fruit Farm and Nursery.	Bikaner Division (Ganganagar Distt.)
31.	Jai Niwas Garden.	Jhalawar District
32.	Guncera Kumber.	Ganganagar District
33.	Sheopura Bagh.	"
34.	Kayasthya wala Garden.	"
35.	Kaula Bagh.	"
36.	Naulakha Bagh.	"
37.	Babry wala Bagh.	"
38.	Bera Kanha Bagh.	"
39.	Manuranda Bagh.	"
40.	Kaloo Badi Bagh.	"
41.	Zabti wala Bagh.	"
42.	Balram Bagh.	"
43.	Rambux wala Bagh.	"
44.	Ahata Bagh.	"
45.	Nangaza Bagh.	"
46	Chentoli Bagh.	"
47.	Bhagwanpura Bagh.	"
48.	Fauzdar wala Bagh.	"
49.	Dumdama	"
50.	Mahloni.	"

51.	Talchti Bagh.	"
52	Beri wala.	"
53.	Hanex Kattar.	"
54.	Bal Bagh.	"
55.	Kamal Nene.	"
56.	Medan wala	"
57.	Lechora.	Tehsil Bayana.
58.	Arazi Dak Banglow.	"
59.	Hasanpua.	" Nabai
60.	Gadauli.	"
61.	Nagla Maji.	"
62.	Narsingh Garden.	Sub-Division Dholpur
63.	Hata Garden.	"
64.	Bihar Behari Garden.	"
65.	Nazar Niwas.	Bundi District.
66.	Hanwant Singhji ka Bagh.	"
67.	Tad ka Bagh.	"
68.	Baiji ka Bagh.	"
69.	Charbhu ji ka Bagh.	"
70.	Bera Top Khana.	Jhalawar District
71.	Gokulpura.	"
72.	Tekhra.	Kota District.
73.	Havely Raja ji ka Bagh.	"
74.	Begum Bagh.	"
75.	Khaki Shah ki Bagichi.	"
76.	Jogan wali Patti.	"
77.	Baroadari.	"
78.	Khera.	Tehsil Sironj,
79.	Court ka Bagh	"
80.	Patti Garden	"
81.	Andheria Bagh	Kishangarh sub District
82.	Ballu Bagh	"
83.	Naya Bagh	"
84.	Fathegarh Bagh	Tehsil Alwar
85.	Khalli Bagh.	District Tonk
86.	Phool Bagh	"
87.	Kacholra Garden	Udaipur Division Bhilwara District
88.	Jhazpur Garden	"
89.	Vijai Bagh	Banswara District
90.	Bara Bagh	Chittor District
91.	Nimbahera Garden	"
92.	Chopasni Garden	Jodhpur District

Page No.125

93.	Nawal Niwas	S. Madhopur District Karauli Sub District
94.	Tal Purana	
95,	Tal Hays	"
96.	Hadi Ran	"
97.	Chhabra	"
98-	Raja Bhahadur	"
99.	Tal ki per per	"
100.	Bagh Koudal (karea)	"
101.	Kundi wali Bagichi	"
102.	Hanumanji Wala	"
103.	Nandan Wala	"
104.	Lattoo Wala	"
105.	Lal Chand Wala	"
106	Sugan Wala	"
107.	Khred Wala	"
108.	Kumar and Chamar Wala	"
109.	Kaloo Mahajan Wala	"
110.	Lahori Thor Wala.	"
117.	Righini	"
112.	Lohera Thok Wala	"
113.	Manphool Wala (Pilipura)	"
114.	Kidori wala	"
115.	Ganga Wala	"
116,	Jhangir	"
127.	Manpholl wala	.
118.	Badhai Wala	"
119.	Harban wala	"
120.	Birethi.	"
121.	Gusain Wala	"
122.	Daffarpur Bighi	.
123.	Sunar Wala Bagh	.
124.	Dev Chand Wala	"
125.	Maji Chandra Wala	"
126.	Bhursingh Wala	"
127.	Mandir Wala	"
128.	Bat Manch Shabhawala	"
129.	Dulsi Wala	"
130.	Sona Chobey Wala	"
131.	Phool Walal Khet	"
132.	Bavali	"
133.	Bhon Mehte Wala	.
134.	Chainpur Wala	"

परिशिष्ट ५

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर देखिये)

LIST OF THE PERSONS TO WHOM TACCAVI LOANS OF RS. 10,000/- OR MORE THAN THIS LIMIT HAS BEEN SANCTIONED FROM APRIL, 1952 TO JANUARY, 1958 FOR THE PURCHASE OF TRACTOR.

Sl. No.-	Name of the District	Name of the Party.	Amount advanced
1.	Nagour.	Shri Simbhoo Singh S/o Shri Badan Singh V. Redu.	10,000/-
2.		,, Gulab S/o Gambhir Singh V. Nimba Jodha.	10,000/-
3.		,, Mohan Singh S/o Shri Sanwal Singh V. Ledi.	10,000/-
4.	Bundi.	,, Keshri Singh, Th. Kapran.	10,000/-
5.		,, Rama Nand Agarwal, Teh Bundi.	10,000/-
6.	Jodhpur	,, Jagat Singh of Jhalamand.	10.000/
7.		,, Raj Narain Vyas of Jodhpur.	10,000/-
8.		,, Deoraj Vyas of Jodhpur.	10,000/-
9.		Shrimati Ram Pyari.	10,000/-
10.		Shri Madan Lal of Palasni.	10,000/-
11.		,, Kaloo Singh of Sathin.	29,500/-
12.		,, Rajendra Raj.	10 000/-
13.		,, Raja Fateh Singh of Asop.	10,000/-
14.		,, Chandi Dan of Borunda.	10,000/-
15.		,, Hakim Nissar Ahmed of Padsol.	10,000/-
16.	Pali.	,, Ram Prasad Gandhi.	12,500/-
17.		,, Raoraja Narpat Singh, Tehsil Bali	10,000/-
18.		,, Rao Raja Nahar Singh.	10,000/-
19.		,, Mahipal Singh, Pali	10,0 0/-
20.	Udaipur.	,, Udai Bhan Singh	10,000/-
21.		,, Moti Lal Ji.	11,000/-
22.	Chittorgarh.	,, P. P. Singhal	25,000/-
23.		,, Shambhoo Singh	15,000/-
24.		,, Ram Singh.	25,000/-
25.		,, Sohan Singh.	11,443/-
26.		,, Gordhan Singh.	10,000/-

27.	Chittorgarh	,,	Shiv Raj Singh.	10,000/-
28.		,,	Madan Singh.	10,000/-
29.		,,	Bhopal Singh.	10,000/-
30.		,,	Ram Chandra.	10,000/-
31.	Bhilwara.	,,	Yashpal Annangpal.	10,000/-
32.		,,	Raghuraj Singh.	10,000/-
33.	Kotah	,,	Vimaldeo Singh.	10,000/-
34.		,,	Balwant Singh.	10,000/-
35.		,,	Rampal Singh, Bhikaram, Radha Kishan, Mahabir Pd.	10,000/-
36.	Ganganagar.	,,	Jagmer Singh.	10.000/-
37.	Alwar.	,,	Bhawani Singh.	10,000/-
38.		,,	Shanti Swaroop Khanna.	10,000/-
39.	S. Madhopur	,,	Fateh Singh.	10,000/-
40.	Bhilwara	,,	Sahkari Samati, Asind.	10,000/-
41.	Tonk	,,	Mohammad Rafique.	10,000/-
42.	Jaipur	,,	BhanwarLal. Tehsil, Phulera.	10,000/-
43.		,,	Nand Kishora ,, Bassi.	10,000/-
44.		,,	Gopal Singh. ,, Dudu	10,000/-
45.		,,	Gejender Kumar ;, Sanganer.	10,000/-
46.		,,	Mool Chand Paliwar ,,	11,729/-
47.		,,	V. N. Kak, Tahsil Jaipur.	10,000/-
48.		,,	Shiv Behari Tiwari. ,,	10,000/-
49.		,,	Goverdhan Singh, Bairath.	10,000/-
50.		,,	Rawat Singh, Teh. Dausa.	10.000/-
51.	Bharatpur	,,	Permanand. Teh, Kumber.	10,1[illegible]0/-
52.		,,	T. N, K. Acharya. weir.	10.000/-
53.		,,	Ram Swaroop, Nadbai	10,000/-
54.		,,	Subedar Singh, Bari.	10,000/-
55.		,,	Seelendra Kumar, Bharatpur.	10,000/-
56.		,,	Bhahori Singh, Maroli Kalan	10,000/-
57.		,,	Raghunath, Teh. Bharatpur.	10,000/-
58.		,,	Gopal Ram Bayana.	10,000/-
59.		,,	Bhagwan Singh, Bharatpur	10,000/-
60.		,,	Kalesh Bax, Helak	10,000/-
61.		,,	Brij Lal, Pahori	10.000/-
62.		,,	Des Raj. Jaghin.	10,000/-
63.		,,	Sardar Singh. ,,	10,000/-
64.		,,	Mool Chand Kalyanpur	10,000/-
65.		,,	Gulab Singh, Agahpur	10,000/-

66.	,,	Ratan Singh, Rudawal	10,000/-
67.	,,	Panna Singh. Madupur	10,000/-
68.	,,	Jogendar Singh. Pachgaon	10,000/-
69.	,,	Babu Lal Dholpur.	10,000/-
70.	,,	Bhajan Lal Barolichhar	10,000/-
71.	,,	Sanwal Singh. Rudawal	10,000/-
72.	,,	Rajendar Singh. Dholpur.	10,000/-

परिशिष्ट ६

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर देखिये)

STATEMENT OF TRACTORS

Name of Loanees	Amount of loan advances.	Quantity of lands possession	Purchased or not.	Price of the tractor	How much money have contributed by the loanees in purchasing tractor.	Name of the party who have sold the tractor.	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1. Shri Gol. Chamandi Singh Bharatpur.	3,912/12/-	262 Acre.	Purchased.	3912/12/-	No-	No.	
2. Shri Sher Singh, Bijwali.	4900/-	107 „	„	4700/-	No.	„	
3. Shri Rani Ajya Cor, w/o Raja Mansingh Bharatpur	14150/-	401 „	„	14150/-	No.	„	
4. Shri Parasram Singh Khankhara.	15000/-	342 „	„	30127/-	15127	„	
5. „ Guru Charan Singh Laharbari.	5000/-	66 „	„	5000/-		„	
6. „ Gajendra Singh weir.	18700/-	379 „	„	37568/-	18888	„	
7. „ Ghamandi Lal Vyas Nadbai.	5000/-	85 „	„	5000/-	No.	„	
8. „ Sardar Indra Singh Bhimnagar.	10600/-	233 „	„	25101/-	14501/-	„	

		1	2	3		4	5	6	7	8
9.	„	Shyam Lal Cavvai.	5000/-	75/	„	„	10000/-	5000/-	„	
10.	„	Pushakar Singh Bharatpur	5000/-	46	„	„	10390/-	5390/-	„	
11.	„	Girraj Singh Piplakhara.	5000/-	85	„	„	16050/-	11050/-	„	
12.	„	Kalu Ram Khara.	5000/-	345	„	„	11461/-	6461/-	„	
13.	„	Lal Singh Khansurjapur.	5000/-	228	„	„	22300/-	10722/-	„	
14.	„	Ghanshyam Pingaora.	11578/-	68	„	„	22590/-	13180/-	„	
15.	„	Radha Kishan Pichana.	9400/-	61	„	„	10000/-	5000/-	„	
16.	„	Sahib Singh Jegina.	5000/-	61	„	„	15000/-	7500/-	„	
17.	„	Kanwar Laxman Singh Bharatpur.	7500/-	299	„	„	19339/-	9339/-	„	
18.	„	Bharat Singh Godawali.	10000/-	141	„	„	20364/-	10204/-	„	
19.	„	Parmanand Sainthrak.	10160/-	85	„	„	9562/-	4562/-	„	
20.	„	Mahesh Chandra Chicksana	5000/-	38	„	„	20100/-	10100/-	„	
21.	„	T. N. K. Acharaya Weir.	10000/-	81	„	„	15655/-	5659/-	„	
22.	„	Harwan Singh Bharatpur	9986/-	49	„	„	10120/-	5129/-	„	
23.	„	Mangal Ram Nagale Khan.	5000/-	50	„	„	19195/-	9945/-	„	
24.	„	Gopal Das Jhoral.	9250/-	84	„	„	20120/-	10120/-	„	
25.	„	Ramswroop Chitori Nadbai.	10000/-	55	„	„	19895/-	10303/-	„	
26.	„	Ram Sharan Nadbai.	9887/-	160	„	„	13052/-	7052/-	„	
27.	„	Damodar Lal Nagala Khan.	6000/-	100	„	„	18189/-	9199/-	„	
28.	„	Ram Prashad Nagla Khan.	10000/-	84	„	„	10374/-	10374/-	„	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29. Shri Jav Deo Singh Rundahalk.	5000/-	170	Purchased.	8374/-	3374/-	No.	
30. ,, Yad Ram Singh Brij	5000/-	89	,,	10119/-	5119/-	,,	
31. ,, Subadar Singh Bari.	10000/-	113	,,	20200/-	10200/-	,,	
32. ,, Samundra Singh Sewar.	9715/-	212	,,	19429/-	9714/-	,,	
33. ,, Nityal Singh Singpur	8102/-	194	,,	16204/-	8102/-	,,	
34. ,, Capt. Girdhar Singh Jagina	9500/-	67	,,	19000/-	9658/-	,,	
35. ,, Girraj Pd. Nadbai.	9442/-	50	,,	21619/-	11919/-	,,	
36. ,, Silendra Kumar Bharatpur.	10000/-	50	,,	25114/-	15114/-	,,	
37. ,, Bhonri Singh Maroli kala	10000/-	175	,,	25114/-	15114/-	,,	
38. ,, Prem Nidhi Shastri Bharatpur.	10000/-	68	,,	20734/-	10734/-	,,	
39. ,, Raghunath Pd. Bharatpur.	10000/-	61	,,	22200/-	12200/-	,,	
40. ,, Gopal Ram Bayana	10000/-	50	,,	21910/-	11910/-	,,	
41. ,, Mangla Chukkhanli	10000/-	207	,,	10709/-	1709/-	,,	
42. ,, Bhagwan Singh Bharatpur	10000/-	48	,,	21905/-	11905/-	,,	
43. ,, Kala Bux Helak.	10000/-	66	,,	21056/-	11056/-	,,	
44. ,, Narendra Singh Bharatpur.	4788/-	17	,,	10184/-	5396/-	,,	
45. ,, Brij Lal Panyari	10000/-	100	,,	20249/-	10249/-	,,	
46. ,, Yad Ram Dhorsani.	6000/-	73	,,	12000/-	6000/-	,,	
47. ,, Das Raj Gagina.	10000/-	98	,,	2385./-	13851/-	,,	
48. ,, Herandra Kumar Bharatpnr.	5000/-	60	,,	11484/-	6484/-	,,	
49. ,, Balwant Singh Tikata.	7282/-	100	,,	15569/-	8287/-		

		1	2	3	4	5	6	7	8
50.	„	Fateh Singh Bijwari.	9000/-	94	„	20021/-	11021/-	„	
51.	„	Ramjilal Jiasur.	9320/-	667	„	17955/-	8635/-	„	
52.	„	Girraj Singh Bhandar.	80000/-	115	„	18045/-	10045/-	„	
53.	„	Sardar Singh Gigana	10000/-	130	„	15114/-	5114/-	„	
54.	„	Mulchand etc. Kiyapi.	10000/-	177	„	20330/-	10330/-	„	
55.	„	Gulab Singh Aghpur.	10000/-	103	„	20577/-	10577/-	„	
56.	„	Guru Charan Singh Nagali Phatiyar.	8500/-	100	„	17120/-	8620/-	„	
57.	„	Kunwar Ratan Singh Rudawat.	10000/-	18	„	20380/-	20380/-	„	
58.	„	Panney Singh Madapura.	10000/-	71	„	20800/-	10800/-	„	
59.	„	Dwarka Pd. Jepura.	10000/-	630	„	20256/-	10256/-	„	
60.	„	Jogendra Singh etc.	11000/-	46	„	20801/-	18801/-	„	
61.	„	Babu Lal Ondlay.	10000/-	88	„	20801/-	10801/-	„	

परिशिष्ट ७

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ४ का उत्तर देखिये)

LIST A

S. N. 1	Name 2.	Designation. 3.	Date of appointment to the present post. 4.
1.	Shri Sugan Chand	R. T. O.	13-7-1957
2.	Shri N. N. Verma	R. T. O.	6-9-1952
3.	Shri C. S. Pancholi	R. T O.	13-6-1955
4.	Shri Mohd. Ateeque	Inspector	26-7-1957
5	Shri Narsingh Lal	-do-	9-4-1947
6.	Shri Phool Chand	-do-	1-3-1954
7.	Shri Narain Singh	-do-	13-4-55
8.	Shri Dwarka Prasad Bansal	-do-	10-1-57
9.	Shri Hari Singh Rathore.	-do-	1-3-54
10.	Shri Mohd. Ishaque.	-do-	21-2-57
11.	Shri Immad Uddin	-do-	7-11-39
12.	Shri Narain Singh	-do-	31-12-48
13.	Shri Bahadur Singh	-do-	13- 3-54
14.	Shri Inder Singh	-do-	22- 1-49
15.	Shri Laxmi Narain Gujrati	-do-	Nov., 47
16.	Shri Ramji Lal	Sub-Inspector.	20-12-52
17.	Shri Chandra Prakash	-do-	4- 5-58
18.	Shri Nand Lal Singh	-do-	22-12-52
19.	Shri Kanahiya Singh	-do-	9- 4-54
20.	Shri Kishan Sahai	-do-	28-12-48
21.	Shri Shimbhu Nath	-do-	11-10-57
22.	Shri Hem Singh	-do-	23- 1-51
23.	Shri Mahabir Prasad	-do-	9- 2-53
24.	Shri Bhoora Ram	-do-	
25.	Shri Ramesh Shanker	-do-	24- 2-58
26.	Shri Chandra Pal singh	-do-	11-12-48
27.	Shri Atma Ram	-do-	2?-3-50
28.	Shri Suraj Bhan Singh	-do-	23-12-52
29.	Shri Laxmi Nath	-do-	1- 1-53
30	Shri P. C. Baidya	-do-	
31.	Shri Jagdish Prasad	-do-	9- 4-54
32.	Shri Lal Singh	-do-	16- 5-51
33.	Shri Hari Singh	-do-	2- 6-51
34.	Shri Gopendra Saran	-do-	13-12-52

1	2	3	4
35.	Shri Laxmi Narain Gupta.	Sub-Insdector.	9- 2-50
36.	Shri Bhag Singh	-do-	1- 1-49
37.	„ Anoop Singh	-do-	26- 1-49
38.	„ Ram Pratap	-do-	11-10-57
39.	„ Hira lal	-do-	15- 1-49
40.	„ Mustaq Mohd.	-do-	16- 3-47
41.	„ Hazari lal	-do-	5- 2-49
42	„ K. L. Daima	-do-	13- 8-49
43.	„ Om Prakash	-do-	17- 1-49
44.	„ Prem Kishore	-do-	5- 4-49
45.	„ Sheodan singh	-do-	

LIST "B"

SHOWING THE NAMES OF INSPECTORS AND SUB INSPECTORS IN DEPARTMENT APPOINTED AFRESH TAKEN ON TRANSFER OR PROMOTED.

BY FRESH APPOINTMENTS.

1.	Shri Dwarka prasad Bansal.	Transport Inspector.
2.	„ Nand Lal Sigh.	Sub--Inspectors
3.	„ Kanahiya Singh.	-do-
4.	„ Mahabir Prasad.	-do-
5.	„ Chandra Pal Singh.	-do-
6.	„ Atma Ram.	-do-
7.	„ Suraj Bhan Singh.	-do-
8.	„ Gopendra Saran.	-do-
9.	„ Prem Kishore.	-do-

BY TRANSFER FROM OTHER DEPARTMENTS.

10.	Shri Narain Singh	Transport Inspector.
11.	„ Hari Sing Rathore.	-do-
12.	„ Bahadur Singh.	-do-
13.	„ Ramji Lal.	Transport Sub-Inspector.
14.	„ Chandra Prakash.	-do-
15.	„ Kishan Sahai.	-do-
16.	„ Shimbhu Nath.	-do-
17.	„ Hem Singh.	-do-
18.	„ Bhoora Ram.	-do-
19.	„ Ramesh Shanker.	-do-

1	2	3
20.	„ Laxmi Nath.	Transport Sub-Inspector.
21.	„ Jagdish Prasad.	-do-
22.	„ Lal Singh.	-do-
23.	„ Hari Singh.	-do-
24.	„ Laxmi Narain Gupta.	-do-
25.	„ Bhag Singh.	-do-
26.	„ Anoop Singh.	-do-
27.	„ Ram Pratap.	-do-
28.	„ Hira Lal.	-do-
29.	„ Mustaq Mohd.	-do-
30.	„ Hazari Lal.	-do-
31.	„ K. L. Daima.	-do-
32.	„ Om Prakash.	-do-
	BY PROMOTION.	
33.	Shri Mohd. Ateeque.	Transport Inspector.
34.	„ Narsing Lal.	-do-
35.	„ Phool Chand.	-do-
36.	„ Mohd Ishaque.	-do-
37.	„ Immad Uddin.	-do-
38.	„ Narain Singh.	-do-
39.	„ Inder Singh	-do-
40.	„ Laxmi Narain Gujrati.	-do-
41.	„ P. C. Baidya.	Transport Sub-Inspector.
42.	„ Sheodan Singh.	-do-

SENIORITY LIST OF SUB-INSPECTORS, TRANSPORT.

1. Shri Immad Uddin.
2. „ Laxmi Narain Gujrati.
3. „ Narain Singh.
4. „ Mohd. Ishaque.
5. „ Anoop Singh.
6. „ Laxmi Narain Gupta.
7. „ Hem Singh.
8. „ Asha Ram.
9. „ Laxmi Nath.
10. „ Shimbhu Nath.
11. „ K. L Daima.
12. „ Heera Lal.

1		2
13.	,,	Lal Singh.
14.	,,	Hari Singh.
15.	,,	Jagdish Prasad.
16.	,,	Ram Pratap.
17.	,,	Chandra Pal Sing.
18.	,,	Hazari Lal.
19.	,,	Mustaq Mohd. Khan.
20.	,,	Bagh Singh.
21,	,,	Om Prakash.
22.	,,	Atma Ram.
23.	,,	Gopendra Saran.
24.	,,	Suraj Bhan Singh.
25.	,,	Nand Lal Singh.
26.	,,	Mahabir Prasad.
27.	,,	Prem Kishore.

परिशिष्ट ८

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देखिये)

राजस्थान जल बोर्ड जयपुर के सदस्यों की सूची

१.	मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग जयपुर	अध्यक्ष
२.	श्री भागीरथ कानोडिया	मन्त्री
३.	स्वायत शासन सचिव जयपुर	सदस्य
४.	उप अर्थ सचिव राजस्थान सरकार जयपुर	,,
५.	चीफ पंचायत आफिसर जयपुर	,,
६.	श्री गोकुल भाई भट	,,
७.	श्री माणिकलाल वर्मा	,,
८.	श्री सरदार हरलालसिंह	,,
९.	श्री मथुरादास माथुर जयपुर	,,
१०.	श्री नाथुलाल जैन कोटा	,,
११.	श्री गजाधर सोमाणी	,,
१२.	श्री मातादीन खेतान	,,
१३.	श्री रामेश्वर टांटिया	,,
१४.	श्री कमलनयन बजाज	,,
१५.	श्री गोवर्धनदास बिन्नानी	,,
१६.	श्री भैरोंसिंह खेजड़ला	,,
१७.	श्री नन्दलाल भुवालका	,,
१८.	श्री बद्रीनारायण सोढाणी	,,
१९.	श्री रामरतन कोचर	,,
२०.	श्री शोभाराम मिर्धा	,,
२१.	श्री नाथूराम मिर्धा	,,
२२.	श्री जगन्नाथ कसेरा परतापपुर बांसवाड़ा	,,
२३.	श्री धर्मचन्द सरावगी	,,
२४.	श्री बद्रीप्रसाद पोद्दार	,,
२५.	श्री भंवरलाल मदादा	,,
२६.	श्री उपसचिव प्लानिंग विभाग जयपुर	,,
२७.	श्री सुपरिनटेंडिंग इन्जीनियर हैल्थ जयपुर	,,
२८.	श्री कन्हैयालाल सेठिया सुजानगढ़	,,
२९.	श्री पन्नालाल बारूपाल	,,
३०.	श्री भीखाभाई भील	,,
३१.	श्री कंवरलाल जैलिया	,,
३२.	श्री धर्मपाल पंवार	,,

नगरपालिकाओं को सहायता व नगरोत्थान के हेतु दी गई धनराशि का ब्यौरा

नाम नगरपालिका	१९५०–५१	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६	१९५६–५७	१९५७–५८
टोंक	३५,००० रु०	३५,००० रु०	२१,४१६ रु०	२१,४१६ रु०	२१,४१६ रु०	२१,४१६ रु०	२६,७७१ रु०	
							२०,४०० रु० नगरोत्थान हेतु	
निवाई	२,४५८ रु०	२,४५८ रु०	३,०३९ रु०	३,०३९ रु०	३,०३९ रु०	३,०३९ रु०	३,७९९ रु०	
मालपुरा	२,९१० रु०	२,९१० रु०	३,००० रु०	३,००० रु०	४,००५ रु०	४,००५ रु०	५,००६ रु०	
							१०,००० रु०	५,००० रु०
							सड़कों हेतु,	नगरोत्थान हेतु।
टोडारायसिंह	२,५०८ रु०	२,५०८ रु०	३,५९९ रु०	३,५९९ रु०	३,५९९ रु०	३,५९९	४,४९९ रु०	४,००० रु०
							५,००० रु० नगरोत्थान हेतु	
उनियारा	६७० रु०	६७० रु०	२,२७९ रु०	२,२७९ रु०	२,२७९ रु०	२,२७९ रु०	२,८४९ रु०	

परिशिष्ट ३

(श्री पी० के० चौधरी द्वारा सदन में उद्धृत एवं सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि)

M. B. College,
Udaipur.

My dear Bhargava Sahib,

Namaskar.

Perhaps you must have come to know that Shri G. L. Tiwari of this place has been selected by the P. S. C as Lecturer in Pol. Sc. for Churu College. He met me here just now and says that he would join there latest by 21st. Dec. Orders have been issued but will be despatched on Monday next. Although it is not a good news, yet I consider it my duty to inform you before hand and so I am writing just now. I hope you must have got your chance in R. A. S. by now. Because I trust that when the doors on side close, the doors on the other side automatically open, says Rajgopalachari and I also believe in this. Please convey my best regards to all the elderly and young friends at Churu and convey compliments to Shri Principal Sahib and Gupta Sahib. Please excuse me for all this piece of information.

With regards.

Yours sincerely.
Sd/- H. B. Mishra

Note:—The above letter was written on a Post Card and posted at Udaipur Post Office on 14th December, 1957.

Jaipur,
17th Dec., 1958.

Dear Shri Bal Mukundji,

You will be surprised to read this letter from a stranger but if I mistake not you might be knowing me. Anyhow you will be glad to know that I have been appointed as a Lecturer in Political Science on the recommendation of P. S. C. at Lohia College, Churu. Now I am most probably starting from Udaipur on 19th of this month by evening train. Probably I shall reach there by 20th night.

I hope this will find you in best of spirit.

Yours sincerely,
Sd/- Goverdhan Lal Tiwari

To

Shri Balmukund Samdari, M. Com.,
Lecturer in Commerce,
Lohia College, Churu (Div. Bikaner)

Sd/- P. K. Chaudhari,
12.3.58

GOVERNMENT OF RAJASTHAN.
EDUCATION 'A' DEPARTMENT

No. F. 11 (424) Edu/A/56 Dated the 17th December, '57.

ORDER.

On the recommendation of the P. S. C. Shri G. L. Tiwari is appointed as Lecturer in Political Science at Lohia College, Churu with effect from the date of taking over charge vice Shri Iswar Swaroop Bhargava, Temporary Lecturer, wose services are terminated from the date of relief.

BY ORDER OF GOVERNOR,
S. P. Singh Bhandari, I. A. S.,
Secretary to the Government.

———

No. F-11 (424) Edu/A/56. Dated the 17th December, 1957.

Copy forwarded to:—

1. The Chief Secretary to the Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur.
3. The Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Jaipur. Shri Tiwari's application may kindly be sent for record.
4. The Accountant General, Rajasthan, Jaipur. The above appointment has been made in the Scale of Rs. 200-10-280-EB-15-400-25-450 plus usual D. A. Shri Tiwari's appointment is temporary till further orders.
5. The Principal, Lohia College, Churu.
6. Shri G. L. Tiwari, c/o Shri Laxmi Narain, P. O. Gangapur (Rajasthan) via Bhilwara.
7. Shri Ishwar Swaroop Bhargava, Temorary Lecturer in Political Science, Lohia College, Churu.
8. Translation Branch, Law Deptt., Jaipur for preparation of Hindi version of the order for publication in the Rajastan Raj Patra.

R. K. Gupta
17. XII

Asstt. Secretary to the Government.

The following appointments were made by Education Department by restoring to the method of subsequent and gradual requisition. The number of notified vacancies was only four (2 through Advertisement No: 32 and the remaining 2 through some prior advertisement).

(A) By order No: F. 12 (83) Edu/1/54 of July 12, 1957.

(1) Shri Dev Sharma Lec. in Pol. Sc. at Raj Rishi College, Alwar.
(2) Shri Chand Mal Jain " " " " Maharaja's College, Jaipur.
(3) Shri Brij Lal Gour " " " " Government College, Kota.
(4) Shri Rajeshwar Prasad Tiwari " " " " S. M. K. College, Jodhpur.
(5) Shri Hukam Raj Bhandari " " " " S. M. K. College, Jodepur.

(B) By order No: F. 1 (379) Edu/A/57 of July 13, 1957.
(1) Shri Mohammed Naziruddin Lec. in Pol. Sc. at Government College, Sirohi.
(2) Shri Yaswant Singh Mehta " " " " Maharana College, Bhilwara.

(C) By order No: F. 1 (379) Edu/A/57 of September 2, 1957.
(1) Shri Chaturbhuj Vijayvargiya Lec. in Pol. Sc. at Government College, Ganganagar.
(2) Shri Bhawani Singh " " " " Maharaja's College, Jaipur

(Singed by Shri P, K, Chaudhuri, M, L, A.
Division No, 121).

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण दिनांक १२ मार्च, १९५८)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
३०७२	१२	इनको नगरोत्थान के कार्य	इनको नगरोत्थान के कार्य
३०७४	शीर्ष	६०७४	३०९७४
३०७७	१५	श्री लक्ष्मीचन्द	श्री लक्ष्मीचंद
३०७८	अन्तिम से २	वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा)	वन मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा)
३०८८	६	श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री	श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
,,	अन्तिम से ८	सार्व जनक निर्माण	सार्वजनिक निर्माण
३०९७	१४	आथिक प्रावधान	आर्थिक प्रावधान
३१००	१८-१९	भीलवाडा के ग्राम पंचयात	भीलवाड़ा की ग्राम पंचायत
३१०१	शीर्ष	-१० मार्च , ५८-	-१२ मार्च, ५८-
३१०२	६	श्री भैरोंसहि	श्री भैरोंसिंह
३११६	४	श्री हारशंकर सिद्धान्त शास्त्री	श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री
३११८	१९	गवाहों पर किया गया खर्च	गवाहों पर किया गया खर्च
३१२९	५	नगर विकास मंडल शाघ्रातशाघ्र	नगर विकास मंडल शीघ्रातिशीघ्र
,,	अन्तिम से ३	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
३१३९	२	मध्यान्ह	१२ मध्यान्ह
३१४०	अन्तिम से ८	गलत सूचानायें देते हैं	गलत सूचनायें देते है
३१४२	१४	राजस्थान मोटरविहिकल्स विधेयक में	राजस्थान मोटर विहिकल्स रूल्स में
,,	२१	मोटर विहिकल्स एक्ट,	मोटर विहिकल्स रूल्स
३१४५	३	वियेयक, १९५८	विधेयक, १९५८
३१५९	५	श्री हरिभाऊ उपध्यय	श्री हरिभाऊ उपाध्याय
,,	६	सन् की बत कह रहे है ?	सन् की बात कह रहे हैं !
,,	९	"केन्द्र से उधार ली	"केन्द्र से उधार ली
३१७०	६	Rs. 15092	150.92
,,	१८	यह हमारी प्ररम्भक	यह हमारी प्रारम्भिक
३१७२	अन्तिम से ११	"अब तक भाखरा में	"अब तक भाखरा में
,,	अन्तिम से १०	यह ऋण कुकाया	यह ऋण चुकाया
,,	अन्तिम से ५	यह केकल एक चीज़	यह केवल एक चीज़

१	२	३	४
३१७५	अन्तिम	हमारे एक मंत्री महदय	हमारे एक मंत्री महोदय
३१९०	३	यह आग्यूमेन्ट साउन्ड	यह आग्युमेंट साउन्ड
३१९५	१२	लेकिग अगर योजनाओं	लेकिन अगर योजनाओं
३१९८	१८	मैं सदन के धैर्य की	मैं सदन के धैर्य की
३२०२	अन्तिम से ५	उनकी पृथक	उनका पृथक
३२०४	२१	योजना आयोज के निदर्शन	योजना आयोग के निर्देशन
,,	अन्तिम से १०	महत्त्वांक्षा से भरी ई हो	महत्त्वाकांक्षा से भरी हुई हो
३२१४	शीर्ष	११ मार्च, ५८	१२ मार्च, ५८
,,	८	बुई है और अब	हुई है और अब
३२२५	अन्तिम से १०	सांचोर जो ठेका	सांचोर में जो ठेका
३२३४	६	बहुत बडा अश	बहुत बड़ा अंश
३२३५	२०	इस और आकषित करना	इस ओर आकर्षित करना
३२३६	अन्तिम से ८ वीं	गलती की होती	गलती की हो तो
३२३९	अन्तिम से २ री	i am stating	I am stating
३२४४	२०	बहुत हैं । मैं	बहुत है । मैं
३२४६	८	और डेफिडिट या	और डेफिसिट या
३२५०	अन्तिम से ४ थी	तो जब आता है	तो जब आता है
३२५१	,, ,, ३ री	५० परसैन्ट ही	५० पर्सेन्ट ही
३२५४	१३	परसैन्ट हम खर्च	पर्सेन्ट हम खर्च
३२५५	२१	Coucerned is much nore	concerned is much more
३२५६	१०	आप भी रियोलुशन पास	आप भी रिज़ोल्युशन पास
३२६१	२२	level of taxatiou on	level of taxation on
३२६२	२	not less that	not less than
,,	१६	renewal ot the	renewal of the
३२६५	१५-१६	हैं तो सारा टंटा ही मिट जात है तो	हैं तो
,,	१८	अरिरी एम है	आखिरी एम है
३२६८	५	absobetely sudoridinated	absolutely subordinated
,,	२०	deriviug maximum	deriving maximum
३२७६	अन्तिम से १०	से रिक मेंट ६,	से रिक्रूटमेंट ६,
३२७७	२	information, Sir	information, Sir
३२७८		मैं इसी सदन में	मैंने इसी सदन में
,,	२२	कि तहसीदार इस	कि तहसीलदार इस
,,	अन्तिम	का जो केन्डर है	का जो केडर है
३२८२	१३	योजनाओं को शघ्र	योजनाओं को शीघ्र

१	२	३	४
३२८६	३	घाणियां चाल	घाणियां चालू
३२८८	७	apoint of order	On a point of order
३२८६	२	हे, इसका	है, इसका
,,	अन्तिम से ५	में परिवर्तन शब्द	मैं 'परिवर्तन' शब्द
३२६८	२१	-/4/- per had	-/4/- per head
३२६६	११	in articke 2	in article 2
३३०१	२	with the in erpve taation	with the interpretation
३३२३	८-६	S. M. K. College Jodepur	S. M. K. College Jodhpur